राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] तेरहवीं विधान सभा के छठे सत्र का नवां दिवस [संख्या : 5

बुधवार

23 फरवरी, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपको तो उपाध्यक्ष बना देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: डा.रघु शर्मा।

सामाजिक सुरक्षान्तर्गत देय पेंशन के नियमों में संशोधन

36. डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वर्तमान में सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत विधवा/वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन तथा पालनहार योजना के तहत कुल कितने लोगों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले लोगों को पेंशन दिये जाने के क्या मानदण्ड हैं? क्या सरकार इन मानदण्डों में कोई शिथिलता/संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों?

श्री सभापति: यह प्रश्न स्थगित किया जाता है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह प्रश्न की सूचना हम देते हैं, निर्धारित समय सरकार को पूरा मिलता है। सामाजिक सरोकार से जुडा हुआ मेरा प्रश्न है। अगर इन प्रश्नों का जवाब 15-15 दिन में सरकार के मंत्री नहीं दे पाएं और आप उन प्रश्नों को स्थगित करते हैं तो यह अच्छी परम्परा नहीं है, माननीय सभापति महोदय।

दूसरी बात, यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न के बारे में फीडबैक नहीं हो। 10 दिन, 15 दिन पहले सवाल लगाया गया, अभियान चला आपका

(डा. रघु शर्मा)

पूरे दो महीने, सारी सूचना सरकार के मंत्रीजी के पास होनी चाहिए। सरकार के मंत्री मौज-मस्ती के लिए बने हैं क्या? (व्यवधान) यह परम्परा ठीक नहीं है। लाटरी निकलती है, सभापति महोदय, कोई तकदीर वाले आदमी का पहला प्रश्न आता है। इस तरह से यह जो सरकार के मंत्री का नाकारापन है, मैं इस पर गम्भीर आपत्ति आपके सामने दर्ज कराना चाहता हूं। अगर तैयारी नहीं है तो सामाजिक सरोकार के मसले पर मंत्री कर क्या रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): इसी सत्र में जवाब आना चाहिए, सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका प्रश्न स्थगित किया जा चुका है और अगली बैठक जब सदन की होगी, तब इस प्रश्न को लिया जाकर मंत्री से जवाब दिलाया जाएगा। श्री राजेन्द्र राठौड़।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, साधारण-सा प्रश्न है, अगर उस प्रश्न को स्थगित करना पड़े तो इसका मतलब सरकार कर क्या रही है?

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, एक ही नहीं, तीन-तीन...

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): सरकार हाउस से भाग नहीं सकती है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आज ही इस प्रश्न का जवाब दिलाया जाए। आपने कैम्प लगाये हैं, सारे राजस्थान में कैम्प चले और कैम्प के माध्यम से जो जानकारी आई, राजस्थान की सरकार ने गुमराह किया। इन प्रश्नों के जवाब से राजस्थान सरकार की पोल खुलने वाली थी।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा। आप विराजिये। विराजिये। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या-36

(स्थगित)

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्वेशचन आवर के बाद। माननीय सभापति महोदय, एक नहीं, आज प्रश्न-पत्र में तीन-तीन ऐसे सवाल जो राजस्थान की बुनियादी समस्याओं के साथ जुड़े हुए हैं, उनको स्थगित किया गया है। सभापति महोदय, सदन के अन्दर सवाल लगाये हैं, यह हमारी सम्पत्ति हो जाती है। हम ना पक्ष और हां पक्ष, उस पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। आज पहला प्रश्न सामाजिक सरोकार से था, निश्चित रूप से आपको प्रताड़ना देनी चाहिए सरकार को कि सरकार तैयारी के साथ आएं। और, सभापति महोदय, मेरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37.

फर्जी पेंशन मेडिकल डायरी प्रकरण की जांच

37. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कानफैड) ने अपने मेडिकल स्टोर्स संचालन हेतु आउटसोर्स कर कुछ संस्थाओं से करार किया है? यदि हां, तो करार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कानफैड ने राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो को फर्जी पेंशनर मेडिकल डायरियों की सूची भेजी है? यदि हां, तो कब व कितनी संख्या में फर्जी पेंशनर मेडिकल डायरियों की सूची भिजवाई गई?

(3) क्या यह सही है कि सरकार को कानफैड की दुकानों पर अनुबंधित फार्मासिस्टों के अलावा अन्य कर्मचारियों के अवैधानिक रूप से कार्य किये जाने की शिकायतें मिली हैं? यदि हां, तो उक्त पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि फर्जी पेंशनर मेडिकल डायरियां फर्जी पी.पी.ओ. नम्बर से जारी किये जाने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कुल कितनी शिकायतें जनवरी, 2010 से जनवरी, 2011 तक मिलीं तथा उक्त पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) जी हां। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कानफैड) ने अपने मेडिकल स्टोर्स संचालन हेतु आउटसोर्स कर तीन संस्थाओं से करार किया है। करार की प्रति परिशिष्ट-1 से 3 पर संलग्न है।

(2) कानफैड ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को पत्र क्रमांक 19237 दिनांक 27.12.2010 भिजवाया है, जिसमें केवल एक मेडिकल डायरी पी.पी.ओ. संख्या 30133 का उल्लेख है।

(श्री परसादीलाल)

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस प्रकरण में जांच कमेटी गठित की जाकर जांच कराई जा रही है, जो प्रक्रियाधीन है। जांच आदेश की प्रति परिशिष्ट 4 व 5 पर उपलब्ध है।

(प्रतियां एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, यह सवाल राजस्थान के तीन लाख पेंशनर्स से संबंधित है, इसलिए, मंत्री महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे पाइंटेड सवालों का सीधा जवाब दें। नम्बर एक, आपने परिशिष्ट-क के अन्दर जिन मेडिकल स्टोर्स के आउटसोर्स के लिए तीन संस्थाओं से करार पेश किया है, इसमें तो पहला प्रश्न आपसे यही है, क्या यह सही नहीं है कि इस अनुबन्ध-पत्र पर कानफैड के किसी अधिकारी के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं? कांट्रेक्ट एक्ट के सैक्शन (52) के अनुसार अनुबन्ध तभी पूरा होता है जब एक्सैप्टेंस हो, कंसिडरेशन हो, आफर हो। किस आधार पर आपने 30.3.2010 से दो वर्ष के लिए राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसियेशन व धन्वन्तरि मानव विकास संस्थान को काम करने की अनुमति दी, किस आधार पर उनसे बैंक गारंटी ली, नम्बर एक?

नम्बर दो, क्या यह सही नहीं है कि ब्राह्मणी जन कल्याण समिति के साथ आउटसोर्सिंग फार्मासिस्ट सेवा जिसका उल्लेख आपने परिशिष्ट-एक में किया है, उसके अनुसार करार हुआ है? सभापति महोदय, मैं करार की प्रतिलिपि साथ लेकर आया हूं, वह हुआ है 19.10.2010 को। 19.10.2010 से आपने इस संस्था से आउटसोर्स से फार्मासिस्ट लगाने के लिए करार कर दिया और, सभापति महोदय, विज्ञप्ति निकली है 19.1.2011 को। यानी आपने अख़बार में विज्ञप्ति देकर जो प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये, वे बाद में किये और एक संस्था को आपने पहले ही काम करने का आर्डर दे दिया, वह किस आधार पर दिया?

नम्बर तीन, क्या यह सही है, शिकायत प्राप्त हुई आपको फर्जी पेंशन डायरियों की और उस शिकायत की आपके एम.डी. ने जांच की, वह जांच रिपोर्ट साथ लाया हूं, उस जांच में आपने 87 डायरियों को फर्जी पाया? आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं। उसके बाद क्या कारण है कि दो महीने बाद यानी 8.11.2010 को 22 फर्जी डायरियों पर रोक लगाई? आपने खण्ड (3) में कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सिर्फ एक फर्जी डायरी पेश की जबकि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपके एम.डी. की रिपोर्ट है, यह मैं टेबल करना चाहूंगा, जिसके अन्दर वह खुद कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में लाया गया है कि निम्नांकित पी.पी.ओ. संख्या की डायरियां पूर्णतः फर्जी हैं। राज्य सरकार की योजना के अनुसार पेंशनर्स के नाम से दवाइयां दिया जाना बताया जाकर राजकोष का दुरुपयोग और अपहरण किया गया है। यह एम.डी. की रिपोर्ट है। क्या कारण है कि सरकार इतने बड़े घोटाले को बचाना चाहती है? आपके एम.डी. की रिपोर्ट आ गई 87 फर्जी डायरियों की, 21 डायरियों पर आपने पाबंदी लगा दी और आप ए.सी.डी. में एक डायरी भेज रहे हैं, इसका क्या कारण है? मेरे इन सवालों का आप जवाब दें। इनसे कितने पेंशनर्स जुड़े हैं और कितनी राशि पेंशनर्स को आप प्रति वर्ष देते हैं?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): दुबारा भी तो पूछोगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, जरूरत ही नहीं है दुबारा की।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने खण्ड (1) में जो करार की बात कही है कि संस्था के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, जो संस्थाओं से करार हुए हैं, आपको करार की प्रति दी है, उस पर नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, आप स्वीकार कर रहे हो न?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मैं स्वीकार कर रहा हूं कि उस पर नहीं हैं और आपके समय 4 फरवरी, 2008 को जो करार हुआ, उस पर भी हस्ताक्षर नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कोई बात नहीं। हमारे समय में नहीं हुआ तो क्या आप भी नहीं...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमने गलती कर दी तो आप भी गलती करोगे? यह कोई मामूली बात है क्या? हमने जो नहीं किया, वह आप भी नहीं करोगे?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप जवाब तो देने दो। आप जवाब तो देने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, सभापति महोदय, मैं माफी चाहूंगा, यह कहकर सरकार बचना चाहती है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): नहीं, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं

(श्री परसादीलाल)

आपको संतुष्ट कर दूंगा। मैं इस चीज का जवाब दे दूं। आपके सवालों का जवाब दे दूं? सभापति महोदय, इस तरह की प्रैक्टिस...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप भी वही करोगे? तो फिर खड़े होकर कह दो न कि हम भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप गलती करोगे, उसको निश्चित रूप से बताया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप भी कुए में गिरोगे? (व्यवधान) आप उससे बच नहीं सकते? नहीं, आप उससे बच नहीं सकते? (व्यवधान) आप उससे बच नहीं सकते? आप इतने बड़े 100 करोड़ के घोटाले से बच नहीं सकते? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। मंत्रीजी रिप्लाई दे रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): हमारे होम मिनिस्टर के बैग में 15 कारतूस नहीं पकड़े गये थे।

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आ जाने दीजिये। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप विराजो तो सही।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, यह सही है जैसा आपने कहा कि करार पर हस्ताक्षर नहीं हैं। 4 फरवरी, 2008 को हुआ, उस पर भी नहीं हैं। यह बिलकुल गलत है जिस अधिकारी ने यह नैग्लीजेंसी की है, जान-बूझकर की है, उसको हम चार्जशीट देकर उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इस तरह की कार्यवाही उसको नहीं करनी चाहिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जबकि इन्होंने नहीं की।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या कह रहे हो 100 करोड़ के घोटाले पर?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सुनिये। सभापति महोदय, नम्बर दो, इन्होंने कहा कि केवल एक पेंशनर डायरी आपने ए.सी.बी. को भेजी। हमने इसकी विस्तृत जांच के लिए एम.डी. राजफैड की चेयरमैनशिप में चार सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर दिया है जिसमें... (व्यवधान) आप सुनिये। उसमें ट्रैजरी आफिसर...यह सही है...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये, विराजिये। जवाब तो आ जाने दीजिये। आप विराजो तो सही। माननीय सदस्य, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): पहली बार हमको एक डायरी की शिकायत आई, हमने तुरन्त उसको ए.सी.डी. को भिजवा दिया। ए.सी.डी. ने उसकी प्राइमरी रिपोर्ट दर्ज कर ली है, एफ.आई.आर.। उस पर उन्होंने कहा कि और ऐसे प्रकरण हों, उनकी भी सूची आप हमको भिजवाएं। यह सही है कि फर्जी डायरियों का प्रकरण आज से नहीं, हमारी सरकार के समय से ही नहीं 2006 से चल रहा है और इतना बड़ा घोटाला कोई आज नहीं हुआ है। पूरा सुन लीजिए आप, यह सबका विषय है। एक नहीं, एक हजार, दो हजार भी इसकी पेंशन डायरी हो सकती हैं। इसी तरह की जांच रिपोर्ट हमारे सामने आयी है और 2006 से कंटीन्युअस यह फर्जी डायरियों का प्रकरण चल रहा है। सभापति महोदय, यह असली डायरी है जिसमें फोटो, पता सब होता है और 2006 से जो चल रही है डायरियां, उनमें न तो कोई फोटो है। ये फर्जी डायरियां 2006 से चलन में हैं। ये कितनी डायरियां हैं हमारी निगाह में ... (व्यवधान) सुन लीजिए आप, आप सुन लीजिए।

श्री सभापति: जवाब आने दीजिए। पहले जवाब तो आने दीजिए, आप सुनो तो सही।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

श्री सभापति: आप विराजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक बार मेरी बात सुनिये, मंत्रीजी कह रहे हैं, 2006 से चल रहा है यह करप्शन का मामला तो ... (व्यवधान) दो साल हो गये मंत्रीजी को, तो क्या यह भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब आपकी जानकारी में आ गया है कि इतने करोड़ का घोटाला हुआ है तो उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? दोषियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हो?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): पहले जवाब तो सुनिये पूरा, आप संतुष्ट हो जाएंगे, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। (व्यवधान) पहले मूल प्रश्नकर्ता

(श्री सभापति)

का जवाब आ जाने दीजिए। आप विराजिए, मंत्रीजी का जवाब तो आ जाने दीजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, एक बार बात तो सुनिये, मंत्रीजी कह रहे हैं, 2006 से भ्रष्टाचार चल रहा है, तो मंत्रीजी ने दो साल में क्या किया?

श्री सभापति: जवाब समाप्त हो रहा है...(व्यवधान) माननीय सदस्य विराजो आप, मैं आपको अलाउ करुं जब आप बोलना। विराजो तो सही आप।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, यह फर्जी डायरी का प्रकरण है, यह 19.2.2006 की डायरी है। इसमें फर्स्ट तो डाक्टर ने इसकी दवाइयां लिखी हैं और सैकिण्ड में टीओ पर हमारे यहां पर इन्होंने दवाइयां खरीदीं। टीओ पर इन्होंने ट्रैजरी में उसके लिए क्लेम किया, वहां से भी क्लेम पास हो गया। न तो इस डायरी पर कोई फोटो है, न किसी तरह का पता है। ऐसी हजारों डायरियां हैं, एक नहीं, हजारों डायरियां हैं, हम सब की विस्तृत जांच कराकर सारा मामला, सभापति महोदय, एसीडी को भिजवाएंगे। हमारी तरफ से किसी को कोई बचाने की आवश्यकता नहीं है, न हम बचाने की कोशिश करेंगे। यह कोई हमारी सरकार के समय का नहीं है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, अभी तक क्यों नहीं किया? जब मंत्रीजी के ध्यान में दो साल से आ गया कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, आज तक एसीडी में क्यों नहीं भिजवाया?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, आज यह सवाल विधान सभा के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो, विराजो आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, आज यह विधान सभा के अन्दर माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ ने उठा दिया और आपने कह दिया हम जांच करेंगे, हम यह करेंगे ...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपके उठाने से नहीं किया है हमने, हमने एसीडी को 19.12. को ही भिजवा दिया है। एक डायरी की शिकायत आई तभी हमने इसको एसीडी में भिजवा दिया है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपको सवा साल हो गये हैं, एक नहीं, हजारों की संख्या में हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, मैंने पाइन्टेड सवाल किया था कि एक संस्था ब्राह्मणी जल सेवा समिति, उसके साथ आपने अनुबंध किया पहले और विज्ञप्ति जारी की बाद में। क्या कारण है कि विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र लेते हैं दो महीने बाद में, और पहले तो इस संस्था में कौनसी खुशबू आ रही थी? दूसरा, मैंने पाइन्टेड सवाल किया था, यह एमडी की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, इस रिपोर्ट के अन्दर एमडी कह रहा है कि 87 डायरियां बिलकुल फर्जी पाई गई और यह कह रहे हैं, एक डायरी फर्जी पाई गई, तो क्या कारण है कि एमडी ने 21 डायरियों पर रोक लगाई? आप कहें तो मैं रोक का पत्र भी प्रेषित कर दूं, यह पत्र 18.01.2011 का। अगर ये डायरियां फर्जी नहीं थीं तो इन पर रोक लगाने का क्या कारण था? एमडी ने किस बुनियाद पर कहा कि 87 डायरियां फर्जी हैं? क्या आधार था कि सिर्फ एक डायरी एसीडी को भेजी गयी? सवाल यह नहीं है कि 2006 में फोटो लगती थी कि नहीं लगती थी, सवाल यह है कि 100 करोड़ की दवाइयां हर साल औसत तीन लाख पेंशनरों को मिलती हैं। उसके घपले की बात है और उनको बचाना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जो फार्मासिस्ट का अनुबंध है उसको आपने 2 हजार 990 रुपए पर ...(व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ...(व्यवधान) जांच कराकर इनको समाप्त कर रहे हैं, सरकार की मंशा तो साफ है, एसीडी में जांच भेज दिया और जांच हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 2 हजार 990 रुपए में मिनिमम वेजेज पर भी मजदूर नहीं मिलता है, अब 2 हजार 990 रुपए में जो फार्मासिस्ट रहेगा, वह चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप इन चोरों को बचाना क्यों चाहते हैं? इसमें सीधा-सीधा आपका एमडी लिप्त है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ...(व्यवधान) आपने जिन चोरों को पनपाया है...

श्री सभापति: आप विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आपने जिन चोरों को पनपाया है उनको समाप्त कर रहे हैं हम।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब दे दूं।

श्री सभापति: पहले इनका तो जवाब आ जाने दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसका भी जवाब दे देना, एक साथ दे दीजिएगा। क्या यह सही है कि परिशिष्ट-1 में दिये अनुबंध की शर्त संख्या-21 में अनुबंध करने वाली संस्था का स्वयं का या परिवार का समान्तर मेडिकल व्यवसाय नहीं होना चाहिए, अंकित है? तो फिर राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन का संचालक सुरेश शर्मा सीजंस लाइफ केयर के नाम से दवाइयों की फर्म चला रहा है, उसको किस प्रकार से यह दिया गया है, इसका भी जरा बता दें?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, ब्राह्मणी से आपने कैसे अनुबंध किया? दो अनुबंध जिनका आप हवाला दे रहे हैं, यह ब्राह्मणी भी पहले से आया हुआ था, उन पर कान्ट्रैक्ट नहीं हुआ था तो इसका किया गया। अब दुबारा हमने उनका चार महीने के लिए किया है। अब दुबारा चार प्रस्ताव आये हैं, उनसे कान्ट्रैक्ट करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आपने आवेदन पत्र बाद में लिया, और पहले अनुबंध कैसे कर दिया? किस आधार पर कर दिया? कहें तो मैं टेबल कर देता हूं।

श्री सभापति: जवाब पूरा थोड़े ही हुआ है, जवाब तो आने दो पूरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह घुमा रहे हैं बात को।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपने कहा कि आपने एक ही प्रकरण क्यों भेजा? सभापति महोदय, ज्योंही हमारे पास आया, यह प्रकरण हमने फर्स्ट टाइम ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक प्रश्न कैसे आया? आपका एमडी कह रहा है 87 डायरियां फर्जी हैं, आप कह रहे हैं एक प्रकरण आया है, एक कैसे आया?

श्री सभापति: आप रिप्लाई तो आने दीजिए मंत्रीजी की, विराजो आप।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, एक प्रकरण ज्योंही हमारे पास आया, हमारे एमडी ने तुरन्त उसको एसीडी को भिजवा दिया और हमने इसकी जांच कमेटी बना दी। जांच कमेटी के बाद एक नहीं, बहुत सारे फर्जी प्रकरण आये, 700 के करीब। 87 नहीं, माननीय सदस्य, 700 के करीब हमारी जानकारी में आये हैं। हम इनकी जानकारी करवा रहे हैं और सारे मामले की हम जानकारी कराकर एसीडी को भिजवाएंगे। किसी को बचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए। आप विराजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, एसएमएस की दुकान संख्या-10 ई सत्यनारायण शर्मा नाम का व्यक्ति अवैधानिक रूप से फार्मासिस्ट के अलावा बिक्री का काम भी पेंशनर के लिए कर रहा है, यह आपकी जानकारी में है या नहीं है? अगर जानकारी में है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही अभी तक की, यह जरा बता दें?

श्री सभापति: श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, ऐसी कोई जानकारी मैंने मांगी नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो, आ गया है जवाब। श्री बाबूसिंह राठौड़। मैंने अगला नाम पुकार लिया है, आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह तीन लाख पेंशनरों से जुड़ा हुआ मामला है, आप आधे घण्टे की चर्चा के लिए कह दें। (व्यवधान) हम संतुष्ट नहीं हैं, आप आधे घंटे की चर्चा के लिए कह दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, आप इस बात को दबा नहीं सकते, आप जवाब दिलवाएं। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, एक मिनट सुन लें, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने अगले माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है, आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह ब्राह्माणी को बचाना चाहते हैं ... (व्यवधान) आपके रिश्तेदार की है, आप रिश्तेदारों से धंधा करवा रहे हो ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, आप विराजो। श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, विराजने से काम नहीं चलेगा, हमारे को सदन की जानकारी में लाना है, जनता की जानकारी में लाना है।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): भारतीय जनता पार्टी के शासन में साढ़े तीन लाख से चार लाख रुपए तक की आमदनी इसके माध्यम से हो रही थी, अभी क्या हालत कर रखी है, आज एक लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है।

श्री सभापति: आप विराजिए, श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे दीजिए आप, आधे घंटे की चर्चा रख दीजिए। आधे घंटे की चर्चा की अनुमति आप प्रदान कर दें, बाद में करवा दो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बाद में कर दें, निर्देश दे दीजिए आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): कोई दिक्कत आ रही है तो बता दें मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, यह फर्जी पेंशन डायरियों का मामला है...

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सरकार के करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है, यह पेंशन विभाग और यह ट्रैजरी...

श्री सभापति: मैंने अगले माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अब आप विराजिए, अंकित नहीं होगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: श्री बाबूसिंह राठौड़।

सहायक खनिज अभियंता शेरगढ़ (जोधपुर) कार्यालय में क्वारी लाइसेंस हेतु लम्बित आवेदन

38. श्री बाबूसिंह राठौड़: क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 से जनवरी, 2011 तक तहसील शेरगढ़ में सहायक खनिज अभियंता कार्यालय में नवीन खानों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो किस-किस क्वारी लाइसेंस हेतु किस-किस वर्ग के, कितने-कितने आवेदन पत्र जमा हुए? वर्गवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(2) उक्त जमा आवेदन पत्रों में से लाटरी द्वारा किस-किस क्वारी लाइसेंस हेतु किस-किस वर्ग की किस-किस व्यक्तियों को खान आबंटित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्वारी लाइसेंस के लिए शेष कितने-कितने आवेदन पत्र जमा हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार क्वारी लाइसेंस के बकाया आवेदकों को खान आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में तहसील शेरगढ़ में निजी खातेदारों को खनन कार्य हेतु लीज आबंटित की गई है? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस को? आबंटित लीजों के खसरे नं. व खातेदारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि आबंटित लीजधारकों ने खिरजा फतेहसिंह राजस्व गांव सीमा का खनन कार्य शुरू कर दिया है? यदि हां, तो किन-किन लीजधारकों ने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार लीज क्षेत्रों का सीमांकन करवाकर अवैध खननकर्ताओं को बेदखल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्री रामलाल): (1) तहसील शेरगढ़ में सहायक खनिज अभियंता कार्यालय में नवीन खानों के आबंटन हेतु दिनांक 4.3.2009 को विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 25.3.2009 से 27.3.2009 तक क्षेत्र सिहादा विस्तार व अन्य क्षेत्रों हेतु आबंटन पत्र आमंत्रित किए गए थे जिसमें कुल 1,81,029 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। उसके पश्चात् माह मार्च, 2010 में दिनांक 28.3.2010 से 30.3.2010 तक भोमिया जी का थान विस्तार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किए गए थे जिसमें कुल 38,966 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनकी स्क्रूटनी का कार्य जारी है। सिहादा विस्तार एवं अन्य क्षेत्रों के लिए विज्ञप्ति दिनांक 4.3.2009 के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की क्वारी लाइसेंस एवं वर्गवार सूची परिशिष्ट-1 पृष्ठ संख्या-1 से 26 तक संलग्न है।

(2) सिहादा विस्तार एवं अन्य क्षेत्रों की विज्ञप्ति दिनांक 4.3.2009 के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की लाटरी हेतु गठित कमेटी के द्वारा आवेदकों की उपस्थिति में दिनांक 16.9.2010 व 17.9.2010 को निकाली गई थी। लाटरी द्वारा ड्रा निकाला गया था, परन्तु वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय,

(श्री रामलाल)

जोधपुर में दायर जन हित याचिका डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 10304/2010 दिनेश बोथरा बनाम राजस्थान राज्य में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। अतः खान आबंटन की कार्यवाही नहीं की जा रही है न ही कोई खान आबंटित की गयी है।

(3) क्वारी लाइसेंस के लिये माह मार्च, 2010 में प्राप्त 38966 आवेदन पत्र जमा हैं।

(4) उक्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी का कार्य जारी है। सिहादा विस्तार के प्रकरण में जन हित याचिका में स्थगन होने के कारण मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अतः माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात् निर्णय अनुसार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाएगा।

(5) तहसील शेरगढ़ में निजी खातेदारों को खनन लीज आबंटित नहीं की गयी है परन्तु तहसील शेरगढ के राजस्व ग्राम कुई, जोधा व सिहादा में निजी खातेदारों को खनन कार्य हेतु नियमानुसार 4 हैक्टेयर के क्वारी लाइसेंस जारी किये गये हैं। वांछित आबंटियों की सूची परिशिष्ट-2 पृष्ठ-27 पर संलग्न है।

(6) कार्यालीय रिकार्ड अनुसार खिरजा फतेह सिंह राजस्व ग्राम सीमा में कोई लीज स्वीकृत नहीं है न ही कोई खनन कार्य खिरजा फतेह सिंह की सीमा में क्वारी लाइसेंस धारकों (लीज धारकों) द्वारा किया जा रहा है। समस्त खातेदारी क्वारी लाइसेंस ग्राम सिहादा व कुई जोधा की राजस्व सीमा में ही उनकी खातेदारी भूमि में जारी किये गये हैं तथा अपने स्वीकृत क्वारी लाइसेंस क्षेत्र में ही खनन कार्य कर रहे हैं।

(7) खातेदारी क्वारी लाइसेंस धारकों द्वारा उनके स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन कार्य किया जा रहा है जो अवैध खनन की श्रेणी में नहीं आता है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक तो मंत्री महोदय ने बताया कि एक वर्ष पूरा हो गया और 38966 की अभी तक स्क्रूटनी कर रह हैं एक साल में। यह स्क्रूटनी कब पूरी हो जाएगी और इसका निस्तारण कब करोगे, एक तो यह बता दो? खंड-2 में 16.9.2010, 17.10.2010 को 1200 से अधिक क्वारी लाइसेंसों के लिए लाटरी से ड्रा निकाला। ड्रा निकलने के बाद स्थगन आदेश आ गया, स्थगन आदेश आने के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि पर्यावरण की एनओसी नहीं लेने के कारण

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

यह स्टे हुआ है? क्या सरकार को लाटरी ड्रा से पूर्व एनओसी लेनी चाहिए थी? अब भी आप पर्यावरण विभाग की एनओसी लेकर न्यायालय में उसकी पैरवी कर निस्तारण कर इनका आबंटन करने का विचार रखते हैं? ये दोनों जानकारी दे दो। 6 और 7 में तो आपने जो जानकारी दी, उसकी मैं बाद में बात करूंगा।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, केवल 38966 ही नहीं हैं, क्वारी लाइसेंस के लिए जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, वे लगभग 1,83,029 आवेदन हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद इसकी एक प्रक्रिया है कैटेगरी करने के लिए। 8 कैटेगरी तय होती हैं, एससी/एसटी, ओबीसी, स्वतंत्रता सेनानी कई ऐसी कैटेगरी बना रखी हैं, उनमें स्क्रूटनी करने में समय लगता है। उस समय के बाद लाटरी निकाली जिसमे स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रधान, स्थानीय वहां का माइंस विभाग का, कलक्टर का प्रतिनिधि वो सारे उपस्थित होते हैं। आप स्वयं माननीय विधायक थे, सब उपस्थित थे और उनके समक्ष लाटरी निकाली है। उसके बाद हाई कोर्ट के स्टे का जो पहला प्रश्न इन्होंने किया कि समय लगा, तो स्क्रूटनी के अन्दर समय लगता है। 38966 द्वितीय विज्ञप्ति में आये। पहले वाली पर स्टे आ गया, वो एक ही उद्देश्य से स्टे आया इसलिए द्वितीय का काम, स्क्रूटनी हो ही नहीं सकी। इसलिए वो काम पैंडिंग हो गया माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार।

सभापति महोदय, दूसरा प्रश्न था माननीय सदस्य का कि एन्वायरमेंट क्लीयरेंस के कारण स्टे हुआ, किन कारणों से स्टे हुआ। पांच हैक्टेयर से ऊपर की जो भी क्वारी या लीज दी जाती है, उसमें एन्वायरमेंट की क्लीयरेंस लेना अनिवार्य है। लेकिन ये क्वारी लाइसेंस छोटे लोगों के लिए हैं, 0.30/60 के पट्टे हैं इसलिए इसमें एन्वायरमेंट क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं होती है। यह हमेशा ही जहां-जहां लाटरी सिस्टम आज दिन तक था, उसके अनुसार ही होता था। लेकिन जन हित याचिका जब माननीय हाई कोर्ट में लगी तो उसके आदेश में उन्होंने पूरे क्लस्टर को ही, जो 1,81,000 आवेदन थे उनको पांच हैक्टेयर से ऊपर मान लिया। गवर्नमेंट एडवोकेट ने, उन सब ने, हमारे माइंस विभाग ने भी प्ली दीं, तारीखें आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने पूरे 200 हैक्टेयर में जो एक लाख इक्यासी हजार आवेदन थे, उनको एक क्लस्टर माना जबकि हमारा डिपार्टमेंट जो माइंस विभाग है, वो हमेशा पांच हैक्टेयर से नीचे के क्वारी लाइसेंस देता आ रहा था। इस वजह से यह स्टे की कार्यवाही हुई।

(श्री रामलाल)

अब स्टे पर जब माननीय न्यायालय का निर्णय होगा, उसके बाद ही हम आगे की कोई कार्यवाही कर पाएंगे। तो माननीय सदस्य के दोनों प्रश्नों का मैं जहां तक समझता हूं, उत्तर आ गया है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, खंड-6 और 7 में आपने बताया है कि खिरजा फतेहसिंह सीमा में किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो रहा है। जबकि जो ये दस क्वारी लाइसेंस 4 हैक्टेयर के आपने दिये हैं, सूची भी दी है, मेरे पास वो सूची है, खिरजा फतेहसिंह और सिहादा की एक सीमा है, सिहादा की सीमा से आपने दस क्वारी लाइसेंस दिये चार हैक्टेयर के। उसी सीमा से आपके यहां वर्ष 2005 में मरु प्रसार रोफ परियोजना सीडीपी-4 का 9 लाख 58 हजार का कार्य स्वीकृत हुआ था, वो पांच साल का पूरा कार्य हो गया। बहुत बढ़िया वहां पौधे लगे हुए हैं और पूरा हरा-भरा वातावरण है। अब जिन्होंने क्वारी लाइसेंस सिहादा सीमा और खिरजा फतेहसिंह सीमा पर लिये हैं, 25 बीघा जमीन में वो खिरजा फतेहसिंह में चले गये। जाकर उन्होंने, मैं आपको ये सारे फोटोग्राफ दे रहा हूं, आपने कहा कि अवैध खनन नहीं हो रहे हैं, यह वन विभाग की तारबंदी है, आपके बोर्ड लगे हुए हैं, यह फैंसिंग हटा दी और क्वारी लाइसेंस धारकों का यह बोर्ड उसी तारबंदी के अन्दर फैंसिंग के अन्दर लगा हुआ है। इसके अन्दर पूरे के पूरे पेड़ कटे हुए हैं और कटा हुआ पेड़ भी इसके अन्दर नजर आ रहा है। यह भी इसके सामने है। जब यह प्रश्न लगा है उस समय यहां की वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, सारे पेड़ काटे हैं। जेसीबी अभी तीन दिन पहले काम कर रही थी उसके भी ये फोटोग्राफ हैं। अवैध खनन का नमूना फोटोग्राफ में दिख रहा है कि किस प्रकार से वन विभाग का जो सीडीपी वर्क है, उसके अन्दर ये सारे काम हुए हैं, किस प्रकार से ये पेड़ कटे हैं। सारे पेड़ कटे हुए सामने नजर आ रहे हैं, इस सीडी के अन्दर भी है। आपकी विभागीय कार्य निर्देशिका कहती है कि वन विभाग से जहां कार्य होता है, वहां एनओसी लेकर क्वारी लाइसेंस दिया जाए। लेकिन दसों जो क्वारी लाइसेंस आपने दिये हैं, वो या तो आपके चहेते हैं या आपके कार्यकर्ता हैं उनको आपने लीजें दी हैं। एक में भी वन विभाग की एनओसी नहीं ली है जबकि दोनों की सीमा लगती है। लीजें लेकर अच्छा पत्थर था इसलिए पेड़ काट कर वो अन्दर घुस गये। वो भी है। साथ में आप कह रहे हो कि खिरजा फतेहसिंह में अवैध खनन नहीं हो रहा है। आपके वन विभाग के रेंजर कह रहे हैं, प्रश्न लगने के बाद उन्होंने पत्र लिखा है कि हमारी वन भूमि के अन्दर अतिक्रमण हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)
उन्होंने भी पत्र लिखा और साथ में आपके सहायक खनिज अभियंता ने भी पत्र लिखा है कि मैं इसको रुकवा रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछें। लम्बा नहीं करके स्पेसिफिक बोलें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अवैध खनन मैं साबित कर रहा हूं, सभापति महोदय। यह कह रहे हैं कि अवैध खनन नहीं हुआ है, अवैध खनन नहीं हो रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय, कि इसकी पंचायतों ने भी-सिहादा पंचायत ने भी, खिरजा फतेहसिंह ने भी शिकायत की है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि आपने वगैर एनओसी के आबंटन कैसे किया? यह बिलकुल गलत है, नियम विरुद्ध है। इसमें अगर एनओसी ली गयी है तो सही है, अगर एनओसी नहीं ली गयी है तो ये क्वारी लाइसेंस बिलकुल गलत तरीके से हुए हैं। क्या उनको निरस्त करने का विचार रखते हैं?

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): कभी आप मंत्री पुत्रों को खानें आबंटित कर रहे हैं बिना पालिसी के आधार पर, नियमों के आधार पर और हमारे यहां आपने नियम विरुद्ध कर दिये।

श्री सभापति: विराजिये। अब आपका प्रश्न हो गया, विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं यह सारा टेबल करूंगा-फोटो, करूंगा, सीडी करूंगा, इसके अन्दर पूरा अवैध खनन हो रहा है। क्वारी लाइसेंस नियम विरुद्ध हैं, जो बगैर एनओसी के क्वारी लाइसेंस हुए हैं क्या आप इनको निरस्त करने का विचार रखते हैं?

श्री सभापति: आप विराजिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, मेरे खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में भी अवैध खनन हो रहा है।

श्री सभापति: आप विराजिये। इस क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है। माननीय सदस्य, क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है, आप विराजिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, मेरे खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में भी अवैध खनन हो रहा है, आये दिन वहां एक्सीडेंट हो रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजिये। शेरगढ़ से संबंधित है। आपका अंकित नहीं होगा।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : ×××

श्री सभापति: तहसील शेरगढ से संबंधित प्रश्न है, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है खंड-6 व 7 में, यह बात सही है कि खंड-6 व 7 में दस क्वारी लाइसेंस जारी हुए हैं और निजी खातेदारी में जारी हुए हैं नंबर-6 में दस क्वारी लाइसेंस हुए हैं, आपको मैंने दसों के नाम लिखित में दिये हुए हैं। एक कुई जोधा में हुआ है और बाकी नौ सिहादा ग्राम के अन्दर जारी हुए हैं। यह बात सही है कि वन मरु प्रसार रोक परियोजना के अन्तर्गत राजस्व ग्राम खिरजा फतेह सिंह में बाड़बंदी की गयी थी। वहां पेड़ लगाये थे, उन पेड़ों के लगाने के बाद में तो बाड़बंदी हो गयी। बाड़बंदी जब क्वारी लाइसेंस खातेदारी में दिये तो वहां के स्थानीय पटवारी और माइंस विभाग के अधिकारी के जाने के बाद जो सीमांकन करते हैं, उसके बाद उसकी खातेदारी तय होती है, उसके बाद देते हैं। जब खिरजा फतेह सिंह के ग्रामवासियों को जब यह मालूम पड़ा कि हमारे एरिये में जो मरु प्रसार के पेड़ लगे हैं, उसकी क्वारी माइंस विभाग ने अलाट कर दी और उन्होंने शिकायत की तो वहां के स्थानीय एसडीएम साहब को वहां के माइंस विभाग के अधिकारियों ने लिखित में रिपोर्ट दी। माइंस विभाग के अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 9.2.11 को चिट्ठी लिखी तो 17.2.11 को ग्राम खिरजा फतेह सिंह के आदमी और सिहादा के ग्रामवासी इकट्ठा होने के बाद सीमाज्ञान हुआ। उस पैमाइश के बाद यह तय हुआ कि जिनको लीज दी है, जो सहमति या खुद खातेदार दोनों को, उस सीमांकन में यह तय हुआ कि यह खिरजा फतेह सिंह के ग्रामवासियों की जमीन नहीं है, यह सिहादा की जमीन है। इसलिए उनकी निजी खातेदारी जमीन है। सीमाज्ञान होने के बाद यह तय हुआ इसलिए खिरजा फतेह सिंह के ग्रामवासी पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं। माननीय विधायक चाहते हैं तो हम उसकी और जांच करवा सकते हैं, दुबारा और पैमाइश करवा सकते हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, मैंने सवाल किया है कि वन विभाग की एनओसी की जरूरत थी या नहीं थी। इसमें एनओसी ली हुई है वन विभाग की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो तो सही, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। पहले जवाब आ जाने दो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, यह इसको घुमा रहे हैं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपने खंड 6 व 7 का पूछा, मैंने कहा कि 10 क्वारी लाइसेंस दिये हैं, निजी खातेदारी में दिये हैं एक कुई में दिया, 9 सिहादा में दिये हैं। दूसरा था, खंड 7 में जो निजी खातेदारी में दिये हैं, 7 से मरु प्रसार में फोरेस्ट की लगी जमीन में एसडीएम ने जगह नापी, आप चाहते हो तो हम दुबारा नपा सकते हैं। हम। तब तक हम खनन के काम को रोक सकते हैं, दुबारा पैमाइश का काम कर दें। बाकी लोकल पटवारी, एसडीएम और सिहादा ग्रामवासियों ने उपस्थित होकर नापी है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, मेरा सवाल यह नहीं है, मेरा सवाल यह है कि आपने एनओसी लेकर लीज दी है क्या? वन विभाग की एनओसी है क्या इनके पास ?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं आ रहा हूं। आपके दो प्रश्न हुए हैं, तीसरा प्रश्न आपका था एनओसी संबंधी और अवैध खनन संबंधी। हमने जो अभियान चला रखा है, उसमें पांच विभागों को लगा कर चला रखा है, उसमें आप खुद भी सूचना दें। आज तक के इतिहास में अवैध खनन को रोकने का इतना बड़ा अभियान नहीं चला, यह पहली बार सरकार ने चलाया और लगभग हर जगह रुका। सबसे ज्यादा तो आप ही लोग हैं ... (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अवैध खनन खुले आम हो रहा है, कितनी बार मुख्य मंत्रीजी को कह दिया, इतने सरकार के प्रतिनिधियों को, प्रशासन को, माइनिंग विभाग को, तो ही नहीं रुका।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): वह तो आप खुद करवाते हो इसलिए हो रहा है। विराजिए, विराजिए। सबूत हैं, प्रूफ हैं, कौन करवाता है इसके सबूत हैं, विराजिए । जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए ।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सरकार के इतने टाइम के बाद पहली बार अवैध माइनिंग को हमने रोका है। (व्यवधान) यह चीज रिकार्ड में है। (व्यवधान) कौन अवैध माइनिंग कर रहा है, इसका रिकार्ड है। (व्यवधान) इनके चालान हुए हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है, पैनल्टी लगी है ... (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री सभापति: यह शेरगढ़ से संबंधित प्रश्न है आप लोग विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सबसे बड़े माफिया को शरण देने वाले लोग ही बोलते हैं। (व्यवधान) आप विराजिए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): वहां बीकानेर में मर्डर हुए हैं, एफआईआर लाज हुई है, मालूम है। किसका कितना रोल है वह भी जानकारी में है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, आप विराजिए ।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सभापति महोदय, वह तो रिकार्ड में है, पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई है, मर्डर हुए हैं। रिकार्ड में है कि कौन कितना सपोर्ट करता है और कौन कितना जोर से बोलता है। यह सारी चीजें रिकार्ड में है। पहली बार सरकार ने इतनी बड़ी अवैध माइनिंग को रोकने की कार्यवाही की है, पांच विभाग उसमें लगे हैं। चीफ सैक्रेटरी के द्वारा उसमें आदेश जारी हुए हैं, जिला कलक्टर उसमें मानिटरिंग कर रहा है। आप लोगों ने कभी किया हो तो बताओ।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए ।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): पहली बार अपने मन की इच्छा से सरकार ने इस काम को किया है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): ×××

श्री सभापति: आप विराजो, विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। माननीय सदस्य, विराजो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): यह बात ठीक है, कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, एनओसी दी है क्या?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): बाबू सिंह जी, आपका जवाब तो आ गया। आप कहो तो और दुबारा करवा दें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, सीडीपी में वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...(व्यवधान) रिकार्ड में लेकर करता है तो उसको कैसे रोक सकते हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, सीडीपी वर्क में अवैध खनन हो रहा है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी दोनो हैं, मैं इसको टेबल करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री सूरजभान धानका। आप विराजो, आप विराजो।

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) का निर्माणाधीन बस स्टैण्ड

39. **श्री सूरजभान धानका** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ (अलवर) का बस स्टैण्ड काफी समय से निर्माणाधीन है? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर यहां से बसों का संचालन आरम्भ कर दिया जाएगा?

(2) क्या यह सही है कि बस स्टैण्ड के बिना कस्बे की सड़कों पर बसें बेतरतीब खड़ी की जा रही हैं? क्या उक्त कारण जाम लगने से असुविधा हो रही है?

(3) क्या सरकार द्वारा बस स्टैण्ड चालू होने तक बसों को किसी उपयुक्त स्थान पर खड़े किये जाने के संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) जी हां। लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के बस स्टैण्ड के लिये दानदाताओं द्वारा ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गई

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

भूमि पर विधायक कोष से 5 लाख रुपये की लागत से ग्राम पंचायत द्वारा तीन तरफ की बाउंड्रीवाल निर्माण एवं मिट्टी भराई का कार्य दिनांक 15.8.2008 तक करवाया गया है। भवन एवं सुविधाओं आदि का निर्माण नहीं हुआ है।

ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्र संख्या एसपीएल 1 दिनांक 4.5.2007 द्वारा प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत स्वयं एक बीघा भूमि पर बस स्टैण्ड का निर्माण कर कुछ शर्तों पर निगम को हस्तान्तरण करेगी, किन्तु अभी तक निर्माण एवं हस्तान्तरण की कार्यवाही ग्राम पंचायत स्तर पर लम्बित है।

(2) जी हां। निर्धारित बस स्टैण्ड नहीं होने से असुविधा होती है। यद्यपि स्थानीय प्रशासन द्वारा ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के प्रयास किये जाते हैं।

(3) स्थानीय एवं जिला पुलिस प्रशासन द्वारा कस्बा लक्ष्मणगढ़ में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कस्बा लक्ष्मणगढ़ के बावड़ी-मालाखेड़ा रोड पर एवं पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़-कठूमर रोड पर अस्थाई वैकल्पिक ठहराव-स्थल बनाया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह लक्ष्मणगढ़ से संबंधित प्रश्न है इसलिए मूल प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): अलवर जिले का रहने वाला हूं, साहब।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, असुविधा हो रही है। यह ग्राम पंचायत है लेकिन अभी इसका विस्तार हो गया है, लक्ष्मणगढ़ ने कस्बे का रूप ले लिया है, आवागमन की दृष्टि से बाजार में बहुत भारी भीड़ लग जाती है। अगर यातायात विभाग कुछ मदद करे, कुछ पंचायत करे, कुछ विधायक कोटे से काम हो तो निश्चित रूप से इससे निजात मिल सकती है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, चूंकि यह सारा मामला पंचायत के स्तर पर लम्बित है, जब तक पंचायत विधिवत रूप से इसका हस्तान्तरण आरएसआरटीसी (निगम) को नहीं करेगा, तब तक यह कार्यवाही निगम नहीं कर सकता। यह पंचायत स्तर को ही करनी पड़ेगी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): फिर इतनी मोटी फाइल लेकर काहे को घूम रहे हो आप? यही कर लेंगे तो फिर आप इतनी मोटी फाइल लगा कर क्यों घूम रहे हो?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए आप, यह आपसे संबंधित प्रश्न नहीं है, लक्ष्मणगढ़ का है। विराजो, विराजो।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): ×××

प्रश्न संख्या-40

(स्थगित)

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय सदस्य, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी। (अनुपस्थित) स्थगित।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आज एक के बाद एक तीन प्रश्न स्थगित हुए हैं- पहला प्रश्न सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, दूसरा वर्षा जल पुनर्भरण से संबंधित और फिर आगे पत्रकारों से संबंधित। मतलब सरकार करना क्या चाहती है? विधान सभा में हमारा अधिकार है प्रश्न करने का और विधान सभा में सरकार का कर्तव्य है उत्तर देने का। सभापति महोदय, लगातार प्रश्न स्थगित होते जा रहे हैं, हमें आपके संरक्षण की जरूरत है।

श्री सभापति: आप तो विराजो, मूल प्रश्नकर्ता है ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, पहले अध्यक्षीय व्यवस्था है।

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो तो सही। मैं बताता हूं आपको, यह स्थगित क्यों हुआ, मैं बता रहा हूं। (व्यवधान) आप विराजो तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मूल प्रश्नकर्ता नहीं है, इस पर मेरा निवेदन है। (व्यवधान) पहले अध्यक्षीय व्यवस्था देख लीजिए आप। माननीय सदस्यों को अधिकार दिया है कि वह सवाल कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ीजी ने जो प्रश्न लगाया, वह प्रश्न भूजल विभाग से सम्बन्धित उन्होंने भेज दिया जबकि यह स्वायत्त शासन मंत्रीजी का प्रश्न था और आज उनका दिन नहीं है। इस वजह से यह प्रश्न स्थगित किया गया। श्री जसवन्त सिंह यादव।

बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र में जयपुर सिन्टेक्स उद्योग को आबंटित औद्योगिक भू-खण्ड का भू-उपयोग परिवर्तन

41. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र में जयपुर सिन्टेक्स उद्योग के नाम जमीन आबंटित हुई है? यदि हां, तो कब व कितने वर्गमीटर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर कालोनाइजर्स द्वारा आवासीय कालोनी बसाई जा रही है? यदि हां, तो उक्त भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कब व किन शर्तों पर किया गया? क्या सरकार से इसकी अनुमति ली गई? यदि हां, तो कब? उक्त प्रकरण में कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूमि का रिहायशी उपयोग हेतु किस-किस कालोनाइजर को किन-किन शर्तों पर भू-उपयोग परिवर्तन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त डार्क जोन घोषित क्षेत्र में नए ट्यूबवैल किसकी स्वीकृति से खोदे जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) जी हां। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड़ में मैसर्स जयपुर सिन्टेक्स उद्योग को 40 एकड़ भूमि 1.5.1978 को आबंटित की गई है।

(2) रीको द्वारा अभी तक उक्त भूमि के रिहायशी उपयोग हेतु कोई भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया गया है। परन्तु मौके की नवीनतम स्थिति के अनुसार उद्यमी द्वारा हाल ही में 7 स्थानों पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिये निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। मौके पर भूमि समतलीकरण एवं सड़क बनाने हेतु मिट्टी का कार्य व चारदीवारी निर्माण कार्य चल रहा है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) जिला कलक्टर, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर नवीन ट्यूबवैल खोदने की अनुमति नहीं दी गयी है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, जब उद्योगपति उद्योग लगाता है और उद्योग बहुत अच्छा चलता रहता है, उससे खूब

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

पैसा कमा लेता है। और जहां उसको लगता है कि अब कमाई बहुत हो चुकी है, मजदूरों की संख्या चाहे उसमें कितनी भी हो, जब चाहे अपनी उस फैक्टरी के ताला लगाकर चला जाता है। मजदूरों के जीवन का कोई पता ही नहीं होता है। उनकी उम्र गुजर जाती है कि उनके भविष्य का क्या होगा। यह मेरा प्रश्न आ गया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन लगने के बाद मंत्रीजी ने जो तत्परता दिखाई उसमें कम से कम उद्योगपति ने इतना भला काम तो कर दिया कि जो मजदूर 10 साल से दर-दर की ठोकरें खा रहे थे, उनका वेतन मिल गया। मंत्रीजी, यह तो मेरा एक प्रश्न लग गया और उन मजदूरों को पेमेण्ट हो गया। पर ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो, क्या कानून है, क्या सरकार की रूपरेखा है कि कोई उद्योगपति अपनी यूनिट को किस हालत में तो बंद कर सकता है और कब उसको रुग्ण इकाई के रूप में घोषित कर सकता है यानि कि सिक यूनिट घोषित कर सकता है? क्या इसके अन्दर सरकार के मापदण्ड हैं, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1997 में यह यूनिट सिक घोषित की गई। 1997 में बी.आई.एफ.आर. में इन्होंने कोशिश की कि रिवाइवल हो, लेकिन रिवाइवल पैकेज नहीं दिया गया। इसलिये इसको इस बात के लिये अलाउ किया गया कि अब आप सिक घोषित कर सकते हैं। 1997 के बाद में लगातार यह सिक चलती रही। काफी कोशिश की गई कि यह किसी तरह से रिवाइव हो, लेकिन जब स्थिति नहीं बनी तब 2007 में इन्होंने एक परमीशन चाही कि हम इसको विक्रय करें और इन्होंने 2007 में इसको विक्रय कर दिया। विक्रय के बाद में जो नये इन्वैस्टर आये, इन्होंने इस पर होटल उद्योग हेतु परमीशन चाही है जो नियमों में दी जाएगी। (व्यवधान) नियमानुसार दी जाएगी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से इतना पूछना है स्पेसिफिक कि सिक यूनिट घोषित करने के लिये सरकार ने क्या मापदण्ड रखे हैं, काटन इण्डस्ट्री को सिक यूनिट करने के लिये?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह बी.आई.एफ.आर. में जब जाती है तो एक विकल्प यह होता है कि कोई कम्पनी इसको दुबारा रिवाइव करने के लिये आगे आए, बी.आई.एफ.आर. जो

(श्री राजेन्द्र पारीक)

स्कीम देती है उसको यदि वह असैप्ट कर लेती है तो यह रिवाइव हो जाती है। लेकिन जब सारे हालात उसके विपरीत हों और किसी भी स्तर पर कम्पनी रिवाइवल की स्थिति नहीं बने तो राज्य सरकार सिक यूनिट घोषित करने के लिये उनको अलाउ कर देती है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, मंत्री महोदय, सिक यूनिट किया तो राज्य सरकार उनसे किन शर्तों की पालना कराती है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): राज्य सरकार के समक्ष, माननीय सभापति महोदय, ये सारे इश्यूज जब आते हैं तो मुख्य रूप से केवल वहां की जो लेबर होती है, उनकी पेमेण्ट की समस्याएं होती हैं। इस मामले में राज्य सरकार के पास किसी भी माध्यम से यह जानकारी नहीं आई कि कम्पनी और उनके बीच में आपस में कोई विवाद चल रहा है। यदि इस तरह का कोई विवाद आता है तो उसके लिये लेबर डिपार्टमेंट अलग है। लेबर डिपार्टमेंट के पास भी वे जाते और जाकर अपनी बात को रखते, तो लेबर डिपार्टमेंट पूरे सक्षम तरीके से उन लोगों की समस्याओं का समाधान करता है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, गवर्नटमेंट आफ इण्डिया, लेबर मिनिस्ट्री का मेरे पास रूल्स का एक लैटर है, मैं मंत्रीजी की जानकारी के लिये बता रहा हूं, कि कोई भी काटन इण्डस्ट्री जिसके पास ज्यादा लेबर होती है, उसको सिक यूनिट घोषित किया जाता है तो त्रिपक्षीय समझौता होता है जिसके अन्दर सरकार होती है, कर्जा देने वाले रीको वाले होते हैं और मजदूर होते हैं। पर लोग क्या करते हैं कि लेबर में तरह-तरह की इकाइयां बनी हुई होती हैं, चाहे जिसको बुला लेते हैं और इससे मजदूर ठगे रह जाते हैं। इसलिये आज तो, मंत्रीजी, आपने उनका पेमेण्ट करा दिया। लेकिन आगे इस तरह से किसी भी मजदूर का घर बर्बाद न हो। जब तक त्रिपक्षीय समझौता नहीं हो और दो साल से जब तक उसके अन्दर काम बंद न पड़ा हो, तब तक कोई भी इण्डस्ट्रियलिस्ट उसको सिक यूनिट घोषित नहीं कर सकता है। उन सबका पेमेण्ट करना उसके लिये अनिवार्य होता है। धन्यवाद और जय हिन्द।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, इसमें जो सवाल है, वह बहुत अलग है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। अलग नहीं, इससे सम्बन्धित प्रश्न है क्या? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मूल प्रश्नकर्ता भी उस सवाल को इधर-उधर क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: जयपुर सिन्टेक्स उद्योग से सम्बन्धित प्रश्न है क्या? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से सिर्फ यह...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, नहीं, जयपुर सिन्टेक्स उद्योग से सम्बन्धित प्रश्न केवल। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मेरा अधिकार है प्रश्न पूछने का। (व्यवधान) आपकी मेहरबानी से नहीं? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप गलत इस तरह कैसे बोल रहे हैं?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इसमें जो प्रश्न किया है, माननीय सभापति महोदय, यह इस हाउस के हर सदस्य का अधिकार है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक मजदूर जो 10 साल से परेशान हो रहा था ...(व्यवधान) आपके मंत्री से नहीं बनती होगी मैं क्या कर सकता हूं उसमें? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप तो विराजिए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सवाल जो पूछा गया है उस सवाल की मूल भावनाओं से हटकर यदि सवाल पर आते हैं तो उसमें कई सन्देह पैदा करते हैं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, इसलिये मेरा निवेदन है, जो प्रश्न पूछा गया, हम भी पढ़े-लिखे लोग हैं, इसमें पूछा गया है कि क्या उद्योग के लिये जो जमीन थी उसको कालोनाइजर्स डवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब मूल प्रश्नकर्ता...

श्री सभापति: हां तो दे दिया। दे दिया न मंत्रीजी ने। आप तो विराजिए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह हाउस किसी भी तरह की मैच फिक्सिंग के लिये नहीं है, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान) कोई सवाल किया गया है मंत्री महोदय से, उसका जवाब लीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजो। आप विराजो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य जो हैं इनकी आदतें हैं, ये सब इनके धन्धे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका जवाब आ गया, आप विराजो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उत्तेजित होने की बात नहीं है, सभापति महोदय। सवाल यह आ गया, सवाल लिस्ट हुआ तो इस हाउस की प्रापर्टी है वह सवाल। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह आपका धन्धा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): और जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब देना चाहिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ये धन्धे आप करते हो। इस धन्धे की आदतें आपको हैं, मुझको नहीं हैं। यह आप अपने धन्धे में लिप्त रहते हो। सभापति महोदय, इस तरह की भाषा बोलना गलत है।

श्री सभापति: आप विराजिये, आप विराजिये, माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप या तो इनके खिलाफ इंक्वायरी करें। यह मंत्रियों से जलते हैं। इनको मंत्री कोई भाता नहीं है। इनकी दुर्दशा हो रही है। अपनी खीझ मिटाने के लिये हर आदमी को चोर मानते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजो। श्री बाबूलालजी खराड़ी। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, हाउस की प्रोसीडिंग में सरकार की तरफ से कोई गलत बात दर्ज हो जाए, मैं उसको शुद्ध कराना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप विराजो। आपका इससे सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। मैं अगला नाम पुकार चुका हूं, माननीय सदस्य।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि यह नियमों में नहीं है कि इण्डस्ट्री की लैण्ड का ट्यूरिज्म परपज से ट्रांसफर हो। इसके बाकायदा नियम हैं। नियम हैं, माननीय शांति धारीवालजी यहां बैठे हैं, यू.डी.एच. में नियम बने हुए हैं। (व्यवधान) इसमें भू-परिवर्तन हो सकता है। ऐसे तो नियम आएगा ही नहीं। (व्यवधान) ऐसे तो जमीनें सब बर्बाद हो जाएंगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, प्रोसीडिंग निकलवा लीजिए। माननीय सभापति महोदय, प्रोसीडिंग निकलवा लें, मैंने यह कहा, नियमानुसार की जाएगी। जरा कान साफ करवाओ। (व्यवधान) थोड़े कान साफ करवाओ आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, आप विराजिए।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सरकार बदल सकती है यह नियमों के थ्रू। (व्यवधान) यू.डी.एच. मिनिस्टर यहां बैठे हैं। गलत जवाब देकर हाउस को मिसगाइड मत किया करो। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): प्रश्न संख्या 42.

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैंने यह कहा है, नियमानुसार की जाएगी। थोड़े कान साफ करवाइये।

श्री सभापति: आप विराजिये, मंत्रीजी, विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): फालतू बातें सुन-सुन कर कान में मैल जमा हो गया, इसको साफ करवाइये आप। (व्यवधान) मैंने कहा, नियमानुसार की जाएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी, मंत्रीजी, विराजिए न आप। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हां, तो यह बोलिये। आपने कहा, नियमों में नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यही बोला है। यही बोला है। यही बोला गया है कि नियमानुसार की जाएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी, विराजिये, मैं अगला नाम पुकार चुका हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उम्र के हिसाब से कानों ने काम करना बंद कर दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी, विराजिये। श्री बाबूलाल खराड़ी।

झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र के सम्पर्क सड़क रहित ग्राम

42.**श्री बाबूलाल खराड़ी** (झाड़ोल): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के कुछ ग्राम ऐसे हैं जो एक गांव से दूसरे गांव की मुख्य सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से, सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

(2) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम सड़क मार्ग रहित हैं जो एक या दो किलोमीटर के टुकड़े जुड़ने से वंचित हैं?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के एक गांव से दूसरे गांव जो एक से दो किलोमीटर की दूरी पर हैं, के कच्चे टुकड़े को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत डामरीकृत सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री प्रमोद जैन (भाया): (1) झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 250 एवं अधिक आबादी के 7 गांव तथा 250 से कम आबादी के 74 गांव डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में कुल 32 सड़कविहीन गांव ऐसे हैं जो कि डामर सड़क से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। सूची परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जनजाति क्षेत्र में वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार 250 व उससे अधिक की आबादी की बसावटों को जोड़े जाने का प्रावधान है। पूर्व में सड़क से जुड़े हुए एक गांव को, सड़क से जुड़े हुए दूसरे गांवों से आपस में जोड़ने का प्रावधान नहीं है।

(सूची एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ौल): माननीय सभापति महोदय, आपने जवाब दिया है, 500 से ऊपर की आबादी के जो गांव हैं, इसमें आपने पहला बेड़ाधर गांव लिखा है। इसमें आपने लिखा है कि मैटल सड़क मय बीटी कार्य पूर्ण हो गया। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, मैटल सड़क और बीटी, यह तो आपका पूरा हो गया, तो क्या इसी सड़क से वाहन जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं या बीच में कोई अवरोधक है?

प्रश्न-2, आपने यह दिया है कि सरवन, छाली बोकरा, माल, लोहारी, मालदर कलान और आरीवाड़ा, यह फोरेस्ट की आपत्ति की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि ये सड़कें तो बहुत पहले की स्वीकृत हैं, आपकी सरकार के आने के बाद में फोरेस्ट की बाधा दूर करने के क्या प्रयास किये गये? आपने यह भी जवाब दिया है कि हम वन विभाग से वन पथ के नाम से सड़क बनाएंगे। इस कार्य का क्या हुआ, यह भी बताने की कृपा करें।

श्री प्रमोद जैन (भाया) (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय सभापति महोदय, मूल प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने जो मैटल सड़क का हवाला दिया है, विभाग के द्वारा प्राथमिकता से उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप हम उस पर डामरीकरण कराने का प्रयास करेंगे।

दूसरा आपने जो वन सड़कों का हवाला दिया, तो विभाग के द्वारा वन विभाग से स्वीकृति की प्रक्रिया जेरकार है और विभाग उस पर वन क्षेत्र में होने के कारण वन पथ बनाने की योजना रखती है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माननीय सभापति महोदय, आपने जवाब दिया बेडाधर वाला, इसके बीच में थोड़ा-सा फोरेस्ट है। आपने एक तो यह जवाब नहीं दिया। उसमें एक जो पुलिया बनना है, पुलिया बन गयी, उसमें केवल एक स्पॉन पड़ना है, स्पान नहीं पड़ने के कारण उस पर साधन नहीं जा रहे हैं। नदी के नाले से उतर कर ठोकरे खाते हुए लोग जा रहे हैं, क्या उस पर आप स्पान डलवाएंगे?

दूसरा, 250 से कम आबादी के गांवों की सूची है आपकी, 74 गांव, इसमें आपने कई गांवों में तो कहा कि हम महानरेगा के अन्तर्गत जोड़ लेंगे और कार्य प्रगति पर है। आपने कुछ गांवों के लिए लिखा है कि हमने वहां पर कोई स्वीकृति जारी नहीं की। तो आप यह बताने की कृपा करें कि उन गांवों का क्या दोष है जिन गांवों में अब तक कोई स्वीकृति जारी नहीं की?

श्री प्रमोद जैन (भाया) (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पुलिया का जिक्र किया, इस पर स्लैब की कार्यवाही हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। वन क्षेत्र का आपने जो जिक्र किया कि उसमें थोड़ा-सा है, चाहे वन क्षेत्र थोड़ा हो या अधिक हो, नियम एक ही है और उसके अनुरूप विभाग अपनी कार्यवाही कर रहा है। वन विभाग से स्वीकृति के बाद ही इसमें आगे कार्यवाही हो पाना सम्भव होगा।

दूसरा आपने 250 से जीरो की आबादी की सड़कों का जो जिक्र किया है, इसकी हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने गत बजट भाषण में घोषणा की थी, उसके अनुरूप हमने ग्रेवल सड़कों की स्वीकृति की कार्यवाही की है। पूरे राजस्थान में सामान्य श्रेणी के 2776 गांवों में से 2576 की स्वीकृति जारी कर 1062 गांव अभी तक ग्रेवल से जोड़े जा चुके हैं। जनजाति क्षेत्र में 250 से कम आबादी के 498 गांवों में से 257 गांवों की स्वीकृति कर 50 गांवों को ग्रेवल से जोड़ा जा चुका है। इसी प्रकार मरु क्षेत्र के 250 से कम आबादी के 688 गांवों में से 481 गांवों को स्वीकृत कर 192 गांवों को जोड़ा जा चुका है,

(श्री प्रमोद जैन (भाया))

शेष कार्य प्रगति पर है। इनका डामरीकरण का जहां तक सवाल है तो इसके लिए विभाग ने वर्ल्ड बैंक से चर्चा की है और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप इन पर डामरीकरण की योजना भी सरकार निश्चित रूप से बनाएगी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, झाड़ोल से संबंधित प्रश्न है, मूल प्रश्नकर्ता कुछ बोलना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उत्तर तो पूरे का ही दिया है। माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मूल प्रश्नकर्ता को तो बोलने दो आप।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): मैंने यह पूछा था कि ये कुछ गांव हैं जिनमें कोई स्वीकृति नहीं है, यह आपने जवाब दिया। तो मैं तो यह कह रहा हूं कि उन गांवों को क्या अब सड़कें स्वीकृति करने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं, यह बता दें, क्योंकि उनमें भी आबादी रहती है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्रीजी, आप साथ ही जवाब दे देना। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न झाड़ोल से संबंधित है, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): तो झाड़ोल से ही पूछ रहा हूं मैं।

श्री सभापति: हां, झाड़ोल से पूछ लो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपने मुख्य मंत्रीजी का हवाला दिया है कि जो गांव सामान्य की आबादी में 500 से नीचे हैं और आदिवासी और डैजर्ट में 250 से नीचे वाले गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने की मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में घोषणा की थी और उनमें से 40 परसेंट गांव भी आज तक नहीं जुड़े हैं। तो मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि यह मुख्य मंत्रीजी की सब गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने की घोषणा कब तक पूरी कर देंगे।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री प्रमोद जैन (भाया) (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय सभापति महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने जो महानरेगा का जिक्र किया कि कई की स्वीकृति जारी नहीं हुई है, जिनकी स्वीकृति जारी नहीं हुई है, उनकी स्वीकृति जल्दी से जारी कराने के लिए हम प्रयासरत हैं और ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): प्रयास ही करेंगे?

श्री प्रमोद जैन (भाया) (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): प्रयास ही कामयाब होते हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कब तक जोड़ दोगे?

श्री प्रमोद जैन (भाया) (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): वह मैंने पूरा ब्यौरा आपको पहले ही बता दिया। आपके प्रश्न का जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, आपने तो बता दिया कि इतने ... (व्यवधान) 40 परसेंट की तो स्वीकृति निकली है, बाकी की तो स्वीकृति ही नहीं निकली।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री प्रमोद जैन (भाया) (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): 40 परसेंट नहीं, ज्यादा की स्वीकृति निकल गई। मैंने पूरी फिगर आपको बताई है, पूरे सदन को बताई है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, टु डे 10 परसेंट भी नहीं है, आपने बताया वह।

श्री प्रमोद जैन (भाया) (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): जिनकी नहीं निकली उनकी आप मुझे व्यक्तिगत रूप से बता देना, उनको हम प्राथमिकता से निकलाएंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। मेरा तो है कि जिन गांवों की आबादी 250 और 500 से नीचे है, उन सबको ग्रेवल सड़क से कब तक जोड़ देंगे?

एक माननीय सदस्य: जब आप चाहेंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हम तो चाह रहे हैं, आज ही जोड़ दो।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। श्री भवानी सिंह राजावत। स्थगित।

जयपुर शहर के अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु आवासीय योजना

43. **श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा): क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर के अधिस्वीकृत पत्रकारों को आवासीय भू-खण्ड देने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो गत दो वर्षों

(श्री भवानी सिंह राजावत))

में अपनाई गई चयन प्रक्रिया में अब तक कुल कितने पत्रकारों का उक्त योजना में चयन किया गया और चयन के क्या मानदण्ड रहे?

(2) पत्रकार आवासीय योजना में चयनित पत्रकारों को जयपुर शहर में भू-खण्ड कहां आबंटित किए जाएंगे? जगह का नाम एवं भू-खण्ड की दरों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सभापति : स्थगित।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): स्थगित क्यों कर दिया?

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्यों कर दिया स्थगित, माननीय सभापति महोदय, यह तो बताओ। जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका जो प्रश्न था, सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री को आपने पूछा है, जबकि इस प्रश्न का उत्तर स्वायत्त शासन मंत्रीजी की तरफ से देना था। आज रिप्लाई का उनका डे नहीं है इस वजह से यह प्रश्न स्थगित किया गया है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ठीक है।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह।

नगर (भरतपुर) में फल सब्जी विक्रेताओं हेतु निर्मित मण्डी का उपयोग

44. श्रीमती अनीता सिंह (नगर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी यार्ड, नगर (भरतपुर) के पास फल सब्जी थोक विक्रेताओं के लिए कोई जगह चिह्नित की हुई है? यदि हां, तो कब से और कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सब्जी मण्डी यार्ड को बने कई वर्ष हो गये हैं और अभी तक सब्जी मण्डी शिफ्ट नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों और सरकार अब कब तक इसे शिफ्ट करवाने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री गुरमीत सिंह कुन्नर) (1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति नगर के मुख्य मण्डी प्रांगण में रिक्त भूमि पर फल सब्जी के थोक विक्रेताओं के लिए दिनांक 23.08.2009 को 10 गुणा 25 फीट के 33 भू-खण्ड चिह्नित किए गए हैं।

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

(2) जी हां। चिह्नित स्थान को फल सब्जी व्यापारियों ने उपयुक्त नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में अन्य उपयुक्त स्थान चिह्नित होने पर व्यापार स्थानांतरण हो सकेगा।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं, यह जो बता रहे हैं कि फल-सब्जी व्यापारियों ने उपयुक्त स्थान नहीं बताया है, यह कृषि उपज मण्डी समिति की कौनसी बैठक में तय किया या कब व्यापारियों को बुलाया, आपने कब बात की, यह कृपया बताएं?

दूसरा सवाल मेरा यह है कि यह सब्जी मण्डी अब निजी स्थान पर चल रही है। क्या इसकी वजह से मण्डी के पास में जो गंदगी का भण्डार लगा हुआ है, उससे हमारी जो तहसील और थाना है, उसके रास्ते अवरुद्ध हैं। इसके कारण अवारा पशु वहां पर दिन भर विचरण करते रहते हैं? यह मुझे बताएं कि कौनसी मीटिंग में तो इन्होंने यह तय किया कि वहां उपयुक्त स्थान नहीं है?

(समय : 12.00 बजे)

आपने उस जमीन पर कृषि उपज मण्डी बना दी, दो सालों से आपने भू-खण्ड चिन्हित करा दिये, उसके बाद आपने व्यापारियों को वहां पर जाने के लिये कितनी बार कहा है, कितने नोटिस दिये हैं या क्या कार्यवाही की है, कृपया बताएं।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (कृषि विपणन राज्य मंत्री): सभापति महोदय, वर्ष 2007-08 में ये भू-खण्ड चिन्हित हुए। उसके बाद छह बार व्यापारियों को नोटिस भी दिये गये, उनसे मीटिंग भी हुई। एक मीटिंग तो एस.डी.एम. की अध्यक्षता में 4.2.2011 को हुई। नगरपालिका के ..(व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, जब मैं सवाल यहां लगा देती हूं उसके बाद एस.डी.एम. साहब उसकी मीटिंग लेते हैं। जबकि कृषि उपज मण्डी में मीटिंग होनी चाहिये। वहां पर होनी चाहिये, एस.डी.एम. साहब मीटिंग क्यों लेते हैं?

श्री सभापति: प्रश्नकाल समाप्त।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया और आपने प्रश्न काल समाप्त कर दिया। आपने आश्वासन भी नहीं दिलाया। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्नकाल समाप्त। नहीं, आप विराजिये, विराजिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मुझे मंत्रीजी से आश्वासन तो दिलवाएं।

श्री सभापति: आप विराजिये। व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, विराज तो जाएंगे, आप हमारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिला रहे। आपका हमको संरक्षण प्राप्त है, आप नहीं दिलाएंगे तो कैसे चलेगा?

श्री सभापति: विराजिये। प्रश्न काल समाप्त।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): सभापति महोदय, हमारे सोजत विधान सभा क्षेत्र में भी कृषि उपज मण्डी द्वारा जो दुकानें बनी हुई हैं, आज दिन तक व्यापारियों को वहां शिफ्ट नहीं किया।

श्री सभापति: प्रश्नकाल समाप्त, आप विराजिये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर जिले में क्षतिग्रस्त सड़कों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

उपरोक्त प्रस्ताव जन हित का नहीं है, अतः इस प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

2. श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से राज्य में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार उपरोक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा, अतः इस प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

3. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से राज्य में विद्युत विभाग द्वारा किसानों को घटिया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

माननीय सदस्य को पर्ची के माध्यम से बोलने की अनुमति दी गई है, अतः इस प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

4. श्रीमती अनीता सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से चन्दनपुरा (पहाड़ी-भरतपुर) में दलितों पर हुए पथराव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री सभापति)

5. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर जिले में फ्लोराइडयुक्त पानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से हिण्डौन सिटी में व्यापारी की हत्या के अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

7. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से कोटा स्थित मैसर्स अराफात पैट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कारखाना चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती अनीता सिंह, श्री हनुमान बेनीवाल, श्री कालीचरण सराफ एवं श्री अमराराम को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में आ रही कठिनाइयों के संबंध में।

2. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से सीकर में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से निजी महाविद्यालयों की मनमानी से विद्यार्थियों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री रवीन्द्र सिंह बोहरा, सदस्य की ओर से धौलपुर जिले के पर्यटन की दृष्टि से उपयोगी शेरगढ़ किले का जीर्णोद्धार किये जाने के संबंध में।

5. श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्य की ओर से जोधपुर जिले के भोपालगढ़ तहसील के ग्राम लवारी में हुए सड़क हादसे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में पेयजल में अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री सभापति)

7. श्री रमेश चन्द मीणा, सदस्य की ओर से डी.आर.डी.ए., करौली द्वारा फर्जीवाड़ा करके लाखों रुपये के गबन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली में चक्रवती तूफान से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्री कमल बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई की तहसील पीपलू के गांवों में हुई ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली की पंचायत समिति देसूरी के कस्बे घाणेराव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में।

11. श्रीमती ममता भूपेश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिकराय में नये प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में।

12. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के चिकित्सालयों में बी.पी.एल. परिवारों को वांछित चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्रीमती अनिता सिंह।

श्री ओम बिरला: माननीय सभापति महोदय, आपने ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): किसान तबाह हो गये हैं, सभापति महोदय।

श्री ओम बिरला: इतना होने के बाद भी सरकार वहां कुछ नहीं कर रही है। कोटा का...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला: ×××

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ओम बिरला: ×××

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री सभापति: आप विराजो। विराजो। श्रीमती अनीता सिंह। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री सभापति: मैं व्यवस्था दे चुका हूं, माननीय सदस्य।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री सभापति: ओलावृष्टि पर जब चर्चा होगी तब आपको बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद) : ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री सभापति: आपके सदस्यों को तो व्यवस्थित करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री सभापति: आप विराजो, मैं दे रहा हूं व्यवस्था। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

(श्री अमराराम एवं श्री पेमाराम, माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ×××

श्री सभापति: आप तो विराजो, माननीय सदस्य।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ×××

श्री सभापति: विराजो आप।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आसन की व्यवस्था शिरोधार्य है। ओलावृष्टि राजस्थान में एक बार नहीं हुई है, जिस दिन सरकार की तरफ से यह आश्वस्त किया गया था कि इस पर सरकार उत्तर देगी, उसके बाद फिर ओलावृष्टि हुई। यह तीसरी बार ओलावृष्टि हुई है और आज सदन स्थगित होने के बाद हम पन्द्रह दिन बाद मिलेंगे, पन्द्रह दिन तक न तो राजस्थान के किसान के नुकसान का सर्वे हो रहा और न राजस्थान के किसान की भरपाई के लिए सरकार का कोई मन्तव्य है। इसलिए हमारी मांग है कि चूंकि यह राजस्थान के लाखों किसानों से जुड़ा हुई मुद्दा है, सरकार को आप बाध्य करें कि तीन दिन में सरकार को उत्तर देना चाहिए। आज पांचवां दिन है, सरकार उत्त्तर दे। हमारे माननीय सदस्य वैल में इसीलिए बैठे हैं कि सरकार उत्तर दे। ओलावृष्टि एक बार नहीं हुई है। मुझे मालूम था, आसन से माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था है कि सरकार उत्तर दे, उसके बावजूद भी मैंने स्थगन इसलिए लगाया क्योंकि 19 तारीख को फिर ओलावृष्टि हुई। उसके बाद 20 तारीख को राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हुई और राजस्थान का किसान तबाह हो गया। एक तरफ तो आपदा से पीड़ित मुआवजा नीति बनाने की बात सरकार करती है और दूसरी तरफ सरकार मौसम बीमा ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करने की बात कर रही है। यह किसान विरोधी सरकार बोल नहीं रही है इसलिए, सभापति महोदय, आप आसन पर विराजे हैं, आपसे बड़ा किसान कोई हो नहीं सकता, आप सरकार को बाध्य करें कि इसका आज ही सरकार उत्तर दे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री सभापति: बात तो यही है न? अंकित नहीं हो रहा है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय सदस्य। मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: आप दोनों विराजो। श्रीमती अनीता सिंह।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, आसन की व्यवस्था है, उस दिन जो चर्चा हुई थी, उसको आप मंगवाकर देख लें। जब माननीय सदस्यों का स्थगन प्रस्ताव आया तो अध्यक्ष महोदय ने उसको सरकार की जानकारी के लिए भेजा। हमने कहा, सरकार की जानकारी के लिए किसलिए भेज रहे हो, हम हमारी बात को बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जानकारी तुरन्त आ जाएगी, चूंकि सरकार को इसमें निर्णय लेना है इसलिए मैं उसके बाद मैं सरकार से वक्तव्य दिला दूंगा ताकि उस पर चर्चा हो सके। सभापति महोदय, सदन आज के बाद नौ तारीख तक नहीं जुडेगा, आपको भी पता है। उसके बाद दुबारा ओलावृष्टि हो गयी, अभी भी मौसम खराब है। अच्छी फसल में बहुत-सी जगह पर किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। और हमारे पास पैसा भी पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार को इतनी जानकारी आ गयी होगी, माननीय सदस्यों का इतना ही कहना है कि सरकार के लिए आज कोई भी टाइम आप तय करवा दें। आप दोपहर बाद करें, पांच बजे करें, छह बजे करें, आठ बजे करें। आज कभी भी सरकार इस पर अपना वक्तव्य देकर हमको बता दे कि जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, किस प्रकार उनकी भरपाई कर रही है और किस-किस जगह पर कितना-कितना नुकसान हुआ है। यह माननीय सदस्यों की एक पीड़ा है। सभापति महोदय, लाखों हजारों जो किसान हैं, उनको जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में इस सदन में चर्चा नहीं होगी और सरकार का वक्तव्य नहीं आएगा तो न सरकार के लिए ठीक है, न आसन के लिए ठीक है और न प्रतिपक्ष के लिए ठीक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक व्यवस्था दें। आप सरकार से पूछ लें कि सरकार कब वक्तव्य देगी और इस पर आप समय फिक्स कर दें। इतना ही करना है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ×××

श्री सभापति: बात तो वही है न।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ×××

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य। सारी बात हो गयी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री सभापति: इस भावना से कई माननीय सदस्यों ने भी अवगत करवाया है। सरकार पूरी तरह से, जहां-जहां ओलावृष्टि हुई है, पूर्व में भी यह विषय सदन में आया है, उसके अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देकर गये हैं कि नौ मार्च के बाद इसके ऊपर जबाव आ जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री सभापति: आप विराजो।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) : ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): ×××

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजो। विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप विराजो। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारेबाजी)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजो तो सही। आप विराजो, आप विराजो। आप पधारो। माननीय सदस्य, आप अपने आसन पर पधारो। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

अपने आसन पर पधारो, आसन पर पधारो। आप विराजो।

सदन की बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.22 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 12.52 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, राजस्थान का किसान ओलावृष्टि से पीड़ित है और सरकार की तरफ से वक्तव्य नहीं आ रहा। सरकार किसानों की हितैषी बनती है लेकिन सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): संवेदनशील कहलाने वाली सरकार, व्यवस्था देने के बावजूद आज तक सरकार के पास कोई वक्तव्य नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सरकार के पास सी आर एफ का पैसा है, राजस्थान की जनता का पैसा है, कैलेमिटी रिलीफ फण्ड का पैसा है, सरकार मुआवजा देना चाहती नहीं है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): इसलिए आपके माध्यम से निवेदन है, सभापति महोदय, आप व्यवस्था दें, सरकार से वक्तव्य दिलवाएं,

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

काश्तकारों की स्थिति के बारे में सरकार स्पष्ट करे यहां। किसान के वोट से चुनकर आने वाली सरकार आज मौन बैठी है, आज चुप बैठी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, आप सरकार का मंतव्य क्यों नहीं देना चाहते, सरकार पीड़ितों को मुआवजा देना चाहती है कि नहीं देना चाहती? सी आर एफ में पैसा है, पैसा होते हुए सरकार मुआवजा क्यों नहीं दे रही? (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, जब तक सरकार की तरफ से वक्तव्य नहीं आएगा, हम सदन को नहीं चलने देंगे। हम सदन को नहीं चलने देंगे, सरकार से वक्तव्य दिलाना पड़ेगा।

श्री सभापति: मंत्री जी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सरकार जवाब दे, घोषणा करे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह ट्रैजरी बैंचों में नये मंत्री कब से बन गये? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। विराजो, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। विराजो तो सही।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ करूं जब बोलना, विराजो आप। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप कुछ वक्तव्य देना चाहते हैं सरकार .....

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति: आप तो विराजिए, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। जब मैं आपको अलाउ करूं तब आप दे देना, विराजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में इस माह के दूसरे हफ्ते में और तीसरे हफ्ते में कई बार ओलावृष्टि हुई और प्रदेश के विभिन्न जिलों में इससे काफी नुकसान भी हुआ। इस नुकसान को देखते हुए ही प्रतिपक्ष के सभी नेतागण स्पीकर साहब के पास गये और उनसे इस बात के लिए निवेदन किया कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर साहब ने प्रतिपक्ष के नेताओं के सामने ही पत्रावली पर 9 तारीख के बाद में इस पर चर्चा होना लिखा, 9 तारीख के बाद में लिखा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): असत्य।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इनके सामने लिखा।

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो न...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मंत्रीजी गलत वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह आसन के ऊपर आरोप है ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप सुनिये तो सही, आसन ने इनको अलाउ किया, पहले आप इनकी बात तो सुनिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जवाब तो सुन लो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): चैम्बर में जो भी कोई बात होती है, वह सदन ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आपने संसदीय कार्य मंत्री महोदय को अलाउ किया है, आप इनकी बात को आने दीजिए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह अलाउ हम नहीं करेंगे।

श्री सभापति: आप विराजें तो सही।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में कोई भी बात होती है, यह तो लिखा-पढ़ी की बात कर रहे हैं जैसे फोटो इनके पास में है। इस प्रकार की गलत सूचना यहां पर देते हैं। यहां अगर सरकार में दम है तो घोषणा करे कि किसानों के खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगी। दम तो है नहीं।

दमदमे में दम नहीं और खैर मांगो जान की
बस जफर हो चुकी तलवार हिन्दुस्तान की।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, निश्चित तौर पर यह बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और नुकसान भी काफी हुआ है किसानों का, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। सरकार बिलकुल इस मामले में सजग है और यही वजह है कि बाकायदा पूरे राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने यह आदेश प्रसारित कर दिया है कि पूरा सर्वे करवाया जाए। यह सब भी आप लोगों की जानकारी में भी है। अब सवाल यह रहता है कि सर्वे होने के पश्चात यह आकलन किया जाता है कि कहां पर कितना नुकसान किसका हुआ, उसके बाद ही सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। तो मैं यह मानकर चलता हूं कि आज मुख्य मंत्रीजी भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे, उसमें निश्चित तौर पर इस बाबत, यह ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसके बाबत चर्चा करेंगे।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह। (व्यवधान) आप तो विराजो, आ गया न।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम के अन्तर्गत मैंने जो स्थगन प्रस्ताव लगाया था, मैं निवेदन कर देना चाहती हूं....

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ करूं जब, आप विराजो तो सही।

सूचना

नाथद्वारा मंदिर मण्डल के 300 से अधिक कर्मियों की आत्मदाह की चेतावनी

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): नाथद्वारा मंदिर मण्डल में 300 से अधिक कर्मचारी आत्मदाह करने को मजबूर हैं, सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। एक महीने से वे काली पट्टी बांध कर चल रहे हैं। कर्मचारियों ने सात दिन का अल्टीमेटम दिया है 300 कर्मचारी आत्मदाह के लिए और यह अख़बार में छपी है। पाइंट आफ इन्फार्मेशन के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): वह आत्मदाह करेंगे, उस ओर सरकार का ध्यान दिलाओ आप।

श्री सभापति: आपकी माननीय महिला सदस्य बोल रही हैं। आप विराजो तो सही।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

नगर की पहाड़ी तहसील के चन्दनपुरा में दलितों पर पथराव

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): सभापति महोदय, मैं नियम 50 के अन्तर्गत लोक महत्व के विषय की ओर गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मैं मेवात इलाके से आती हूं, वहां पर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहा है। पुलिस और प्रशासन वहां बिलकुल कमजोर स्थिति में हैं। रोज कहीं न कहीं वहां पुलिस बैकफुट पर रहती है, वहां उनकी पिटाई भी हो जाती है जब गांवों के अन्दर वह जाती है। कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज वहां नहीं रही है।

(श्रीमती अनीता सिंह)

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में दस-पांच गांव ऐसे हैं जहां पर अगर मुलजिम पकड़ने के लिए पुलिस जाए तो हमेशा वहां फायरिंग होती है और पुलिस हमेशा बैकफुट पर पिट कर लौट कर चली आती है। यह जो महत्वपूर्ण विषय मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है, चन्दनपुरा में एक गांव में पहाड़ी तहसील के अन्दर। एक निजी जमीन को लेकर टेंशन बनी हुई है। आज यहां दस दिन हो गये लगातार तनाव की स्थिति में। जब पहले दिन यह तनाव उत्पन्न हुआ था किसी जमीन के अतिक्रमण को लेकर तो बराबर पुलिस को, प्रशासन को हम लगातार कहते रहे कि वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और रोजाना तनाव की स्थिति है, आप पुलिस को भेजिए। पुलिस वहां गयी

(समय : 13.00 बजे)

लेकिन जाने के दस मिनट बाद वह वापस वहां से चली गयी। उसके बाद वहां फायरिंग हुई, पथराव हुए और दो-तीन दर्जन लोग उसमें घायल हुए। मैं निवेदन करना चाहती हूं आस-पास के गांवों के लोग वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने शांति व्यवस्था कायम की। उसके बाद जब पुलिस को बुलाया, हमने एस पी से, आई जी साहब से फोन करके इस बात को कहा कि वहां आप आर ए सी की व्यवस्था कराएं, नहीं तो वहां दंगे होने की सम्भावना है। उसके बाद उन्होंने आर ए सी तो लगायी लेकिन पुलिस की मौजूदगी के अन्दर वहां पर दलितों के घरों पर पत्थर फेंके गये, उनको गांव के बाहर भगा दिया गया। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति पुलिस की है कि पुलिस के सामने रहते हुए वहां पर दंगे होते हैं, पथराव हो जाता है और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है। वहां पर जाटव समाज के लोग इतने डरे हुए हैं कि अपनी एफ आई आर करने के लिये भी बहुत परेशान हैं। पुलिस के सामने यह सारी घटना हुई है, पुलिस को काग्निजेंस लेकर खुद ही उन लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करनी चाहिये जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, दलितों के ऊपर अत्याचार किया।

सभापति महोदय, यह केवल एक मामला नहीं है, अभी इस माह चन्दूपुरा मामले के बाद बोलखेड़ा के अन्दर भी 12 मोरों की हत्या कर दी गयी। वहां ग्रामीण सोच रहे थे कि शादी-ब्याह का मौका है इसलिये कोई पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन पता लगा कि वहां पर शिकारी आये थे। वन संरक्षित जगह है बोलखेड़ा, वहां शिकारी आये और कम से कम 12-13 मोरों को उन्होंने मारा। एफ आई आर भी दर्ज हुई है। एफ आई आर भी तब दर्ज की जब

(श्रीमती अनीता सिंह)

ग्रामीणों ने वहां जाम लगाया। जाम लगने के भी 6-7-8 घण्टे बाद अधिकारी वहां आये, जब जाकर उन्होंने ज्ञापन लिया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) ज्ञापन लेने के बाद उन्होंने कार्यवाही की। हुसैपुर, अलवर में एक मुर्गी के झगड़े के अन्दर हत्या हो जाती है। मैं निवेदन करना चाहती हूं मेरी...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब आप विराजो।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): बस दो मिनट। मेरा निवेदन है...

श्री सभापति: आपने सारी बात बोल दी।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरी कांस्टीट्युएंसी में खोह के अन्दर कल दुबारा से एक बहुत बड़ी घटना होने को थी। वहां भी अतिक्रमण को लेकर...

श्री सभापति: माननीय सदस्या अब थोड़ा समअप करो, आप अपने..

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): बस दो मिनट कह रही हूं, सभापति महोदय...

श्री सभापति: दो-दो मिनट, इतना लम्बा अगर बोलेंगी तो आज अभिभाषण के ऊपर...

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि प्रशासन जवाब दे...

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): दलितों पर अत्याचार होता है, सभापति महोदय...

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के उप नेता और सरकार की ओर से भी मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): गृह मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं और आराम से मस्ती के अन्दर मशगूल हो रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराजो। अब समअप करो।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरे क्षेत्र के अन्दर हर दूसरे-तीसरे दिन कहीं न कहीं ऐसी वारदातें हो रही हैं...

श्री सभापति: आप विराजो।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): और पुलिस उसको सम्भाल नहीं पा रही है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): सरकार ध्यान दे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): इसीलिये आपसे निवेदन है कि गृह मंत्री इस पर जवाब दें। गृह मंत्री महोदय यहां विराजे हैं, मैं चाहती हूं कि इस पर वह जवाब दें और दलितों की रक्षा करें।

श्री सभापति: आप विराजो। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): गृह मंत्री जवाब दें।

श्री सभापति: आप विराजो। विराजो।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): हमारी विधायक ने बताया कि दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, सरकार अपना जवाब दे इस पर।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): दलित विरोधी सरकार है और बैठे-बैठे सुन रहे हैं। मंत्री खुद विराजमान हैं, खड़े होकर बताएं कि क्यों ये अत्याचार हो रहे हैं वहां पर।

श्री सभापति: आप विराजो।

नागौर लिफ्ट कैनाल के द्वितीय फेज के लिए धन का आबंटन

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर स्थगन के जरिये सूचना देने के वक्त जिस डिपार्टमेंट से सम्बन्धित हमारी सूचना है, उस डिपार्टमेंट के मंत्रीजी अपने चैम्बर के अन्दर बैठे हैं। जवाब दें या नहीं दें, कम से कम ऐसी व्यवस्था तो दीजिये कि चैम्बर में नहीं, हमारी बात सुनें। फिर किसके सामने हम यह बात कहेंगे ? आप मंत्रीजी को तो बुलाइये एक बार।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने प्रस्ताव पर बोलें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह तो बोल लूंगा लेकिन मंत्रीजी अपने चैम्बर में बैठे हैं, आदेश फरमाओ कि चैम्बर से यहां पधारें।

श्री सभापति: सरकार के और मंत्रीगण विराजमान हैं, वह नोट कर रहे हैं। आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी चैम्बर के अन्दर हैं..

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): फिर स्थगन का मतलब क्या रह जाता है? स्थगन का कोई मतलब ही नहीं रहा जब...

श्री सभापति: आप बोलें तो सही..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप सम्बन्धित मंत्रीजी को बुलाओ तो सही।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चैम्बर में बैठे हैं मंत्रीजी। एक बार आदेश फरमाओ..

श्री सभापति: आप बोलो न अपने प्रस्ताव पर, माननीय सदस्य...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जवाब दें या नहीं दें, बात तो सुनें आकर हमारी यहां पर।

श्री सभापति: आप बोलो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): या सदन से ऊपर हो गये मंत्रीजी ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (उप नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर जब आप दो-तीन लोगों को बोलने के लिये कहते हैं, उस समय उस विषय के मंत्रियों को सदन में स्वाभाविक रूप से रहना चाहिये। आ गये महिपाल जी, जवाब दे देंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत मैं सदन को सूचित कर रहा हूं कि नागौर जिला देश भर के अन्दर फ्लोराइडयुक्त पानी के लिये जाना जाता है। इस जिले के अन्दर तकरीबन 100-150 गांव जायल विधान सभा क्षेत्र, डीडवाना विधान सभा क्षेत्र और मकराना विधान सभा क्षेत्र के हैं, फ्लोराइड का पानी पीकर लोगों के हड्डियों की बीमारियां और स्वास्थ्य के साथ कई तरह का खिलवाड़ हो रहा है। इसको बांका पट्टी के नाम से नागौर जिले के अन्दर पुकारा जाता है। 1994 के अन्दर भारत सरकार की टीम ने नागौर जिले के करीब 40 गांवों का सर्वे किया और टीम इस नतीजे पर पहुंची कि भारत सरकार के सहयोग से अंतिम विकल्प यह है कि इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी किसी तरह नागौर जिले के अन्दर लाया जाए। 1994 के बाद इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हमारे प्रदेश की पूर्व लोकप्रिय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने 2007 के अन्दर 3000 करोड़ की महत्वपूर्ण योजना नागौर जिले के लिये स्वीकृत की। 2008 विधान सभा चुनाव के पहले नागौर के अन्दर लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च करके नागौर लिफ्ट कैनाल योजना का पानी नागौर शहर और नागौर की धरती पर पहुंच चुका था। प्रथम चरण के द्वितीय पैकेज के अन्तर्गत यह पानी 171 गांव जो नागौर और खींवसर विधान सभा क्षेत्र के थे, उनके अन्दर लाया जाना था। उसकी भी 275 करोड़ रुपये की स्वीकृति तत्कालीन सरकार ने 2008 के

(श्री हनुमान बेनीवाल)
अन्दर कर दी थी। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के अन्दर हमारी सरकार नहीं बनी और खंडित जनादेश कांग्रेस को प्राप्त हुआ। उसके बाद नागौर और खींवसर विधान सभा क्षेत्र से चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते इसलिये हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हुए बार-बार टेण्डर आमंत्रित किये गये। बार-बार यह बात कही गयी, चाहे इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जब नागौर में आईं तब भी मुख्य मंत्रीजी ने वहां पर घोषणा की कि शीघ्र ही नागौर जिले को इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी मिलेगा। इसके बाद इन्होंने प्रथम चरण के बजाय सीधे ही द्वितीय चरण में पानी देने की योजना बनायी। जनता के विरोध को देखते हुए अब यह पानी देने की बात तो कर रहे हैं लेकिन अब 3 मार्च की टेण्डर खोलने की तिथि दे दी है। सरकार की क्या मंशा है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इस मामले को लेकर जून महीने के अन्दर करीब दस हजार लोगों ने मेरे नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव किया। मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन के बाद नागौर के कलक्टर और विभाग के अधिकारी वहां मंच से बाहर आए और उन्होंने घोषणा की कि शीघ्र ही इस दिशा के अन्दर कदम उठाये जाएंगे और लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट के द्वितीय फेज का पैसा शीघ्र ही अलाट कर दिया जाएगा। अख़बार के माध्यम से बार-बार पढ़ने को मिलता है, पी एच ई डी मंत्री जहां भी जाते हैं, मुख्य मंत्रीजी जहां भी जाते हैं, लम्बे-चौड़े कसीदे गवर्नर के अभिभाषण के अन्दर भी पढ़े गये लेकिन जब तक बजट में..

श्री सभापति: माननीय सदस्य...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इस व्यवस्था का प्रावधान नहीं होगा तब तक नागौर जिले को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सभापति महोदय, मंत्रीजी बार-बार टेण्डर किस कारण कर रहे हैं? क्या पानी के ऊपर भी सरकार राजनीति कर रही है? बी जे पी के विधायकों को तो छोड़ो, पिछले दो साल के अन्दर राजस्थान में कांग्रेस के विधायक भी मंत्रीजी से बहुत ज्यादा दुःखी हैं। एक भी हैण्ड पम्प और ट्यूबवैल राजस्थान में किसी भी एम एल ए को इन्होंने नहीं दिया...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के अन्दर मंत्रीजी मंत्रालय नहीं चला रहे हैं बल्कि एक बहुत बड़ा अधिकारी जिसके घर पर जनता की भीड़ रहती है और सचिवालय में लोग उस अधिकारी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

से मिलने के लिये टाइम मांगते हैं कि अधिकारी से सैटिंग हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। मंत्रीजी को तो इस महकमे में कोई पूछता ही नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। आज मंत्रीजी में अगर दम है तो यह घोषणा करके दिखाएं कि जो बातें इन्होंने मारवाड़ की मीटिंगों में कहीं, इनके मुख्य मंत्री ने कहीं कि नागौर लिफ्ट कैनाल योजना से हम नागौर को पीने का पानी देंगे, खींवसर मेरा क्षेत्र इनसे लगता हुआ क्षेत्र है...

श्री सभापति: समअप करें, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी जवाब देकर बताएं। पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने नागौर जिले के अन्दर ऐतिहासिक घोषणा की थी और बहुत बड़ा नागौर के लोगों को तोहफा दिया था, इस पर कृपया राजनीति नहीं करके प्रथम चरण के साथ-साथ द्वितीय चरण की जो आपकी जापान की सरकार से बात हो गयी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दोनों घोषणाएं सदन के अन्दर करें। मंत्रीजी से जवाब दिलाएं एक बार इस मामले में।

श्री सभापति: मंत्रीजी जवाब देंगे? दीजिये।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दम दिखाएं...(व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): दम ही है हम में। अभी बहुत सारी बातें कह रहे थे नागौर के पेयजल के लिए जो इंदिरा गांधी कैनाल से था। 2007 में यह सही है कि इसकी पूर्ववर्ती सरकार ने स्वीकृति दी थी। जब हम आये और राजस्थान की पेयजल की स्थिति को हमने गम्भीरता से देखा तो नागौर एक ऐसा क्षेत्र था जो फ्लोराइडयुक्त था। करीब 5328 गांव नागौर जिले में आते हैं, उसमें से 2264 गांव फ्लोराइडयुक्त हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी परियोजना से फर्स्ट फेज स्वीकृत हुआ। जब हम आये तो हमें पता लगा कि इसके अन्दर 80 प्रतिशत काम हो गया है और इसके रेडियस के 40 तक नागौर में गुणवत्ता का पानी नहीं है। हमने यह

(श्री महीपाल मदेरणा)

कोशिश की कि मार्च तक पानी पहुंच जाए, नागौर को करीब 5 लाख लीटर पानी पहुंचाकर पेयजल की आपूर्ति कर लें। वहां पर सप्लाई टैंकरों के माध्यम से हो रही थी और स्थिति विकट थी। हमने इस योजना को तत्परता से करके नागौर को पानी पहुंचाया।

सभापति महोदय, अभी वर्तमान में जो परियोजनाएं हैं, नागौर के अतिरिक्त चार शहर और हैं- बासनी, मूंडवा, कुचेरा और मेड़ता और 502 गांवों को यह प्रथम फेज लाभान्वित करता है। द्वितीय फेज के लिए भी सरकार बड़ी गम्भीरता से कर रही है, उसके संसाधन के लिए भी बात कर रही है। अभी यह जो सैकण्ड फेज, सैकण्ड फेज कर रहे हैं, यह सैकण्ड फेज नहीं है, यह सैकण्ड पैकेज है। सैकण्ड पैकेज के अन्तर्गत खींवसर तहसील के 163 गांव आते हैं। क्लस्टर डिस्ट्रिब्यूशन के कार्य की हमने निविदाएं आमंत्रित कर ली हैं, 11 मार्च को वे प्राप्त की जाएंगी और इस कार्य को हम शीघ्र प्रारम्भ करेंगे। माननीय सदस्य जो खींवसर से आने वाले हैं, यह ज्यादातर यहां बी-6 में ही बैठे रहते हैं, अगर यह वहां जाएं और माइक्रो लेवल पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अभी विराजें, जवाब आने दें मंत्रीजी का। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): प्लाट नंबर है ...(व्यवधान) यह बैठे रहते हैं आपके मकान के ...(व्यवधान) इनके घर किसलिए बैठा रहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजें तो सही ...(व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हर कलक्टर के यहां सोमवार को पानी और विद्युत की बैठक होती है और वहां पर माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नो, नो, कभी नहीं ...(व्यवधान) सभापति महोदय, कभी नहीं, कभी नहीं।...(व्यवधान)... सभापति महोदय, आपको आमंत्रित किया गया है क्या कभी? (व्यवधान) आप आसन से फरमा दें, प्रत्येक सोमवार का यह माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि पानी और बिजली की बैठकें होती हैं...(व्यवधान)...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): गलत तथ्य दे रहे हैं मंत्रीजी बिलकुल नहीं होती है ...(व्यवधान) बिलकुल नहीं होती हैं, आपके यहां होती

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

होंगी। (व्यवधान) नहीं होती हैं, हमारे विधान सभा क्षेत्र में नहीं होती हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सिर्फ कांग्रेसियों को बुलाते हैं कांग्रेसियों को। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कोई मीटिंग नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उनको बुलाते होंगे मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मदेरणा जी, उधर वालों को पूछ लो कहीं जाते हैं क्या ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये, मंत्रीजी का जवाब आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कभी इनवाइट ही नहीं कर रहे हैं तो काहे को जाएंगे? जबदरस्ती जाएंगे? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मीटिंग अधिकारियों की होती है कलक्टर की अध्यक्षता में बिजली और पानी के अधिकारियों की, किसी जन प्रतिनिधि को उस मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। अधिकारी तो वैसे ही मीटिंग करते हैं जो रोज करते हैं कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कानून व्यवस्था ठीक है, पानी की व्यवस्था ठीक है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य। नागौर से संबंधित है, इनका जवाब आ जाने दो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बिजली की स्थिति ठीक है, सब ठीक है, फिर हमारा क्या लेना-देना है? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मंत्रीजी, यह आपको सूचना किस ...(व्यवधान) बुलाया जाता है, कोई जन प्रतिनिधि को बुलाते नहीं हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही करो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आप मेरी बात सुनिये, अगर विधायक की सक्रियता है तो वह 9 तारीख को जाकर अपनी मांग उठा सकता है। वह जाकर वहां कह सकता है। आप जन प्रतिनिधि हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वह तो हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया डीडवाना में इस पानी के लिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, आपसे संबंधित मामला नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अभी तो वहां सर्वे नहीं हुआ सैकण्ड फेज का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, मैं बता देना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अधिकारियों से बात करें कि आपसे करें? (व्यवधान)

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): बात तो सुनो ...(व्यवधान) सुन लो, आपके मतलब की बात बता रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): शेष दो पैकेज के क्लस्टर डिस्ट्रिब्यूशन की निविदाएं 2011-12 में आमंत्रित किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। 2011-12 में 100 करोड़ रुपया इस परियोजना के लिए सरकार खर्च करेगी।

श्री सभापति: श्री कालीचरण सराफ।

सूचना

महबूब अली, श्री, पूर्व मंत्री का निधन

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, आई एम आन ए पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन। हमारे बीकानेर के पूर्व सदस्य और मंत्री श्री महबूब अलीजी का देहान्त हो गया और हमें अभी तक आपके माध्यम से सूचना नहीं मिली है, तो मैं आपके सचिवालय को यह सूचना दिलवाना चाहता हूं कि वह इसकी जानकारी करके इसके बारे में व्यवस्था दे।

श्री सभापति: ठीक है। श्री कालीचरण सराफ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

हिण्डौन में बिगड़ती कानून-व्यवस्था

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सभापति महोदय, यूं तो राजस्थान में जबसे गहलोत साहब के नेतृत्व में यह सरकार बनी है, प्रदेश की

(श्री कालीचरण सराफ)

कानून-व्यवस्था निरन्तर बिगड़ती जा रही है। चाहे हत्याएं हों, चाहे डकैतियां हों, चाहे लूट हो, चाहे बलात्कार की घटनाएं हों, ऐसा लगता है कि पूरे राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज भी है कि नहीं है। आये दिन समाचार पत्रों में 90 प्रतिशत समाचार केवल कानून-व्यवस्था के बारे में पढ़ने को मिलते हैं। विस्तार से जब पुलिस की डिमांड पर चर्चा होगी, उस समय हम हमारी बात कहेंगे। लेकिन आज मैं नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव के जरिये हिण्डौन सिटी में पिछले दो साल में व्यापारियों के साथ लूट और हत्याओं की जो घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं, 8 जून, 2009 को रात्रि 8 बजे राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र सूरजमल अग्रवाल दुकान बंद करके अपने घर पर पहुंचा। घर के बाहर ही उससे 19 हजार रुपये लूट लिये और उसके साथ मारपीट की। रिपोर्ट दर्ज हुई पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। 13 जुलाई, 2009 राजेन्द्र प्रसाद जिंदल देवीलेन मोड़ है वहां हिण्डौन में, दिन-दहाड़े 3 बजे 35 हजार रुपये उससे लूटकर ले गये, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 16 जून, 2010 प्रदीप कुमार, सम्भव सेल्स कारपोरेशन के मालिक रात को 8 बजे दुकान बंद करके 3 लाख 15 हजार रुपये कैश लेकर घर जा रहे थे, पिस्तौल दिखाकर 3 लाख 15 हजार रुपये लूट करके ले गये। उस व्यापारी ने उन लुटेरों का पीछा भी किया और जो संभावित अपराधी थे, उनके बारे में पुलिस को सूचना भी दी, परन्तु दुर्भाग्य है गृह मंत्री महोदय, कि उसमें से एक भी अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इसी प्रकार से 17 जनवरी, 2011 सायंकाल 7 बजे विष्णु बंसल दुकान बंद करके घर जा रहा था, 75 हजार रूपये लूट लिये। इंतिहा तो तब हो गयी जब 16 फरवरी, 2011 को गिरीश अग्रवाल अपनी फर्म चेतराम किरोड़ी लाल बजाज दुकान बंद करके अपने पिताजी और अपने बड़े भाई के साथ मोटर साइकिल पर वहां से रवाना हुआ। घर पहुंचा और घर के बाहर ही धारदार हथियारों से चार-पांच लुटेरों ने उन पर हमला किया, गम्भीर रूप से तीनों घायल हो गये और लुटेरे 20 हजार रुपये लेकर भाग गये। गिरीश अग्रवाल इतना गंभीर रूप से घायल हुआ कि एसएमएस अस्पताल में रेफर किया और एसएमएस हास्पिटल में रात को ढाई बजे उसकी मौत हो गयी। उसके बाद हिण्डौन में वस्त्र व्यापारियों ने एक दिन सांकेतिक बंद रखा, एसडीओ के यहां धरना दिया। एसडीओ तो बहुत ही जोरदार आदमी हैं, एसडीओ बोलते हैं कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां मत करो, आपको यदि कोई बात करनी है तो जाकर पुलिस वालों से बात करो, यहां से भागो।

(श्री कालीचरण सराफ)

सभापति महोदय, गृह मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं, पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ और इस हत्या के अपराधियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया इसके खिलाफ आज पूरा करौली जिला बंद है। चाहे वह करौली हो, चाहे हिण्डौन हो, चाहे सपोटरा हो, टोडाभीम हो, महावीरजी हो, नादौती हो, हर जगह आज पूरा व्यापार बंद है। ईवन पेट्रोल पम्प और आवश्यक सेवाओं की जो मेडिकल दुकानें हैं, वे भी आज सब बंद हैं।

पुलिस की लापरवाही के कारण आज तक कोई अपराधी पकड़े नहीं गये हैं, लोगों में दहशत व्याप्त है। गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस गम्भीर घटना पर आप यहां जानकारी दें कि पुलिस इस पर क्या कार्यवाही कर रही है, अभी तक अपराधी पकड़े क्यों नहीं गये और पुलिस में जो-जो लापरवाही के लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या-क्या कार्यवाही कर रही है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी इस बात पर जवाब दें।

श्री सभापति: श्री अमरारामजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी जवाब लेने के लिए कागज लेने के लिए गए हैं, कागज लेने गए हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): गृह मंत्रीजी जवाब दें, यह क्या बात हुई? आज पूरा करौली जिला बंद है, लोगों में दहशत व्याप्त है, अपराधी खुले आम घूम रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वह जवाब देना चाहते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है।

श्री सभापति: आज विराजो। श्री अमरारामजी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मंत्रीजी, इस पर जरा जवाब दो, इस पर कुछ बोलो आप। गृह मंत्रीजी इस पर फर्माएं।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपसे न हो तो डीजीपी साहब से कह दो, वह आकर कह दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सराफ साहब ने जो बात बताई है वह सही है, तीन-चार घटनाओं का आपने यहां पर उल्लेख किया है, निश्चित तौर पर यह बात सही है कि

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

व्यापारियों के साथ लूट हुई है। यह जो आखिरी लूट का आप बता रहे हैं 16.2.11 का जिसमें एक हत्या कर दी गई, एक ही मोटर साइकिल पर दो पुत्र पिताजी के साथ रवाना हुए, साढ़े आठ बजे जब वह घर पर पहुंचते हैं तो एक के चाकू लगा दिया गया, एक के सिर पर चोट दी गई और उसे यहां पर भर्ती कराया गया। उसी को देखते हुए सारे प्रिकाशन्स लिए गए हैं पुलिस के द्वारा और निश्चित तौर पर मैं आपको यह कहने की स्थिति में हूं कि जरूर पुलिस को इसमें सफलता मिलेगी। वृत्त अधिकारी, हिण्डौन के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर दी गई है। तरीका-ए-वारदात के आधार पर 3 पेशेवर गैंगों को आइडेंटिफाइ कर लिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। प्रार्थी के व्यावसायिक कारणों के फलस्वरूप यह घटना घटित की गई है क्योंकि वे सिर्फ कपड़े के ही व्यापारी नहीं थे, वह पैसे का लेन-देन भी करते हैं। इस प्रकार की भी खबर मिली है पुलिस को कि जिस किसी से उनको मान लीजिए एक लाख रुपए लेने हैं तो वह 20 हजार रुपए देना चाहता था, 30 हजार रुपए देना चाहता था, बीच में उनके विवाद हो गया। तो पुलिस उसी डाइरेक्शन के ऊपर काम कर रही है और निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिलने की पूरी आशा है।

इसी के साथ-साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि व्यापारियों की एक बैठक बुलाई गई है और उन्होंने सुझाव दिए हैं कि हिण्डौन में क्या-क्या पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए, किस प्रकार का प्रोटेक्शन व्यापारियों को मिलना चाहिए या आम आदमी को मिलना चाहिए। मनीरामजी का बाग़ है, टेलीफोन एक्सचेंज है, चौक है, वहां पर पुलिस की स्थायी पिकेट भी तैनात की गई है। इसी के साथ-साथ 35 पुलिसकर्मी जिनमें आरएसी के लोग भी हैं, पुलिस लाइन के लोग भी हैं, वे भी वहां पर आसपास तैनात किये गये हैं। वृत्त अधिकारी हिण्डौन के कार्यालय के सामने व्यापारियों ने धरना दिया, उसमें भी उनके साथ बातचीत हुई है और इससे वे काफी कुछ संतुष्ट हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे जिले में 200 पुलिसकर्मियों का जाब्ता अलग से दिया गया है। मैं आपको यही कह सकता हूं कि निश्चित्त तौर पर इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। घटना हुई है, इन घटनाओं पर पुलिस की हो सकता है कि कहीं ढील पोल रही हो। चूंकि यह घटना अलार्मिंग थी, पुलिस बल ने जो कुछ भी अभी प्रिकाशन्स लिए हैं, लोग उससे सैटिस्फाइड हैं। आज का जो बंद है वह सिर्फ एक तरह से सिम्बोलिक बंद है ताकि ध्यान आकर्षित हो सके। इससे ज्यादा तो ध्यान आपने आकर्षित कर दिया, और क्या चाहते हो?

श्री सभापति: श्री अमरारामजी। (व्यवधान) आप विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ...(व्यवधान) यह सरकार दलित विरोधी है। यह धारीवालजी की सरकार है।

श्री सभापति: आपने कह दिया, आप विराजें। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा निवेदन है कि दलितों पर जो अत्याचार हुए हैं उनका जवाब नहीं दे रही है सरकार, उनका तो जवाब दे।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): सरकार जवाब नहीं देना चाहती। मंत्री महोदय जवाब दें। अनिताजी ने जो प्रश्न उठाया है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। इनका जवाब गृह मंत्रीजी नहीं दे रहे हैं और उनका जवाब दे दिया। आप जवाब तो दिलवाइए।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): सरकार खुद चाह रही है।

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी बैठे हैं, आप इनसे जवाब दिलवाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दलितों की जान क्या जान नहीं है? (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): दलितों पर अत्याचार हुए अलवर जिले में और आप मंत्रीजी से जवाब दिलाना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य अनिताजी ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था वह तो चंदूपुरा पहाड़ी के बाबत था लेकिन आपने पता नहीं कब ......(व्यवधान)...

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरे इलाके में रोजाना हो रहा है, चंदूपुरा के बाद गोलखेड़ा हुआ, फिर खोल हुआ ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप विराजो। जिन लोगों की बाबत आपने बात उठाई है वह मेव जाति और अहीर जाति के बीच के झगड़े हैं। (व्यवधान) सुनिए आप मेरी बात को।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मैं निवेदन करना चाहती हूं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपका निवेदन तो हो चुका पूरा, अब मेरा निवेदन सुनो आप। यह कब्रिस्तान की जमीन पर झगड़ा है। एक व्यक्ति कहता है कि यह मेरे खेत की जमीन है और दूसरा कहता है कि

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

यह हमारा कब्रिस्तान है। इसको लेकर उनके बीच में तीन बार राजीनामा भी करवा दिया गया है पुलिस के द्वारा। जो समझौता हुआ, समझौते पर दस्तखत भी हुए। मुअज्जिज आदमियों को भी बीच में डालकर फिर एक बार 15.2.11 को समझौता हुआ, फिर 16.2.11 को समझौता हुआ, फिर......(व्यवधान) इस तरीके का आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांव में फिलहाल अभी शांति है, किसी प्रकार की कोई भी अशांति वहां पर मौजूद नहीं है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के थाने के स्टाफ के अलावा एक प्लाटून जिसमें 25 कर्मी हैं व 14 अधिकारी-जवान तैनात कर दिये गये हैं। दोनों पक्ष के व्यक्तियों के द्वारा लिखित समझौता तीन बार हो चुका है। प्रत्येक पक्ष के दस-दस व्यक्तियों की सूची पेश की गई है जो शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा निवेदन है, गृह मंत्रीजी से मैं कहना चाहती हूं ...(व्यवधान) एक मिनट

श्री सभापति: आपका आ गया है, माननीय सदस्य, अमरारामजी।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): पुलिस के सामने दलितों पर पथराव हुआ था।

श्री सभापति: नहीं, आप विराजो। आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा, अब आप विराजो।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री सभापति: श्री अमरारामजी।

कोटा स्थित जे.के. सिंथेटिक कारखाने का रिवाइवल

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और हमारे उद्योग मंत्रीजी का ध्यान स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना जहां 5 हजार मजदूरों को रोजगार मिलता था और राजस्थान के खजाने में भी बहुत बड़ा सहयोग था जेके सिंथेटिक। शायद राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना था। 1997 में अवैध रूप से लाक आउट करके मालिक, जे के सिंघानिया के परिवार के लोगों ने उन 5 हजार लोगों की रोजी-रोटी को निश्चित रूप से छीना। छीना ही नहीं, इसके बाद इसको अवैध रूप से लाक आउट करके बीएफआईआर में

(श्री अमराराम)

गये। और बीएफआईआर के पैकेज के अनुसार राजस्थान सरकार के श्रम न्यायालय, वहां की ट्रेड यूनियनें, जे के सिंथेटिक्स, सीटू और तमाम त्रिपक्षीय समझौते के तहत इस कारखाने को अराफात पैट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को वापस चालू करना था। तीन शर्तों के तहत इस पैकेज को घोषित किया गया कि यह अराफात पैट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड 80 करोड़ रुपये इंवैस्ट 31 मार्च, 2007 को करेगी। यह आदेश निकलता है गवर्नमेंट आफ राजस्थान, फाइनेंस डिपार्टमेंट, टैक्स डिवीजन, जयपुर डेटेड, 6.5.2006, इसमें तीन शर्तें उसको पूरी करनी थीं, एक, 80 करोड़ रुपये वह उस कारखाने को वापस चालू करने के लिए इन्वेस्ट करेगा, 31 मार्च, 2007 तक जो पांच हजार थे वहां के मजदूर, कोटा की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था उस पर आधारित थी, करोड़ों रुपये का टर्न-ओवर कोटा में होता था, मजदूरों और यूनियन ने सैक्रिफाइस करके कि किसी भी तरह से जे के वापस चले, हजारों मजदूरों की रोजी-रोटी वापस हो, इस बात को स्वीकार किया कि पांच हजार में से ढाई हजार मजदूरों को काम देंगे, हम मानने को तैयार हैं। इस समझौते के तहत कि 31 मार्च को काम देंगे, 80 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, सरकार ने उसको बिजली की ड्यूटी में 50 प्रतिशत की रिबेट दी, केन्द्रीय टैक्स में भी उसको रिबेट दी। लेकिन उसके बाद मालिक ने उस कारखाने को चलाने के बजाय केवल एक एक्रेलिक यूनिट को चलाया, कुछ दिन के लिए मात्र 350 लोगों को काम दिया और एक महीने के बाद वह काम भी बंद कर दिया।

सभापति महोदय, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो और चाहे वर्तमान सरकार को, मजदूरों का हित तो जा ही रहा है। सरकार से मिलकर अराफात पैट्रो केमिकल्स को 2007 में ढाई हजार लोगों को काम देना था और कारखाना वापस रिवाइव करना था, आज तक एक भी यूनिट को उसने रिवाइव नहीं किया और उसकी सम्पति खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी आदेश दे दिया कि इसकी सम्पति को खुर्द-बुर्द नहीं करें लेकिन सरकार को न सुप्रीम कोर्ट के आदेश की चिंता है, न हजारों मजदूरों के हित की चिंता है। वह अराफात पैट्रो केमिकल्स आज भी हर रोज 10 से लेकर 20 ट्रक करोड़ों की मशीनें ट्रक से ले जा रहा है और हमारी सरकार और इसके मंत्री सोये हुए हैं। हजारों करोड़ की सम्पत्ति है, मशीनें चलाने के बजाय निकालकर गुजरात लेकर जा रहा है। जो कारखाना चलना चाहिए था, उस कारखाने की निगरानी के लिए जिला कलक्टर, कोटा की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई कि उसकी निगरानी रखें, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि कोई भी मशीन नहीं निकाली

(श्री अमराराम)

जाए, केवल कोई स्क्रैप है तो उसकी नीलामी, वह भी सार्वजनिक नीलामी की जाए और वह पैसा एक विशेष फंड में रखा जाए जिससे उन मजदूरों का जो करोड़ों रुपये बकाया है, वह उनको मिले। लेकिन, सभापति महोदय, आज की तारीख में हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं, एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ रही हैं और करोड़ों की मशीनें यहां राजस्थान से निकाल ले जा रहा है। इसी आधार पर कि वह रिवाइव करेगा, जे के सिंथेटिक्स से उसकी लीज डीड अराफात पैट्रो केमिकल्स के नाम ट्रांसफर की गई, तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है ......(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मामला है...(व्यवधान) कोटा के हजारों मजदूर बेरोजगार हैं या ठेला चला रहे हैं, उनके ठेले चल रहे हैं, उनके परिवार नहीं पल रहे हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको तो बोलने की अनुमति नहीं दी मैंने ......(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अराफात पैट्रो केमिकल्स उस जमीन को खुर्द-बुर्द करना चाहती है, वह इण्डस्ट्री चलनी चाहिए ......(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए, इनको बोलने दो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जे के उद्योग कोटा की जान है, उसके मजदूर भूख की कगार पर खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस सारे मामले को गम्भीरता से लें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उद्योग के लिए जमीन मिली है, वह उद्योग चलाए, उन मजदूरों को जो पैसा देना था, उन मजदूरों को पैसा दे, रोजगार चलाए।

श्री सभापति: मैंने आपको अलाउ ही नहीं किया है ......(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह बहुत गम्भीर मामला है ...... (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कोई नहीं, ले जाओ ......(व्यवधान)

(श्री अमराराम)

सभापति महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हाई-जैक कर लिया। मुझे हाई-जैक की चिंता नहीं है, मुझे तो चिंता इस बात की है कि राजस्थान की सरकार के एग्रीमेंट को अगर कोई भी कम्पनी नहीं मानती है तो क्या सरकार का यह दायित्व नहीं है कि इस एग्रीमेंट को बर्खास्त करे, इसको टर्मीनेट करे और जो भी छूट लेकर उसने करोड़ों रुपये कमाये, उसको वसूल करे। जो लीज डीड इस एग्रीमेंट के आधार पर जे के सिंथेटिक्स से अराफात केमिकल्स को दी है, उस लीज डीड को सरकार कब समाप्त कर रही है, यह बता दे। वर्ना मेरा सीधा आरोप है सरकार पर, हमारे उद्योग मंत्री और सरकार के मंत्रियों पर कि अराफात पैट्रो केमिकल्स से मिलकर करोड़ों रुपये का घपला कर रहे हैं। वर्ना यह लीज डीड समाप्त की जाए और जो छूट दी गई थी जिससे जितना फायदा उठाया और जितनी मशीन लेकर गये हैं, हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी है, वह उसका पूरा निरीक्षण करे कि कितने करोड़ की मशीनें वहां से उस अराफात पैट्रो केमिकल्स ने निकाली हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इतना लम्बा अगर आप बोलोगे तब तो फिर समय पर ......(व्यवधान) आप विराजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अगर सरकार राजस्थान के हित को समझती है, राजस्थान की जनता का हित समझती है तो निश्चित रूप से इस लीज डीड को समाप्त करे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए ......(व्यवधान) मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य काफी उद्वेलित हैं, लफ्फाजी कहूंगा मैं, इसलिए क्योंकि बहुत सीधे-सीधे सरकार पर इन्होंने आरोप लगाये हैं बिना किसी प्रमाण के ......(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): यह क्या कहते हैं मंत्रीजी हमको? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप मंत्रीजी का जवाब सुन लें ......(व्यवधान) आप विराजिए ......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जब यह बोल रहे थे, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा ......(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): लफ्फाजी तो आप हैं, आप एग्रीमेंट समाप्त करें ......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं बहुत शालीनता से, बहुत तसल्ली से इस बात को सुन रहा था। माननीय सभापति महोदय, एक व्यक्ति मंत्री के रूप में आपके सामने है, मैं बहुत शालीनता, बहुत तसल्ली से बात को सुनकर उसका समाधान करने की कोशिश कर रहा हूं, उस वक्त बिना किसी कारण के सीधे-सीधे सरकार और सरकार के मंत्री पर आरोप लगाना लफ्फाजी नहीं है तो और क्या कहें इसको? (व्यवधान) एक नम्बर के लफ्फाजी, कागज लहरा रहे हैं, तथ्यों पर जाने की इनको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इनका यही कहना है, तथ्य ये हैं, माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान) बात सुन लीजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): लफ्फाजी तो आप जैसे कर रहे हैं, जो अवैध शराब बिकवाते हैं ......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैंने बहुत शांति से आपको सुना है ......(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप तो डूबे हो ......(व्यवधान) विराजें तो आपसे ज्यादा कौन करेगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): जो आप सुनना चाहे रहे हो, उसको मैं आपके कानों में डालकर रहूंगा ......(व्यवधान)......

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मेरे कानों में क्या डालोगे?, आप डूबे हुए हो भ्रष्टाचार में, यहां नाक तक। किससे बात कर रहे हो यहां पर, डूबे हुए हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ऐसा है कि मैं यदि डूबा हुआ हूं न तो उसका चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): बिलकुल नहीं है ......(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान की छह करोड़ जनता की चिंता हमको है ......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आपको मेरा अधिकार ही नहीं है ......(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): डूबे हुए हो, डूबे हुए हो, मैं कह रहा हूं ......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): जब मैंने सीधे-सीधे यह कह दिया कि सिवाय शब्दों की लफ्फाजी के आपके पास में कुछ है ही नहीं...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): लफ्फाजी तो आप कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आपका काम ही यही है ...... (व्यवधान) किसी के खिलाफ कुछ न कुछ आरोप लगाना, आपको यह काम है, भाई, मैं आपके इस काम को कोई अन्यथा नहीं लेता ......(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, आपके पास कोई मेजरमेंट है क्या भ्रष्टाचार मापने का? (व्यवधान) सभापति महोदय, सदन का दुरूपयोग माननीय सदस्य कर रहे हैं, इनके पास कौन-सा हथियार है जिससे यह मेजर कर रहे हैं कि कौन आदमी करप्ट है और कौन नहीं है? (व्यवधान) सीधा आरोप लगाना ......(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य, मैं बहुत विनम्र निवेदन करूं आपसे, मैंने बहुत शांति से सुना आपको। आपने सीधे-सीधे आरोप लगाये, वह भी मैंने सुना। मेहरबानी करके आदत डालिए सुनने की, और आदत होती है, इससे आदमी में सहन शक्ति बढ़ती है इसलिए सुनिए आप। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हो सदन का?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अभी आप छोटे बच्चे हो।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): आप जवाब दीजिए, जो देना है आपको ......(व्यवधान) हां या न में।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अभी आप छोटे बच्चे हो।

श्री सभापति: अगर आप मंत्रीजी का जवाब नहीं सुनना चाहते हो तो फिर मैं मंत्रीजी को ......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अभी बच्चे हो, बहुत कुछ सीखना है आपको, माननीय सदस्य, सुनिए आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह बात ठीक नहीं है, साहब, माननीय सदस्य को बच्चा कहना ठीक नहीं है। सारे माननीय सदस्य ही बराबर हैं, सभापति महोदय, बच्चे हैं, यह कोई बात हुई क्या? (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): हराकर आये हैं इनको 25 हजार वोटों से ......(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, जब हमारे मंत्रीजी ने ध्यान से सुना तो इनको सुनने में कहां तकलीफ है? (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): जमानत भी जब्त हुई है, कांग्रेस की, 25 हजार से हराकर आये हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप सुन ही नहीं रहे हैं, यह कोई तरीका थोड़े ही है। एक बात यह बोलें तो बात सुनो, दुबारा आप बता देना बात ...... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजमान रहें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ...... (व्यवधान) आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, सदन के सदस्यों को अधिकार है कि अपनी बात रखें लेकिन जब कोई मंत्री खड़ा होकर अपनी बात कहना चाहे, उस वक्त उसकी बात को नहीं सुनना और केवल यह साबित करना कि जो उन्होंने कहा वह सही है, यह अच्छी परम्परा नहीं है। आप मेहरबानी करके मेरी बात को सुनिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सदस्य, आपसे बढ़िया जानते हैं ......(व्यवधान) ज्ञान देने की जरूरत नहीं है ......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सुनने की भी क्षमता रखिए ...... (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): परम्परा क्या है, सदन की क्या है, वह सब जानते हैं ......(व्यवधान)......

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यदि वह जानते होते तो बिना किसी तथ्यों के यहां इस तरह की लफ्फाजी नहीं करते ......(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो मंत्रीजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): .... अवैध रूप से करोड़ों रुपये की मशीनें ले गये, वो कब वसूल करोगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): इस तरह सरकार और सरकार के मंत्रियों पर बिना किसी कारण और बिना किसी तथ्य के आरोप नहीं लगाते।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

यदि आपको इतनी जानकारी होती कि सदन की परम्परा क्या है, सदन की क्या मर्यादाएं हैं तो आप इस तरह के आरोप नहीं लगाते। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, यदि कोई व्यवस्था देनी है तो आप दीजिये। यह कौनसा उपदेश देने लगे हैं? हम यहां उपदेश नहीं सुनेंगे मंत्रियों के। यह दे तो आसन व्यवस्था दे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आसन दे, आसन को कह रहा हूं। आसन से ही कह रहा हूं और आप लोगों को सिखा रहा हूं। आप लोगों को मर्यादित करने का जिम्मा आसन का ही नहीं पूरे सदन का है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मर्यादित होना पड़ेगा आप लोगों को।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हर कोई अख़बार की कटिंग उठाते हैं तो यही निकलता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी। माननीय सदस्य, विराजो तो सही। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपने जो प्रश्न उठाया और आप जो-जो भी बोले, किसी ने व्यवधान नहीं किया। अब आप कम से कम इतना तो धैर्य रखें कि इनका पूरा जवाब आने दें। आपसे मेरा निवेदन है कि आप कम से कम जिन बातों को यहां सदन में बोल रहे हैं, जिस किसी की बहुत ज्यादा कोई तथ्यात्मक बात नहीं हो वो अगर आप कहेंगे, फिर उधर से जवाब आएगा। सदन के अन्दर जो बात आप कहना चाह रहे हैं, जवाब लेना चाह रहे हैं, कई माननीय सदस्य उसको सुनना भी चाह रहे हैं, वो फिर आ ही नहीं पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्रीजी जो जवाब दे रहे हैं, आप मेहरबानी करके उसको सुनें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह मंत्रीजी कह रहे हैं, यह सरकार का गजट....

श्री सभापति: नहीं तो फिर मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, हम बिलकुल सुनेंगे। यह मैंने तारीख बताई है, यह जो गजट नोटिफिकेशन है यह मेरा नहीं है, यह राजस्थान सरकार का है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप कहो तो मैं इन दोनों को टेबल कर दूं। यह कैसे कह रहे हैं कि बगैर तथ्य के कर रहे हैं? करोड़ों रुपयों की मशीनें ले गये, इसके जिम्मेदार ये नहीं हैं? इनकी सरकार

(श्री अमराराम)

आये हुए सवा दो साल हो गये और सरेआम 50-50 ट्रक रोज जा रहे हैं। इनके कलक्टर और एस.पी. कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हैं तो वो किसकी शह से जा रहे हैं? मेरी शह से जा रहे हैं? घनश्याम जी की शह से जा रहे हैं? इन मंत्रियों की शह से नहीं जा रहे हैं तो किसकी शह से जा रहे हैं? राजस्थान की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति, मशीनें....

श्री सभापति: आपने बोल लिया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ....अगर गुजरात जाती हैं तो यह राजस्थान की 6 करोड़ जनता का हक है और यह मंत्री यह नहीं कह सकता कि केवल लफ्फाजी है। यह आप कहो तो मैं टेबल कर दूं, या तो वो इस्तीफा दे दें या अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): करिये टेबल। टेबल करिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ..... वर्ना मैं दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): टेबल करिये। मैं फिर कह रहा हूं कि आप लफ्फाजी के सिवाय यहां कुछ नहीं कर सकते। करिये टेबल।

श्री सभापति: आप विराजो। विराजो, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सिवाय लफ्फाजी के और है क्या आपके पास? उम्र बीत गई लफ्फाजी करते हुए आप लोगों की। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, मंत्रीजी इस्तीफा दें अगर यह सरकार का गजट नोटिफिकेशन नहीं है तो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): तथ्य है, सरकार के संरक्षण में ट्रक जा रहे हैं, रोज ट्रक जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें। आप विराजो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): दे दूंगा जवाब इसका।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी को जवाब देने का पूरा अवसर है, मंत्रीजी का जवाब सुनेंगे। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी को बोलते समय इस सदन की कुछ बातें जैसे कि किसी माननीय सदस्य को बच्चा कहना, इस सदन में भाई साहब शब्द कहने पर भी आसन की व्यवस्था रही है कि इस सदन में न कोई काकाजी है, न कोई ताऊजी है, न कोई भाई है और न कोई और है, केवल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री है और इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरी बात, 2-3 बार मैंने देखा है, हमारे उद्योग मंत्रीजी बड़ी जिम्मेदारी पर हैं, छोटी- सी बात पर लफ्फाजी, मुझे तो इनकी बुद्धि पर तरस आता है, यह बात बोलने की कोई जरूरत नहीं है। खड़े होकर जो फैक्ट्स आये हैं, उनको मना कर दें, बात खतम हुई। इसमें माननीय सदस्य को और आपको इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत है? आप सीधे खड़े होकर कहें कि जो सदस्य ने आरोप लगाये हैं वो आरोप गलत हैं, मैं खण्डन करता हूं। इसमें उनको पहले उकसाकर लफ्फाजी का प्रयोग करना, आपकी बुद्धि पर तरस आता है। जो व्यवस्था करने वाले हैं, अगर राज्य की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है तो यह माना जाता है कि या तो वो अक्षम हैं या उनका संरक्षण है। ये दोनों बातें होती हैं इसलिए माननीय सदस्य ने कहा, उसका जवाब दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ हैं और अच्छे उपदेश के रूप में मुझे कुछ निर्देश भी दिये कि आपको यह करना चाहिए, आपको यह नहीं करना चाहिए। बजाय इसके कि मुझे निर्देशित करते.....

श्री सभापति: यह सलाह दी है, आप तो सीधे-सीधे बोलें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): नहीं, नहीं, माननीय सभापति महोदय, यह बात सदन में कहनी पड़ेगी। यह बात सदन में कहनी पड़ेगी। माननीय सदस्य, जितनी बात आपने मुझे कही, उतनी ही बात आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में या वरिष्ठ सदस्य के रूप में सभी माननीय सदस्यों को दें, निर्देशित करें कि सदन की कुछ परम्पराएं हैं, सदन की कुछ मर्यादाएं हैं। किसी पर भी आरोप लगाने से पहले आप उसके तथ्यों पर तो जाइये। सीधे खड़े होकर आप किसी पर भी जो मर्जी आए सो आरोप लगा दें, यह अच्छी परम्परा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सिर्फ इतना-सा आग्रह है कि आप आरोप लगाएं, आप ट्रस्टी बनकर इस पूरे स्टेट की जितनी संरक्षा कर सकते हैं आप करिये, सरकार की जानकारी में लाइये। आपको जहां कहीं भी लगे, व्यक्तिगत रूप से या मिलकर आप अपनी बात कहिये, जहां कहीं भी लगे तो आप माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मिलकर अपनी बात कहिये। लेकिन कहने से पहले इतनी जिम्मेदारी अवश्य रखें कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो तथ्यों से परे नहीं हो, तथ्यों पर आधारित हो।

माननीय सभापति महोदय, मुझे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कि जितनी बात इन्होंने अराफात और जे.के. सिंथेटिक के बारे में फरमाई, इन्होंने एक उदाहरण दिया कि राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के चलते ढाई हजार कर्मचारियों को रोजगार देना था, 2007 के मार्च तक इनको 80 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करना था। माननीय सभापति महोदय, इनको आगे की जानकारी थी नहीं, मैं इसको कोई गलत नहीं मानता। इनको जो कागजात उपलब्ध कराये गये, यह तब की बात है जब ओम बिरला जी बड़े उद्वेलित हो रहे थे। ओम बिरला जी, जितनी चिंता मजदूरों की आज आपको हुई है, उतनी चिंता अपने शासनकाल में आप कर लेते, उतनी चिंता आप तत्समय जब मामला बीडी के सामने आया, बीडी के सामने आप अपना पक्ष रखते कि मैं कोटा का मूल निवासी हूं, कोटा के हितों की रक्षा करना मेरा धर्म है। आप मंत्रिमण्डल में थे, आपका हक बनता था कि आप जाकर बीडी के समक्ष अपनी यह बात रखते कि आज कोटा का जो जे.के. सिंथेटिक उद्योग है वह मृतप्राय: हो रहा है, वहां पर हमारे मजदूरों का हक मारा जा रहा है, तो वह बहुत अच्छा होता। यह छूट जो बाद में दिलाई गई, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपको जो जानकारी दी गई थी वो बीडी की थी 1.4.2006 की। लेकिन उसके बाद जो दुबारा बीडी की बैठक हुई उसमें उसको और शिथिलता दे दी गई और यह शिथिलता तब दी गई जब उनके बड़े पैरोकार बने माननीय ओम बिरला जी। आज इनके सामने यह चिंता खड़ी हो गई कि मजदूरों का क्या होगा, यह मजदूरों की चिंता आप तत्समय करते, मजदूरों के हितों के बारे में आप उस समय सोचते तो आप बीडी में जाकर कहते, आप अपने मुख्य मंत्री को जाकर कहते कि यह मजदूरों के हक का सवाल है। आप उसके लिए लड़ते तब हमको ज्यादा खुशी होती। और क्या करता इस मामले में जब, माननीय सभापति महोदय, बीडी ने दुबारा निर्णय यह दे दिया..... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपने जो विषय उठाया है उसके बाद दो साल तक आपकी सरकार के संरक्षण में चोरियां हुई हैं वहां पर।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, तब बीडी ने उसको पुनर्निर्धारित कर दिया, बीडी ने इसमें और शिथिलता प्रदान कर दी और उसने उसमें जो 80 करोड़ रुपया था, उसको कम करके 50 करोड़ रुपये का इन्वैस्टमेंट कर दिया और उसमें यह भी शामिल कर दिया कि जो निवेश

(श्री राजेन्द्र पारीक)

इसकी परचेज करने में लगाया है, वह भी इसमें शामिल होगा। जो ढाई हजार कर्मचारियों की बात कर रहे थे उसमें भी शिथिलता दे दी और यह कम करके 500 कर दिया। माननीय सदस्य, यह मामला वैसे यहां चर्चा में नहीं आना चाहिए था, यह मामला चार जगह सब-जुडिश है- सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, ए.आई.एफ.आर. में है और बी.आई.एफ.आर. में है। यह मामला सीधा सब-जुडिश था, यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि माननीय सदस्य काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, इनके मन में मजदूरों की चिंता है, मजदूरों की चिंता, माननीय सदस्य, जितनी आपको है, उतनी मुझे व्यक्तिगत रूप से भी है। मैं भी साधारण-से परिवार का आदमी हूं और ग्रामीण अंचल से आता हूं। वहां आम आदमी अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करता है, उसकी चिंता मुझे है। मैं जब उसकी आंखों में आसूं देखता हूं, भूख से बिलखते हुए बच्चों को देखता हूं तो जितनी चिंता माननीय सदस्य को है, उतनी चिंता एज मंत्री नहीं, एक आम नागरिक के नाते मुझे भी है। मंत्री होने के बावजूद मुझे और ज्यादा चिंता इस बात की है कि स्टेट के मजदूरों के साथ यदि खिलवाड़ होता रहा, यदि स्टेट की सारी इण्डस्ट्रीज इसी तरह से हथियायी जाती रहीं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। व्यक्तिगत रूप से जब यह बात मेरे सामने आई तो मैंने पूरे तथ्य इसके समेटे। 4-4 जगह मामला सब-जुडिश है और सबसे बड़ा जो इसमें निर्णय है, माननीय सभापति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय का है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है जस्टिस एन.एन. माथुर को। जस्टिस एन.एन. माथुर साहब ने इस स्टेट के प्रति कोई जिम्मेदारी तय नहीं की है, उन्होंने सीधे-सीधे उनको डायरेक्शन दिये हैं कि आप अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी कांस्टीट्यूट करें, उस कमेटी में अराफात शामिल हो, उस कमेटी में जो यूनियन के बड़े पदाधिकारी हैं वो शामिल हों और उनकी मौजूदगी में पूरी इण्डस्ट्री का जो रा-मैटीरियल है, जो वहां पर स्क्रैप है, जो वहां उत्पादन के लिए कच्चा माल रखा गया है, उसकी पूरी एक इन्वेंट्री तैयार करो और यदि किन्हीं कारणों से आपको माल को बेचना हो तो केवल कच्चा माल और निर्मित माल आप बेच पाएंगे और वो पैसे भी उसके लिए अलग से फण्ड बनाकर उसमें आप जमा कर देंगे। राज्य सरकार पूरी तरह से पैरवी कर रही है। माननीय सदस्य, ये सारे के सारे बी.डी. के निर्णय हैं, ये उस समय के निर्णय हैं। मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आपकी जानकारी में कोई विशेष बात है कि वहां से कच्चा माल मिले, वहां से स्क्रैप के ट्रकों के ट्रक जा

(श्री राजेन्द्र पारीक)

रहे हैं, उसकी आप जानकारी लाइये। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी की कोई मंशा खराब नहीं, यदि आप जानकारी देंगे तो अभी व्यक्तिगत रूप से और 28 मार्च, 2011 को सुप्रीम कोर्ट में, वहां मामला सब-जुडिश है, हम आपका पक्ष भी उसमें और रखेंगे कि इतनी निगरानी के बावजूद, जस्टिस एन.एन. माथुर की मौजूदगी के बावजूद भी ऐसा इस तरह का कार्य कोई अराफात नाम की कम्पनी वहां पर कर रही है। तो हम उसके पक्षधर नहीं हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं और आपकी भावनाओं के अनुरूप हम काम करने को तैयार हैं। हम आपकी भावनाओं को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पूरी संजीदगी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ रखने को तैयार हैं। लेकिन मैं फिर आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब कभी भी इस तरह की बात आपके समक्ष कोई आए, सीधे-सीधे आरोप लगाने के बजाय, संजीदगी के साथ आपको उसको लेना चाहिए। एक इंसान के नाते यदि किसी पर गलत आरोप लगता है, तो सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, शब्दों में भी उखड़ापन आता है, अन्दर तक हर्ट होता है आदमी। (व्यवधान) अन्दर तक ठेस पहुंचती है। यदि मैं बैठा हुआ किसी पर कोई आरोप लगा दूं तो वह भी साधारण इंसान है। मैं एम.एल.ए. हूं, मंत्री हूं, कुछ भी हूं लेकिन मैं साधारण आम इंसान भी हूं और आम इंसान के लिए ऐसी टिप्पणी की हो जो उसके सम्मान को ठेस पहुंचाती हो, तो पीड़ा पहुंचती है। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि यदि उद्योग विभाग से संबंधित किसी तरह की कोई जानकारी जो राज्य हित में हो, आपके समक्ष आती है तो आपको पूरा अधिकार है, आप सदन में अपनी बात रखें, मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी बात कहें। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करूंगा और स्टेट के इंटरेस्ट में जो आपकी भावना है, मैं अपने आप को उसमें समाहित करते हुए आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हूं। आपकी बात को मैं उच्च सदन तक और जहां तक मेरी जानकारी बनती है, वहां तक पहुंचाने को तैयार हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर मैं यह आग्रह कर सकता हूं कि यह माननीय सदस्य की व्यक्तिगत चिंता नहीं है, यह स्टेट के बारे में चिंता है, यह मजदूरों की चिंता है, यह स्टेट के इन्वैस्टमेंट की चिंता है।

मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा, सदन की कुछ परम्पराएं हैं, उन परम्पराओं का निर्वहन करने की जिम्मेदारी उतनी आपकी भी बनती है। आप निर्देशित करें कि किसी पर आरोप लगाएं, मेरे ऊपर एक बार नहीं, 100 बार आरोप लगाएं पर तथ्यों

(श्री राजेन्द्र पारीक)

के साथ लगाएं। जिस दिन आप मेरे ऊपर तथ्यों के साथ आरोप लगाएंगे मुझे यह कहते हुए खुशी होगी कि मैंने ऐसा दुष्कृत्य किया है तो मैं उसी दिन सदन छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन गलत आरोप लगाने के बाद चुपचाप सहन करता रहूं, मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं। यदि मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ भी गलत आरोप लगाये गये हैं, उसी वक्त उस आदमी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहूंगा। देने का हक रखता हूं दूंगा और देता रहूंगा। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। अब आप विराजिये। आप विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अब आप विराजिये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ...मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। (व्यवधान) हम पूरी पैरवी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री सभापति: आप विराजिये। आप विराजिये, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है। आसन पैरों पर है माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत 12 माननीय सदस्यों को बोलना था, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(पढ़ी हुई मानी गयीं नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

शून्यकाल में जो पर्चियां प्राप्त हुई हैं, उनमें निम्न माननीय सदस्य बोलेंगे। श्री शाले मोहम्मद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जैसलमेर जिले की सड़कों की दुर्दशा

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आई.जी.एन.पी. मंत्री महोदय और पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय का ध्यान जैसलमेर जिले की उन सड़कों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां से सैकड़ों किसान सफर करते हैं, जिनको आये दिन बहुत तकलीफ होती है। जब से आई.जी.एन.पी. नहर बनी है, उन दिनों उन सड़कों का निर्माण हुआ था, लेकिन निर्माण होने के बाद से आज तक उन सड़कों पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, जिसके कारण आज उन क्षेत्रों के किसानों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से दोनों मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पहले भी इस बारे में निवेदन किया है, कि आई.जी.एन.पी. की जो सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. को हैण्डओवर की जाएं ताकि कम से कम उन सड़कों की मरम्मत हो। हजारों किसान उन सड़कों पर चलते हैं, सफर करते हैं। आज उन सड़कों की इतनी बुरी हालत है, यदि कोई आदमी वहां जाना भी चाहे तो कच्चे रास्तों पर जाना मंजूर कर देगा, लेकिन उन सड़कों पर चलने के लिए तैयार नहीं होगा। वहां न ट्रैक्टर जा सकता है, न कोई अन्य साधन जा सकता है। हमारे आई.जी.एन.पी. मंत्री महोदय बैठे हैं, पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री यहां नहीं हैं, कम से कम ये 250 किलोमीटर की ऐसी सड़कें हैं जिनकी कि आज दिन तक कभी भी कोई किसी प्रकार की मरम्मत नहीं हुई है। जीरो आर डी से सईद बीरबल शाखा की तरफ जाने वाली सड़क-59 किलोमीटर, मोहनगढ़ से रामगढ़ जाने वाली सड़क, जीरो आर डी एस बी ए से सदराऊ और 113 की तरफ जाने वाली सड़क, इसी प्रकार चारणवाला ब्रांच, उसकी साइड से जो सड़क चलती है, इस प्रकार से कुल 250 किलोमीटर आई.जी.एन.पी. की सड़कें हैं, जिन पर बनने के बाद से किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं या तो आई.जी.एन.पी. खुद इस पर मरम्मत करे या कोई ऐसा काम करे ताकि वे सड़कें किसानों के काम आ सकें। यदि यह विभाग काम नहीं कर सकता है तो मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इन सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी. को हैण्डओवर कर दें, ताकि कम से कम उन सड़कों की मरम्मत हो सके। सड़कें जो आपने बनाई हैं, किसानों के काम आ सकें और किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो।

इसी प्रकार कृषि मण्डी की सड़कें थीं जो पी.डब्ल्यू.डी. को हैण्डओवर कर दी गई हैं। पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी, जैसलमेर जिले में छह सड़कें आपने हैण्डओवर की हैं और अभी आपने दो सड़कें इस प्लान में ली हैं, उनका काम

(श्री शाले मोहम्मद)
शुरु हुआ है। बाकी जो चार सड़कें हैं उन पर आज तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। आज उस सड़क का नामो-निशान मिट चुका है। ग्राम पंचायत को गांव से जोड़ने वाली सड़क है, छह सड़कों में से चार सड़कें बाकी पड़ी हैं। मैं चाहूंगा कि उन सड़कों को भी इसी वित्तीय वर्ष में लिया जाए ताकि वहां के लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। मुझे विश्वास है कि हमारे जलदाय मंत्री साहब बैठे हैं, जल्दी या तो इसको हैण्डओवर कराएंगे या फिर विभाग से इसमें कार्य कराकर वहां के हजारों किसानों को इसका फायदा देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, इसी हवाले से, मेरे जैसलमेर जिले का मामला है, कृषि मण्डी की पूर्व में जो भी सड़कें बनीं...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...अगर वैसे ही खतम हो जाएंगी तो यह पैसा लगा हुआ कोई काम नहीं आएगा। उसको आपको ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी. यह कहती है कि हमें तो आप तैयार करके देओगे जभी हम इनको लेंगे, वर्ना हम नहीं लेंगे।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मेरी समस्या यही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। नहीं, नहीं, आप विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य, आप विराजिये। अंकित नहीं होगा। आप विराजिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य। आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

(समय : 14.00 बजे)

श्री सभापति: आप विराजें। अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजें।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, आपका भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): ×××

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पोकरण से आने वाले माननीय सदस्य ने आईजीएनपी के तहत बनी सड़कों के संबंध में कहा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जैसलमेर सब मार्ग में इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 1254 से लेकर 1458 की अंतिम छोर तक, सागरमल गोपा शाखा की बुर्जी जीरो से 245 रामगढ़ तक, ये समानान्तर सड़कें पूर्व में इंदिरा गांधी नहर के पास थीं, सीमा सड़क और सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई हैं। शहीद बीरबल शाखा, सागरमल गोपा और रामगढ़ की बुर्जी 245 से लेकर अंतिम बुर्जी 314 तक, बाबा रामदेव उप शाखा जीरो किलोमीटर से लेकर 114, 408 बुर्जी तक जो समानान्तर सड़कें हैं, राज्य सरकार ने फैसला कर लिया है कि सारी की सारी सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को दी जाएंगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रशासन गांवों के संग अभियान में 10.12.2010 को जैसलमेर जिले के एक बासपीर में गये थे और उन्होंने सख्त निर्देश दिया था, उस समय वहां पर उन्होंने मांग उठाई थी और कहा था कि इंदिरा गांधी परियोजना की जितनी भी सड़कें हैं वे सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दीजिए।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री सभापति: आप विराजें। श्री ओम जी बिरला। माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री सभापति: आप विराजें। श्री ओम जी बिरला।

घटिया क्वालिटी के ट्रांसफार्मर्स का वितरण

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लाखों किसानों को बिजली विभाग की तीन कंपनियों के द्वारा जो सिंगल पोल पर थ्री-फेस कृषि कनेक्शन दिए जाते थे, किसानों को वे ट्रांसफार्मर नकली और घटिया क्वालिटी के दिये गये। राजस्थान की सरकार ने आरईसी के कानून के तहत अच्छी कंपनियों के ट्रांसफार्मर, कापर ट्रांसफार्मर पर 16 के.वी. के और 10 के.वी. के कनेक्शन इसलिए दिये थे कि हम बिजली की छीजत को कम कर सकें और जो ट्रांसमिशन लास जाता है उस ट्रांसमिशन लास को भी कम कर सकें। इसलिए अच्छी गुणवत्ता के ट्रांसफार्मर बिजली विभाग ने किसानों को देने का निश्चय किया था। लेकिन एक लाख किसानों को राजस्थान के बिजली विभाग द्वारा जो ट्रांसफार्मर सप्लाई किये गये, जिनमें कॉपर का वाइंडिंग वायर लगना

(श्री ओम बिरला)

चाहिए, उनमें एल्युमिनियम का वाइंडिंग वायर लगाया गया। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, जो लेमिनेशन उसमें लगना चाहिए, जो एक स्टैण्डर्ड क्वालिटी और स्टैण्डर्ड कंपनी का लगना चाहिए, जो टेण्डर की शर्तों के अनुसार लगना चाहिए, वह लेमिनेशन घटिया क्वालिटी का लगवा दिया। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, जो वायर लगना चाहिए था, वह वायर भी पतला लगा दिया और इंसुलेशन जिसके कारण ट्रांसफार्मर जलते थे, वह इंसुलेशन भी घटिया क्वालिटी का लगा दिया। माननीय सभापति महोदय, आप भी गांवों में जाते थे तो किसान यह शिकायत करता था कि मेरा ट्रांसफार्मर जल गया है। जबकि कैपेसिटी के अनुसार 99 प्रतिशत एफिशिएंसी तक वह ट्रांसफार्मर जल नहीं सकता था। सभापति महोदय, जब खेत पर पानी देने का नम्बर आता था और उसकी फसल लहलहाती रहती थी, उस समय पानी देते समय ट्रांसफार्मर जल जाता था तो वह बिजली विभाग के दस दिन, पन्द्रह दिन तक चक्कर काटता था। तीन दिन का वादा करने वाली सरकार में एक-एक महीने तक उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिलते थे, उस किसान की फसल सूख जाती थी और वह किसान बर्बाद हो जाता। सभापति महोदय, बिजली विभाग में टैस्टिंग सिस्टम है, टैस्टिंग सिस्टम के चार चैनलों से गुजरने के बाद भी नकली ट्रांसफार्मर दिये गये, उनमें कापर की जगह एल्युमिनियम का तार लगा है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, आज राजस्थान के लाखों किसान के ट्रांसफार्मर लग चुके हैं, माननीय मंत्री महोदय, क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि जितने ट्रांसफार्मर 16 के.वी. के, 10 के.वी. के बिजली विभाग ने सप्लाई किए हैं, वे शर्तों के अनुसार सप्लाई किए गए हैं या नहीं किए गए हैं? अगर वे शर्तों के अनुसार सप्लाई नहीं किए गए हैं तो केवल फर्मों को ब्लैक लिस्ट और एफआई करने से काम नहीं चलेगा। माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान के लाखों किसानों का मामला है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आ गई है सारी बात आपकी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, जो सरकार नकली ट्रांसफार्मर, घटिया ट्रांसफार्मर देने लग जाए तो कौन किसान विश्वास करेगा?

श्री सभापति: आप सब बोल चुके हैं, आप विराजिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि किसान राजस्थान का बर्बाद हो चुका है...

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्री महोदय यह बता दें कि अगर ये नकली और घटिया ट्रांसफार्मर दिये गये हैं, इन ट्रांसफार्मरों को कब तक चेंज कर दिया जाएगा? जितने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, एक लाख से ज्यादा ट्रांसफार्मर, क्या सरकार एक-एक ट्रांसफार्मरों की जांच कराएगी? माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है...

श्री सभापति: आपने मुद्दा उठा दिया है, आप विराजो तो सही।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जन हित का मुद्दा है, सरकार या तो यह कह दे कि जितने ट्रांसफार्मर लगे हैं उनको टेण्डर की शर्तों के अनुसार हम पूरा कराएंगे, अन्यथा राजस्थान का किसान बर्बाद हो जाएगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मंत्री महोदय, इस पर थोड़ा स्पष्ट तो करो, यह मामला पूरे राजस्थान में चिंता का विषय बना हुआ है कि इतने घटिया ट्रांसफार्मर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आ गई पूरी बात आपकी, आप विराजो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकार नकली ट्रांसफार्मर बेचने लग जाए, घटिया ट्रांसफार्मर बेचने लग जाए, इससे गम्भीर कोई बात नहीं हो सकती।

श्री सभापति: आ गई बात, आप विराजो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इतने घटिया ट्रांसफार्मर सरकार बेच रही है खुलेआम और आप एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे हो। हमारे किसानों के साथ ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैंने जो मुद्दे उठाये हैं, सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय सदन को अवगत कराएं।

श्री सभापति: आप विराजो। यह भी बोल रहे हैं और वो भी बोल रहे हैं, आप विराजो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मंत्री महोदय कुछ तो कहें। देखिए, सभापति महोदय, पूरे मीडिया से आम लोगों को यह ज्ञात हो चुका है कि इतनी बड़ी फोरजरी की है। यह किसानों से जुडा हुआ है, आम उपभोक्ता से जुडा हुआ मसला है, इण्डस्ट्री से जुडा हुआ है। इस प्रकार का माल, कोई एक-दो ट्रांसफार्मर नहीं, भारी तादाद में कापर की जगह एल्युमिनियम डालकर, पतले तार डाल कर.....

श्री सभापति: बोल चुके हैं न!

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने घटिया खंभे आपको सप्लाई किए। सिर्फ ब्लैक लिस्ट करा दो, आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराओ! ऐसे लोगों को तो सरेआम चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। उसके उपरांत भी मंत्री महोदय पीड़ा रखते हैं मन में तो जरूर आप अपनी भावना यहां सदन में बताएं।

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य, मंत्रीजी ने सुन ली है आपकी बात।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): नहीं, नहीं, इसमें इनके ऊपर आरोप थोड़े ही है। हम तो यह कह रहे हैं, यह जो इन निगमों के ऊपर आरोप है, इनकी क्रियाशीलता ठण्डी पड़ गई है, बेइमानी के साथ जुड़ गई है, तो थोड़ा स्थिति स्पष्ट कर दें मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, भावना इतनी है कि जिस ट्रांसफार्मर को आपने खरीदा उसका स्पेसिफिकेशन क्या था, क्या-क्या चीज उसमें होनी थी, क्या चीज उसमें है? यदि उसके अनुसार नहीं है इन ट्रांसफार्मरों में तो निश्चित रूप से यह जांच का मुद्दा बनता है। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। इतनी बड़ी सप्लाई हुई, आपको बताया कुछ और गया, दिया कुछ और गया और वह लगने के कारण से किसान तबाह हो गया। ऐसे विषय पर भी अगर अपन गम्भीर होकर कार्यवाही नहीं करेंगे तो भविष्य में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसमें कोई व्यक्तिगत रूप से किसी पर आरोप का सवाल नहीं है। चाहे किसी ने भी इसको खरीदा हो, जिसने भी इसको ओके किया है, जिसने भी इसको देखा है, इसको टैक्निकली जिसने भी वैरीफाई किया है। वैरीफाई करने के बाद भी आपने कम से कम एकाध ट्रांसफार्मर अपने स्वयं के लिए रखा होगा कि इस नेचर का ट्रांसफार्मर आप सप्लाई करोगे। यदि उसमें और जो ट्रांसफार्मर सप्लाई हुए हैं उनमें अन्तर है तो झिझक नहीं होनी चाहिए। हाउस सबसे बड़ा है और हम उन सब लोगों के रखवाले हैं। मैं निश्चित रूप से इस भावना से कहना चाहता हूं कि आप इसमें जरूर सही कार्यवाही जो कुछ भी आपने दिया है, उसके आधार पर करेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भविष्य में कोई भी गलती करेगा, वो चाहे कितना भी बड़ा है, तो वो सज़ा पाना चाहिए। तब तो हाउस में डिस्कस करने का मजा है। नहीं तो केवल हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, इसमें

(श्री नरपत सिंह राजवी)

क्वालिटी कंट्रोल टैस्ट होता है सप्लाई से पहले। सबसे पहले तो ऐसे अधिकारी जिसने उसको वैरीफाई करके सर्टीफाई किया है, उसके खिलाफ एक्शन तो आज ही ले लो, उसमें दिक्कत कहां है?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, सौ ट्रासफार्मरों में से...

श्री सभापति: विराजिये न अब आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, एक मिनट मेरी बात कह दूं। सौ ट्रांसफार्मरों में से...

श्री सभापति: विराजिये। श्री वासुदेव देवनानी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...बिजली मंत्री बता दें और बिजली मंत्री नहीं बताना चाहते हैं तो +++

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह आपके दामन पर दाग लग जाएगा। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपके दामन पर दाग लग जाएगा। खड़े होकर कहते क्यों नहीं?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति जी, यह ट्रांसफार्मरों का मैटर (व्यवधान) इससे जनता बहुत पीड़ित है। आये दिन ये ट्रांसफार्मर जलते हैं और रिपेयर नहीं करते हैं। (व्यवधान) एक-एक महीने तक चक्कर काटते हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, या तो +++ या सरकार जवाब दे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति जी, इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया जाए और मंत्रीजी को भी निर्देशित किया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। देखिये, आप मेहरबानी करके सभी माननीय सदस्य, सरकार पर और मंत्रियों पर इस तरह के आरोप लगा देते हैं, बिना तथ्यों के आप मत लगाओ। उन सबको जो पूर्व में भी

(श्री सभापति)

लगाये, मैं उन सबको एक्सपंज करता हूं। उद्योग मंत्रीजी पर लगाये, सरकार पर लगाये, फिर आपने कहा +++ मैं उन सबको एक्सपंज करता हूं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): तथ्य हैं, सभापति महोदय। सरकार कह दे कि नकली ट्रांसफार्मर नहीं है। और क्या तथ्य पेश करेंगे?

श्री सभापति: अब आप, मंत्रीजी, बोलना चाहेंगे?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने ट्रांसफार्मर्स की वैधता के बारे में जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि गत पांच वर्ष से सेन्ट्रल टैस्टिंग लैब है राजस्थान में जो सारे ट्रांसफार्मर्स की क्वालिटी को टैस्ट करती है। जो भी ट्रांसफार्मर टैस्ट होता है, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से सर्टीफाई होता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक लैब अलग है जो सर्टीफाई करती हैं कि ये पर्टीकुलर कंपनियां वैलिड हैं जो टेण्डर में पार्टीसिपेट कर सकती हैं, उन्हीं को हम लेते हैं, माननीय सभापति महोदय। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, रुटीन चैक अप, इसमें कोई स्पेशल चैक अप नहीं था। जयपुर डिस्कोम में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थीं तो उसमें सैम्पल केन्द्रीय परीक्षण शाला में टैस्ट होने जाते हैं, उसमें 14 फर्मों के 84 टांसफार्मरों का टैस्ट किया गया, उनमें से 74 ट्रांसफार्मर मानकों पर खरे उतरे और चार फर्मों के दस ट्रांसफार्मरों में त्रुटियां पायी गयीं। एक ट्रांसफार्मर में एल्युमिनियम पाया गया। तो यह सैम्पल सर्वे होता है। मैं सदन को भी बताना चाहूंगा और कोटा से आने वाले हमारे माननीय सदस्य को भी कि सरकार ने स्वयं इसमें आगे बढ़ते हुए सारा इन्वैस्टीगेट कराके प्रक्रिया चालू की है और जो एक व्यक्ति के ट्रांसफार्मर में एल्युमिनियम पाया गया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं राज्य सरकार की ओर से, मेरे विभाग की ओर से कि जो भी इसमें कोई दोषी पाया जाएगा He will be penalized, that I can assure the House.

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

चिकित्सा शिक्षकों का आन्दोलन

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, राजस्थान के मेडिकल कालेजों के शिक्षक पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं, पूरे राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। इस पर भी सरकार की जब संवेदनहीनता अतिसीमा तक पहुंच रही है, उन्होंने 1 मार्च से सामूहिक त्यागपत्र

(श्री वासुदेव देवनानी)

देने का प्रस्ताव किया है। इन परिस्थितियों में लगता है कि वे शिक्षक कितने पीड़ित हैं। मेडिकल कालेज में यदि कोई शिक्षक बनता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है तो वह लगभग 32-33 वर्ष में बनता है। पहले पीएमटी की परीक्षा देता है, उसके बाद एमबीबीएस करता है, इंटर्नशिप करता है, उसके बाद एमडी करता है, फिर आरपीएससी में उसको एक या दो साल लगते हैं तब जाकर 32-33 वर्ष में वह डाक्टर बनता है। आज राजस्थान के 6 मेडिकल कालेजज में लगभग 34 स्पेशलिटीज के विभाग हैं, 13-14 सौ मेडिकल टीचर्स हैं, इनकी सर्विस कंडीशंस इतनी पुअर है कि आज हमारे यहां मेडिकल शिक्षक मिल नहीं रहे हैं, चारों ओर इतनी कमी हो गयी है। उन सारी परिस्थितियों के लिए इस प्रोफेशन में आज कोई आना भी नहीं चाह रहा है। उसका परिणाम है कि गत दिनों में जब आरपीएमटी की परीक्षा हुई, एक जमाना था जब दो-दो लाख विद्यार्थी उसमें बैठा करते थे, पिछली परीक्षा में केवल 17 हजार विद्यार्थी बैठे हैं। स्कूलों और कालेजों में बच्चे बायो विषय नहीं ले रहे हैं। आगे जाकर इस राज्य की चिकित्सा व्यवस्था का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। माननीय सभापति महोदय, मेडिकल कालेज के जो प्रोफेसर हैं, इनकी आम शिक्षकों की तुलना में अलग प्रकार की ड्यूटीज हैं। वे केवल पढ़ाते ही नहीं हैं, पढ़ाने के साथ-साथ आउटडोर में भी रहते हैं, इनडोर पेशेंट केयर भी करते हैं, इमरजेंसी पेशेंट केयर भी करते हैं। केवल 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे नहीं, चौबीसों घंटे सातों दिन ये इस प्रकार के प्रोफेशन में रहते हैं। रिसर्च भी करते हैं। लेकिन इनकी तनख्वाहें आज देश भर में सबसे कम हैं। यहां तक कि जब यूजीसी पे स्केल लागू हुए, आम कालेज टीचर से भी इनकी वेतन विसंगतियां बढ़ गई हैं। इन्होंने फाइनेंस सैक्रेटरी को लिखा, हाई पावर कमेटी को कहा, भटनागर कमेटी को कहा, प्रिंसिपल सैक्रेटरी से मिले, हमारे चिकित्सा मंत्रीसे भी मिले लेकिन अभी तक उनका किसी प्रकार का कोई परिणाम नहीं आया है। उनकी मांग है कि तत्काल (डीएसीपी) डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन उन पर लागू की जाए। यह कई राज्यों में लागू है। केन्द्र में एम्स में चार साल के अन्दर पे बैंड-4 दे दिया जाता है, हरियाणा के मेडिकल कालेजों में 4 साल में मिलता है, केरला के मेडिकल कालेजों में 12 साल में मिलता है और यूपी के मेडिकल कॉलेजों में 10 साल में मिलता है, महाराष्ट्र में 12 साल में लेकिन राजस्थान के मेडिकल कालेज के टीचर्स को 25 से 30 वर्ष तक भी यह उपलब्ध नहीं होता, इतनी दुर्दशा आज बनी हुई है। उसके बाद प्रोविजन आफ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल है, एम्स में आठ साल में है, हरियाणा में दस

(श्री वासुदेव देवनानी)

साल में है, यूपी में दस साल में है लेकिन राजस्थान के मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल तक को भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के 80 प्रतिशत फैकल्टी पे बैंड-3 में चल रहे हैं। कई बार तो यह स्थिति हो जाती है कि उनके छात्र ही उनके सीनियर बन जाते हैं। आज एक टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन विद्यार्थी प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर बन जाता है। यह कैसी विडम्बना है माननीय सभापति महोदय, कि आज बाकी राज्यों में नान प्रैक्टिसिंग अलाउंस 25 प्रतिशत है लेकिन यहां पर केवल बीस प्रतिशत दे रहे हैं। उनकी मांग है कि उनको पच्चीस प्रतिशत दिया जाए। एकेडेमिक अलाउंस 1998 में 2,750 रुपये तय हुआ, आज 13 साल हो गये लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इतनी महंगाई हुई लेकिन उनका एकेडेमिक अलाउंस नहीं बढ़ा, यहां तक कि मेडिकल टीचर्स को अन्य राज्यों की और केन्द्र की तुलना में 25 से 30 हजार रुपये कम मिल रहा है। कंसलटेंसी फीस, माननीय सभापति महोदय, 35 रुपये, 50 रुपये, यह आज की समय में कोई कंसलटेंसी फीस है? उसको बढ़ाने के लिए हम व्यवस्था नहीं करते। बाध्य करते हैं कि वो रुपये ज्यादा लें। सरकार इस पर विचार करे कि क्या 35 रुपये कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की कंसलटेंसी फीस होती है। शोध कार्य का कहूं तो शोध कार्य के लिए दो सौ रुपये एक डाक्टर को दिये जाते हैं, दो सौ रुपये में तो फोटो स्टेट भी नहीं होती है। राज्य की चिकित्सा व्यवस्थाओं की इतनी गड़बड़ है, इतनी विसंगतियां हैं कि आज कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में आना नहीं चाहता। अब तो अगले कुछ दिनों में आठ हजार जो सीएस डाक्टर्स हैं, उन्होंने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। यदि वे भी आंदोलन में चले गये तो, माननीय सभापति महोदय, राज्य की चिकित्सा व्यवस्थाओं का क्या होगा? इसके लिए मैं मांग करता हूं कि तत्काल इनकी चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार हो, राजस्थान में केन्द्र की तरह, अन्य राज्यों की तरह इनकी सुविधाएं हों ताकि हमारे बच्चे डाक्टरी पढ़ने के लिए आएं, वो प्रोफेसर बनें और राजस्थान की जनता को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले।

श्री सभापति: आज विराजिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं मांग करूंगा कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी इनकी व्यवस्था करें। सात दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, 13-14 सौ ऐसे डाक्टर्स बैठे हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये अब आप। विराजिये, माननीय सदस्य।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : माननीय सभापति महोदय, हमारे बीकानेर में भी टीचर्स धरने पर बैठे हैं।

श्री सभापति: मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) आप व्यवस्था दें, सरकार ...(व्यवधान) उनकी मांगों पर विचार करे ...(व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): बीकानेर में भी धरने पर बैठे हैं। मेडिकल टीचर्स धरने पर बैठे हैं बीकानेर में सात दिन से, सरकार जवाब दे।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): बहुत चिंता का विषय है इन्हें बोलने दीजिए। सारा राजस्थान इससे प्रभावित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, यह विषय सदन में आया है, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, सवाई मानसिंह हास्पिटल और राजस्थान के सारे प्रमुख हास्पिटल, सारे मेडिकल कालेज के टीचर सामूहिक इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं और सारे मेडिकल कालेज के टीचर आज धरने पर हैं। सारे राजस्थान में सबसे बड़ी चिकित्सा अगर होती है तो वह मेडिकल कालेजों में होती है और हमारे बहुत अच्छे डाक्टर्स वहां हैं। उनकी समस्या सरकार के सामने विचाराधीन है। उनका छोटा-सा मामला है, छठे वेतन आयोग के आधार पर जिस प्रकार से उनको प्रमोशन दिया जाना चाहिये था, वह राज्य सरकार के अभी तक विचाराधीन है। आपने कई बार उनको कहा कि देंगे, देंगे, पर अभी तक आपने उसको क्लीयर नहीं किया, इसलिए सारे राजस्थान में समस्या पैदा हो रही है। माननीय मंत्रीजी, इसलिए हम सदन में आज आपसे आश्वासन चाहते हैं, इस समस्या का समाधान चाहते हैं। उनकी कतार लगी हुई है, इनके पास 30-40 इस्तीफे पड़े हुए हैं कि हम छोड़ कर दूसरी जगह जाना चाहते हैं, वीआरएस लेना चाहते हैं। इतना बड़ा काम करने के बाद, इतना दवाब होने के बाद उनकी तनख्वाह इस प्रकार रोक कर बैठे रहना, उनके प्रमोशन के चांस खतम करना और सारे राजस्थान को अव्यवस्थित कर देना। आपके यहां से तीन लोग छोड़ कर गये । कई लोग तो इस तरह से छोड़ कर गये कि चुनाव में फार्म भर देते हैं और हाई कोर्ट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिटायरमेंट लेने के बाद 2-3 लाख रुपये में उनकी कारपोरेट हास्पिटल में नियुक्ति हो जाती है। इतने अनुभवी डाक्टर्स हैं, वे आपके सामने आज धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पढाई खराब हो रही है। माननीय मंत्री महोदय, आपका नाम बहुत अच्छा है, आप इस विषय पर सदन को आश्वस्त करें कि आप निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान करेंगे ताकि हमारी चिकित्सा व्यवस्था ठप्प नहीं हो, मेरा आपसे यही कहना है।

श्री सभापति: मंत्रीजी बोलना चाहेंगे?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): चिकित्सा मंत्रीजी से कुछ तो बुलवाओ।

श्री सभापति: अब आप विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): साहब, यही तो नवाबी है न बोलना, नवाब इसी को कहते हैं । नवाबी न बोलने को ही कहते हैं कि जनता कुछ भी कहती रहे, नवाब साहब हंसते रहते हैं। आज सारे राजस्थान की समस्या है।

श्री सभापति: पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से आज निम्न माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति होगी, श्री राजेन्द्र राठौड़।

सूचना

नरेगा के संविदा कर्मियों का आन्दोलन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आज राजस्थान के सर्वोच्च सदन के सामने नरेगा के कार्यरत मजदूर, संविदाकर्मी सरकार का दरवाजा खटखटाने आये हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह सूचना देंगे या इस पर अपना वक्तव्य देंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, सूचना ही दे रहा हूं। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने नरेगा में काम करने वाले इन संविदाकर्मियों को नियमित करने की बात कही थी। 10 प्रतिशत इनका मानदेय बढाने की बात कही थी। आज ये लोग यह कह रहे हैं कि हमें छठे वेतन आयोग का लाभ दो। स्थाई पदों पर इनकी जो नियुक्ति होनी थी, वह सरकार ने निरस्त कर दी, कि पुनः स्थाई पदों का सृजन करें। कि सप्ताह में छह दिन इनसे काम लिया जाता है, वह पांच दिन इनसे काम लिया जाए। इनके पीएफ की कटौती सरकार ने नहीं की, मेडिकल दुर्घटना की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है।

श्री सभापति: आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आज पूरे राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं का काम ठप्प करके राज्यभर के 9188 संविदाकर्मी राजस्थान के सर्वोच्च सदन के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, दुर्भाग्य है कि मुख्य मंत्रीजी ने उनसे वार्ता नहीं की। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि मुख्य मंत्रीजी आगे आकर उनसे बात करें और उनकी समस्या का समाधान करें, उनके पदों को स्थाई करें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, पहले एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियम 131 के तहत दिया था, एक बहुत पुरानी परम्परा है, हमारे बीकानेर में 15वीं सदी से सामूहिक सावे पुष्करणा समाज में होते आये हैं। यह देखते हुए कि सामूहिक विवाह की एक अच्छी परम्परा है, राज्य सरकार ने उसे पूरे परकोटे में जहां पुष्करणा समाज रहता है, एक छत के नीचे मानते हुए उनको अनुदान की भी घोषणा कर दी। लेकिन दूसरी सुविधाएं भी देनी थीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह पूरे समाज को एनकरेज करने के लिये यह संदेश देने के लिये यह एक बड़ी मिसाल है। 7 साल के बाद में सावे होते हैं, फैमिली प्लानिंग भी साथ होती है और सारा खर्चा भी। बाराती नहीं मिलते। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह नियम 131 के तहत बहुत महत्वपूर्ण मसला है इसके लिये व्यवस्था तो दिलाएं, साहब। एक हफ़्ता हो गया, फिर यह व्यवस्था कब आएगी। अब पुष्करणा समाज बोल रहा है, मैं बैठ जाता हूं।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। श्री कैलाश चंद भंसाली। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): ×××

श्री सभापति: नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा, आप विराजो। अभी पूरा बजट पड़ा है, माननीय सदस्य, आप उसमें बोलिए। आप विराजिए।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): ×××

श्री सभापति: नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। श्री कैलाश चन्द भंसाली (अनुपस्थित)। श्री रघु शर्मा।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजो। विराजो।

गांवों में नरेगा के तहत ब्लाक रोड बनाने में व्यवधान

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान के लगभग जो 40 हजार गांव हैं उनमें, माननीय सभापति महोदय, आप हाउस को तो आर्डर में लाइए।

श्री सभापति: हाउस आर्डर में ही है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, गांवों की हालत इतनी खस्ता है कि उनकी अपनी निजी आय का साधन है नहीं। नरेगा के तहत 40 परसेंट पक्के काम के तहत गांव-गांव में ब्लाक रोड बनने की योजना हमारी सरकार के पास है लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह काम बंद पड़ा है। आज हालत यह है कि 60 परसेंट मजदूरी का पैसा तो उनको दिया जाता है जो नरेगा में श्रमिक काम करते हैं और 40 परसेंट पक्के कामों के तहत गांव-गांव में ब्लाक रोड बनते हैं। मैं राजस्थान की बात तो कहता नहीं, लेकिन अजमेर जिले में पिछले दो-सवा दो साल से यह ब्लाक रोड का काम बंद पड़ा है। अब सवाल यह है कि शहरी क्षेत्रों में हमारे स्थानीय निकायों के पास आय के बहुत सारे साधन होते हैं, सरकारें भी फैसला करती हैं, राजधानी में तो पैसा बहुत-सी योजनाओं से आ जाएगा, लेकिन राजस्थान की जो जनता ग्रामीण इलाकों में रहती है, वहां पर इतना कीचड़ है कि गलियां सड़ांध मारती हैं, वहां जा नहीं सकते, उस गरीब आदमी की तरफ सरकार का ध्यान कब जाएगा? मेरा निवेदन है कि इन कामों को जल्दी प्रारम्भ किया जाए। अलग-अलग जिले के कलक्टर्स हैं वे अपने मनमाने तरीके से इनमें आर्डर जारी करते हैं। जनसेवक और जनप्रतिनिधि में फर्क है, मेरा अपना मानना है। लोकतंत्र की अवधारणा में जनप्रतिनिधि तय किया करते हैं, जनसेवक उनकी अनुपालन किया करते हैं। इन कलक्टरों को आप इतना बड़ा अधिकार मत दो कि वह तय करें, काम को रोक दें, काम होने नहीं दें। इन कामों को गांव-गांव में तत्काल शुरू करवाइए और ब्लाक रोड बनवाइए। 39 हजार गांवों की ग्रामीण जनता परेशान है। इस डैडलाक को खतम करवा कर कब से सरकार गांवों में ब्लाक रोड शुरू करवाने का इरादा रखती है? मंत्री महोदय यहां विराजे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह कब से यह काम शुरू करना चाह रहे हैं यह सदन को जानकारी दें दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। श्री पवन दुग्गल। (व्यवधान) आप विराजो, आप विराजो।

श्रीगंगानगर के जैसर में नहर में मृत व्यक्ति के शव की बरामदगी

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत् सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

नहर में श्रीगंगानगर जिले के जैसर के पास एक पिकअप गाड़ी के नहर में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 72 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है अभी तक डैड बाडी को उस नहर से निकाला नहीं गया है। जैसर को बंद कर रखा है, लोग आंदोलनरत हैं, उसका परिवार पूरी तरह चिंतित है। स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन लगा हुआ है, 72 घंटे से ज्यादा समय होने के बाद भी डैड बाडी नहीं मिली है, यह चिंताजनक है। सरकार जितना शीघ्र हो, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनको भेज कर वहां जो अव्यवस्था हो चुकी है, डैड बाडी को निकलवाने का प्रयास करे ताकि उसके परिवार तक डैड बाडी पहुंचे और जो अव्यवस्था पूरी तहसील में हुई है, पूरे जिले में हो रही है, उस पर नियंत्रण पाया जा सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शांती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 53 एवं गृह विभाग की 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:

1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)एफडी/टैक्स/2010-70 दिनांक 6.9.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है,

2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)एफडी/टैक्स/2010-71 दिनांक 6.9.2010 जिसके द्वारा शवदाह गृहस्थल, जहां शवदाह एलपीजी या विद्युत ऊर्जा द्वारा किया जाएगा, के निर्माण हेतु ठेकेदारों द्वारा जो माल संविदा के संबंध में स्थानान्तरण हुआ है, को वैट से मुक्त किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(105)एफडी/टैक्स/2010-72 दिनांक 8.9.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(102)एफडी/टैक्स/10-73 दिनांक 8.9.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(102)एफडी/टैक्स/10-74 दिनांक 8.9.2010 जिसके द्वारा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड/अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड को विक्रय या क्रय किये गये हाईस्पीड डीजल पर 13 प्रतिशत से अधिक वैट को कर मुक्त किया गया है ;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.2(14)एफडी/टैक्स/2010-75 दिनांक 21.9.2010 जिसके द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रीसिटी रेग्यूलेट्री कमीशन को स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया गया है ;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.2(14)एफडी/टैक्स/2010-76 दिनांक 21.9.2010 जिसके द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रीसिटी रेग्यूलेट्री कमीशन को पंजीयन शुल्क का परिहार किया गया है ;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.2(2)एफडी/टैक्स/09-77 दिनांक 30.9.2010 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)एफडी/टैक्स/10-78 दिनांक 6.10.2010 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हेतु खरीदे जाने वाले सामान और उपकरण को वैट से मुक्त किया गया है ;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)एफडी/टैक्स/10-79 दिनांक 6.10.2010 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हेतु काम में आने वाले माल के स्थानान्तरण को वैट से मुक्त किया गया है ;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)एफडी/टैक्स/10-80 दिनांक 6.10.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-81 दिनांक 11.8.2006 में (समय-समय पर यथा संशोधित) संशोधन किया गया है ;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)एफडी/टैक्स/10-81 दिनांक 6.10.2010 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम आने वाले सामान एवं उपकरण को स्थानीय क्षेत्रों में लाये जाने हेतु प्रवेश कर से मुक्त किया गया है ;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.12(105)एफडी/टैक्स/2010-82 दिनांक 7.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

14- अधिसूचना संख्या : एफ.2(38)एफडी/टैक्स/2010-83 दिनांक 13.10.2010 जिसके द्वारा इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गेनाईजेशन, नई दिल्ली को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आबंटित भूमि पर उक्त संस्था द्वारा निर्मित मकान, फ्लेट्स के अपने सदस्यों के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु निष्पादित विलेख पर देय स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गई है ;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.2(48)एफडी/टैक्स/10-84 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(26)एफडी/टैक्स/98-पार्ट/68 दिनांक 28.6.2003 को विखण्डित किया गया है;

16- अधिसूचना संख्या : एफ.2(56)एफडी/टैक्स/10-85 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा अपनी आथोराइज्ड शेयर केपीटल 5000/- से बढ़ाकर 10,000/- करोड़ रुपये करने पर आर्टिकल आफ एसोसियेशन में संशोधन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.12(39)एफडी/टैक्स/10-86 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-20 की उपधारा-2(ए) के अन्तर्गत अधिसूचना में उल्लेखित तीन श्रेणियों की वस्तुओं की खरीद से छूट प्रदान की गई है ;

18- अधिसूचना संख्या : एफ.5(21)एफडी/टैक्स/10-87 दिनांक 26.10.2010 जिसके द्वारा शपथ पत्रों को नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करने पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई है ;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.2(37)एफडी/टैक्स/2010-88 दिनांक 26.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान टाउनशिप पालिसी, 2010 के अन्तर्गत लीज डीड पंजीयन पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई है ;

20- अधिसूचना संख्या : एफ.12(33)एफडी/टैक्स/08-89 दिनांक 12.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.12(33)एफडी/टैक्स/08-90 दिनांक 12.11.2010 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या : एफ.12(33)एफडी/टैक्स/08-80 दिनांक 10.11.2008 में संशोधन किया गया है ;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.12(33)एफडी/टैक्स/08-91 दिनांक

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

12.11.2010 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या : एफ.12(33)एफडी/टैक्स/08-81 दिनांक 10.11.2008 में संशोधन किया गया है ;

23- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)एफडी/टैक्स/2001-92 दिनांक 29.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;

24- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)एफडी/टैक्स/2001-93 दिनांक 29.11.2010 जिसके द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को विक्रय किये जाने वाले सोया तेल के विक्रय को सशर्त कर के भुगतान से मुक्त किया गया है ;

25- अधिसूचना संख्या : एफ.24(1)एफडी/टैक्स/10-94 दिनांक 30.11.2010 जिसके द्वारा जयपुर में दिनांक 1.12.2010 को आयोजित भारत एवं न्यूजीलैण्ड के बीच होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच को मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है ;

26- अधिसूचना संख्या : एफ.2(15)एफडी/टैक्स/10-95 दिनांक 30.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़, द्वारा अपनी आथोराइज्ड अंश पूंजी रुपये 1500/- करोड़ से बढ़ाकर रुपये 2500/- करोड़ रुपये करने की संशोधित आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार/छूट प्रदान की गई है ;

27- अधिसूचना संख्या : एफ.2(88)एफडी/टैक्स/10-96 दिनांक 30.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा आथोराइज्ड अंश पूंजी रुपये 5.00 करोड़ से 30.00 करोड़ रुपये बढ़ाने बाबत् कम्पनी के आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार/छूट प्रदान की गई है ;

28- अधिसूचना संख्या : एफ.2(82)एफडी/टैक्स/2010-97 दिनांक 30.11.2010 जिसके द्वारा एफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी, 2009 के तहत ईडब्लूएस/एलआईजी श्रेणी के मकानों के लिये देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;

29- अधिसूचना संख्या : एफ.2(98)एफडी/टैक्स/10-98 दिनांक 2.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के उपकरणों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

30- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)एफडी/टैक्स/2007-99 दिनांक 10.12.2010 जिसके द्वारा अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त कमी की गई है ;

31- अधिसूचना संख्या : एफ.24(5)एफडी/टैक्स/10-100 दिनांक 14.12.2010 जिसके द्वारा राजमंदिर सिनेमा में दिनांक 2.1.2011 को प्रात: 8.30 से 12.00 बजे तक हिन्दी फिल्म 'पा' के प्रदर्शन को कर मुक्त किया गया है ;

32- अधिसूचना संख्या : एफ.24(2)एफडी/टैक्स/2010-101 दिनांक 16.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थानी उत्कृष्ट फिल्मों को (यू-प्रमाण-पत्र) 5.00 लाख तक का अनुदान स्वीकृत किया गया है ;

33- अधिसूचना संख्या : एफ.12(72)एफडी/टैक्स/2010-102 दिनांक 20.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

34- अधिसूचना संख्या : एफ.4(6)एफडी/टैक्स-डीवी/03-पार्ट-103 दिनांक 28.12.2010 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या : एफ.4(6) एफडी/टैक्स-डीवी/03-पार्ट/29 दिनांक 28.4.2003 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

35- अधिसूचना संख्या : एफ.4(102)एफडी/टैक्स-डीवी/04-104 दिनांक 28.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;

36- अधिसूचना संख्या : एफ.4(102)एफडी/टैक्स-डीवी/04-105 दिनांक 28.12.2010 जिसके द्वारा मैसर्स समटेल ग्लास लिमिटेड़, कोटा (मैसर्स समकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा) को राज्य में निर्माण किये गये कलर फनल्स व कलर पैनल्स के विक्रय हेतु देय कर भुगतान में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

37- अधिसूचना संख्या : एफ.4(102)एफडी/टैक्स-डीवी/04-106 दिनांक 28.12.2010 जिसके द्वारा मैसर्स समटेल ग्लास लिमिटेड, कोटा (मैसर्स समकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा) के अन्तर्राज्यीय व्यापार हेतु विक्रय किये जाने वाले कलर फनल्स व कलर पैनल्स को कर भुगतान में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

38- अधिसूचना संख्या : एफ.12(16)एफडी/टैक्स-डीवी/06-107

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

28.12.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007-141 दिनांक 9 मार्च, 2007 में संशोधन किया गया है ;

39- अधिसूचना संख्या : एफ.12(52)एफडी/टैक्स/09-पार्ट-108 दिनांक 31.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

40- अधिसूचना संख्या : एफ.12(52)एफडी/टैक्स/09-पार्ट-109 दिनांक 31.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;

41- अधिसूचना संख्या : एफ.12(52)एफडी/टैक्स/09-पार्ट-110 दिनांक 31.12.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-38 दिनांक 6.5.2006 (समय-समय पर यथा-संशोधित) को वापिस लिया गया है ;

42- अधिसूचना संख्या : एफ.12(52)एफडी/टैक्स/09-पार्ट-111 दिनांक 31.12.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-18 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा-संशोधित) को विखण्डित किया गया है ;

43- अधिसूचना संख्या : एफ.12(52)एफडी/टैक्स/09-पार्ट-112 दिनांक 31.12.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-19 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा-संशोधित) को विखण्डित किया गया है ;

44- अधिसूचना संख्या : एफ.12(52)एफडी/टैक्स/09-पार्ट-113 दिनांक 31.12.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.4(1)एफडी/टैक्स/2001-129 दिनांक 13.2.2007 (समय-समय पर यथा-संशोधित) को अतिष्ठित किया गया है ;

45- अधिसूचना संख्या : एफ.12(111)एफडी/टैक्स/2009-पार्ट-114 दिनांक 6.1.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/टैक्स-डीवी/2000-21 दिनांक 28.6.2004 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

46- अधिसूचना संख्या : एफ.12(111)एफडी/टैक्स/2009-पार्ट-115 दिनांक 6.1.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.12(52)एफडी/टैक्स/09

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

पार्ट-113 दिनांक 31.12.2010 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

47- अधिसूचना संख्या : एफ.12(156)एफडी/टैक्स/09-116 दिनांक 6.1.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(156)एफडी/टैक्स/09-58 दिनांक 3.11.2009 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

48- अधिसूचना संख्या : एफ.12(102)एफडी/टैक्स/10-117 दिनांक 6.1.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8(3) के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड को 180 बसों की खरीद पर कर में छूट प्रदान की गई है ;

49- अधिसूचना संख्या : एफ.2(69)एफडी/टैक्स/10-118 दिनांक 12.1.2011 जिसके द्वारा पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा देय ब्याज राशि रुपये 4,24,637/- का परिहार किया गया है ;

50- अधिसूचना संख्या : एफ.24(5)एफडी/टैक्स/10-119 दिनांक 13.1.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.24(5)एफडी/टैक्स/10-100 दिनांक 14.12.2010 को अतिष्ठित किया गया है ;

51- अधिसूचना संख्या : एफ.24(1)एफडी/टैक्स/11-120 दिनांक 17.1.2011 जिसके द्वारा दिनांक 17.1.2011 से 16.2.2011 की अवधि में गोलछा सिनेमा, जयपुर में प्रातःकालीन शो में दिखाई जाने वाली कतिपय फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है ;

52- अधिसूचना संख्या : एफ.12(5)एफडी/टैक्स-डिवी/11-121 दिनांक 2.2.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ; एवं

53- अधिसूचना संख्या : एफ.12(5)एफडी/टैक्स/11-122 दिनांक 2.2.2011 जिसके द्वारा सदस्य सचिव, राज्य युवा बोर्ड, जयपुर द्वारा दिनांक 12 से 16 जनवरी, 2011 तक उदयपुर में आयोजित 16वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 2011 हेतु खरीदे गये भोजन पर संदेय वैट से छूट प्रदान की गई है।

गृह विभाग

1- अधिसूचना संख्या : एफ.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 24.11.2010 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को विवाह के रजिस्ट्रार के रूप में उनकी अधिकारिता के क्षेत्र में नियुक्त किया गया है ; एवं

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

2- अधिसूचना संख्या : एफ.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 24.11.2010 जिसके द्वारा निदेशक, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, राजस्थान को राजस्थान राज्य के लिये विवाह के महारजिस्ट्रार के रूप में पदाभिहित किया गया है।

श्री सभापति: श्री भरतसिंह।

पंचायती राज विभाग

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/10/1842 दिनांक 14.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2010/2113 दिनांक 26.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ;एवं

3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(21)एसईसी/लॉ/रूल/एमेन्ड/पीआरडी/08/144 दिनांक 27.1.2011 जिसके द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है।

श्री सभापति: श्री बृज किशोर शर्मा।

परिवहन विभाग

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की 7 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.6(75)परि/कर/मु/08/72038 दिनांक 7.9.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना जारी होने की दिनांक से मेल अवधि तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जैसलमेर जिला) आने-जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 3500/- रुपये से अधिक करों का परिहार किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.6(135)परि/कर/मु/04 दिनांक

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

10.9.2010 जिसके द्वारा रामकृष्ण मिशन, विवेकानन्द स्मृति मंदिर, खेतड़ी, झुंझुनूं के वाहन को सशर्त कर-मुक्त किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.6(89)परि/कर/मु/98 दिनांक 4.10.2010 जिसके द्वारा वर्ष 2008 व उसके पश्चात् से आदिनांक तक सम्पन्न विभिन्न चुनावों हेतु अधिगृहित किये गये वाहनों को विशेष पथकर से मुक्त किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.6(123)परि/कर/मु/05 दिनांक 11.10.2010 जिसके द्वारा इस्कोन फूड रिलीफ फाउण्डेशन 84/230, संत नामदेव मार्ग, मानसरोवर, जयपुर के कतिपय वाहनों को सशर्त कर-मुक्त किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.6(59)परि/कर/मु/05/75280 दिनांक 1.11.2010 जिसके द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति कल्याण निधि योजनान्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली जनजाति छात्राओं को प्रोत्साहन रूप में नि:शुल्क वितरित स्कूटी वाहनों पर देय करों का परिहार्य किया गया है ;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.6(135)परि/कर/मु/04 दिनांक 16.12.2010 जिसके द्वारा रामकृष्ण मिशन, गौतम मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के कतिपय वाहनों को सशर्त कर-मुक्त किया गया है ; एवं

7- अधिसूचना संख्या : एफ.6(127)परि/कर/मु/07 दिनांक 18.1.2011 जिसके द्वारा सुरमन संस्थान, वैशालीनगर, जयपुर के वाहन को सशर्त कर-मुक्त किया गया है।

श्री सभापति: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री भरतसिंह।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम का वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2008-09

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 की धारा 12(3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र पारीक।

राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लिमिटेड का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लिमिटेड का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन, श्री भगवान सहाय सैनी।

समिति का प्रतिवेदन

याचिका समिति 2010-11 (क्र. सं. 6 व 7)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से याचिका समिति, 2010-11 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. शिक्षा, ऊर्जा, स्वायत्त शासन एवं राजस्व विभाग से सम्बन्धित समिति को प्राप्त याचिकाओं से सम्बंधित याचिका समिति, 2010-11 का छठा प्रतिवेदन, एवं
2. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वायत्त शासन, शिक्षा एवं सिंचाई विभाग से सम्बन्धित समिति को प्राप्त याचिकाओं से सम्बन्धित याचिका समिति, 2010-11 का सातवां प्रतिवेदन।

श्री सभापति: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री बाबूसिंह राठौड़।

याचिकाओं का उपस्थापन

शेरगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में सब-ग्रिड स्टेशनों की स्वीकृति

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में 220 के.वी., 132 के.वी. व 33/11 के.वी. के सब-ग्रिड स्टेशन स्वीकृत करने बाबत् 5 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री पवन कुमार दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

अनूपगढ़ में बंद जी.एल.आर. को चालू करना

1. अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बंद पड़े जी.एल.आर. (भू-तल जलाशय) को चालू करने बाबत् 5 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित।

अनूपगढ़ में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती

2. अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में रिक्त पड़े शिक्षकों के पद भरने बाबत 5 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित, एवं

अनूपगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति और उनका क्रमोन्नयन

3. अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने बाबत् 5 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित।

श्री सभापति: डा. गोपाल जोशी।

बीकानेर के गंगाशहर स्थित चिकित्सालय की सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नति

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से बीकानेर विधान सभा क्षेत्र (पश्चिम) के गंगाशहर क्षेत्र में वर्तमान में स्थित चिकित्सालय को सेटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने बाबत् 5 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री हबीबुर्रहमान।

नागौर के समेरण पंचायत स्थित माध्यमिक विद्यालय की क्रमोन्नति

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से समेरण पंचायत, नागौर माध्यमिक विद्यालय को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् 5 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर के ग्राम पंचायत शिवकर, भुरटिया, उण्डखा, मारूड़ी व हाथीतला स्थित विद्यालयों का क्रमोन्नयन

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम पंचायत शिवकर, भुरटिया, उण्डखा, मारूड़ी

(श्री मेवाराम जैन)

एवं हाथीतला में ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् 5 व्यक्तियों से हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सभापति: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। श्री नरपतसिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, 15 तारीख को संविधान की परम्परा के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा, उसकी मैं कठोर शब्दों में घोर निन्दा करता हूं। यह एक झूठ का पुलिंदा है। अगर आपातकाल के समय संविधान का संशोधन नहीं होता तो मेरी मान्यता है कि कई राज्यपाल महोदय ऐसे झूठ के पुलिन्दों को बिना संशोधन के पढ़ने से मना कर देते। न्याय के लिये प्रमाण आवश्यक है और प्रमाण की परिभाषा हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी दी गयी है। यह सरकार किसी प्रकार का विकास कार्य, आम जनता के हित का काम नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। गरीब का दु:ख सुनने वाला कोई नहीं है। इस पुलिन्दे को पढ़ने से तो मेरे खयाल से यही ठीक है। न्याय का प्रमाण-भारतीय दर्शन में प्रमाण अर्थ परीक्षण-प्रभाकारणम् प्रमाण। चार्वाक ने तो एकमेव प्रमाण प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से जो झूठ का पुलिन्दा सामने रखा है उसके आगे सदन में बोलने की गुंजाइश कहां रह जाती है।

सभापति महोदय, हैल्थ मिनिस्टर महोदय यहां पर नहीं हैं, इनके विभाग में 1533 पी.एच.सीज. में और 230 सी.एच.सीज. में कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 6 करोड़ रुपये मुहैया करवाये गये। 50 हजार रुपये प्रति कम्प्यूटर के हिसाब से इन्होंने खरीदे। जब कि सरकार के अन्य विभागों में 18 हजार रुपये प्रति कम्प्यूटर उसी कैपेसिटी के, उतनी ही स्ट्रैंथ के, उतनी ही जी.बी. मैमोरी, हार्ड डिस्क के कई विभागों ने लिये हैं और हम लोगों ने, विधायकों ने भी लिये हैं। 32 हजार रुपये प्रति कम्प्यूटर इसके अन्दर भ्रष्टाचार हुआ है। सी.एम.एच.ओ. को राशि दी है ताकि खुद पर आरोप नहीं लगे। सेण्ट्रलाइज्ड पर्चेज कर लेते, 6 करोड़ रुपये की खरीद थी। उसकी आवश्यकता कहां थी कि डाइवर्सिफाई किया। मुख्य मंत्रीजी की एक बहुत

(श्री नरपत सिंह राजवी)

अच्छी सोच थी कि पोस्ट रैफरल यूनिट कायम की जाए ताकि गांव से जो भी आए, उसको कम से कम पहले सुविधा तो कुछ मिल जाए। 170 चिकित्सकों का ट्रांसफर किया गया पर एक चिकित्सक ने भी जाकर वहां जाइन नहीं किया। (व्यवधान) 2-4 ने कर लिया होगा, अधिकांश ने जाइन नहीं किया। जाइन नहीं करने के कारण इस अच्छी योजना का एक तरह से अन्त हुआ है।

सभापति महोदय, आर.एम.आर.एस. योजना काफी पहले चालू की थी। एस.एम.एस. में जो आर.एम.आर.एस. थी, उसकी भारतीय जनता पार्टी के शासन में साढ़े तीन-चार लाख रुपये की बिक्री प्रति दिन होती थी। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हैल्थ मिनिस्टर महोदय को और मुख्य मंत्रीजी को, कि 40 ऐसे कम्पाउण्डर मैंने स्वयं ट्रांसफर किये थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे या किसी न किसी गरीब को इलाज करने में कोताही बरतते थे। एक इंजेक्शन में से आधा इंजेक्शन इसको लगाया, आधा दूसरे को लगा देंगे और एक इंजेक्शन की सीधी बिक्री बाहर करते थे। कई केसेज में उन्होंने स्वीकार किया कि हमसे गलती हो गई, 500 रुपये हमने इस मरीज से लिये, आइन्दा से नहीं करेंगे, मेरे खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करें। मुख्य मंत्रीजी के पास भी गये थे। उन्होंने उनका ट्रांसफर नहीं किया। लेकिन आर.एम.आर.एस. का एक मामला ऐसा है जिसको वास्तव में गम्भीरता से लेना चाहिए। बी.पी.एल. परिवारों को जो सुविधा मिल रही है, 25 प्रतिशत आमदनी जो होगी आर.एम.आर.एस. की सोसायटीज को, वह बी.पी.एल. के लिये खर्च होगी, वर्ना बजट से देना पड़ेगा। बजट से देने का प्रावधान अभी तक तो किसी भी सरकार ने नहीं किया है और न ही आप करेंगे। सभापति महोदय, बी.पी.एल. को मेडिकल इंश्योरेंस के माध्यम से यह सुविधा मिले जिसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार आनुपातिक तौर पर खर्च का भार वहन करें, ऐसी व्यवस्था शुरू की थी। लेकिन वह फाइनलाइज होने से पहले ही आचार संहिता लग गई। अभी भी प्रयास करें, इससे ज्यादा लाभ बी.पी.एल. के मरीजों को होगा। अभी इस अभिभाषण में सुपर स्पेशलिटी इलाज के लिए 30 निजी अस्पतालों एवं सैकण्डरी ट्रीटमेंट के लिये 6 अस्पतालों को जोड़ा गया, अच्छी बात है। कूकस और बीछवाल, बीकानेर में इनको जोड़ा है। आमेर के अन्दर अभी जितने भी चिकित्सक हैं, अगर आप इनडोर की और आउटडोर की संख्या देखेंगे तो वहां पर संख्या घटने की है। 15 डाक्टर्स हैं वहां पर, मैंने प्रयास किया था, आरम्भ किया था कि एक रिआर्गनाइजेशन हो डिपार्टमेंट का। अब भी करना चाहिए।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

बहरोड़, अलवर में उपलब्ध सुविधा का उपयोग तो कर नहीं रहे हैं और वहां पर एक और चिकित्सालय ट्रोमा के बारे में सोच नहीं रहे हैं। नेशनल हाईवे का जितना भी निर्माण हो रहा है उसका अधिकांश लोड ट्रोमा सेण्टर्स जहां-जहां खुलेंगे, वहीं पर जाना चाहिए। आज मेडिकल कालेज एसोसिएटेड हास्पिटल्स हैं उनके ऊपर ही जा रहा है। बी.पी.एल. के उपचार के लिये एक न्यू मेडिकल नाम की दुकान एस.एम.एस. के सामने है, 93 लाख रुपये उसके बकाया हैं, उसने दवाई देना बंद कर दिया। आपके डाक्टर पर्ची भेजते रहें चाहे सुपरिंटेंडेंट भेजता रहे। हालत यह है कि स्टोर इंचार्ज सी.एम. रिलीफ फण्ड से जो राशि मिलती है, उसको भी वैरिफाई नहीं करता है जब तक कुछ न कुछ रखा नहीं जाए। इस व्यवस्था को तो सरकार को ही सुधारना है, और कौन करेगा?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह पहले से चली आ रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं बोल लूं, उसके बाद बोल लेना।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपके टाइम इतना बोलेंगे नहीं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप मंत्री बनेंगे उस दिन यह दर्द समझेंगे। नहीं, मंत्री बनना तो मुश्किल है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): कांफ्रेंस डाक्टर्स की होती है, होनी चाहिए और सरकार का भी पूरा सहयोग मिलना चाहिए। अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कांफ्रेंस हुई थी बिड़ला सभागार में और एक और कांफ्रेंस हुई थी इसी चिकित्सा विभाग के किसी अन्य संकाय की। उसका ठेका लेने वाला कौन है? ठेका लेने वाले हैं विभाग के ही पी.आर.ओ.। बड़ा अफसोस होता है कि इस प्रकार के पी.आर.ओ. को भी अभी तक, सब जानते हैं, सरकारी जीपें, सरकारी गाड़ियां काम में आ रही हैं और पी.आर.ओ. वहां पर आराम से, वह नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, कौन पी.आर.ओ. है, आप जानते हैं।

एस.एम.एस. में 8 नए थियेटर बनाए लेकिन 5 माड्यूलर थियेटर का उपयोग दो साल बाद में अब लेना आरम्भ किया। अब आदेश जारी हुए हैं। गरीब को अगर चिकित्सा सुविधा सस्ती उपलब्ध होनी है, तो वास्तव में

(श्री नरपत सिंह राजवी)

जेनेरिक मेडिसिंस पर जब तक सख्ती से कार्यवाही सरकार नहीं करेगी, तब तक सम्भव नहीं हो पाएगा।

चित्तौड़ में हमने यह एक्सपेरिमेंट के तौर पर आरम्भ किया । माननीय सभापति महोदय, आप तो चित्तौड़ के बारे में जानते हैं, खूब कोशिश की, किसी प्रकार से सैटल हो जाए। एक करोड़ से अधिक की जेनेरिक मेडिसिंस हर महीने में वहां के कोआपरेटिव होल सेल भण्डार की दुकानों पर बिकती थीं। बांसवाड़ा में आप जाकर देखें, एक एन.जी.ओ. है, जो कम्पनी का बेनिफिट मिलता है वह भी उसको ट्रांसफर करता है और उनका बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन की यहां पर जयपुर में स्वेच्छा से तो मेरे खयाल से एक पर्ची भी नहीं कटती।

अब उद्योग विभाग के बारे में। इस अभिभाषण में चार बड़े उद्योगों का नाम लिया गया है, होण्डा सी.एल. का तो बताने की आवश्यकता नहीं है। एम.ओ.यू. भी 3 मई, 2007 को हो गया था जब मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे थीं और मैं इण्ड्रस्टियल मिनिस्टर था। सेंट गोबेन का बीडी के अन्दर इन-प्रिंसिपल निर्णय हुआ था, जमीन बाद में अलाट हुई। भावलिया में लाफार्ज सीमेंट का विलम्ब सिर्फ इसलिए हुआ, यह निर्णय पहले हुआ था कि पहले किसी को एक माइनिंग लीज दिया हुआ था सीमेंट फैक्ट्री के लिए, वह सीमेंट फैक्ट्री उन्होंने नहीं लगाई, यह 1993 से 1998 के बीच की बात है। उसके बाद वह कोई सिक हो गये और वह जमीन जो एक बार लीज हो गई थी, वह ट्रांसफर उनको नहीं हो सकती थी इसलिए वह विलम्ब हुआ है। मुख्य मंत्रीजी ने वहां पर आधारशिला कर रखी है और इस अभिभाषण में उसका नाम ले रहे हैं। ये सभी निर्णय बी.जे.पी. सरकार के समय के हैं, अब किस प्रकार के किस मन से इनको धन्यवाद दें?

माननीय सभापति महोदय, इण्डस्ट्रियल मिनिस्टर अभी नहीं हैं, मैंने उनसे यहां पर चर्चा की थी। वर्षों से, जब से रीको चालू हुई है, अधिकारीगण जिनकी वहां पर पुरानी पोस्टिंग रही है, तब से यह व्यवस्था थी कि जो भी 20 परसेंट प्लाट रह जाते हैं, उन प्लाट्स का आक्शन होता है सैचुरेशन होने के बाद और आक्शन के बाद स्वामित्व मिलता है। एक आई.डी.सी. नाम की एक कमेटी है, अधिकारियों की कमेटी है और जैसा एम.डी. चाहें, वैसा ही निर्णय उसमें हो जाता है। अभी एक रूल 3 (डब्ल्यू) में संशोधन किया आई.डी.सी. के माध्यम से और मुख्य मंत्रीजी के चहेते हैं जोधपुर के रहने

(श्री नरपत सिंह राजवी)

वाले, उनको डेढ़ लाख मीटर जमीन के चार प्लाट्स दिए हैं। हमारा आरोप है, मंत्रीजी तो कहते हैं कि इसमें डवलपमेंट होगा, इंवेस्टमेंट होगा, पारदर्शिता है, यह नहीं है, इसके अन्दर भ्रष्टाचार हुआ है। मुख्य मंत्री को फाइल मंगाकर उसे कैंसिल करना चाहिए। यह बात मैं मानता हूं कि रीको और आर.एफ.सी. जैसी संस्था में सीधा हस्तक्षेप सरकार का नहीं होता, लेकिन रूल 38 में वह फाइल पर उसको रोक सकते हैं, अपने पास मंगवा सकते हैं, उसकी इंक्वायरी करवा सकते हैं। लेकिन जब मन में ही यह हो कि विकास हो रहा है, तो मुख्य मंत्रीजी के चहेतों को नाराज कैसे करें। इसमें मुझे मिलने की न्याय सम्भावना नहीं लगती। कम से कम चार हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की जहां पर जमीन आक्शन होने से बिकती, आस-पड़ोस में आज भी बिक रही है, उसकी जगह सात सौ रुपये मीटर में यह जमीन दी है।

एक और निवेदन करना चाहता हूं, अभी एक परिवर्तन किया है कि रीको जो भी प्लाट्स अलाट करेगा, पहले तो व्यवस्था थी कि दो साल में निर्माण करके कमर्शियल प्रोडक्शन करेगा, आज वह व्यवस्था बदलकर सिर्फ छह महीने में कमर्शियल प्रोडक्शन की कर दी है। छह महीने में लघु और सीमांत अगर कोई अति सूक्ष्म इंडस्ट्री होगी तो वह तो चल जाएगी, कोई गट्टी चल जाएगी, चल चक्की चल जाएगी, आयल मशीन, छोटी धाणी चल जाएगी लेकिन बड़ा उद्योग का कारखाना छह महीने में नहीं लग सकता। इस प्रकार की शेख-चिल्ली वाली बातें यहां पर की हैं, वह सम्भव नहीं है, उसको हटाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब वाटर रिसोर्सेज के बारे में। जल संसाधन मंत्रीजी हमारे मित्र हैं, भाई हैं लेकिन मंत्रीजी का बस नहीं चलता डिपार्टमेंट पर। पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कंटिंजेंसी प्लान मई में लागू करते हैं और जून के एंड तक वह कंटिंजेंसी प्लान में जितना भी खर्चा मिलता है, राशि मिलती है उसको खर्च कर देना चाहिए। एम.एल.ए. लैड फंड्स, एम.पी. लैड फंड्स की भी छह-छह, आठ-आठ महीने तक टैक्निकल सैंक्शन जारी नहीं होती। कैसा कण्ट्रोल है विभाग पर? यह कोई डिपार्टमेंट पर तो बजट नहीं है। एम.एल.ए. कहीं पर वास्तव में पानी की कमी है, वहां का अगर सुझाव देगा तो उसमें टैक्निकल सैंक्शन जैसी चीज में छह-छह, आठ-आठ महीने लगें, मैं आपको यह निवेदन कर सकता हूं कि वास्तव में यह बहुत घटिया स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, हर ट्यूबवैल के लिए या हैण्डपम्प के लिए अलग से निविदा, अलग से सैंक्शन होगी। अगर एक कुआं सूख गया, किसी मोहल्ले में उसको रिप्लेस करना है तब भी वह अलग से सैंक्शन होगी। उसके बाद उसका टेंडर अलग से निकलेगा। स्पेसिफिक उसी के लिए। पहले व्यवस्था थी कि जिले में एक बार टेंडर करने के बाद में रेट फिक्स हो जाती थी और उस रेट पर टेंडर प्रक्रिया का जो एक महीने का टाइम लगने वाला है, वह कम से कम कम होता था और कंटिंजेंसी के समय जो विधायक या जनता चाहती, उसी प्रकार से काम हो जाता था। इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

एक वर्ष का समय पूरी प्रक्रिया में अगर लगे या आठ महीने का समय लगे तो मई और जून, ये दो महीने के लिए जब कंटिंजेंसी है, वह तो खर्च होगा नहीं। अगर इसी निमित्त यह किया है तो आम आदमी के लिए कितना आप सहयोग इस बजट के माध्यम से कर रहे हैं, यह सोचने का विषय है।

बूंदी जिले में 300 करोड़ रुपये की लागत से जो बांध बना, पहली बरसात में ही टूट गया। जिस चीफ इंजीनियर ने उसको फिट फार फिलिंग माना है, प्रमाण-पत्र दिया है, उसको सस्पैंड करने में, उसके खिलाफ एक्शन लेने में किसी प्रकार की शर्म है? लेकिन वह भी नहीं हो रहा है। जब तक विधान सभा में इस प्रश्न को नहीं उठाएं विधायकगण, जब तक हंगामा नहीं हो, तब तक आगे बढ़ेगा नहीं।

बहुत से डिवीजनल कमिश्नर्स की रिपोर्ट पढ़ी, विधान सभा की लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी। डिवीजनल कमिश्नर्स की रिपोर्ट से फाइनल नहीं होगा। इच्छाशक्ति से ही फाइनल होगा। अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री गुलाबजी कटारिया कमेटी के चेयरमैन होने के नाते भाखड़ा व्यास मैनेजमैंट बोर्ड, इंदिरा गांधी कैनाल और उधर पूरे क्षेत्र में गये। सभी दलों के माननीय सदस्य भी साथ में थे। पहली बार किसी ने बी.वी.एम.बी. के चेयरमैन से मीटिंग में बुलाकर, कमेटी में बुलाकर चर्चा की और 10 फुट बांध को खाली रखने का वेपकोस के माध्यम से जो निर्णय बी.वी.एम.बी. ने लिया था, वह लिया था पंजाब सरकार के प्रैशर में, दुबारा से उसके ऊपर लेने से ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, घंटी मत बजाओ बीच में। दुबारा से उस पर जांच कराने का निर्णय लिया है। यह बांध अगर पूरा भरेगा तो सैकड़ों

(श्री नरपत सिंह राजवी)

किलोमीटर का जो हमने पैसा दिया है और जिनको जमीन राजस्थान में अलाट हुई है, उसका समुचित उपयोग हो पाएगा।

(समय : 14.49 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

फीडर में 200 फीटर से ज्यादा का कट लगाया हुआ है, सरकार को पता ही नहीं है। उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं। पिछले वर्ष के बजट सैशन में भी कहा था कि हम इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। पंजाब ने अब राशि आबंटन की है ताकि उसके ऊपर काम हो सके।

फोरेस्ट और माइन्स, आज जवाब दे रहे थे मंत्रीजी जोर-जोर से। खुद की पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जहां जनता का डाइरेक्ट इन्वाल्वमेंट होता है। फोरेस्ट विभाग की एन.ओ.सी. बिना माइन्स नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसे भी मामले हैं जहां पर अनदेखी की है और फोरेस्ट डिपार्टमेंट तक भेजा ही नहीं। चाहें भीलवाड़ा का मैनाल का मामला हो, फोरेस्ट एरिया के अन्दर दे दी माइन्स। दो प्लाट्स दिये हैं, दो माइनिंग लीज दी हैं। अभी भी इनकी जानकारी में है तो बुलाकर कैंसिल क्यों नहीं करते? और जिस अधिकारी ने दिये, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन एक्शन लेंगे कैसे? मंत्रीजी ने स्वयं उस अधिकारी को कहा है इसलिये एक्शन लेने की स्थिति में नहीं हैं। सभापति महोदय, चित्तौड़ तहसील की आपको जानकारी है, एक बार मार-पिटाई भी हुई थी। पूरा गांव एक साथ भी हो गया था। यहां पर चार हैक्टेयर से कम माइनिंग लीज देने पर रोक थी, पर एक-एक हैक्टेयर पर भी 25 माइनिंग लीज दी हुई हैं। मैंने पिछले वर्ष मंत्रीजी को पत्र लिखा था, एक की तो कैंसिल कर दी लेकिन बाकी पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

कृषि विभाग, हम मौनी बाबा को तो बहुत कहते हैं, बुजुर्ग हैं हमारे माननीय मंत्रीजी, लेकिन न तो उनके खुद के समझ में आती है और न समझने की उनकी इच्छा है। सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन में मोनसेटो जैसी 6 कम्पनियों से एम.ओ.यू. साइन किये। उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारा होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जितने भी हमारे फील्ड हैं, उसके अन्दर एक्सपेरिमेंट होगा, सांइटिस्ट हमारा होगा, मैन पावर हमारा होगा और सारा बेनिफिट वह कम्पनी लेकर जाएगी। तीन महीने में इसको रिव्यू करने की बात थी, अभी तक तो रिव्यू हुआ नहीं है। जो उस समय प्रिंसिपल सैक्रेटरी थे, वह चीफ सैक्रेटरी बने हुए हैं, अब इसको कौन जल्दी हिलाएगा?

(श्री नरपत सिंह राजवी)

वेयर हाउसिंग का तो सीधा-सीधा-सा है, टेण्डर किया और जितने भी हैं उनमें से 34 वेयरहाउसेज तो दे चुके हैं। और दिया किसको है? हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी, सदन के नेता के अति घनिष्ठ मित्र भनोत साहब को। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन की एक सब्सिडियरी है शुभम लोजिस्टिक। साथ में यह भी एक व्यवस्था की है, सभापति महोदय, कि एक धर्मकांटा बनाएंगे, ताकि तौलकर सामान अन्दर रखा जा सके। इस पर अगर अंकुश नहीं रखा तो गरीब किसान से जबरदस्ती तुलवाई का पैसा वसूल किया जाएगा। रेट फिक्स करने की एम.ओ.यू. के अन्दर कोई व्यवस्था नहीं है।

एक्साइज डिपार्टमेंट में तो हमारे मंत्रीजी जरूर सूंघ लेते होंगे, हालांकि इंजेक्शन लगाते वक्त स्पिरिट की खुशबू कैसी आती है, इनको जानकारी नहीं है। लेकिन इस जहरीली शराब के कारण कितनी डैथ हुई हैं, यह सोचने का विषय है। प्रिंसिपल सैक्रेटरी फाइनेंस बैठे हैं, यहां पर टैक्स का, सबको जोड़कर जितनी कीमत बताई है, पहले तो यहां से गुजरात और दूसरी जगह जाता था, जहां पर पाबन्दी थी, आज गुजरात से यहां पर आता है। जहां शराब माफिया को संरक्षण हो तो फिर मंत्रीजी को तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पांडिचेरी जो शराब ट्रांजिट में जाने वाली थी, हमारे यहां पर एक माननीय विधायक हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप संक्षिप्त करें। छोटा करें, टाइम हो गया।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): टाइम तो हो गया। टाइम पांच साल नहीं होगा।

श्री सभापति: काफी टाइम मिल गया। अब आपकी पार्टी का टाइम नहीं बचा है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप और बातें करेंगे तो और होगा। ऐसे थोड़ा-सा समझें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप मुझको तो कम से कम न समझाएं। मैं आपको समझाने के लिये यहां पर बैठा हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मैं पहला वक्ता हूं और इसमें तथ्य के अलावा एक वर्ड भी हो तो उसको काट दो। अब एम एल ए के लिप्त होने की बात है और उसमें दर्द हो तो उसको I will not take it otherwise.

श्री सभापति: Another two minutes are given to you.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ला एण्ड आर्डर, आबादी बढ़ने के अनुपात में क्राइम रेट बढ़ती है तो समझ में आता है। लेकिन उससे ज्यादा बढ़े? एफ आई आर दर्ज करने में एक उदाहरण है, दो महीने तक एफ आई आर दर्ज नहीं हुई अण्डर इन्वेस्टीगेशन। कम से कम इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगना चाहिये। पुलिस कमिश्नर सिस्टम तो यहां पर लगा दिया, लेकिन जयपुर में सभी माननीय विधायकगण आते भी हैं, रहते भी हैं और जयपुर से जितने आने वाले माननीय विधायक हैं, वे यह बता सकते हैं और कह सकते हैं कि जयपुर शहर के पुलिस कमिश्नर डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी अधिकारी, एस.आई. और ए.एस.आई. हैं, 99 परसेंट जमीन का धंधा, रीयल एस्टेट का बिजनस करते हैं। उनको पुलिसिंग से कोई मतलब नहीं है। रूरल पुलिसिंग और अरबन पुलिसिंग में अन्तर है, लेकिन अरबन पुलिसिंग में अलग से ट्रेनिंग व्यवस्था करके इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। यह बात तो स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने सभा में स्वीकार की थी कि थानेदार की जानकारी के बिना चोरी और डकैती नहीं हो सकती। फिर ऐसे थानेदार को यहां पर रहने देना मेरे खयाल से सरकार की कमजोरी है।

ट्यूरिज्म के संबंध में बड़ी जोर से और हिम्मत के साथ पारदर्शिता, रेस्पांसिबल होने के बाद में बी.डी. का कहा कि यह आपके समय में हुई। हां हुई, लेकिन जून, 2001 में यह इन-प्रिंसिपल डिसीजन हुआ था और एम.ओ.यू. का ड्राफ्ट भी उसी के साथ में बी.डी. में रखा गया था। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण अगर मंत्रीजी के पास हो, जब तक तो उनको यह विभाग दिया ही नहीं था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ऐसे समाप्त नहीं होगा। समाप्त तो पूरी बात करके ही करूंगा। सभापति महोदय, इसका कहने के बाद में दूसरा बी.डी. का डिसीजन हुआ 2003 लास्ट फेज में।

श्री सभापति: नहीं, यह तो व्यवस्था की बात नहीं हुई।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो फ्लो खराब नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आसन को चुनौती।

श्री सभापति: श्री श्रवण कुमार। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ): कह रहे हो, घंटी मत बजाओ। What is this?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): श्रवण कुमारजी को बुलवा लें, सभापति महोदय।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): जिन मीटिंग्स की बात आप कर रहे हैं, आप तो वहां मौजूद ही नहीं हुआ करते थे उन कैबिनेट मीटिंग्स में, जनाब।

श्री सभापति: बहुत वक्त बीत गया। आपकी पार्टी ने आलरेडी एक घंटा 25 मिनट ज्यादा लिये हुए हैं। आपने 2.33 पर शुरू किया था, अब आप देखियेगा। औरों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिये न। श्री श्रवण कुमार जी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ये एलीगेशंस हैं, थोड़ा सुन लें।

श्री सभापति: I have already requested you.

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ): जब समय था तब तो कुछ किया नहीं, अब बात करते हैं। पहले टाइम आया था, तब कुछ किया क्या? कुछ करने का था नहीं, मेडिकल ...(व्यवधान) बैठ गये।

श्री सभापति: श्री श्रवण कुमारजी, आप बोलिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पैलेस आन व्हील्स की भांति पर्यटन बढ़ाने के लिये राजस्थान रायल्स ट्रेन चालू की।

श्री सभापति: आपका समय समाप्त। अब समाप्त करिये, माननीय। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): टेण्डर किया गया, आज जिस पार्टी को टेण्डर ...(व्यवधान) उस पर काम नहीं हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, आज 13वीं विधान सभा में षष्ठ सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: इनका अंकित नहीं होगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इतने सीनियर मैम्बर ऐसे करेंगे तो क्या होगा?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आसन को

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

खुलेआम चुनौती दी जा रही है, सदन में व्यवस्था के लिये मेरा आपसे निवेदन है, व्यवस्था बनाई जाए। इतने वरिष्ठ माननीय सदस्य खुलेआम आसन .. (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय घनश्यामजी, आप अपने सदस्यों को सम्भालें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय घनश्यामजी, आप अपने सदस्यों को सम्भालें और हाउस को आर्डर में लीजिये आप।

श्री सभापति: श्री श्रवण कुमारजी, आप जारी रखें। आप कृपया विराजें। कृपया विराजें। (व्यवधान) आप कृपया विराजें। Have you heard what did you say?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री सभापति: सदन और माननीय सदस्य, आपकी गरिमा रखते हुए मैंने आपसे यह प्रार्थना की है कि please take your seat.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री सभापति: श्री श्रवण कुमारजी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज 13वीं विधान सभा में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हिन्दी में बोलता हूं, छठे सत्र में मैं सोचता हूं, शास्त्रीजी बैठे हैं तो संस्कृत में बोल दूं। छठे सत्र में मुझे बोलने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं एक छोटे-से दोहे के साथ शुरू करता हूं:-

'हर बात ऐसी करो कि इतिहास बन जाए,
हर कदम के गवाह चांद और तारे बन जाए।
किस्मत के भरोसे जिन्दगी मत डगमगाओ,
कर्म ऐसे करो कि किस्मत खुद ही बन जाए।।'

यह आप लोगों के लिये कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य आंकड़े दे रहे थे, आंकड़ों से देश नहीं चलेगा। आंकड़े बहुत दे दिये, 62 वर्ष तक आंकड़े दे दिये। आंकड़े इन्होंने भी दिये, इधर से भी दिये, पर आंकड़ों से कोई भला आज तक नहीं हुआ। आज सबसे बड़ी इस देश में विकट समस्या है वह तीन बिन्दुओं पर रूकी हुई है- भ्रष्टाचार, जाति और

(श्री श्रवण कुमार)

आतंकवाद। ये तीनों समस्याएं जब तक साल्व नहीं होंगी, तब तक किसी भी देश और प्रदेश का भला नहीं हो सकता। आज कलक्टर का अपहरण कर लिया, कभी पुलिस का अपहरण कर लिया और उन लोगों की जो मांग है, वह पूरी किये बगैर छोड़ते नहीं। आतंकवाद का मामला है। भ्रष्टाचार, मैं आपको आत्मा से कह रहा हूं, हाउस को शर्म आए कि नहीं आए, मुझे मालूम नहीं, पर जिन लोगों को छोड़कर आये थे, भ्रष्टाचार से पूर्णतः दु:खी हैं वे लोग।

(समय : 15.00 बजे)

आज थाने जाएं, थानेदार उसकी बात नहीं सुनता है। तहसील में जाएं, तहसीलदार उसकी बात नहीं सुनता है। बिजली बोर्ड में जाएं, वहां कोई उनकी बात नहीं सुनता। मुझे पीड़ा इस बात की है कि इसी गरीब किसान ने देश की आजादी के लिए तिरंगा झण्डा लेकर बिगुल बजाया था, अंग्रेजों को विवश किया था और बर्मा से बाहर उनको जाना पड़ा था। वह कौन था? वह हिन्दुस्तान के गरीब किसान का बेटा था। सुभाष चन्द बोस और भगत सिंह जैसे लोग, गांधी जैसे लोग। गुरु गोविन्द सिंहजी के बेटे को दीवारों में चिनवाया गया। बात कहने के लिए सब लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आंकड़े पेश कर रहे हैं। अभी माननीय सदस्य आंकड़े पेश कर रहे थे, उद्योग मंत्री थे, चिकित्सा मंत्री भी थे। कभी नर्स गांव में गयी नहीं, डाक्टर गांव में गया नहीं, भाषण करते थे। केवल भाषण करने से देश चल जाएगा? आपकी आत्मा कभी यह कहती थी क्या कि मेरा गरीब किसान जो झोंपड़ी को छोड़कर आया है, वह किसान चिकित्सा के अभाव में रो रहा है? पानी के अभाव में रो रहा है, शिक्षा के अभाव में रो रहा है और सड़क के अभाव में रो रहा है? राजेन्द्रजी दुनियाभर की बातें करते थे, कहते थे कि सड़कों का जाल बिछा देंगे। कहां है वह जाल? चूरू जिले में बिछाया वह जाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपके कहने से आपके यहां भी बनवायी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरे कहने से कुछ नहीं किया। केवल बातें करते थे। ड्रामाबाज हैं। घूम-घूम कर बातें करते हैं, इधर भी देखते हैं और उधर भी देखते हैं। पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन लोगों को मौका मिला, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। केवल अपना फायदा उठाया। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपको मंत्री नहीं बनाएंगे। जब आप लोग मंत्री

(श्री श्रवण कुमार)

बनने का सपना भी नहीं देखते थे तब मुझे मंत्री बनाने के लिए भैरोंसिंहजी ने तीन दिन तक बैठाये रखा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप मुख्य मंत्री बनने की कोशिश में थे इसीलिए रह गये। अभी तक लटक रहे हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं बनना नहीं चाहता था। मंत्री किसी के आशीर्वाद से नहीं बनूंगा। तकलीफ जिन्हें सहने की आदत नहीं, तूफानों से उसको टकराने की जरूरत नहीं। जो लोग खुद जीया करते हैं उनको दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आज महती आवश्यकता है चिकित्सा, शिक्षा, बिजली और पानी की। आज किसान का बेटा जब तहसील में जाता है तो तहसीलदार उससे बात तक नहीं करता है। यह पीड़ा सबको होनी चाहिए। थाने में जाता है तो थानेदार मुंह घुमाकर बैठ जाता है और बिजली बोर्ड में जाता है तो ए ईएन बात तक नहीं करता। हमारा सपना तब पूरा होगा, बासठ साल की आजादी का जब गरीब किसान, खेत और खलिहान का बूढा आदमी तहसील में जाए तो तहसीलदार खड़ा होकर पूछे कि बाबा, तेरी पीड़ा क्या है। थाने में जाए तो थानेदार खड़ा होकर पूछे कि बाबा तेरी समस्या क्या है। बिजली बोर्ड का ए ईएन खड़ा होकर पूछे कि बाबा तेरा काम क्या है। उस दिन देश की आजादी का पैगाम गरीब झोंपड़ी तक पहुंच जाएगा। सुभाष चन्द बोस और भगत सिंह का सपना यह था कि देश की आजादी खेत और खलिहान से गुजरे।

एक बार भगत सिंह स्कूल में पढ़ रहा था। एक अंग्रेज का बेटा उसकी कुर्सी पर बैठ गया। भगत सिंह ने उसका हाथ पकड़ कर खड़ा कर दिया। अंग्रेज के बेटे ने कहा कि यह कुर्सी मेरी है। तो भगत सिंह ने कहा कि हिन्दुस्तान में तुम्हारी कोई कुर्सी नहीं है, यह भगत सिंह की कुर्सी है। तब भगत सिंह को अंग्रेज ने पांच दिन तक जेल में डाल दिया। जब वह वापस लौटकर आया तो भगत सिंह की मां रोने लग गयी। भगत सिंह ने कहा कि मां, तू क्यों रो रही है। तो मां ने कहा कि बेटा मैं इसलिए रो रही हूं कि हिन्दुस्तान की मां की कोख से भगत सिंह पैदा तो हुआ और कहा कि यह कुर्सी हिन्दुस्तान की है। आज लोगों में लालच हो गया कि पैसा कहां पड़ा है, पैसा कमा लूं। ऐसे पैसे से नींद नहीं आती, बिस्तर बढ़िया खरीदा जा सकता है। पैसे से किताब खरीदी जा सकती है लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। पैसे के चक्कर में सब लोग पागल हो गये। हिन्दुस्तान की आजादी का पैगाम पैसा

(श्री श्रवण कुमार)

नहीं था। आज मुझे दर्द है इस बात का, किसान का बेटा जब कलक्टर के पास जाता है, कलक्टर बोलता है, साढ़े चार बजे ही मिलूंगा और कलक्टर साढ़े चार बजे भी नहीं मिलता है। कहा जाता है कि कलक्टर साहब मीटिंग में बैठे हैं। वह गरीब लाठी वाला बाबा सर्दी में रात को साढ़े पांच बजे कहां जाएगा? किसी के दिल में दर्द आया कि कलक्टर प्रजातंत्र में हमारा नौकर है? वह नौकर गरीब किसान से बात नहीं करे! भाषण करते हो बड़े-बड़े, चाहे आप आओ और चाहे ये आएं। पीड़ा तब दूर होगी जब किसान का दर्द आपके दिल में आए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): नेता हो तो श्रवण लाल जैसा हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नेता तो नहीं हो, पर मैं एक बात दिल से कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं। मैं आज भी कहता हूं पर नेता तो नहीं हूं, पर मेरी तीस साल की राजनीति में कोई भी वन्दा खड़ा होकर यह कह दे कि श्रवण कुमार तूने मेरी चाय पी और एक रुपया भी रिश्वत का लिया हो तो मैं इस सदन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे पीड़ा इस बात की है कि आप लोग केवल बनावटी बातें करते हो। किसान की बातें गले से करते हो, दिल से नहीं करते हो। आप किसान की पीड़ा नहीं जानते हो। जिसके पांव न फटे बिवाई वह क्या जाने पीर पराई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप माननीय सदस्य की प्रशंसा सदन से बाहर करें तो अच्छा रहेगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप ठीक कह रहे हैं। भगत सिंह का सपना यह नहीं था कि केवल पंजाब आजाद हो। जब सुभाष चन्द बोस परीक्षा देने जा रहा था आई एफ एस की, लास्ट पेपर था, उसमें लिखा था, Genius are generally dishonest, उस पेपर को पढ़ा। उसने जाकर निरीक्षक को कहा कि यह क्या लिखा है। उसने कहा कि जो लिखा है वह आप पढ़िए और उत्तर दीजिए। उसने कहा कि जिस देश की माटी में पैदा हुआ हूं जिस मां की कोख से पैदा हुआ हूं उसको मैं पढ़ूंगा, "Genius are generally dishonest." उसने पेपर को फाड़ दिया और वापस आ गया। आज हिन्दुस्तान के लोगों को पांच लाख रुपये देकर कुछ भी कहलवा लो, वह आराम से कह देगा। वह सुभाष चन्द बोस जिसने देश के लिए अपनी आई एफ एस की नौकरी छोड़ दी हो और देश की सेवा में लग गया। हमारा सपना यह होना चाहिए, जैसे आज सड़क की बात आती है, सड़क मंत्रीजी यहां अभी हैं नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि सड़कों के किनारों के ऊपर लोगों ने कुल्डी लगा रखी है, खेती

(श्री श्रवण कुमार)

कर रखी है। ए ईएन लोग पास से गुजर जाते हैं, उनकी आंखें नहीं क्या? फूट गईं क्या आंखें? कोई नहीं सोचता कि रात को बारह बजे अगर सामने से आ जाए और परावर्तन का नियम होने से टकरा कर मर जाए? किसी भी एक्स ईएन या ए ईएन ने एक्शन लिया हो तो मुझे बता दो। घनश्यामजी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? किसी के दिल में यह दर्द नहीं आया। राजेन्द्रजी पांच साल पी डब्ल्यू डी मंत्री रहे, कि गलती करने वाले को दण्ड दे दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। किस-किस को दण्ड दिया और किस-किस को बख्शा, यह बता दो? कोई भी आदमी के दिल में यह दर्द नहीं आया। बी ओ टी रोड बना दी, इसमें हम पैसा देते हैं, उसके ऊपर एक हजार ब्रेकर बना दिए। गुजरात में आपको रोड के ऊपर ब्रेकर नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था सरकार की और मंत्रियों की होनी चाहिए। एक आदेश जाना चाहिए कि कोई भी बी ओ टी रोड के ऊपर ब्रेकर नहीं होगा। सड़कों की हालत खराब हो रही है। छह महीने पहले सड़क बनवायी थी, सारी टूट गयी।

सभापति महोदय, आज मैं आपको आत्मा से कह रहा हूं, चलने का जी नहीं करता। सोचते हैं, जिस सड़क पर चलते हैं, जिस सड़क पर जाएंगे, शाम को बीमार हो जाएंगे। यह क्यों? क्योंकि कथनी और करनी में जिसके अन्तर हो जाता है तब ऐसा होता है। जिसकी कथनी और करनी में अन्तर होगा, क्वालिटी और क्वान्टिटी में अन्तर होगा, इच्छा और इच्छाशक्ति में अन्तर होगा, तब यही हाल होगा। हमारी इच्छा तो सबकी है कि भ्रष्टाचार दूर हो, पर इच्छाशक्ति नहीं है। जब तक इच्छाशक्ति नहीं होगी तब तक इस समाज का भला नहीं हो सकता। हमारा सोच सबका एक होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है वह देशद्रोही के दायरे में आना चाहिए। कोई भी अधिकारी यदि भ्रष्टाचार करता है, वह समाज का नहीं इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही होना चाहिए। लाखों, करोड़ों और अरबों रुपये स्विस बैंकों में जमा करवा दिये, मैं कहता हूं कि नेताओं और बड़े अफसरों को झड़का लो, बीस साल तक अकाल का काम चल सकता है इस देश में। कितना पैसा इनके पास है, कितनी पूंजी इनके पास है! एक को झटका मारो, पच्चीस सौ रुपया आकर पड़ेगा। कहां दबा रखे थे? हजार-हजार के नोट बोरियों में रखकर कमरे में रखे हैं, किसी को मालूम ही नहीं है। केवल भाषण करते हैं, टाइम पास करते हैं। टाइम पास करने से इस देश का भला नहीं होगा। एक बार आते हो, दूसरी बार चले जाते हो। जनता पागल नहीं है। सोच लिया कि आप लोग काम करने वाले नहीं हैं इसलिए एक बार हारते हैं, एक बार जीतते हैं। मैं कहना चाहता हूं

(श्री श्रवण कुमार)

कि तन्हाइयों में दम घुटता है, लगता है कि मर जाएंगे। दीवारों को आखिर कब तक हाल सुनाएंगे। इस खुदगर्ज शहर में तेरा कोई नहीं, यहां साथी के हाथ खंजर है, फिर हम किसको जख्म दिखाएंगे। हर हाथ में खंजर है, जख्म किसको दिखायेंगे? जिसके पास जाते हैं वही कहता है कि मैं भी दुःखी हूं। सभी दुःखी क्यों हैं? उसका कारण तो कुछ है ही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): शिक्षा मंत्रीजी के बारे में कुछ बता दो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शिक्षा मंत्रीजी की भी बता दी और आपकी भी बता दी। आप रहे तो आपने डुबोया और शिक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने भी यही किया। बदलेगा कौन? खून और स्ट्रक्चर वही है, भावना वही है, दिल वही है और दिमाग वही है तो फिर क्या हाल है? कुछ कभी इधर बैठ जाते हैं, कुछ उधर बैठ जाते हैं। हम बीच में बैठते हैं।

माननीय कृषि मंत्रीजी, आप मेरी एक बात सुनेंगे? आपको मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लोगों ने कन्वर्जन की जमीनों में स्कूल्स बना लीं, भवन बना लिया। दो-दो, तीन-तीन साल से कलक्टर के यहां कन्वर्जन की फाइलें पड़ी हुई हैं, कोई उस पर आंक लिखता नहीं है। कलक्टर को कहते हैं तो वह कहता है कि कोई और आएगा वह कर देगा। इसी तरह करते रहे कि तू पहले तू पहले तो इस तरह से तो ट्रेन निकल जाएगी। पांच साल ही तो हैं न। हजारों बार दबाव देने के बाद भी कन्वर्जन की फाइल नहीं निकली। मंत्री यहां विराजे हुए हैं, बहरोड से एक गरीब आदमी आया, उसकी दो साल से फाइल घूम रही थी, मैंने मंत्रीजी को कहा। मंत्रीजी बोले, सैक्रेटरी से मिलो। सैक्रेटरी से मिला तो सैक्रेटरी बोले, फाइल ही खो गयी। यह मैं आपको बहुत आत्मा की बात कह रहा हूं, मंत्रीजी सामने बैठे हैं। फिर मैंने कहा, सैक्रेटरी साहब, कलक्टर आपसे नीचे है, फाइल मंगा लो। फिर वो फाइल मंगायी और ढाई साल बाद उसका कन्वर्जन किया। यह काम किसका है? हमारी सरकार का है कि कन्वर्जन के पैसे जमा होंगे, सरकार में रेवेन्यू आएगी और अगले का काम बन जाएगा? कितना छोटा काम है! एक मिनट का काम है, करने के लिए पहाड़ बन गया। करता कोई है नहीं, केवल बातें करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, रास्ते की बात आयी कि खेतों को रास्ता देंगे, यहां पास भी कर दिया, आज तक उसको नियम में लागू नहीं किया। यह क्या है? जब कोई काम करना ही है तो तत्काल गति देने का नाम भी काम है और धीरे-धीरे, स्लो करने का मतलब है कि काम का विनाश हो गया।

(श्री श्रवण कुमार)

माननीय सभापति महोदय, आज सरकारी भूमि पर लोगों ने 20-20, 25-25 बीघाओं पर कब्जा कर रखा है, 50-50 बीघा पर कब्जा कर रखा है। गरीब ने तो अगर एक बाड़ा भी बना लिया तो तत्काल तहसीलदार जाएगा, कि क्या कर रहे हो। साहब, कुछ नहीं कर रहा हूं। हटाओ इसको। उसको वह सामने कहेगा कि, साहब, यह 25 बीघा पर कुआं बना रखा है, इसका क्या करेंगे। बोलता है, यह मेरा काम नहीं है। यह किसका काम है? पर सारे लोगों में यह भावना तब आएगी जब सारा मिश्र की तरह मामला जम जाएगा। क्योंकि भावना सब की जागेगी और तब जागेगी जब बहुत बड़ी पीड़ा हो जाएगी। गुब्बारा भी आकाश में उड़ता है और सतह पर जाकर फूटता है, जब भारी हवा का दबाव पड़ जाता है तब फूट जाता है। सारा सिस्टम गड़बड़ है, कोई सोचने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं, कोई बात बोलते हैं तो, साहब, काम तो कर ही रहे हैं, और क्या कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य हास्पिटल की बात कर रहे थे, मानसरोवर में सैकण्ड एस.एम.एस. बना हुआ पड़ा है जिसमें खड्डे कर रखे हैं। पड़ा है न मानसरोवर में, बी.जे.पी. सरकार ने बनाया था, चालू क्यों नहीं किया? क्या पीड़ा थी? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अब आप चालू करवा लो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तो मैं आपसे ही तो पूछूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमने तो नहीं किया, अब आप चालू करा लो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम तो करेंगे ही।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उस समय तक वो कमप्लीट नहीं हुआ था, कमप्लीट होने के बाद ही चालू होता है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अच्छा, आप बताएं, वो कमप्लीट नहीं हुआ, माननीय मंत्रीजी हैं क्या, मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, एस.एम.एस. में लोगों को सोने के लिए जगह नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं। चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी और सड़क, पांच मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो 62 वर्ष के बाद भी हमें देने की अति आवश्यकता है। वो अभी तक नहीं दीं, तो पीड़ा किस की है? जो सरकार चलाए, उसकी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): हम तो आन्दोलन कर लेंगे, आप में हिम्मत है क्या आन्दोलन करने की साथ-साथ?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप आन्दोलन क्यों कर रहे हो? जब मौका मिला तब काम क्यों नहीं किया आपने? आन्दोलन कर देंगे, आपका काम ही आन्दोलन करने का है, दीवारों पर चढ़ कर भाषण देने का। काम क्यों नहीं किया उस समय? आप एक बात कहते हो, आन्दोलन कर लेंगे, जब आपको काम का मौका मिला तो काम क्यों नहीं किया? आन्दोलन कर लेंगे, बी.जे.पी. वालों का यही तो काम है, आन्दोलन कर लेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पूरी जानकारी नहीं हो तो थोड़ा तथ्य कलैक्ट कर लें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अच्छा, जानकारी नहीं है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेश तो दूसरे को बढ़िया लगते हैं। आपने तो क्या कह रखा है, आपने तो यह सोच रखा है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ेगा पर भड़भूजे की आंख पक्की फोड़ेगा, नोट कर लेना आप। यह क्या है? हमें उपदेश देने की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वह भड़भूजा कौन है, यह और बता दो साथ-साथ में।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): भड़भूजा तो आपको मालूम है सब, आप जानते भी हो लेकिन आप ड्रामेबाज ज्यादा हो न।

हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का सोच यह है कि भ्रष्टाचार नहीं हो, पर क्या है कि स्थिति आप लोगों ने ऐसी बना कर छोड़ दी कि वो भ्रष्टाचार अभी तक जड़ से उखड़ नहीं रहा है, एक बार और मौका मिल जाएगा पांच साल का, तब, उखड़ जाएगा। यहां पर सब लोगों की भावना एक ही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात कहें, आप इनके साथ बातचीत में न उलझें, आपका टाइम खराब हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, इनको बातों ही बातों में रोकना पड़ेगा, ये रुकते नहीं हैं ऐसे।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा की बात आयी, गांवों में चिकित्सा की बात है, आपको भी पीड़ा है, आप भी उस क्षेत्र से आते हो जहां गरीब रहते हैं। आज डाक्टर है, शाम को चार बजे कोई भी बाबा गांव की झोपड़ी में बीमार हो जाए तो डाक्टर आपको नहीं मिलेगा, नर्स नहीं मिलेगी, कम्पाउण्डर नहीं मिलेगा। 62 वर्ष के बाद भी गरीब की झोपड़ी में अभी तक डाक्टर का ठहराव सिद्ध नहीं कर पाये, ठहराव पक्का नहीं कर पाये। आपको नर्स नहीं मिलेगी। पशुओं का डाक्टर भी नहीं मिलेगा, कोई छोटा कर्मचारी भी

(श्री श्रवण कुमार)

शाम को साढ़े चार बजे बाद में गांव में नहीं मिलेगा। इसका मतलब सुधार कौन करेगा? यही सोचते रहेंगे क्या कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया? मैं कह रहा हूं कि जो भी आदमी बैठा है उसकी लायबैलिटी बनती है, उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो उसको सुनिश्चित करे कि डाक्टर गांव की झोपड़ी में रात को 12 बजे भी मिले। आप यह नहीं कर पाते हो तो मैं कहता हूं, ऐसी सरकार चलाने से आपको कोई फायदा नहीं। सरकार चलने का मतलब तब है। आप लकीर के फकीर हो गये, आपने भी कुछ नहीं किया। 70 आदमी मर गये, ये बातें कहते-कहते पूरे साल निकल जाएंगे। 70 आदमी मर गये, वो भी मर गये, कोई भी मर गया, बुरा हुआ, इसमें मैं धन्यवाद नहीं देता हूं। 70 आदमी मरे, बहुत बुरा काम हुआ, पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जनता ने सरकार में परिवर्तन जब लाने की भावना जगायी तो परिवर्तन आना ही चाहिए न। किसी का पशु बीमार हो जाए, आदमी तो जीप में बैठ कर आ जाएगा, पशु काहे में बैठ कर आएगा? पशुओं का डाक्टर भी शहर में बैठा है।

ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर सब के दिल में दर्द है तो यह भावना कहनी चाहिए। केवल ट्रांसफर करना और 33 हजार रुपये तनख्वाह लेने से इस देश का भला नहीं हो सकता। जब कोई काम मिला है, जब जनता ने आपको मौका दिया है। मौका इसलिए नहीं दिया कि आप बहुत सुन्दर हो, मौका इसलिए नहीं दिया कि आप बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए नहीं दिया कि आप बहुत बड़े परिवार के आदमी हो, इसलिए दिया कि हमारी बात सुनेंगे और हाउस में जाकर हमारी बात कहेंगे।

मैं कहना चाहता हूं सभी मंत्रियों और सदस्यों को कि आलोचना करने से कोई हमारा भला नहीं हो जाएगा, हमें सुझाव देना चाहिए। सुझाव से इस देश का भला हो सकता है और सुझाव को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सुझाव लेकर जेब में डाल कर गेट से बाहर खाली कर देंगे, उससे काम नहीं चलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं इन लोगों को वो बात बताना चाहता हूं जो जमीन पर लागू है। आज शिक्षा की हालत यह है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, परसों मैं एक गांव में गया और एक स्कूल को मैंने देखा, उसमें एक अध्यापिका है और वहां गरीबों की लड़कियां पढ़ती हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ेगा? वो लड़कियां खड़ी होकर रोने लग गयीं। मैंने कहा, बेटी, क्या हो गया? बोली, न कोई गणित का अध्यापक है, न कोई साइंस का अध्यापक है, न इंग्लिश का है। एक

(श्री श्रवण कुमार)

पी.टी.आई. है। मैंने कहा, पी.टी.आई. कौन? बोले, यह कुछ पढ़ाता नहीं है। सुबह प्रार्थना करा देते हैं, हम बैठ कर उलटी चली जाती हैं। यह पीड़ा का विषय है।

मन में पीड़ा आती है। अगर एक दर्जी गड़बड़ करता है तो एक कपड़ा खराब कर सकता है, एक मिस्त्री गड़बड़ करता है तो एक मकान खराब कर सकता है, एक इंजीनियर गड़बड़ करता है तो एक बिल्डिंग खराब कर सकता है, एक डाक्टर गड़बड़ करता है तो एक आदमी को मार सकता है। पर एक अध्यापक गड़बड़ करता है तो वो समाज को डुबो सकता है और वो समाज डूब रहा है अध्यापक के अभाव में।

सरस्वती मां के लिए मालूम है कि क्या कहा? सरस्वती मां के लिए कहा, मां, तेरी उपमा चांद से करूं? कहा, नहीं मां, चांद में दाग है, तू पवित्र है। कहा, मां, तेरी उपमा समुद्र से करूं? कहा, नहीं मां, समुद्र का पानी खारा है, तू मीठी है। कहा, मां तेरी उपमा सूरज से करूं? कहा, नहीं मां, सूरज गरम है, तू ठण्डी है। यह सरस्वती मां अपने आप में मां है, इसके साथ कोई खिलवाड़ करता है वो समाज, वो देश, वो प्रदेश बच नहीं सकता।

आज समाज में महती आवश्यकता है शिक्षा की और वो शिक्षा किस कदर डूबी हुई है कि स्कूल में अध्यापक नहीं, स्कूल में चपरासी नहीं। सीनियर स्कूलों की हालत यह है कि कम्प्यूटर लगाये, रात को चोर उठा ले जाते हैं। बिजली नहीं है स्कूलों के अन्दर। जिस देश-प्रदेश का पानी दूषित, हवा दूषित और जिस देश का शासक दूषित और प्रशासक दूषित, फिर इस देश में कह रहे हैं, विकास हो रहा है। कहां हो रहा है? पानी बोतल में आ गया, विकास कम्प्यूटर में फीड हो गया, दूध थैली में आ गया और बड़े आदमी सब पैसे के पीछे भाग लिये। फिर विकास कहां है? विकास उसका नाम है कि विकास करते हैं वो नजर आना चाहिए।

मैं बहुत कुछ कह सकता हूं पर मैं यह नहीं चाहता हूं कि आप मुझे टोको और मैं फिर बोलता ही रहूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस समाज में विकास की महती आवश्यकता है, विकास कब होगा? जब प्रत्येक व्यक्ति के दिल में भावना जागेगी कि जिन लोगों ने हमें एक-एक वोट देकर भेजा है, उनका विकास हो। अब कहते हैं, साहब, आई.ए.एस., आई.ए.एस. क्या करेगा? मंत्र ओरिजिनल होगा तो तंत्र पर जाकर टिकेगा तो तंत्र फड़फड़ाएगा। जब मंत्र

(श्री श्रवण कुमार)

ही गड़बड़ होगा तो तंत्र पर असर ही नहीं होगा। मंत्र अगर ओरिजिनल होगा तो तंत्र को फड़फड़ाना पड़ेगा और मंत्र जो ओरिजिनल नहीं होगा तो तंत्र फड़फड़ाएगा नहीं। हमारे जरूरत है मंत्र की और मंत्र कौन है? ये बैठे हमारे मंत्री। अगर ये सही हैं तो तंत्र को फड़फड़ाना पड़ेगा, कोई ताकत नहीं है। अगर शेर सामने बैठा रहे तो बकरी पत्ता नहीं खा सकती, मींगणी कर सकती है। यह ताकत है दुनिया की। इरादे अटल हों तो जुनून चाहिए। दिल पर लिखने को मजमून चाहिए। स्याही से नहीं लिखी जाती शहादत, शहादत लिखने को खून चाहिए।

अब कोई कहता है कि, साहब, आश्वासनों से देश चलेगा, नहीं चलेगा। अधिकारी हैं, इस बात को मानना पड़ेगा कि मैं भारत सरकार का, राज्य सरकार का, स्टेट का नौकर हूं, मुझे काम करने के लिए मौका मिला है, मुझे काम करना चाहिए। हम लोगों को यह समझाना चाहिए कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक-एक वोट झोपड़ी से, गरीब खेत से, खलिहान से लिया है। 60-70 वर्ष का बाबा है, खाट पर डाल कर उसको लेकर आये, बाबा ने बटन दबाया, तब यहां आये हैं। बाबा का बटन दबता है, बाबा बोलता है, बेटा, रात को 12 बजे भी मैं अंधेरे में सो रहा था, सुबह चार बजे भी अंधेरे में सो रहा था, फ्लाइंग वाला आया, फिर भी मैंने गलती से कहीं बल्ब चास भी लिया तो दस हजार रुपये पैनल्टी का लगा गया। डाक्टर साहब क्या करेंगे? एक मीटर लगा दिया ट्रांसफार्मर के साथ, पहले 600 रुपया लेते थे अब कितना रुपया कर दिया? 3200 रुपया। अगर गलती से जल गया महीने में दो बार तो बाई का फूल बाई का और बींद का फूल गिरनार जी, पूरा हो गया। इतनी ही फसल होती है। इसलिए, डाक्टर साहब, इसमें सुधार करो, किसान बहुत बुरी तरह पीड़ित है बिजली से। जितनी फ्लाइंग की गाड़ियां आपने भेज रखी हैं, मैं कहता हूं, चोरी रोको, पर रोकने का तरीका बनाओ। यह नहीं है कि एक बल्ब चासता है उसके भी दस हजार रुपये और जो मशीन चला रहे हैं उनके भी दस हजार रुपए। क्राइटेरिया तो बनाओ। हमारे मुख्य मंत्रीजी का यह सोच नहीं है कि किसान के घर में दीपक नहीं जले। उनका सोच यह है कि हमारे गरीब के घर में दीपक जले, शिक्षा आए। इसमें सहयोग कौन करेगा? हम सब लोग मिलकर करेंगे।

श्री सभापति: कृपया समअप करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कहना चाहता हूं कि गांवों के लोग

(श्री श्रवण कुमार)

खेतों में, जोहड़ों में बसे हुए हैं, उनको कहते हैं कि कनेक्शन नहीं देंगे। जब वे बस रहे थे, जब वे मकान बना रहे थे, तब तहसीलदार भी जिन्दा था, एस डी एम भी जिन्दा था, उस समय उनको मना क्यों नहीं किया? आज उसको सुविधा देने में आप शर्मा रहे हो और जब वह बस गया, उस दिन उसकी बात नहीं की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बस गये, जिनका राशनकार्ड बन गया, जो लोग एस्टेब्लिश हो गये, उनको आप सुविधा देने में कहीं भी संकोच नहीं करें, उनको सुविधा दें। हमारे झुन्झुनूं, सीकर और चूरू जिले एजुकेशन में अग्रणी जिले हैं, शेखावाटी में एक यूनिवर्सिटी की बात हुई, कोई कान ही कोन धरी। जिस जिले से हम आते हैं वह गरीब जिला है जिसमें सैनिक शहीद होते हैं, शिक्षा के अन्दर पीछे है। मैं तो, सभापति महोदय, एक बात कहूंगा :-

मुश्किलों में भी नवाब बनकर जीओ,
अपने हर सवाल का जवाब बनकर जीओ।
तुम्हारी खुशबू से महक उठे यह सारा जग,
नुकीले कांटों में गुलाब बनकर जीओ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा मेरे मंत्री परिषद के सभी मंत्रीगण और सदस्यगण, पूरा हाउस तीन चीजों पर ध्यान रखेंगे-भ्रष्टाचार को बदलेंगे शिष्टाचार में और जहां आतंकवाद है उसको बदलेंगे शराफत में। यही हालत अगर रही तो हम सब लोग मिलकर इसका सुधार करेंगे और हाउस में एक साथ कसम खाएंगे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो नीचे से आने वाले अपने आप फड़फड़ा जाएंगे, कोई नहीं करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम के अभिभाषण की प्रशंसा करूंगा। और सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, हमारी बात सुनी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल खराड़ी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माननीय सभापति महोदय, मैं आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। शायद मेरे विचारों से कोई सहमत होंगे, कोई नहीं होंगे। 15 तारीख के अभिभाषण पर काफी वक्ताओं ने कुछ अच्छे सुझाव भी दिये, आलोचना भी हुई, समालोचना भी हुई और माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों ने काफी सराहा।

सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय लोगों ने कहा कि गांव और

(श्री बाबूलाल खराडी)

गरीब आदमी आज भी कांग्रेस के साथ में है और हम भी कह रहे हैं कि हां, आपके साथ में है। स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत का शासन छोड़ दो, एक बार वसुन्धराजी का शासन छोड़ दो, पूरा का पूरा आजादी का समय जनता ने आपको साथ दिया। आपके नारों से भी जनता बहुत वाकिफ है, नारों के आधार पर आपको सत्ता पर बैठाया। आपने नारे दिये थे, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, गरीब ने सोचा, वाह, अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो सत्ता में आने के बाद ऊपर से नोटों की बरसात करेगी और हम सब इकट्ठा करके ले जाएंगे और रातों रात लखपति हो जाएंगे। जनता ने दिल खोल कर कांग्रेस को समर्थन दिया। लेकिन आज भी हम गरीब के नाम की राजनीति करते हैं, गरीब शब्द का उपयोग करते हैं। आज भी हमारे युवराज, राष्ट्रीय महासचिव को एक गरीब के घर में जाकर सोने की जरुरत क्यों पड़ी? सभापति महोदय, हम गांव और गरीब की चिन्ता तो करते हैं लेकिन मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं, आपने सत्ता रहने के बाद में गांव और गरीब के लिए क्या-क्या महत्वकांक्षी योजनाएं बनाईं और उनका क्या लाभ गांव और गरीब आदमी को मिला?

अभी महानरेगा की बहुत तारीफ की, हम भी उसका स्वागत करते हैं, अच्छी योजना थी, लेकिन क्या हो रहा है वहां? आज मजदूर मजदूरी लेने जाता है, आवेदन करता है और मजदूरी करता है। वह पूरी ड्यूटी करता है, पूरा काम करता है, उसके बाद भी मेजरमैंट क्या आता है? पांच रुपये, दस रुपये, पन्द्रह रुपये, पच्चीस रुपये। वो माथा ठोकता है कि मैंने क्या किया। उसके बाल बच्चों को कैसे पाले वो? वह मजदूर निराश होकर कहता है कि मुझे नरेगा के काम में मजदूरी नहीं करनी है, मैं तो गुजरात जाऊंगा या किसी सेठ साहूकार के वहां मजदूरी कर लूंगा।

उदयपुर जिले का उदाहरण है, उदयपुर के कलक्टर ने अभी-अभी सैकड़ों काम निरस्त कर दिये नरेगा के। क्या मजदूर नहीं हैं? सब लखपति हो गये, मजदूर भी है, पलायन भी कर रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था, ज्यादा दूर की बात नहीं कह रहा हूं, उदयपुर के चौराहे पर सुबह जाकर खड़े हो जाना, मजदूरों की भीड़ लगी रहेगी। वहां जिसको जैसी आवश्यकता है उन मजदूरों को बोली लगाकर ले जाकर मजदूरी पर लगाता है, यह स्थिति है।

सभापति महोदय, आज किस बात की हम दुहाई दें कि हमने अच्छा काम किया? आज यहां पर युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, सबको

(श्री बाबूलाल खराडी)

रोजगार दे दिया? जीरो। अखबारों में आता है, हम विज्ञप्ति निकालेंगे, आगे जाकर अटक जाता है, क्या तमाशा है यह? दूसरी बात और है, राजस्थान के नरेगा सहायक विधान सभा पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात भी नहीं कर रहा है। हम उनको निकाल देंगे। कहा था आपने कि आपको स्थाई करेंगे। यही कहा था? उसके बाद में कह रहे हो, हम मर्जी आए तो रखेंगे, नहीं चाहेंगे तो आपको निकाल देंगे, यह कौनसा न्याय है?

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा जनजाति विभाग बहुत बड़ा विभाग है और प्रतापगढ़ से लगाकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का आंशिक एरिया जनजाति उप योजना क्षेत्र है और उसके लिए अलग से फण्डिंग है, अलग से बजट है, लेकिन हुआ क्या है? इस अभिभाषण में पैरा नम्बर 29 पर जनजाति के कृषकों का कुआं विद्युतीकरण के लिए कहा है। कितने किए हैं? 2006 से अब तक 181 कृषकों को हमने कनेक्शन दिया है, जनजाति के मार्फत 181, आप ताज्जुब करेंगे। क्या इतने ही कृषक हैं? या कोई कनेक्शन लेना नहीं चाहता है? क्या मजाक है उन कृषकों के साथ। जनजाति के लोगों के साथ क्या मजाक हो रही है? आगे चलकर आपने कहा है, हम ब्लास्टिंग कराते हैं। कुए ही नहीं हैं। केवल मात्र 812 कुओं में आपने ब्लास्टिंग की है, भला कर दिया? गरीब आदिवासी का भला कर दिया? बहुत बड़ी बात कर दी कि 812 कुओं में हमने ब्लास्टिंग करा दी।

मैं कोटड़ा का उदाहरण बताता हूं, पिछले वर्ष लोगों ने कहा कि हमारे कुए में ब्लास्ट हो जाएगा, कुआ गहरा हो जाएगा और वहां से पानी निकालकर हम हमारी खेती करेंगे। हुआ क्या? पास कर दिया और ब्लास्टिंग मशीन नहीं है, टेण्डर तक नहीं हुए। कृषक आज भी हमसे पूछता है, मेरे कुए कब गहरे होने वाले हैं ? कब मशीन आने वाली है ? वह इन्तजार कर रहे हैं। पूरा वर्ष निकल गया, अब नया बजट और पेश होने वाला है, अब पता नहीं क्या करेंगे। मेरा तो आरोप है जनजाति विभाग के मंत्री महोदय पर या सरकार पर कि जनजाति विभाग का सारा का सारा बजट का उपयोग अगर कहीं हुआ तो केवल बांसवाड़ा में हुआ। यही हुआ। रिकार्ड उठाकर देख लेना। क्या मजाक है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना बहुत अच्छी योजना है। आपने सस्ता गेहूं उपलब्ध कराने की योजना बनायी, हमने भी स्वागत किया। हमने भी मेजें थपथपायीं। आज क्या हो रहा है? सब लोगों को गेहूं मिल रहा है? आज भी कालाबाजारी हो रही है। मैं निवेदन करना

(श्री बाबूलाल खराडी)

चाहता हूं, झाड़ोल में बी पी एल कार्डधारी हैं 24949, गेहूं कितनों का भेज रहे हो? 18234 कार्डधारकों को। इसमें घाटा कितना है? 6715 राशनकार्ड धारकों का आप गेहूं ही नहीं भेज रहे हो। वह डीलर रोता है जब आदमी लाइन पर खड़ा होता है कि मुझे भी गेहूं दो। वह दे किसको? डीलर्स ने ज्ञापन दिये, कलक्टर को दिये, एस डी ओ को दिये, कोई सुनवाई नहीं। इसका कौन धणी-धोरी है? उन गरीबों का क्या होगा?

आगे चलकर आपने पेयजल के लिये कहा है कि सबको हमने अच्छा पानी पिलाया, शुद्ध पानी पिलाया। अच्छी बात है, लेकिन आज भी मैं कहना चाहता हूं, झाड़ोल में 22 गांवों की पेयजल स्कीम माननीय वसुन्धराजी के समय में स्वीकृत हुई थी। टंकी बन गयी, फिल्टर प्लान्ट बन गया, पाइप लाइन गड़ गयी और बीच में थोड़ा काम आधा-अधूरा था, वह काम आज भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा।

आपने पारदर्शिता की बात कही, संवेदनशीलता की बात कही। अब कितने संवेदनशील हैं, कितनी पारदर्शिता है, इसको भी सुन लें आप। झाड़ोल के मगवास गांव में एक बालक जिसका नाम अम्बा लाल, पिता भीमा, मगवास को 31 दिसम्बर की शाम को बंशीलाल नामक एक लड़का बुलाकर ले जाता है। आधे घण्टे के बाद उसी मगवास के चौराहे पर अंधेरा पड़ गया था, उसकी लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। आज भी वह अनुसंधान का विषय है। अभी तक अनुसंधान ही चल रहा है। यह आपकी पारदर्शिता है, संवेदनशीलता है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं, झाड़ोल के ही फलासिया थाना में पटेल समाज की एक लड़की का अपहरण हो गया, कोई कार्यवाही नहीं। कुछ दिनों बाद उसी समाज की उसी गांव की दूसरी बच्ची का अपहरण हो गया। कौन धणी-धोरी है उन गरीबों का ? कौनसी हम पारदर्शिता की बात करते हैं? आज कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने स्वयं चलकर कई बार थाने में फोन किया, थाने का फोन नहीं लगता है, आउट आफ सर्विस। अगर थानों के ये हाल होंगे तो दूसरों से आप क्या कल्पना करेंगे?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें अब।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): बिलकुल कर दूंगा।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे सराड़ा

(श्री बाबूलाल खराडी)

का काण्ड हो, जब तक जनता सड़कों पर नहीं आई तब तक सरकार ने कार्यवाही नहीं की। गिरीष हत्याकाण्ड, गोलमोल कर दिया। उनके परिजन आज भी सरकार से यह कहते हैं कि अब कोई कुछ नहीं, किसी का सहारा नहीं, हम बेसहारा हैं इसलिये हमें तो इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दीजिये। हम इस धरती पर रहना नहीं चाहते हैं। किसी राज में जनता अगर इच्छा मृत्यु मांग ले तो उस राज से क्या कल्पना कर सकते हैं? कि जनता का भला करेंगे?

सभापति महोदय, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन अब आपने कह दिया तो मैं ज्यादा बात न कहते हुए मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आपने समय दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जय भारत।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल (अनुपस्थित)। श्री कैलाश चन्द भंसाली।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापतिजी, महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया उसके विरोध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। गत चुनावों में जिसको सवा दो वर्ष हो गये हैं, पारदर्शी, संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन के लिये जनता ने आपकी सरकार बनायी, परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि पारदर्शिता कहीं दूर-दूर नजर नहीं आती है। इतने सदस्य लोग इसके बारे में बोल चुके हैं। कितने घोटाले हुए हैं चाहे रसद विभाग के हों, अनेकानेक विभागों के, सब जगह कहीं पारदर्शिता नहीं है। आपके उद्योग मंत्री के बारे में भी सुबह काफी चर्चा हुई।

हमारे जोधपुर नगर में पिछले दिनों 36 मौतें शराब दुखान्तिका से हुई हैं, उनमें प्रत्येक को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा सरकार की ओर से दिया गया जो बहुत अपर्याप्त है। राजस्थान के दूसरे हिस्से में पांच-पांच लाख रुपये दिये गये। यह संवेदनहीनता है सरकार की।

इसी प्रकार तीन दिन से या चार दिन से उम्मेद जनाना अस्पताल में मातृ शक्ति की प्रसव के समय मौत हुई है। दो मौत से आज जूझ रही हैं। सरकार की तरफ से तीन मर्डर्स कहूंगा मैं उसे। क्लीनचिट दे दी गयी, यह कहा गया कि कोई दोष नहीं है। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है, जांच की जाए कि क्या कारण है? ग्लूकोज मिलावटी है, या अन्य दवाएं ठीक नहीं हैं जो सरकारी अस्पताल में दी जा रही हैं? यह संवदेनहीनता की हद है क्योंकि जहां पर इन्सान के साथ मौत का खेल खेला जा रहा है उसके बारे में आम जनता चिंतित है।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से यह कहलाया गया कि विकासशील सरकार है। औद्योगिक विकास बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। मेरा निवेदन है कि जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है परन्तु एक भी कोई नया बड़ा उद्योग पिछले सवा दो वर्षों में लगा हो तो मुझे बता दें। किस तरह का विकास उद्योगों का होने जा रहा है ? रीको के पास प्लाट नहीं है। लोग प्लाट के लिये लाइन में खड़े हैं। कोई जमीन है नहीं आबंटन के लिये। इसी प्रकार एक्सपोर्ट के लिए जो सेज का एरिया रखा हुआ है, वह खाली पड़ा हुआ है। उस एरिये को सिर्फ हैंडीक्राफ्ट के लिए काम में लेना चाहते हैं लेकिन दूसरे एक्सपोर्टर भी उसको काम में लेने के लिए तैयार हैं। मेरी मांग है कि सरकार उनको भी वहां कार्य करने की अनुमित दे ताकि उनको सुविधा मिल सके, जमीन मिल सके।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से एकल खिड़की व्यवस्था का शुभारम्भ किया गया, मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। परन्तु इतने दिन हो गये, आज भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एक दिन में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने कारखाने के सभी अनुज्ञा-पत्र मिल जाएंगे। मैं आपको उदाहरण दूंगा, रतन टाटा ने कहा था हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात के लिए, कि 3 दिन के अन्दर नैनो कार के प्लांट के लिए सभी तरह की सुविधाएं, सभी अनुज्ञा-पत्र और जितनी भी आवश्यकताएं थीं, उनको पूरा कर दिया गया। खुद रतन टाटा ने कहा है कि मेरे 50 साल के औद्योगिक जीवन में इतनी तत्परता और पारदर्शिता के साथ कार्य हुआ है। उसकी उन्होंने प्रशंसा की है। माननीय राजेन्द्र जी पारीक विराजे हैं, हमारे जिले के भी प्रभारी हैं, उनसे निवेदन है कि ऐसी कोई व्यवस्था करें कि वास्तव में एकल खिड़की पर दो, तीन, चार दिन में उद्योगपति जिस भावना के साथ उद्योग लगाने आ रहा है, उसको वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हों।

सभापति महोदय, जल नीति के अन्तर्गत जो नयी नीति लायी गयी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं एक बात सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, माननीय जन स्वास्थ्य मंत्रीजी विराजमान हैं, जोधपुर आज पानी पर तैर रहा है। मैंने माननीय गृह मंत्रीजी थोड़े दिन पहले जोधपुर आये थे, उनको वे सारी साइटस दिखायी हैं जहां पर 6-6 मोटरें, 2-2 होर्स पावर की चल रही हैं, 24 घंटें पानी अंडरग्राउंड में से आ रहा है। इतना पानी बह रहा है कि केवल एक दुकान नहीं, त्रिपोलिया बाजार और कास मंडी में कम से कम 50 मकान या दुकानें ऐसी हैं जिनके अंडरग्राउंड में पानी आ

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

रहा है। आज केवल रानीसर, पदमसर या किले की घाटी को छोड़कर लक्ष्मी नगर, पुलिस लाइन, हाई कोर्ट कालोनी, सारे शहर का एक तिहाई भाग जलमग्न हो गया है। उसकी समुचित व्यवस्था की जाए। पिछले बजट में प्रावधान रखा था, उसका बहुत कम उपयोग हुआ है। दो कमेटियों ने रिपोर्ट दी है कि कायलाना इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, या तो नाले हो सकते हैं या कहीं और से पानी आ रहा है। इसका भी पता नहीं लगाया जा सका है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह समस्या के समाधान के लिए तत्परता के साथ एक अच्छी से अच्छी कमेटी बनाकर, विदेशों से भी तकनीकी सहायता लेनी पड़े तो लेकर इस समस्या का समाधान करे। अन्यथा मैं आपको कहता हूं कि कम से कम 100 मकान मैंने देखे हैं जहां दीवारों पर तरेड़ें आ गयी हैं, दीवारों में रिसाव आ गया है। सारे लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। रोज सुबह मुझे इसके लिए फोन आते हैं। मेरा पुरजोर निवेदन है कि स्वयं मुख्य मंत्रीजी इस समस्या से वाकिफ हैं, वे इसमें कारगर कदम उठाएं और जितना पैसा चाहिए वह इस बजट में इसके लिए उपलब्ध कराएं।

सभापति महोदय, सीवर लाइन को बदलने के लिए नगर निगम ने एक योजना बनाकर राज्य सरकार को भेजी है 350 करोड़ की, वह निश्चित रूप से सैंक्शन की जानी चाहिए। शहर की सारी सड़कें गंदे पानी से रोज सुबह लबालब हो जाती हैं, उसका एकमात्र इलाज यही हो सकता है कि पुरानी सड़ी-गली लाइनों को बदलकर नयी लाइनें बिछायी जाएं। उसी से इस समस्या का समाधान होगा। इससे शहर की स्वच्छता भी बढ़ जाएगी और जो गंदगी का साम्राज्य है वह भी समाप्त हो जाएगा। सभापति महोदय, नगर निगम से जब भी बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। नगर निगम को हाउसिंग बोर्ड के कुछ एरिया ट्रांसफर कर दिये गये हैं, उनकी कुछ राशि दे दी गयी है। लेकिन सभी अधिकार अभी तक हाउसिंग बोर्ड ने रखे हुए हैं, जो नगर निगम को मिल जाएं तो नगर निगम को भी उससे काफी रेवेन्यू मिल जाएगा।

सभापति महोदय, अकाल की समस्या अभी सुबह काफी चर्चा में आयी, सुबह सदन का ध्यान इसी ओर था कि सबको मुआवजा दिया जाए। किसान रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं। अभी हमारे एरिये में जीरे की बहुत अच्छी फसल खड़ी थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले दो सप्ताह में जो बारिश हुई है, उससे सारी जीरे की फसल समाप्त हो गयी है। किसान आंसू बहा रहा है,

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

सरकार उसके आंसुओं को पोंछे। वैसे माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा है कि आने वाले बजट सत्र में ठीक ढंग से सरकार जवाब देगी और सबका सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाएगा। मैं आपके मार्फत सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि इस काम को जितना जल्दी निपटा सकते हैं, जितनी जल्दी सर्वे करा सकते हैं, उतनी जल्दी किसानों को राहत दें।

सभापति महोदय, जोधपुर की सड़कें खराब हैं। इतनी खराब हैं कि एक भाई ने थोड़े दिन पहले बहस में कहा था कि अगर कोई डिलीवरी वाली महिला सड़क पर जाती है तो इस तरह की घटना उन सड़कों से सम्भव है कि वहीं महिला की प्रसूति हो जाए। जोधपुर में ऐसी एक घटना हो गयी, एक प्रसूता के टैक्सी के अन्दर नवजात शिशु पैदा हो गया। यह बहुत गंभीर समस्या है। उसका एक कारण है कि दो बार तीन-तीन करोड़ रूपये राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए दिये, दोनों बार बारिश आ गयी। जब तक सड़कें सी.सी. की नहीं बनायी जाएंगी तब तक यह समस्या बनी रहेगी। डामर की सड़कें और पानी के बैर है, इसलिए सारी सड़कें सी.सी. की बनायी जाएं। चाहे वह जोधपुर के लिए हो या राजस्थान के लिए हो, ऐसा निर्णय लिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम किस प्रकार का मूल्यांकन करते हैं, सड़कें किस तरह की बन रही हैं। जिस तरह से बिल पास होते हैं उस तरह का काम हो रहा है कि नहीं। जिस स्टैंडर्ड से बननी चाहिए वह बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। इसका पूरा मापक होना चाहिए और उस हिसाब से ही बिल पास होने चाहिए।

सभापति महोदय, जोधपुर में कमिश्नरी स्थापित की, इसका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, राज्य सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन मुझे यह दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले एक साल से, मेरे पास विधायक बैठे हैं सिवाना के, समदड़ी थाने के अन्तर्गत अजीत गांव में 45 चोरियां हो गयी हैं। दिन-दहाड़े पीछे से लोग आते हैं और मकानों से सामान लूटकर चले जाते हैं। परसों भी एक पुजारी की हत्या कर दी गयी और मंदिर का सारा सामान, मुकुट आदि लेकर चले गये। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, अजीत गांव के लिए सबने कहा है कि यहां थाना खोलना आवश्यक है क्योंकि तीन जिले इस गांव से मिलते हैं। वहां से चोर चोरी करके कहां चले जाते हैं, वह मालूम नहीं पड़ता है। वहां तुरन्त थाना स्थापित किया जाए।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

सभापति महोदय, मेरे भाई श्रवणजी ने अभी कहा भी था कि विद्यालयों में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काफी काम कर रहे है, करना चाहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, कई योजनाएं चल रही है। मेरा आपके माध्यम सरकार से विनम्र निवेदन है कि मैं जोधपुर के ऐसे 48 सरकारी विद्यालयों को जानता हूं जिनमें सैकण्ड्री और सीनियर सैकण्डरी की कक्षाएं चलती हैं, लेकिन वहां बिजली का कनेक्शन इसलिए कट गया क्योंकि उनके बजट में इतना पैसा नहीं होता कि वे बिजली का बिल जमा करा सकें। इस संबंध में मेरी राज्य सरकार से मांग है कि उन सभी शिक्षण संस्थाओं को बिजली मुफ्त दी जाए और सारे कनेक्शन वापस किये जाएं ताकि कम्प्यूटर शिक्षा जो आज के युग की बहुत महती आवश्यकता है, उसको पूरा किया जा सके।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): सभापति महोदय, दो मिनट के लिए निवेदन है। जोधपुर में हाई कोर्ट की बिल्डिंग के लिए अच्छा प्रावधान पिछले बजट में किया गया, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। मेरी आपके मार्फत सरकार से प्रार्थना है कि जोधपुर में नये हाई कोर्ट भवन को बनाने के लिए जितनी भी राशि चाहिए, वह पूरी इस साल बजट में दे दी जाए और एक या दो साल में यह कार्य पूर्ण किया जाए।

सभापति महोदय, इसके साथ विवेक विहार की जो योजना है, उसको भी सरकार जल्दी से जल्दी सैंक्शन दे। यह कार्य शुरू हो तो एक बहुत बड़ी बस्ती जोधपुर में होगी। उसमें जन कल्याण तथा इंस्टीटयूटों के लिए भी काफी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उसको शीघ्र इम्प्लीमेंट किया जाए।

सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन और है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री रामलालजी जोधपुर पधारे थे और सफारी का उद्घाटन किया था। पर्यावरण के हिसाब से एक बहुत अच्छी सफारी खुलेगी, बहुत बड़ा इन्वैस्टमेंट होगा। उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन गुलाब सागर और फतेह सागर दो बहुत अच्छी झीलें हैं जिनमें पर्यटन की विशाल संभावनाएं हैं। माननीय राजेन्द्रजी अभी पधारे थे दीप दान के समय, वहां जो दृश्य था, चारों तरफ हवेलियां होटलों में कंवर्ट हो गई हैं, इतने विदेशी सैलानी आ रहे हैं। उस पार्क के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माननीय पर्यावरण मंत्रीजी को कहा था कि इसको किसी केन्द्रीय योजना में लेकर शीघ्र पूरा किया

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)
जाए। मैं आपके माध्यम से फिर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, दोनों बहुत खूबसूरत पार्क हैं, इनको पूरा बजट चाहे केन्द्र सरकार से दें, राज्य सरकार से दें या पर्यटन विभाग से दें। सैलानियों के लिए और जोधपुर की आम जनता के लिए शहर के बीच में पार्क बना हुआ है, उनको अच्छा वातावरण मिल सके और आमोद-प्रमोद का एक साधन बन सके, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण का वाचन किया, उसके पक्ष में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश या राष्ट्र में जो भी सरकार बनती है, उससे जनता यह अपेक्षा करती है कि वह उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील शासन प्रदान करेगी। माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल शासन किया लेकिन वे जनता के शासक बने, सेवक नहीं बने। माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 साल से राजस्थान की सरकार गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। वह शासक के रूप में नहीं बल्कि राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। पूरी जनता इस बात की गवाह है और गवाह के रूप में माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत के शासन संभालने के बाद पंचायतीराज, नगरपालिकाओं के चुनावों में पूर्ण बहुमत देकर उनके कार्य को सराहा है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शासन सम्भालते ही गरीब, बेसहारा लोगों की सुध ली। पिछड़े हुए लोग जो तरस रहे थे सुविधाओं के लिए, कि कोई शासन करने वाली सरकार आएगी और हमारी आंखों के आंसू पोंछने का काम करेगी। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस प्रकार का एक भी काम नहीं किया। अगर किया तो जातियों को आपस में लड़ाने का, विभिन्न मंत्रियों को जिम्मा दे देकर विभिन्न जातियों का सम्मेलन करवाने का और हमारे गुर्जर भाइयों पर गोली चलाकर उनके खून से अपने हाथ रंगने का काम किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो रुपए किलो गेहूं, 36 लाख 57 हजार परिवारों को दो साल में उपलब्ध करवाने का काम किया है। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साहस ही नहीं था इनमें

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

गरीबों को देने का। पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का जो पैसा था, उसको लूटने के लिए 5 साल काम किया। इन्होंने गरीबों को किसी प्रकार का कोई साधन उपलब्ध नहीं करवाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 550 करोड़ रुपए का अनुदान देकर इस राजस्थान की सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में 2 साल में गरीबों के लिए काम किया है। 32 हजार मीट्रिक टन एपीएल को गेहूं देना था, उसको दुगना करने का काम अगर किसी ने किया है तो राजस्थान में अशोकजी गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 साल तक आपस में मंत्री और मुख्य मंत्री नूरा कुश्ती करते रहे, लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने आते ही शुद्ध के लिए युद्ध का काम किया ताकि लोगों को शुद्ध खाना मिले, खाने के लिए शुद्ध वस्तुएं मिलें। गरीब लोग इलाज के लिए तड़फते थे, यह कहते थे कि हमारी सुनने वाला पिछले पांच साल में कोई नहीं था। हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने 63 लाख लोगों को 60 करोड़ रुपए खर्च करके इलाज उपलब्ध करवाया जिनके पास कोई साधन नहीं था, जिनके पास कोई पैसा नहीं था। लोगबाग तड़प-तड़प कर अपनी जान दे देते थे, मगर उनकी कोई सुध लेने वाला कोई हुआ तो हमारे अशोकजी गहलोत हुए और उनकी सरकार ने यह काम किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसानों की कोई सुध लेने वाला है तो वह माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत हैं, वह इसलिए कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में 60 लाख लघु और सीमान्त कृषकों को 740 करोड़ रुपए उनके बैंक अकाउण्ट में डालने और अनुदान के रूप में देने का काम अगर किसी ने किया है तो उन्होंने किया है। उनके तड़प-तड़प कर मरने की नौबत आ गई थी लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने किसी भी प्रकार से उनकी सुध नहीं ली थी। अगर मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान की सरकार ने 2 साल में 5211 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण किसानों को बांटे, 198 करोड़ से अधिक दीर्घकालीन ऋण बांटे और 194 नए जीएसएस खोले, 86 मिनी सुपर मार्केट खोले, 15 नई क्रय विक्रय सहकारी समितियां खोलीं। माननीय सभापति महोदय, यह अगर किसी के लिए किया तो वह किसानों के भले के लिए माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने किया, उनकी सरकार ने किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसान गांवों में रहते हैं, कृषि और पशुपालन पर अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

नहीं था। इन्होंने पांच साल तक केवल अगर कुछ किया तो कृषि मंत्री के रूप में घोटाले किये। इनके सैक्रेटरी इनके ऊपर आरोप लगाते थे, किसी प्रकार की जांच नहीं कराके उनको एपीओ किया। लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत की सरकार ने करीब 75 लाख उन किसानों को इनाम देने का काम किया जिन किसानों को कोई पूछता नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं हमारे माननीय विपक्ष के साथियों से, ये किसानों की बात पर तो अभी इतना ड्रामा कर रहे थे ओलावृष्टि पर, एक दूसरे की तरफ आंख-मिचौनी कर रहे थे कि अपने को तो सुबह मीडिया में आना है। माननीय सभापति महोदय, मीडिया से काम चलने वाला नहीं है, मीडिया यह भी छापेगा कि आपने हल्ला किया। मेरी सोच है कि मीडिया यह भी छापेगा कि आपने पांच साल तक काम नहीं किया, केवल ड्रामा करते रहे। ये इस बात के इन्तजार में हैं कि ये पांच साल निकल जाएंगे और फिर अपना शासन आ जाएगा। माननीय सभापति महोदय, अपने आप शासन आने वाला नहीं है। 75-75 लाख किसानों को प्रति वर्ष इस सरकार ने हिन्दुस्तान में पहली बार इनाम देने का काम किया, उनको प्रोत्साहन राशि देने का काम किया तो इस राजस्थान की सरकार ने किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 47 हजार से अधिक शिविर लगाकर 28 लाख पशुओं का उपचार राजस्थान में 2 साल की लोकप्रिय सरकार जो माननीय अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में काम कर रही है, उसने किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने 285 उप केन्द्र खोले, 67 उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत भी किया है, 75 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी में भी क्रमोन्नत किया है। 85 नवीन चिकित्सा केन्द्रों की भी स्थापना की। व्यक्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि पशुओं के इलाज के लिए भी ताकि गांवों के नागरिक वहीं पर बैठकर अपने पशुओं का इलाज करवा सकें। इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने काम किया है।

(समय : 16.00 बजे)

मैं प्रतिपक्ष में बैठे हमारे माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा का बंटाढार करने का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कोई पदोन्नतियां नहीं, समानीकरण की कोई इच्छाशक्ति नहीं। जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूं, वहां पर विज्ञान विषय नहीं था। मैंने मांग की, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहल

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

की और शिक्षा मंत्रीजी ने 500 विज्ञान और वाणिज्य के विषय खोले। वाणिज्य का विषय ऐसा विषय है जिससे चार्टर्ड एकाउंटेंट बनता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना ही पाले रहते थे। लेकिन इन्होंने खोलकर शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। समानीकरण जैसा कार्य आप कभी नहीं कर सकते थे, वह अगर किया तो राजस्थान की इस लोकप्रिय कांग्रेस की सरकार ने किया। दो-तीन दिन से ये बातें आ रही थीं कि अध्यापक नहीं लगाये, अध्यापक नहीं लगाये। मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष का काम केवल इतना है कि हमको विरोध करना है? अगर सत्य बात नहीं कहोगे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपको यह कहना चाहिए कि प्रत्येक स्कूल में छात्र संख्या के अनुपात में अध्यापक अगर भेजने का काम किया तो वह राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया। आपको यह भी कहना चाहिए था कि अगर विज्ञान विषय खोलने का काम किया तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने किया। भारत सरकार ने अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को लागू किया, अभी दो पाँच रोज पहले यहां पर कार्यशाला थी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथियों ने वहां केवल मखौल उड़ाने का काम किया। यह नहीं कि कानून लागू किया है, एक इच्छा शक्ति थी। केन्द्र की सरकार माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक ऐसा कानून लेकर आयी है कि प्रत्येक गरीब का बालक पढ़े, 6 से 14 साल तक का, उसको निःशुल्क शिक्षा मिले। अगर इस प्रकार का काम आप एनडीए में जब थे, कर लेते तो हो सकता है, स्थितियां परिवर्तित होतीं। जो व्यक्ति काम करता नहीं है, उसको उलाहना देने का कोई हक नहीं है। केवल विरोध, विरोध, विरोध, ये बातें अब बेमानी हो गई हैं, जनता सब समझ रही है। काम करने का मौका था तब किया नहीं। खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य का समय था तब तो बोले नहीं और अब तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य से पूछ रहे हैं कि मेरे को फजूल बातें करनी हैं जिससे सदन में एक दफा गरमाहट पैदा हो जाए। केवल इतना काम करके अगर आप जनता के बीच में जाकर दुबारा चुनकर आने की बात करते हो तो वह गलत बात है, जनता सब समझती है।

मैं निवेदन करूं, पंचायती राज में पांच साल के आपके शासन में नरेगा में खूब घोटाले किये। घोटाले करने की आपकी आदत है, पुरानी आदत है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में पता नहीं कितने-कितने हो गये। जो पंचायती राज की व्यवस्था पांच साल में इन्होंने बिगाड़ी है, मैं माननीय

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, ये पांच साल तो क्या, जनता पांच साल फिर दुबारा कांग्रेस को मौका देगी, तब इनके कारनामों को थोड़ा ठीक किया जा सकेगा, वर्ना पांच साल का समय पर्याप्त नहीं है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नरेगा थी ही नहीं। पांच साल पहले तो नरेगा ही नहीं थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, आपको कोई बोलने के लिए तो बुलाता नहीं है, आप जबरदस्ती बात करते हो बीच बीच में। आप अपने राठौड़ साहब को कहो कि मेरे को भी बोलने का मौका दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं ......(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सदस्य, नरेगा के कर्मचारी आये हुए हैं वह ......(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, माननीय सदस्य, बिलकुल आये हैं, वह नरेगा ......(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): लागू ही नहीं हुई थी नरेगा जब हम आये थे ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य दांतारामगढ़ से आने वाले, नरेगा हमने चालू की है ......(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वो 45 हजार कर्मचारी यहां बाहर ही हैं विधान सभा के। (व्यवधान) नरेगा के कर्मचारी, सभापति महोदय, सरकार ने उनकी संविदा थी, उसको समाप्त करने का, जिसका असंतोष पूरे राजस्थान के नरेगा के हजारों कर्मचारियों के बीच में है। सब के सब आज अपनी उन मांगों को लेकर हमारी विधान सभा के सामने हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह आपका काम है ......(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): जिन किसानों की और मजदूरों की बात आप कर रहे हैं ......(व्यवधान) वे लाभान्वित हुए हैं उस नरेगा से, उसकी बात भी करो ......(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिए। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): गिनती ठीक करो, 6 लाख को 60 लाख बोल रहे हो। गिनती तो ठीक करो पहले। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं भी उसी जिले से आया हूं, जहां से माननीय अमराराम जी आते हैं। अमराराम जी क्या करते हैं, क्या नहीं करते, यह 1, 2, 3 से आगे इसलिए नहीं बढ़े कि यह किसान की, गरीब, मजदूर की केवल दुखती रग को पकड़ने का काम करते हैं, उनको कोई फायदा दिलाने का काम नहीं करते। केवल मजदूर, मजदूर, मजदूर। मजदूरी 500 रुपये बढ़ा दो, आपके कहने से कोई बढ़ाता है क्या? ऐसे कोई 500 रुपये बढ़ते हैं क्या? मजदूर बैठा रहे? मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर मजदूरों को उठाने का काम किया तो वह भारत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया और नरेगा जैसी योजना लाये। तब आपको नेतागीरी करने का मौका मिल गया, बात करने का मौका मिल गया। ये इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठा होने से, माननीय सदस्य, काम नहीं चलेगा, काम तब चलेगा जब हमारी इच्छाशक्ति होगी, हमारी इच्छाशक्ति अगर काम करने की होगी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एक नवम्बर को पूरे राजस्थान के 9 हजार सरपंच आये जिनका आपने स्वागत किया। आपने यहां जो स्वागत किया, वे जानते हैं। गहलोत साहब की सरकार ने जो लाठियों से उनका स्वागत किया, रात को साढ़े 3 बजे सोये हुओं को कपड़ों से बाहर थे, उनको जेल में ले गये। वे जवाब देंगे आप जाओगे न तब गांवों में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यहां वाद-विवाद नहीं है

(समय : 16.05 बजे)

(श्री सुरेन्द सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वोट लेने के लिए जाओगे तब हिसाब चुकता लेंगे उन लाठियों का।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं उन्हीं गांवों में जाता हूं, 44 में से 40 सरपंच कांग्रेस की नीति के हैं, कांग्रेस का समर्थन करते हैं, आपका 50 में से एक भी नहीं मिलेगा। उनको भड़काने का काम अगर कोई करता है तो वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी करती है। भड़काने से काम चलने वाला नहीं है। दो साल में किसी सरपंच पर गबन का आरोप नहीं लगा, क्या यह कम बात नहीं है? जनता का पैसा था, पांच साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में मंत्रियों ने लूटने का काम किया। सरपंचों को लुटाने का काम किया। उसको ठीक करने में लगे हुए हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है कि इसको ठीक क्यों कर रहे हो आप। दुबारा आ जाओगे।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कहां थी आपकी जल नीति? बनाई पांच साल में? कहां थी आपकी खनिज नीति, बनाई पांच साल में? कहां थी आपकी उद्योग नीति, बनाई पांच साल में? यह बनाने का काम आपने नहीं किया, नीतियां हमने बनाई हैं। इससे पहले इन विभागों में गड़बड़ करने का काम आपने किया और उसका नतीजा है कि आप विपक्ष में बैठे हैं। सभापति महोदय, एक छोटा-सा उदाहरण जो इन्होंने पांच साल में किया, उसका लेकर आया हूं मैं। यहां पर प्रश्न के बाबत मेरे पास जवाब आया है, मैं उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय पहले चूरू से आते थे, आजकल तारानगर से आते हैं, माननीय सदस्य राठौड़ साहब, इन्होंने एक साल 2008-09 में सड़क निधि का दुरुपयोग किया, वह बताऊंगा तो दांतों नीचे अंगुलि दब जाएगी। इन्होंने 176 काम एसआरएफ में एक साल में चूरू जिले में स्वीकृत किये। पूरे राजस्थान में भी इतने काम नहीं किये। और सीआरएफ में भी ऐसा ही किया। कुल इनका आंकड़ा बैठता है, एक साल का बता रहा हूं, अगर कोई गलत साबित कर दे तो मैं कहो सो सज़ा भुगतने को तैयार हूं, 3,861.10 लाख रुपये एक साल में चूरू जिले में ले गये जहां से यह चुनकर आते हैं। फिर भी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनको जगह पलटनी पड़ी। ये इनके कारनामे पांच साल के रहे, यह एक नमूना है, ज्यादा नमूने बताऊंगा तो समय काफी लग जाएगा। जल संसाधन के बारे में अभी-अभी खींवसर से आने वाले माननीय विधायक बात कर रहे थे कि एक अफसर के यहां एक मंत्री की नहीं चलती। यह आप बात करते हो? अगर आज किसी की चलती है, अगर आज कोई राज संभालता है जल संसाधन में तो उसका नाम है महिपाल मदेरणा ...... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपको कितने ट्यूबवैल सैंक्शन किये? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप क्या बात करते हो? आप बैठ जाइए। (व्यवधान) आप विराजिए, आपका फिर नम्बर आएगा। आप टाइम पर तो बोले नहीं, आपको याद था नहीं, यह गुरु ज्ञान दिया नहीं, यह गुरु ज्ञान देंगे, गड़बड़ देंगे ......(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यहां बोलने से कुछ नहीं होगा, 34 वोटों से जीते हो। आप सिर्फ 34 वोटों से जीतकर आये हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जल संसाधन मंत्रालय ने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बगैर बजट के अगर कोई काम किये और घपले हुए तो वह था भारतीय जनता पार्टी का पांच साल का शासन। आज जल नीति लागू हुई। ऐसा राजस्थान में कोई गांव या ढाणी नहीं है जहां पर आज एक चिट्ठी लिखने से, एक टेलीफोन से, बीपीएल, एससी, एसटी और माइनोरिटी के लोगों को पीने के लिए ट्यूबवैल सैंक्शन नहीं हो रहे हैं। फ्लोराइड की चिंता आपने पांच साल में नहीं की, राजस्थान की इस सरकार ने दो साल में यह काम किया। 11 हजार गांव चिन्हित किये जहां पर पानी की गुणवत्ता की समस्या है। उन गांवों में फ्लोराइड की समस्या के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहती है। आप मेरी बात सुनिये और उसके बाद में जब मौका मिले, आप बोलिए। उन गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं था, बीपीएल के लोग आपकी गड़बड़ियों के शिकार होकर बीपीएल नहीं बन सके। उनको स्टेट बीपीएल का दर्जा देकर लाभान्वित करने का काम किया तो वह राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार ने किया है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): 2002 में आपका ही शासन था। आप असत्य क्यों बोल रहे हो? 2002 में आपका ही शासन था जब बीपीएल बना था। 2002 में आपका ही शासन था। (व्यवधान) असत्य मत बोलो सदन में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ....इनका अच्छी बात सुनने का कोई काम नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत के क्षेत्र में 400 केवी के 5 जीएसएस, 220 केवी के 11, 132 केवी के 39 और 33 केवी के 559 तो तैयार हो गये और 1152 जीएसएस और बनने जा रहे हैं। अगर ऐतिहासिक काम किया तो दो साल के अशोक गहलोत के शासन में इस सरकार ने किया। आप कल देख रहे थे, आपके तकलीफें हो रही थीं कि यह सरकार तो अब दुबारा... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आपके पैर के लगी हुई भी है, आप विराज जाएं। दो मिनट में समाप्त कर देता हूं। आप विराजिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं लेकिन वो काम आपके यहां हो रहे हैं, हमारे यहां नहीं हो रहे हैं। आप तारीफ सही कर रहे हो, मगर हमको तकलीफ यह है कि हमारे संग राजनैतिक भेदभाव किया जा रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराज जाएं। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने पहली बार राजस्थान के इतिहास में 27500 करोड़ रुपये की

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

वार्षिक योजना लाकर एक ऐतिहासिक काम किया है। मैं पूर्व मुख्य मंत्री का बयान पढ़ रहा था कि यह तो प्रति वर्ष बढ़ती है। (व्यवधान) उनके कार्यकाल में कितनी योजनाएं थीं....

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): 9 हजार करोड़ तो खर्च ही नहीं कर पाये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप थोड़ा-सा विराज जाएं न। दो मिनट ही तो हैं। मैं नया-नया हूं, बोल रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल गांव की नहीं, गरीब की नहीं बल्कि शहर के हर नागरिक की सुविधाओं का भी ध्यान राजस्थान की सरकार ने रखा है। मैट्रो जैसी परियोजना लाये हैं। आज पूरा विश्व नजर गड़ाकर बैठा है कि राजस्थान की सरकार जयपुर में मैट्रो चलाने जा रही है। पहले शहरों में थोड़े बहुत भारतीय जनता पार्टी को वोट आते थे वो अब गायब हो जाएंगे, बिलकुल गायब हो जाएंगे। जो काम आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया और अब अगर कांग्रेस कर रही है तो आपको पेट में दर्द नहीं होना चाहिए।

मैं पर्यटन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जातियों के झगड़े करा-करा कर राजस्थान में आपने पर्यटक का आना बन्द कर दिया था। इस दो साल में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर्यटकों के रूप में राजस्थान की सरकार की अच्छी पर्यटन नीति के कारण से हुई है। आपने तो ऐसा माहौल बना दिया था, जब मैं इस सदन का सदस्य नहीं था लेकिन सुनते थे, देखते थे कि जो दूर के लोग थे वो राजस्थान में आना पसंद नहीं करते थे कि पता नहीं कब मुख्य मंत्री महारानी साहिबा झगड़े करा दें, कब गुर्जर आंदोलन हो जाए। गुर्जर भाइयों को आपने बरगलाने का काम किया। अगर उनको किसी ने आरक्षण दिया तो वो केवल मात्र माननीय अशोक जी गहलोत और उनकी सरकार ने किया है। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक प्रतिशत दिया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सुनिये तो सही।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): बिलकुल फर्जी बात कर रहे हैं गोविन्द जी। गोविन्द सिंह जी का फर्जी स्टेटमेंट है। (व्यवधान) बिना आधार के बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बीच में बोलेंगे तो मेरी बद्दुआ लग जाएगी। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): एक प्रतिशत भी आरक्षण नहीं दिया आपने।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपके क्षेत्र के आधे लोग मर चुके हैं आपकी बद्दुआ से। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैडम, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): आप +++ बोल रहे हैं। बैठने की बात नहीं है। आप अपने शब्दों को वापस लीजिये, आप +++ नहीं बोल सकते इस सदन में खड़े होकर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह गलत भाषण नहीं दें यहां पर। (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): पेपर पढ़ा करो, नालेज रखा करो और तब बोला करो। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ऐसा चालीसा पढ़ने से गोविंद जी कुछ होने वाला नहीं है, कितने ही चालीसे पढ़ लो आप। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ...ये +++ बोल रहे हैं यहां पर। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप मूर्ति पूजा करने लग जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप इनकी बात को गम्भीरता से ले रही हो क्या? आप इनके भाषण को गम्भीरता से सुन रही हो? (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मैंने सोचा शायद सच बोलते हों।

एक माननीय सदस्य : कोई-कोई बात सुन रहे हैं इनकी।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): एक प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया इसलिए आप अपनी बात को वापस लीजिये। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य अगर इसको गम्भीरता से लें तो मैं कहता हूं कि आत्मग्लानि करके इनको सदन छोड़कर जाना पड़े। 176 काम, पूरे राजस्थान का हिस्सा, चूरू में ले गये। यह इनको सदन छोड़ने को बाध्य कर देगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनकी प्रोसीडिंग लेकर मैं मेरे जिले में जाऊंगा और कहूंगा कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे पर आरोप लगाया कि मैंने मेरे कार्यकाल में चूरू जिले में इतनी सड़कें स्वीकृत कर दीं। आपने मुझे प्रमाण पत्र दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिल्कुल प्रमाण पत्र नहीं, आपने बाकायदा इस तरह से राजस्थान की सड़कों का पैसा.....

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): ....आपने सही नहीं कहा, कागजों में तो मुझे मालूम नहीं, पर वहां सड़कें हैं ही नहीं। आप चूरू की हालत तो वहां जाकर दखिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह भी जांच का विषय है।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): आप चूरू सिटी की हालत तो देखिये जाकर। कागजों में जरूर 500 है चूरू के अन्दर। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह भी जांच का विषय है कि इन्होंने सड़कें नहीं बनाकर यों ही गबन कर लिया हो। यह भी जांच का विषय है।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): नहीं, नहीं। वो कागजों के आधार पर बोल रहे हैं लेकिन वास्तविक स्थिति चूरू में जाकर देखिये आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 58 साल में 45 साल आपने राज किया। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): आप अपनी बात कहिये। आप +++ करो, चारणपना करो, आप खूब चाटुकारिता करो लेकिन गुर्जर के नाम पर +++ मत करो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो गुर्जर और मीणा एक जगह नहीं बैठते थे, आज कांग्रेस के शासन में माननीय अशोक जी गहलोत के प्रयास से एक जगह बैठते हैं, उनमें भाई-चारा है। उनमें सौहार्द बनाने का काम किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: केवल जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनके अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री सभापति: आप बैठिये। आप विराजो न। आप विराजो। मैं इस तरह से नहीं सुनूंगा। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो मेरे मित्र हो, आप वकील भी हो, विराज जाइये। मैंने तो केवल मात्र आपके शासन में जो घटनाक्रम हुआ, उसका जिक्र किया है। अगर आपको मेरी बात से कोई तकलीफ हुई हो.... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपनी बात कहो न, माननीय सदस्य गोविन्द सिंह जी। माननीय सदस्य, विराजिये न आप।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप समाज के ठेकेदार नहीं हैं। समाज हमारा भी अपना भाई है। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं। चलो, विषय से हटकर दूसरी बात कर लेते हैं। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के इनके नेताओं का एक नमूना अर्ज कर रहा हूं। +++ (व्यवधान) क्या बात है, आप तो बात ही नहीं करने देते हो। आपको तकलीफ हो रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री सभापति: इसको एक्सपंज कर दें।

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अशोक जी गहलोत की सरकार ने कानून व्यवस्था में जयपुर और जोधपुर शहर में कमिशनर प्रणाली लगाकर एक ऐतिहासिक काम किया है। यह कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? आप विराजिये, बैठिये बैठिये।

माननीय सदस्य राव राजेन्द्र सिंह जी साहब फरमा रहे थे कि यहां पर भुखमरी से मौतें हो रही हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं और उदाहरण देना चाहता हूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराजिये। आप ही की तो बात कर रहा हूं। एस.सी., एस.टी. और बी.पी.एल. की ही तो बात कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, पोलीथिन थैलियां जो एक नासूर बन चुकी थीं समाज के लिए, उनको अगर रोकने का काम किया तो वह अशोक गहलोत साहब की सरकार ने किया। आप में हिम्मत नहीं थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, (व्यवधान) आप लेओ मत। आप ही लोगों को शिक्षा दो, क्योंकि अच्छा काम है।

श्री सभापति: अब, माननीय सदस्य, सम-अप करें। माननीय सदस्य, अब सम-अप करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने के लिए इस सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भारत निर्माण राजीव गांधी केन्द्रों की स्थापना की, जो ऐतिहासिक है। पूरे राजस्थान में वह...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप खामख्वाह काहे के लिए तकलीफ कर रहे हो? आपको 10 साल बैठना है, आठ साल बैठना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दीजिये। आपस में टोकाटोकी नहीं करें। विराजिये आप।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: पूरी-पूरी यहां पर बैठक हुई है आपकी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसा है, +++ का नमूना आने वाली 26 तारीख को पता लगेगा, जब आपके विपक्ष के नेता का चयन होगा, तब कर लेना +++। हम +++ नहीं करते।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आने वाली 26 तारीख आपकी +++ के लिए खुली हुई है।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करना चाहता हूं, 26 तारीख आपके सामने है और मेरी शुभकामनाएं रहेंगी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात करो न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...कि सबसे वरिष्ठ और हमारे माननीय सदस्य घनश्यामजी तिवाड़ी साहब जो सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उनको बनाएं। आप इस तरह की बातें नहीं करें। +++ छोड़ दीजिये। अपने को अच्छे आदमी को बनाना है, जो विपक्ष की अच्छी बात करे, जनता की बात करे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, अपनी सरकार तो आनी नहीं। कभी इधर पत्थर फेंक दिया, कभी उधर पत्थर फेंक दिया, आपका काम चल जाएगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की सरकार ने पंचायती राज को मजबूत करने का काम किया तो उसका नाम अशोक गहलोत है, जिसने पांच-पांच विषय ग्रामीण परिवेश को दिये। पंचायत समितियों और जिला परिषदों को जिनको आपने पांच साल तक पंगु बना दिया था, उनको अगर मजबूत करने का काम किया तो वह अशोक गहलोत की सरकार ने किया।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराजिये। मेरे चश्मा नहीं लगा, आपके लग गया। विराजिये, आप विराजिये। माननीय राव राजेन्द्र सिंह जी फरमा रहे थे कि भुखमरी से मौतें हो रही हैं। मैं निवेदन करूं, बारां में हुई थी भारतीय जनता पार्टी के शासन में, दो साल में कोई भुखमरी से नहीं हुई क्योंकि प्रत्येक गरीब, प्रत्येक गांव और ढाणी का आदमी दो रुपये किलो में गेहूं लेता है।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका काम यही है। आप इतना ही कर लीजिये...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...एक-दो आते रहेंगे और काम चलता रहेगा और आपकी पार्टी का नाम रहता रहेगा, इससे ज्यादा नहीं आने।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिए, छात्र-छात्राओं के लिए अगर किसी ने काम किया तो राजस्थान की सरकार ने जिसके मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत हैं। एस.सी., एस.टी. और पिछड़े वर्ग के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति में 439.44 करोड़ रुपये व्यय कर 7,81,944 विद्यार्थियों को लाभ दिया। यह राजस्थान की सरकार का नमूना है। अगर विकलांग छात्रवृत्ति के रूप में 185.97 लाख रुपये व्यय करके 15,024 छात्र-छात्राओं को लाभ दिया तो वह अशोक की सरकार है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, बी.पी.एल. परिवार की पुत्रियों के विवाह के लिए अगर किसी ने दिया तो 1,222.92 करोड़ रुपये देकर 12,890 महिलाओं को उन्होंने लाभान्वित किया। अब तो गुर्जरों वाली बात ही नहीं कर रहा हूं, दूसरी कर रहा हूं।

श्री सभापति: अब सम-अप करो, माननीय सदस्य। अब सम-अप करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करना चाहता हूं, गाड़िया लुहारों के लिए जिनके लिए आपके दिल में दर्द नहीं था, भवन निर्माण के लिए अनुदान के रूप में 366.55 लाख रुपये देकर 732 परिवारों को लाभान्वित किया, यह अशोक जी गहलोत की सरकार का काम है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, विकलांग विवाह परिचय सम्मेलन योजना में 655 नि:शक्तों को 284 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का काम राजस्थान की सरकार ने किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करें आप। अब आप सम-अप करें, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): समाप्त तो कर दूंगा लेकिन इनको बताना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद में गरीब की सुध लेने वाला, किसान की सुध लेने वाला, बेसहारा की सुध लेने वाला कोई है तो वह है राजस्थान की सरकार के मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत। आप में वह ताकत नहीं थी। आप तो कहीं बैठे रहते थे, मंत्री को इसको हटा दिया, किरोड़ीजी को भगा दिया, घनश्याम जी तिवाड़ी अच्छा काम कर रहे थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे तो इनको हटा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जयपुर में रिंग रोड का काम चालू किया जो आपमें इच्छा शक्ति नहीं थी। वह इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने करने का काम किया है, जो कार्य जल्दी चालू हो रहा है।

सभी शहरों के ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार करने का काम किया है तो वह अशोक जी गहलोत की राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है। आपने नहीं किया। आपने 90-बी के नाम पर घपले करने का काम किया, आपने शहरों की दुर्दशा करने का काम किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, राज्य में एकल खिड़की योजना के तहत 224 उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों पर ई-सुगम प्रणाली लागू कर दी, जो आपके शासन में नहीं हुई।

सभापति महोदय, अगर राजस्थान में मुख्य सेवक के रूप में किसी जन प्रतिनिधि ने काम किया तो उसका नाम माननीय अशोक जी गहलोत है, जो मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आंगनबाड़ी केन्द्र के 384 भवन बनाये और 384 महिला पर्यवेक्षकों को नियुक्त करके गरीब, बेसहारा लोगों को, जिनकी सुध नहीं ली थी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप केवल व्यापारियों से सैटिंग करके पांच साल तक काम करते थे। एक भी घपले का आरोप नहीं, एक भी इस प्रकार का कोई आरोप नहीं कि इस राजस्थान की सरकार में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हुई हो। आठ साल तो मैंने कह दिया, मेरी काली जीभ आपको लग गई। अब और ठीक विपक्ष की भूमिका निभाओगे तो आगे सोचेंगे। तीन साल और पांच साल आगे आने वाले। माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काम करेगी। आप नमूना देखिये, एक व्यक्ति जो मानसिक अवसाद में था, पता लगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि इसके पांच-पांच, छह-छह बेटियां हैं, यह दिमाग से अपसैट है उसके घर गये, उसको सहायता दी। उन बच्चों को पढ़ाने का काम अगर किया है तो केवल एक पुरुष है जो माननीय अशोक जी गहलोत है। आपको फुर्सत ही नहीं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य सम-अप करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी महारानी साहिबा को रैंप पर चलने से फुर्सत होती तो गरीबों की सुनतीं। ढाई-ढाई सौ केजुअल्टी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जोधपुर में मंदिर में हो गई थीं, तीन-तीन दिन तक यहां राजस्थान में नहीं आई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मजाक में मत लीजिए। गरीबों के वोट से जीत कर आये हैं, गरीबों की मदद कीजिए। जो राजस्थान की सरकार मदद करती है उनकी वाहवाही कीजिए, पीठ थपथपाइए, हो सकता है आठ साल बाद में आपको कोई मौका दे दे। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 12 बजे तक ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप बीच में व्यवधान नहीं करें।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आठ घंटे पूरा का पूरा है, आप विराजिए।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप विराजिए। यह अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्या।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री सभापति: उप नेता महोदय, इनको समझाइए। (व्यवधान) और वही की वही स्थिति वापस बन गई है। प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, पाँच घंटे का पूरा का पूरा चला है, इनको समझाया गया कि कैसे-कैसे मुद्दे पर बोलना चाहिए ...(व्यवधान) कैसे चलेगा? माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा, आप विराजिए।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं सदन के माध्यम से हमारे विपक्ष में बैठे भाई जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारे कम्युनिस्ट भाई भी उनमें हैं, और भी होंगे, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह गणेशजी को दूध पिलाने वाली पार्टी से सावधान रहिए, यह जनता का भला नहीं करेगी। जनता का भला नहीं करेगी तो आपको दुबारा चुनकर आना मुश्किल हो जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो। अब आप सम-अप करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण किया गया, उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने दो साल में गरीब, बेसहारा, पीड़ित लोगों की सुध ली है। राजस्थान का आम अवाम प्रत्येक वर्ग चाहे वह अल्पसंख्यक हो, चाहे वह अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, सारे के सारे आराम से अपना जीवनयापन कर रहे हैं, रोजी-रोटी कमा रहे हैं। उनकी चिंता कीजिए, 26 तारीख के दिन के लिए तैयार रहिए। किसको कितनी लगानी है, किसको बनाना है, आप जानें। अच्छे आदमी को बनवाओगे तो अच्छा विपक्ष रहेगा और अच्छा विपक्ष रहेगा तो जनता को अच्छा होगा, वर्ना किसी को यूं ही डमी बिठा दिया तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल। माननीय सदस्य आपका जब बोलने का क्रम आया, आप अनुपस्थित थे। मैं आपको अभी अलाउ कर रहा हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि भविष्य में इसको उदाहरण नहीं बनाया जाए। समय जो आपका क्रम है, उसमें आपको उपस्थित सदन में रहना चाहिए था। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का अंतिम दिन है, कुछ देर बाद मुख्य मंत्रीजी पिछली दो बार की तरह अभिभाषण पर जवाब देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए कपोल-कल्पित बातों के द्वारा अपनी आदतों के अनुसार सदन को गुमराह करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। 40 पृष्ठीय अभिभाषण को पढ़ा, पैरा 84 के अन्दर मुख्य मंत्रीजी खुद ही कह रहे हैं कि कोल लिंकेज नहीं मिलने के कारण विद्युत उत्पादन क्षेत्र में कार्यवाही नहीं हुई जिससे 3700 करोड़ की योजना में कटौती करनी पड़ी। इनके खुद के, सरकार के बयानों में विरोधाभास है। अभी लक्ष्मणगढ़ से बड़ी मुश्किल से जीत कर विधान सभा में आये, 34 वोटों से, विधायक महोदय ने बड़ी-बड़ी लम्बी बातें सदन के सामने रखीं। सभापति महोदय, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, प्रदेश का नौजवान जब रोजगार के लिए आत्महत्याएं करने को मजबूर था, प्रदेश के अन्दर अराजकता की स्थिति थी, उस दरमियान राजस्थान के नौजवान को ज़ीने का किसी ने संबल दिया, नौजवान को रोजगार के साधन दिये और राजस्थान को बिहार और उत्तर प्रदेश बनने से बचाया तो पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने जिन्होंने एक लाख लोगों को रोजगार के साधन

(श्री हनुमान बेनीवाल)

इसी राजस्थान के अन्दर दिये। चुनावी घोषणा पत्र के अन्दर एक लाख को रोजगार देने की बात कही थी, ढाई साल पूरे होने को हैं, अभी तो एक भी आदमी लगा नहीं। रोजाना विधान सभा के सामने हजारों की तादाद में संविदाकर्मी आते हैं चाहे वह नरेगा के संविदाकर्मी हों, एनआरएचएम के हो, चाहे मेडिकल के हों। उनको निकालने का काम सरकार ने जरूर कर दिया है। मुझे लगता है, आने वाले पांच साल के अन्दर वसुंधरा जी ने जो नौकरियां दी थीं, उनमें आधे से ज्यादा लोगों को ये वापस गांव और ढाणी का रास्ता दिखा देंगे। यह काम तो जरूर यह सरकार करेगी।

पंचायती राज को अधिकार देने की बात करते हैं, पंचायती राज के अधिकार देने की बात शुरू से की गई। पंचायती राज अधिकार देने जब तय थे उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्रीजी ने रात के अंधेरे में ट्रांसफर किये, ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई। कांग्रेस के एमएलए भी यह कहते थे कि प्रतिबंधित जिलों से ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो यह लिस्ट और सबूत है जिसके अन्दर बारां और जालौर से भी ट्रांसफर मास्टर भंवरलालजी ने किये थे। ये ट्रांसफर क्यों हुए, किसके कहने से हुए, इसको पीछे तो सारा राजस्थान जानता है।

अभिभाषण के 64 व 65 पैरा में प्रदेश में प्राथमिक स्कूलें खोलने की बात, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। लेकिन पिछले दो साल के अन्दर प्रदेश में एक भी नई बालिका स्कूल नहीं खुली। और तो और, पूर्ववर्ती सरकार ने जो हजारों स्कूल ढाणियों के अन्दर, गांवों के अन्दर खोले थे, एक नया इतिहास बनाया था राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे घनश्याम जी तिवाड़ी यहां विराजमान हैं, इनको भारत सरकार ने कई इनाम भी दिये शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को आगे लाने के लिए, पैराटीचर की भर्ती करने के लिए। कई पुरस्कार इन्होंने लिये और इन्होंने वह सारा काम कर दिखाया। लेकिन दो साल के अन्दर कई सैकड़ों स्कूलें बंद कर दी गई। कई स्कूलें तो हमने हाथा-जोड़ी करके वापस हमारे इलाके के अन्दर ही नहीं, राजस्थान में ऐसे कई विधायक होंगे जो मास्टर भंवरलालजी और मुख्य मंत्रीजी के पास गये और उन्होंने स्कूलें वापस चालू करवाई। यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि पिछले ढाई साल के अंदर हुई है। अगर ईमानदारी से राजस्थान के अन्दर जांच हो जाए, मुख्य मंत्रीजी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, गांधीवादी सोच की बात इनकी गांधीवादी सोच के हिसाब से है और ईमानदारी से अगर पांच मंत्रियों की जांच हो जाए, पांच छोड़ दो, एक अपने बाबूलाल नागर की

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जांच करा ले सरकार। ढाई से तीन रुपए किलो पहले आटा पिसाई दिया जाता था पिछले दो साल तक, जब प्रतिपक्ष ने यहां विरोध किया, सत्तापक्ष के कई लोगों ने मुख्य मंत्रीजी को कहा, उसके बाद आटा पिसाई की दरें एक रुपए और डेढ़ रुपए किलो पर आ गईं। अब ढाई रुपए से डेढ़ रुपए किलो, अगर पूरी वसूली बाबूलालजी से की जाए तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए आटा पिसाई के अन्दर ही घपला हो गया। आज दिल्ली में इनकी सरकार, राजस्थान में इनकी सरकार, अटल बिहारी जी वाजपेयी ने....

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 272 की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय सदस्य माननीय मंत्रीजी के ऊपर अगर किसी प्रकार का आरोप लगाना चाहें तो नियमों में आएं। इस प्रकार से आप अनर्गल आरोप नहीं लगाएं। यही मेरा निवेदन है, ऐसी कोई बात हो तो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजो, विराजो आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह तो सत्य बात है आरोप क्या है? सीधे है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): देश के अन्दर भ्रष्टाचार की आंधी चल रही है और कानून मंत्री यह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब उनकी नजर में अब भ्रष्टाचार बहुत ही बड़ी कोई चीज हो गयी है, बहुत बड़ा इनाम इस देश में हो गया। 1 लाख 76 हजार करोड़ का 2जी स्पैक्ट्रम, दो लाख करोड़ का इसरो घोटाला, कामनवैल्थ घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला, देश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, देश की कृषि को उन्नत बनाने के लिए और सिंचाई के साधनों के लिए जैसी कि पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की नदियों को नदियों से जोड़ने की सोच थी, उसमें मात्र ढाई लाख करोड़ रुपये ही खर्च होते। बात करते हैं भ्रष्टाचार मिटाने की, प्रदेश में एक मंत्रीजी खुद के नाम से खानें अलाट करवा रहे हैं। बीज की डीलरशिप अपने बेटे को दिला रहे हैं। एक गरीब मंत्री जो आत्मा की आवाज से कोई बात कह गया, उसको तो तुरन्त हटा दिया। मास्टर भंवर लाल जी कहते हैं कि नाड़े के पास स्कूल खोल दूं, नर्स की चोटी पकड़ लो। केकड़ी और सूरजगढ़ से जो विधायक आये हैं, दोनों की क्या तकरार मास्टर भंवर लाल जी के साथ हुई, क्या वाकया हुआ, यह मुझे कहने की आवश्यकता इस सदन में

(श्री हनुमान बेनीवाल)

नहीं है। कृषि मंत्रीजी ने कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन को वेयरहाउस कारपोरेशन को सौंप दिया जो 27 वर्षों से केन्द्र चल रहा था और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ करार करके किसानों को सर्टीफाइड सीड्स अत्यन्त महंगे दामों पर मिलें, इसकी नींव भी रख दी।

प्रदेश में कानून व्यवस्था जर्जर हालत में है। इसी सदन में बहस चली, 15 जिन्दा कारतूसों के साथ गृह मंत्री खुद ही एयरपोर्ट पर पकड़े जाएं, उस राज्य का क्या भला होगा! उस राज्य में कानून व्यवस्था क्या होगी। प्रदेश में भू-माफिया, शराब माफिया...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो अब आप। माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पर्यटन माफिया सिर चढ़ कर बोल रहे हैं। जहरीली शराब से जोधपुर संभाग में अस्सी के लगभग मौतें। जोधपुर के अस्पताल में सात-सात प्रसूताओं की डाक्टरों की लापरवाही से मौतें। पिछले दो सालों में प्रदेश में न कोई नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खुले न प्रदेश में अस्पताल खुले और ये प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने की बात करते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर यही हालात रहे तो भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट लेगा, उसको चुनाव प्रचार में जाने की जरूरत नहीं है, जनता 170-80 सीट भारतीय जनता पार्टी को बैठे-बैठे दे देगी। हमें तो कुछ करना ही नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम-अप करो।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सभापति महोदय, पहले कितना समय दिया था, वो भी तो आप देख लें। थोड़ा बहुत तो कंपरेटिवली दें।

श्री सभापति: मैं देख कर ही दे रहा हूं। समय प्रतिपक्ष का जो था, उससे ज्यादा पूर्व में बोल चुके हैं और आज का अलग है और अभी प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता को अलग बोलना है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कानून व्यवस्था की यह स्थिति है कि नरमुंड जयपुर के बाजार में खुले में फेंक दिये जाएं। प्रदेश में स्टेंडिंग वारंट मंत्रियों के, मंत्री छुपते फिरें, विधायक छुपते फिरें। और तो और, विधायकों को वैबसाइट पर भगोड़ा घोषित कर दो। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान बिहार और उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो राजस्थान को बिहार और उत्तर प्रदेश बनने से कोई बचा नहीं सकता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम-अप करो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसलिए, सभापति महोदय, आज सदन के नेता यहां मौजूद हैं, यह मेरी आत्मा की आवाज नहीं है, यह राजस्थान की 6 करोड़ जनता की आवाज है, आप तत्काल ऐसे मंत्रियों की सूची बनाएं जो अपने आपको आपसे बड़ा समझते हैं और जो जनता को अपनी जेब में समझते हैं, ऐसे लोगों को आप मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएं तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश प्रदेश की जनता में जाएगा।

श्री सभापति: अब आप समाप्त कर दो, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साहब, थोड़ी देर तो अनुमति प्रदान करें।

श्री सभापति: मेहरबानी करके अब नहीं। मुझे समय का ध्यान रखना पड़ेगा। माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के उप नेता को बोलना है, सदन के नेता को बोलना है अभी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ओलावृष्टि से अभी पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने ओलावृष्टि के बारे में कोई किसानों को राहत का पैकेज घोषित नहीं किया। अभी कमसा जी बता रही थीं कि मेरी कांस्टीट्युएंसी के अन्दर इनके गृह जिले के 26 लोगों की मौत हुई। यह वहां गये, इस बात का इनको धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन जाने के साथ-साथ जब प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और वो गरीब परिवार थे, तो मानवता के नाते उन परिवारों के लिए एक पैकेज की घोषणा मुख्य मंत्रीजी को अपना गृह जिला होने के नाते करनी चाहिए थी।

श्री सभापति: अब आप सम-अप करो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक महोदय, बहुत बड़ी-बड़ी बातें यहां कह गये, लेकिन मुझे कहने की बजाय अपनी कांस्टीट्युएंसी में ध्यान ज्यादा दें तो अगली बार जीत कर आ जाएंगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत इनके हो जाएगी। क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय के नाम पर इन्होंने और हमारे मंत्रीजी जो बसपा से जीत कर आये थे, फिर कांग्रेस में शामिल हो गये, इन्होंने बड़े आंदोलन शेखावाटी में किये कि जाते ही शेखावाटी विश्वविद्यालय की घोषणा कराएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम-अप करो। हनुमान जी बेनीवाल साहब, अब सम-अप करो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तीसरा साल आने को आया है, शेखावाटी विश्वविद्यालय के मुद्दे को तो भूल गये काम इनको करना चाहिए। मैं सदन के नेता से आग्रह करूंगा, पिछले सत्र में और इस सत्र में एक फर्क मुझे दिखायी दे रहा है...

श्री सभापति: मैं अगले माननीय सदस्य का नाम पुकार रहा हूं। नहीं, अब सम-अप करो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ... कि जो पिछली बार कुछ अलग से बोल रहे थे वो अबकी बार सदन के नेता के पक्ष में बोल रहे हैं, तो कृपा करके इन दो-तीन लोगों को मंत्री जरूर बना दें ताकि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची के पूर्ण होने तक बढ़ाया जाय।

श्री सभापति: क्या सदन का समय आज की कार्य सूची के समाप्त होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची के समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति जी, राज्यपाल ने सरकार के दो वर्ष को आइने के रूप में राजस्थान की जनता के सामने रखा है और पूरा राजस्थान दो वर्ष से सरकार को नंबर दे भी रहा है नंबर कम करने का काम भी कर रहा है। लेकिन यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है और इस सदन में सभी तरह के लोग जीत कर आये हैं। हम लोग सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो विपक्ष में बैठे हैं, कांग्रेस के ज्यादा हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, कम्युनिस्ट भी हैं और निर्दलीय विधायक भी जीत कर आये हैं। इन दो वर्षों में ईमानदारी से और राजस्थान की जनता की सोच के अनुसार काम करने का

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

काम यदि किसी ने किया तो वो राजस्थान की सरकार है जो राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम कर रही है। 2 वर्ष पूर्व जब राजस्थान विधान सभा के चुनाव हुए तो एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ, एक बहुत बड़े घोषणा पत्र के साथ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में गयी। जाकर लोगों से कहा, आप हमारे साथ में आओ, हम गांव के गरीब का भला करना चाहते हैं, गांव की झोंपड़ी में हंसने की आवाज लाना चाहते हैं। हम गांव का विकास करना चाहते हैं, शहर का विकास करना चाहते हैं और राजस्थान के कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर और किसान सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। एक ऐसा शासन देना चाहते हैं जो शासन कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आए जहां पर मनमानी हो रही हो, तानाशाही हो रही हो, जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा हो, जहां पर भय और भूख नजर आती हो। एक नया शासन, ऐसा जिम्मेदार शासन जिसमें आम आदमी का राज नजर आए, जिसमें लोग यह कहें कि यह कांग्रेस का शासन है। यह उस कांग्रेस पार्टी का शासन है जिस कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया, जिसका नेतृत्व जवाहर लाल नेहरू ने किया, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया, जिसका नेतृत्व राजीव गांधी ने किया। आज उस कांग्रेस पार्टी की सरकार के रूप में जब हम काम कर रहे हैं तब आज हमको यह याद रखना होगा कि वो ही पार्टी आज राजस्थान में शासन कर रही है, वो ही पार्टी आज पूरे हिन्दुस्तान में शासन कर रही है जिसने अपना इतिहास बलिदान के रूप में इस हिन्दुस्तान में लिखा, पूरी दुनिया में लिखा। आज पूरी दुनिया, जब हिन्दुस्तान में अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा आता है तब वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सलाम करता है, इस देश को सलाम करता है। इस तरह की कांग्रेस सरकार जब यहां पर काम कर रही है, मैं आज आपसे कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के सामने चुनौती खड़ी हो रही है भ्रष्टाचार की। जब बात हो रही है, मैं खुले दिल से कहता हूं, लोग कहते हैं कि 2जी स्पैक्ट्रम में घोटाला हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यही मनमोहन सिंह की सरकार है जो 3जी स्पैक्ट्रम लेकर आयी, तब 2जी स्पैक्ट्रम का घोटाला खुला और जिन लोगों ने बेइमानी की उनको जेल का रास्ता दिखाया। किसी को रोकने का काम नहीं किया। पूरा हिन्दुस्तान, पूरी दुनिया, खुले आम कहता है कि सबके ऊपर उंगली उठायी जा सकती है लेकिन सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के ऊपर उंगली नहीं उठायी जा सकती। इसलिए नहीं उठायी जा सकती कि जब लोग 2जी स्पैक्ट्रम के घोटाले की बात कर रहे थे तब बुद्धिजीवियों ने पूछा कि आखिर यह 2जी स्पैक्ट्रम का

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

घोटाला अब क्यों खुला, यह आज ही क्यों पता चला? तब लोगों में इस बात की भी चर्चा हुई कि यह मनमोहन सिंह है जिसने कहा कि 3 जी स्पैक्ट्रम की खुली बोली लगेगी,

इतना पैसा आ रहा है तो फिर 2जी स्पैक्ट्रम से कम क्यों आया। जो लोग दोषी थे उनको जेल का रास्ता दिखाया। यही कांग्रेस की सरकार है, आदर्श सोसायटी घोटाले की बात कर रहे हैं, यह सोनिया गांधी की हिम्मत है जो एक घोटाले पर, एक फ्लैट के घोटाले के नाम पर एक मुख्य मंत्री से इस्तीफा लेती हैं। उसकी जांच आज भी चल रही है, यह कांग्रेस की हिम्मत है। आज उसी कांग्रेस की हिम्मत पर मैं पूछना चाहता हूं, मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, घोटाले तो बहुत बड़े बड़े हुए लेकिन किसी ने भी हिम्मत कर आगे बढ़ कर घोटालों पर अपने लोगों को दोषी नहीं ठहराया। कामनवैल्थ की बात आई तो सीबीआई की जांच हुई, जगह-जगह छापे पड़ रहे हैं और कोई भी बचने वाला नहीं है। जैसे ही इसरो की बात आई तो मनमोहन सिंह जी ने खुद आगे बढ कर वह कांट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। इस तरह से ईमानदारी से शासन करने का काम अगर कोई करती है तो वह कांग्रेस पार्टी करती है। दो वर्षों के हमारे शासन की बात हो रही है, बात होती है बार-बार, हमारे विपक्ष के साथी बड़े सम्माननीय हैं, उनका अधिकार है, बार-बार टोंट करते हैं कि यह मंत्री बनना चाहते हैं, इस सदन में हम कह रहे हैं, हमारे नेता भी बैठे हैं, हम न तो मंत्री बनना चाहते हैं न संत्री बनना चाहते हैं। हम जहां से जीत कर आये हैं, आप सब मुझे जानते हो कि मैं बहुत स्वाभिमानी आदमी हूं, न हमें यह शौक है और न हम बीच-बीच में बोले हैं। जब भी आप बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, हमारे लोगों ने कहीं टोका-टोकी नहीं की। यदि सच पर चर्चा करना चाहें, मैं यह मानता हूं कि बार-बार बीच में बात उठ रही है, कि हम जब पहला प्लान लेकर आये 2009-10 में तब हमारा प्लान था 1834 करोड़ रुपये का, 2010-11 में प्लान लेकर आये 24076 करोड़ रुपये का और आज ही मुख्य मंत्रीजी नया प्लान लेकर आये हैं 27500 करोड़ रुपये का। यह सरकार की नीयत को दर्शाता है, यह सरकार की दिशा को दर्शाता है, यह सरकार की सोच को दर्शाता है। और यह दर्शाता है कि राजस्थान को विकास के रास्ते पर यह सरकार ले जाना चाहती है। एक नया राजस्थान बनाना चाहती है, एक नया आधुनिक राजस्थान बनाना चाहती है। एक ऐसा राजस्थान जिसमें गांव और शहर के बीच में दूरी नहीं हो। जहां का व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर और किसान आपस में कहीं भी यह

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

महसूस नहीं करे कि मैं पीछे रह गया। आप बात करते हैं, इस पूरे देश में समस्या है, पूरी दुनिया में समस्या है लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस देश में थी जिससे लड़ने की पूरी दुनिया स्टडी कर रही है, पूरी दुनिया जिस योजना के बारे में समझना चाहती है, उस समस्या से लड़ने की कोशिश इस हिन्दुस्तान में अगर किसी पार्टी ने की तो वह कांग्रेस पार्टी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लेकर आये । आज उस योजना से नक्सली भी खत्म होंगे, आतंकवाद भी खत्म होगा, बेरोजगारी को लेकर झगड़े भी खत्म होंगे, गांव और शहर के बीच की दूरी भी खत्म होगी। गांव के आदमी की आज फैक्ट्री में मजदूरी बढ़ गई क्योंकि उसके लिये गांव में रोजगार की व्यवस्था हो गई। यही कांग्रेस पार्टी है जो फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करती है, जो शिक्षा की अनिवार्यता की बात करती है, जो आम आदमी को सरकार से जोड़ने की बात करती है। सूचना का अधिकार आज सबको मिला हुआ है। मैं यह मानता हूं कि हम आम आदमी की सरकार को लेकर चले हैं। पूरे राजस्थान में जब विकास की बात आई, पहला बजट जब पेश किया तब राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने यहां घोषणा की। आज हर विधायक जानता है, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे घर पर सबसे ज्यादा आती है मां। विधवा के रूप में, वृद्धावस्था के रूप में और आकर कहती है, मुझे पेंशन दो, मेरे को मेरे बेटे रखते नहीं हैं। पहली बार किसी राजस्थान की सरकार ने एक नया कानून बनाया। मैंने दशहरे के रोज लोगों से कहा, जब राजेन्द्र विधूड़ी जी हमारे साथ थे जयपुर में, रघु जी मेरे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विधायक भी हमारे साथ थे, लोग तालियां बजा रहे थे। मैंने 50 हजार लोगों की भीड़ में कहा कि आज हम राम को याद कर रहे हैं लेकिन हमारी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया कि अब जो भी अपने मां-बाप का सम्मान नहीं करेगा, उसको जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के लिये इतना बड़ा कानून जिसको आज मां दुआ दे रही है, बाप दुआ दे रहा है, दादा-दादी दुआ दे रहे हैं। वे इसलिए दे रहे हैं कि एक कानून के जरिये उनको सम्मान मिला है। एक ऐसा कानून जिसमें वह बेटा डरता है जो अपने मां-बाप की सेवा नहीं करता है। इसी के साथ एक बड़ा काम कांग्रेस सरकार ने किया, पिछली बार हमने तय किया और वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, सब पेंशन बढ़ाई गईं। आज मैं आपको जयपुर का उदाहरण दे रहा हूं जब हमारी पेंशन बढ़ गई, थोड़े दिन पहले हमने मुख्य मंत्री जी को भी कहा, आप सब को पता होगा जब वृद्धावस्था पेंशन,

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन का फार्म लेकर मां, बहन, बेटी जाती है तो वहां पर उसको रिसीट नहीं दी जाती थी। हमने अधिकारियों से बात की, हमारे मुख्य मंत्रीजी से बात की, जयपुर में तुरंत यह लागू किया गया कि अब जो भी फार्म जमा कराएगा, उसको रिसीट मिलेगी और 21 दिन में उसका फैसला होगा।

गरीब आदमी को सम्मान मिले, उसको अधिकार मिल जाए, उसको रोटी मिल जाए, रोटी, कपड़ा और मकान के लिये शुरू से इस देश में संघर्ष होता रहा लेकिन सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान मिले और उसी योजना के तहत पहली बार राजस्थान की सरकार कम आय वर्ग के लोगों के लिये 5 लाख मकान अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत लेकर आई और फैसला किया कि ये 5 लाख मकान गरीब आदमी को मिलेंगे। जो गरीब आदमी मकान बना कर नहीं रह सकता उसके लिये बहुत बड़ी योजना लेकर आये। एक और नई योजना, अभी हमने जयपुर में बहुत बड़ा कैम्प आयोजित किया, उस कैम्प में करीब 1100 पट्टे कच्ची बस्ती वालों को दिये गये और नया प्लान लिया गया। आगे राजस्थान में कच्ची बस्ती के लोगों को अधिकार मिले, उसके लिये राजीव गांधी आवास योजना। सबसे बड़ी लड़ाई राजस्थान की सरकार ने लड़ी जब कच्ची बस्ती के लोगों ने कहा, हमें फ्लैट में मकान नहीं चाहिये हमको अलग से मकान दो। तो राजस्थान के मंत्री खुद धारीवाल जी, मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने केन्द्र सरकार में जाकर निवेदन किया कि राजस्थान का आदमी कच्ची बस्ती में फ्लैट में मकान नहीं चाहता। केन्द्र ने योजना मंजूर की और अब कच्ची बस्ती वालों को अलग से एक फ्लैट देने की बात भी हो गई कि ठीक है, हम उनको अलग से दे देंगे।

मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में यह चर्चा रही, जब हमारा राज आया और बरसात के दिन आने लगे तो लोग बड़े चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे कि कांग्रेस और काल की राशि तो एक है, पानी नहीं बरसेगा। हम भी डरे हुए थे, हो सकता है नहीं आये, गड़बड़ हो जाएगी। हमने भगवान से कहा कि हे भगवान! सुनना। भगवान ने सुनी, किसकी? इतिहास टूट गया सवा सौ वर्षों का, मावठ में पहली बार बरसात हुई। अखबारों ने लिखा, पूरे राजस्थान ने देखा। इतनी बरसात की मेहरबानी भगवान ने पहले कभी नहीं की जितनी बरसात इस बार हुई है। मैं यह मानता हूं, विपक्ष का यह अधिकार है कि वह हमारे खिलाफ बोले, हमारी बुराई करे। लेकिन हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी योजना को आपको चुनौती के रूप में लेना चाहिये।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य हमारे बड़े भाई हैं, मैं राजधानी जयपुर के लिये पूछना चाहता हूं, दो सरकारे हैं दो वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दो वर्ष बाद कांग्रेस की सरकार। आप लेकर आये बीआरटीएस, हम लेकर आये मैट्रो। बीआरटीएस ने जयपुर को जाम कर दिया, जहां से आदमी निकलता है गालियां देते हुए निकलता है, कहता है, सत्यानाश हो, यह क्या योजना बनाई। क्यों कहता हुआ जाता है? क्योंकि रास्ते जाम रहते हैं । हम लेकर आये मैट्रो। मैं चैलेंज से कहता हूं, सर्वे करवा लो, यदि हम उस सर्वे में हार जाएं तो इस योजना को वापस ले लेंगे । पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान फख्र से कहता है कि हमारी राजधानी में मैट्रो चलने की तैयारी कर रही है। लोगों में यह बात आई कि यह योजना 20 वर्ष बाद आनी चाहिये थी। कभी तो हम यह कहते हैं कि हमारा देश 50 वर्ष पीछे चल रहा है। यदि हम 20 वर्ष पहले आगे आ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है और जयपुर पूरे राजस्थान की राजधानी है, इसका फायदा पूरे राजस्थान को मिलेगा । 12 हजार करोड़ की योजना है, इस योजना के साथ मैं आज आप से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में चर्चा होती है पानी की, यह माना जाता है कि राजस्थान में पानी की कमी है। पहली बार राजस्थान की सरकार ने यह निर्णय लिया जो इतिहास बन गया, जो हमेशा याद किया जाएगा, कि राजस्थान में पानी को लेकर कानून बनाया, जल नीति लागू की और कह दिया कि अब जो भी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, 300 मीटर तक का मकान बनेगा, उसमें आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा जिससे आने वाली पीढ़ियां हमको गाली न दें। कि आपने जल नीति नहीं बनाई इसलिए राजस्थान में जमीन में पानी नहीं है। इतनी बड़ी जल नीति यहां पर लगा दी और इसके साथ साथ 63 पानी की बड़ी परियोजनाएं जो कि 12084 करोड़ की योजनाएं हैं। आप आश्चर्य करेंगे, उन योजनाओं में से 35 परियोजनाओं का काम चल रहा है और लगभग 22 परियोजनाएं पूरी हो गईं। पूरे राजस्थान में जहां भी फ्लोराइड की समस्या है, वहां भी अलग से पैसा दिया गया।

(समय : 17.00 बजे)

सबसे बड़ी बात, जब राजस्थान की सरकार का मन साफ और नीयत साफ है, उस वक्त राज्य सरकार के लिये यह आरोप लगाया गया, इसी सदन में यह कहा गया कि, साहब, राजस्थान मेडिकल हैल्थ यूनिवर्सिटी, वहां पर तो आपने सिस्टम ही बदल दिया। आपने यह कह दिया कि पी.जी. में बेइमानी हो

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

रही है, घोटाला हो रहा है। कोई घोटाला पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं हो रहा है हैल्थ यूनिवर्सिटी में। आपको जानकारी का अभाव है। राजस्थान की सरकार ने आल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट-एम्स को परीक्षाएं कण्डक्ट कराने का अधिकार दिया, 7 लाख रुपये दिये और यह कहा कि हमारे ऊपर आरोप नहीं लगें इसलिये आप एग्जाम करवा लें। इसी सदन में आरोप लग गया कि आप तो राजस्थान मेडिकल हैल्थ यूनिवर्सिटी में भी बेइमानी कर रहे हैं। आप पी.जी. में बेइमानी कर रहे हैं। कहीं सरकार की नीयत में खोट नहीं है। मैं खुद यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ रहा हूं। आज जब मैं चिकित्सा की बात कर रहा हूं तो मैं एक निवेदन जरुर मुख्य मंत्रीजी से करूंगा, मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान का डाक्टर बहुत अच्छा है । राजस्थान के जितने भी शिक्षा से जुडे हुए डाक्टर्स हैं, उनमें 50 प्रतिशत ऐसे हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। यदि हम उनकी तनख्वाहें बढ़ा देते हैं तो हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों के बराबर आकर खड़ा हो जाएगा और हमारा डाक्टर अपने आपको ज्यादा महफूज समझेगा। ऐसे में हमारे डाक्टर्स के लिये हम जो भी अच्छी से अच्छी योजना लागू कर सकते हैं, आप वह योजना लागू करें।

मैं आज एक बात और कहूंगा, जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात आई, 'शुद्ध के लिये युद्ध', जब यह प्रोग्राम चला और इतनी बड़ी तादाद में लोग पकड़े गये, मिलावट पकड़ी गई, हर क्षेत्र में मिलावट पकड़ी गई तब राजस्थान की जनता ने दुहाई दी और यह माना कि यह सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है। जगह-जगह छापे पड़े। जब छापे पड़े ज्यादा तो, यह मैं खुद कह रहा हूं, सब जगह यह हल्ला हो गया कि इतने जबरदस्त छापे पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन उससे मिलावटखोरों के मन में डर पैदा हुआ। डर पैदा होने का कारण ही था कि मिलावटखोर भी सुधरे, मुकदमे दर्ज हुए और उसके बाद राजस्थान की जनता को पता चला। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें, विराजें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उसके बाद राजस्थान की जनता को पता चला कि मिलावटखोरी से हम सबको लड़ना है।

आज मैं आपसे एक बात कहता हूं, सब जगह बार-बार बात होती है भू-माफिया की। भू-माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़नी पड़ेगी। लैण्ड माफिया के खिलाफ लड़ना चाहिए, पूरे सदन को एक होकर लड़ना चाहिए, हम

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

सब यदि एक हो जाएं तो अकेले जयपुर में 5 हजार करोड़ की सरकारी जमीनों पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। ऐसा मन राजस्थान की सरकार ने बनाया कि सरकारी जमीनों को मुक्त कराएं, लैण्ड माफिया के खिलाफ कार्यवाही करें। इसलिये एक स्पेशल थाना खुला, जे.डी.ए. थाना बनाया गया कि इन जमीनों के मामले में यदि गरीब आदमी के साथ अन्याय हो, उसकी सुनवाई नहीं हो तो कम से कम उसको न्याय मिल सके और लैण्ड माफिया उसको कब्जे में नहीं ले सके।

मैं आज इस बात के लिये भी धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में इन दो वर्षों में 2368 मेगावाट की वृद्धि हुई। 2368 मेगावाट की वृद्धि होना और इतनी बड़ी वृद्धि के बाद राजस्थान की सरकार के मन में फिर यह भावना होना कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। आप मुझे यह बता दें, दो वर्षों में राजस्थान की सरकार काम कर रही है, दो वर्षों में विपक्ष भी है, कोई बड़ा आन्दोलन हमारे विपक्ष के साथी जनता के बीच में नहीं ले जा पाये, उसका सबसे बड़ा कारण एक है। राजस्थान में या तो लड़ता है किसान, या लड़ता है मजदूर या विद्यार्थी लड़ता है। मैं आज पूछना चाहता हूं, राजस्थान का किसान संतुष्ट क्यों है? सबसे पहले घोषणा हुई कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम 5 वर्षों तक हमारे शासन में बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद भगवान ने दिया, बरसात बरसी। आज ऊपर वाला भी मेहरबान है, नीचे बिजली भी है लेकिन किसान बिजली को आन नहीं कर रहा है क्योंकि बरसात खूब आ रही है। बिजली में, मैं चैलेंज से कहता हूं, पिछले आपके राज के दो वर्षों में, हमारे राज के दो वर्षों में, बिजली 8 घण्टे से ज्यादा देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। आप 2-3 घण्टे नहीं दे पाये। क्यों नहीं दे पाये? चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी मंहगी बिजली खरीदी हो लेकिन राजस्थान के किसान को कहीं भी डाउन नहीं होने दिया।

जब जयपुर में बात चल रही है तो जयपुर में जितने भी बड़े काम हुए, उनमें वास्तव में पारदर्शिता नजर आती है। हमने खासा-कोठी के फ्लाई-ओवर की तरह कोई काम नहीं किया। आज भी जब खासा-कोठी के फ्लाई-ओवर के नीचे से आदमी निकलता है, हमको गाली नहीं देता है, गाली पुराने राज को देता है। राज बदल गया लेकिन गाली हमको नहीं, पुराने राज को ही पड़ रही है। आपने परमानेंट कुछ काम ऐसे किये हैं कि लोग गाली देते हुए

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

जाते हैं। पृथ्वीराज नगर का मामला हुआ, पिछली बार मैं चाहे विपक्ष में था, बहुत लड़ा। जब स्टूडेण्ट लीडर था तब लड़ने लगा। पृथ्वीराज नगर का फैसला पिछली बार कांग्रेस सरकार ने किया, 5 वर्ष आपने गुजार दिये। हमारे सीनियर विधायक वहां से रहे, चाहते हुए भी पृथ्वीराज नगर का फैसला नहीं करवा पाये और पृथ्वीराज नगर में बिजली, पानी के कनेक्शन पर रोक लगी रही। लोगों को मूल अधिकार नहीं मिला, बिजली, पानी के कनेक्शन नहीं मिले। इस बार जब कोर्ट में मामला सब-जुडिस हो गया, कोर्ट में फिर सरकार ने कहा कि हम इस योजना को अवाप्ति से मुक्त करना चाहते हैं। रेट्स घोषित कर दीं सरकार ने, बिजली-पानी के ऊपर से रोक हटा ली। यह सरकार की नीयत है, सरकार काम करना चाहती है। कई मामले हमारे पास आये लैण्ड-माफिया के, कई बार चुनौती खड़ी होती है और आज सदन के जितने सदस्य बैठे हैं, यह बात तय कर लेना, हम सबको तय करनी होगी एक बात, जो सबसे बड़ी बात है कि हम सबको अधिकार दें। हमें अधिकार देने चाहिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को। लेकिन आज सबसे ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है जनता को। जनता आज अपने अधिकार मांग रही है। आज कांग्रेस या बी.जे.पी. के विधायक हम यह कहकर नहीं बच सकते कि हमारी नहीं चलती है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। यह बात हम हमारे चुनावों में कभी भी नहीं कहते। चुनावों के बाद भी हमें यह कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं आज यह निवेदन करुंगा, यह सदन, यह राजस्थान की राजनीति कहीं भी धर्म के नाम पर नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है जयपुर में कुछ दिन पहले, छोटी-मोटी घटनाएं हो जाती हैं, नौजवान लोग लड़ लेते हैं, हत्या हो जाती है। लेकिन उसके बाद हर पार्टी की राष्ट्र के प्रति मॉरल ड्यूटी है। हिन्दू-मुसलमान-सिक्ख-ईसाई यहां प्यार और प्रेम से रहता है। सबसे बड़ी ड्यूटी हमारी है कि कहीं भी यदि साम्प्रदायिकता का माहौल बिगड़े तो हम उसको सुधारें। वहां जाकर हम लोगों को समझाएं कि हिन्दू-मुसलमान-सिक्ख-ईसाई एक होकर देश की आजादी के लिये लड़ा था और हिन्दू-मुसलमान-सिक्ख-ईसाई एक होकर इस देश के विकास के लिये लड़ा है। यहां छबील और मंदिर में झगड़ा नहीं है। यहां पर हिन्दू और मुसलमान में झगड़ा नहीं है। यहां पर झगड़ा जो वोट के लिये कर रहे हैं, वे हिन्दू-मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। हम हिन्दू और मुसलमान को नहीं लड़ाना चाहते हैं। इसलिये मैं आज इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, हम जिस संकल्प के साथ, जिस शपथ के साथ इस विधान सभा में हमारी राजनीति करते हैं, उस शपथ पर खरा उतरने का काम हमारा है।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा, सदन के नेता हमारे बीच में बैठे हैं, आज हर मंत्री सिर्फ अपने क्षेत्र का ही नहीं होता, पूरे राजस्थान का होता है। यदि मुख्य मंत्रीजी का कोई बयान आए अस्पतालों को लेकर, पुलिस को लेकर, स्वायत्त शासन विभाग को लेकर, तो वह संदेश सबसे पहले होता है मंत्रीजी के लिये कि आप अपने विभाग में यह सुधार कीजिए। मैंने तो संदेश दे दिया, वह सुधार मंत्रियों को करना चाहिए। वह ड्यूटी हमारी सबकी है, उस ड्यूटी में हम भी अपने आपको भागीदार मानते हैं। आज विधायक कोई सरकार से अलग नहीं हैं। हम सत्तापक्ष के विधायक, बार-बार यह बात उठती है, यह कहा जाता है कि ये असंतुष्ट विधायक है। हम असंतुष्ट कहीं से भी नहीं हैं। असंतुष्ट होता तो इधर बैठता क्यों? कोई असंतुष्ट नहीं है। जब हमारे मुद्दों की, हमारे अधिकार की बात हम करते हैं, उसको असंतुष्टता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उसको इस बात से जोड़ा जाना चाहिए कि हमारी कांग्रेस पार्टी में इण्टरनल डेमोक्रेसी है। इनको अपनी बात रखने का अधिकार है। आज यह कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में पूरी दुनिया जिसको जानती है, जिसका नेता राहुल गांधी, पूरे देश में चुनौती देकर ...(व्यवधान) अपन कर लेंगे, इधर पहले आये, पर आपसे बड़ा खिलाड़ी हूं, चिन्ता मत करो।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जो पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है, सोनिया गांधी जो प्रधान मंत्री का पद छोड़ती हैं, राहुल गांधी जो एक मिनट में प्रधान मंत्री बन सकता है लेकिन नौजवानों के बीच में जाता है, गरीबों के बीच में जाता है और जब पूरी दुनिया चुनौती कहती है कि इसका रिजल्ट क्या होगा तो उसका रिजल्ट भी नजर आता है। तो मैं आज इतना कह सकता हूं कि दो वर्ष में, दो वर्ष में (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिहार में क्या हुआ?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): क्या चाहते हो, बता दो न। नहीं, आप बोल दो पहले। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कुछ तो सोचो। पांच-पांच बार जीतकर आए हो, मैं पहली बार आया, सुन नहीं सकते क्या? डाइजेशन पावर बढ़ाओ थोड़ा-सा। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): इन दो वर्षों में हम तो हमारे शासन को लेकर लोगों के बीच में गये। योजना किसी पर्टीकुलर वर्ग के लिए नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

है। हमारी योजना हमारी सरकार लेकर आती है, हमारी योजना लोगों को नजर आती है। लोग कहते हैं बार-बार, बेइमानी, वो बेइमानी कहां है? आजादी के बाद पहली बार खनिज विभाग में यह फैसला हुआ कि हम खानों का नीलामी से आबंटन करेंगे। नीलामी से अगर आबंटन होगा तो बोली बढ़ेगी। बोली बढ़ेगी तो हजारों-करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार में आएगा। उसका फायदा राजस्थान की सरकार को मिलेगा। यह शुरूआत है बिजनस में प्रतिस्पर्धा पैदा की। मन जब साफ होता है तो फिर ईमानदारी से शासन होता है। मैं आज इतना कह सकता हूं कि इस सदन में कांग्रेस के जितने भी विधायक जीत कर आये, हम पूरा बहुमत लेकर नहीं लेकर आये लेकिन बी.एस.पी. के साथियों के बाद हमारा बहुमत 102 का हो गया। बाकी लोग निर्दलीय भी हमारे साथ हैं। मैं आज इतना कह सकता हूं कि यदि कहीं भी विपक्ष के मन में यह बात है कि हम खुद अपने आप को मार कर, आपस में लड़ कर आपको रास्ता देंगे तो सौगंध खा कर कहते हैं, कभी भी उम्मीद मत करना कि हम कोई आपको रास्ता देने वाले हैं। ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी गलती हम इसलिए नहीं कर सकते, हमको वह दिन याद है जिस दिन आपने पीठ में खंजर मारा था और सोनिया गांधीजी की कांग्रेस ने उठा कर उस खंजर को निकाल कर जयपुर जैसी लोक सभा सीट से हमको उम्मीदवार बनाया था और हमारी मेहनत का सम्मान दिया था। इसलिए मैं आज राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब को इस बात के लिए जरूर बधाई दूंगा कि जिस तरह भी आपका हमारे साथ व्यवहार है, वह व्यवहार डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलकुल सही है। हम सब आपके साथ हैं, राजस्थान की जनता आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, मैं आपको भरोसा देता हूं कि हम सब जितने भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं पूरे राजस्थान में वे आज यह महसूस करते हैं कि आपने अभी एक नया सिस्टम लागू किया। आपने कहा कि मूल निवास प्रमाण-पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र और विवाह प्रमाण-पत्र पर अब कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। कहने में बात छोटी लगती है लेकिन आम आदमी जब प्रशासन शहरों के संग अभियान चला तो उसको लगा कि मैं मेरा मूल निवास प्रमाण-पत्र भी नहीं बनवा सकता। एक छोटा अधिकार जब मिला तो आम आदमी की खुशी का अन्दाजा नहीं था। वह अधिकार देखने को मिला। जब प्रशासन गांवों के संग अभियान चला तो लाखों लोग, लगभग एक करोड़ लोग प्रशासन गांवों के संग अभियान में गये। जाकर लोगों ने अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाया, विधवा पेंशन बनवाई, लोगों ने जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाये। कई बार लोगों

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

ने यह कहा कि सरकार को यह अभियान की क्या जरूरत है? रोज क्यों नहीं होते? इसलिए कि एक ही छत के नीचे सारे 18 विभाग बैठ जाएं और बैठकर राजस्थान की जनता का, उस आम आदमी का काम हो सके, जो समझता नहीं है।

मैं अन्त में इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए समर्थन व्यक्त करता हूं और मैं यह विश्वास करता हूं कि राजस्थान की जनता दर्पण के रूप में जरा ताकड़ी ले ले, तोल ले, परख ले, तराजू लेकर तय करे, दो वर्ष का शासन भारतीय जनता पार्टी का, दो वर्ष का शासन हमारा। मैं यह भरोसा देता हूं कि राजस्थान में यह राज आम आदमी का राज है, न्याय का राज है, ईमानदारी का राज है और उसमें हम सब आगे बढ़ेंगे, राजस्थान आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: विपक्ष के उप नेता श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह प्राणवान और निष्प्राणवान का क्लीयर कर देना थोड़ा-सा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): करेंगे, करेंगे।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपने निष्प्राण बताया था हमारी सरकार को। थोड़ा बहुत तो मैंने उस दिन कर दिया था, शुरूआत के दिन। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सप्राण हो आप। सप्राण हो।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की विधान सभा में लगातार तीन दिन से बहस चल रही है और आज माननीय मुख्य मंत्री, इस सदन के नेता इसका जवाब देंगे। माननीय राज्यपाल महोदय संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत इस पवित्र सदन में आये और उन्होंने सरकार के कार्यक्रम का, क्रियाकलापों को अभिभाषण के माध्यम से यहां पर सदन के पटल पर रखा।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि सरकार की जो बात है, जो सारा कार्यक्रम है, क्रियाकलाप है, हम माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के रूप में इसको प्रस्तुत कराते हैं। हमारे संविधान में यह स्पष्ट है कि साल में पहली बार, जनवरी के बाद में जब कोई भी अधिवेशन होगा या नई सरकार बनेगी तो राज्यपाल महोदय आएंगे, वो हमको सम्बोधित करेंगे और सरकार के सारे क्रियाकलापों को सदन के सामने रखेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह सदन बहुत महत्वपूर्ण है। इस सदन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में जो भी जानकारी इस सरकार की है वह राज्यपाल महोदय के माध्यम से आती है और हम सौभाग्यशाली हैं कि बहुत अच्छी-अच्छी परम्पराएं इस सदन की रही हैं। माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान का सदन वह है जिसने रजवाड़े, सारे जागीरदारों के होते हुए पहला कानून रेवेन्यू के सुधार का, जागीरदारी उन्मूलन का इस विधान सभा में पारित किया। यह वह सदन है जिसमें गौ-हत्या बंदी का कानून सबसे पहले हिन्दस्तान में राजस्थान के सदन में पारित किया। यह वह सदन है जिसमें हमने सूचना का अधिकार भी सबसे पहले पारित किया, और भी बहुत से कानून हैं जो हमने सबसे पहले बनाये और हम प्रगतिशील विधायिका की श्रेणी में राजस्थान को लाये। हमारे ऐसे-ऐसे स्पीकर हैं जिनकी रूलिंग्स को सारे देश भर में पढ़ा जाता है। ऐसे सदन के हम सदस्य हैं। मुझे खुशी है, माननीय नेता महोदय, कि आज चार दिन का जो भाषण हुआ है, उस भाषण में जो गरिमा हमारे सदस्यों ने रखी है और जो स्तर रहा है वह काफी ऊंचा रहा है। इसलिए मैं सारे सदस्यों को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यह भाषण लगातार सुन रहा हूं, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने इस अभिभाषण पर अपना भाषण प्रारम्भ किया और हमारे सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका समापन किया। इसके बीच में पूरे- गोविन्द सिंहजी से लेकर, अलाउद्दीनजी आजाद साहब से लेकर, मदनजी प्रजापत का, पदमजी का, सब का भाषण सुना। मैं कह सकता हूं कि मैं एक ऐसा सदस्य हूं जिसने सभी सदस्यों का भाषण लगातार तीन दिन तक बैठ कर सुना है।

अब मैं इस पर भाषण शुरू करूं, उसके पहले, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे थोड़ी तकलीफ है। तीसरा यह भाषण है और तीन बार मैंने प्रश्न उठाये। बहुमत है, आसन की व्यवस्था है, उसके आगे नत-मस्तक होना पड़ता है। पहली बार मैंने यह प्रश्न उठाया था कि जब इस पवित्र सदन में, जैसा यह सदन है, इसके सामने कोई बात लेकर आये और उसमें कोई त्रुटि हो, वह हमारे लिए ठीक नहीं है। पहली बार के अभिभाषण में त्रुटि थी कि हमने सरकार को क्या काम करना है, वह इसमें नहीं लिखा। मुझे खुशी है कि अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी कि सरकार की यह गलती है, आइंदा इसको नहीं करेंगे। इस बार इसको सुधार लिया गया, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बार हमको क्या करना है, वह लिखा है।

उसके बाद दूसरी बार का अभिभाषण आया तो मैंने माननीय मुख्य

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मंत्रीजी को बताया, माननीय मुख्य मंत्रीजी, इतनी बार इसमें रिपीटीशन हुआ है, इतनी बार, इतनी गलती है, इसको आप ठीक करिए। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मानवीय गलती है, हो जाती है कई बार। तो हमने मुख्य मंत्रीजी की बात को मानकर उसको स्वीकार किया। लेकिन इस बार के अभिभाषण में इतनी बड़ी गलती है कि उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसके लिए, मुख्य मंत्रीजी, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। मैंने इस अभिभाषण को पूरा पढ़ा है, मेरी आदत है पढ़ने की। पहला पेज जब मैंने पढ़ा और इस पर नाम माननीय राज्यपाल महोदय का लिखा है, वही गलत है। इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। मैं प्रूफ रीडर नहीं हूं लेकिन मेरी आत्मा को तकलीफ होती है। इसलिए मैंने इसकी सारी खोज की कि यह काम सही है, गलत है, मैं तो कहीं गलत नहीं हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह नाम लिखा है महामहिम राज्यपाल महोदय का – 'श्री शिवराज वी. पाटील', इसमें 'टी' बड़ी नहीं होती इसकी, इसकी 'टी' छोटी होती है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): बड़ी होती है। 'टी' बड़ी है। आप गलत कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): विराजें। आप विराजें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): मैंने उनसे पूछा था, माननीय शिवराज पाटील से, कि आप यह बताइये कि यह 'टी' छोटी है या बड़ी है? उन्होंने कहा कि ह्रस्व की बजाए दीर्घ कहा कि दीर्घ है, इसलिए वह सही है। (व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलिए, मैं इस पर बता देता हूं। आप इसको सही मान रहे हो तो मैं उनके दस्तखत ही दिखा देता हूं। फिर? मैं अगर गलत हूं न, व्याकरण के हिसाब से, या 'टी' के हिसाब से, तो आप जो कहेंगे वह सजा प्राप्त कर लूंगा। आप सुन लीजिए मेरी बात जरा।

सभापति महोदय, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे जो महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, वह लोक सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, राज्य सभा के मैम्बर भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं। उनके कपड़ों के बारे में भी चर्चा बहुत हुई और इस बार भी अच्छे कपड़े पहनकर सदन में आये थे। उनकी जो वैबसाइट है लोक सभा की, उसमें लिखा है श्री शिवराज वी. पाटिल। टी छोटी होती है और अंग्रेजी में भी patil है, pateel नहीं है। पाटील नहीं है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पाटिल है, एक। फिर उसके बाद में राजस्थान सरकार ने दिग्दर्शन निकाला, कि देखो। दिग्दर्शन निकाला तो एक तरफ माननीय गहलोत साहब की फोटो है और एक तरफ राज्यपाल महोदय की फोटो है, उसमें भी पाटिल छोटा है। पाटिल छोटा है और अशोक गहलोत साहब तो बड़े हैं ही। आपके इ की मात्रा नहीं लगती। इसके बाद में, माननीय आजाद साहब, इस सदन में जो आर्डिनेंस पेश किये गये हैं, वे मैंने नहीं लिखे न? वे आर्डिनेंस इस सरकार ने इस सदन में पेश किये हैं, उन पर लिखा है शिवराज वी. पाटिल, छोटा। यह आर्डिनेंस है राजस्थान गैर सरकारी शिक्षा (संशोधन), दूसरा आर्डिनेंस है राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तथा अधिकारियों का, उसमें पाटिल छोटा। सब जगह छोटा लिखा है, छोटा ही होता है। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं इस सदन में, राज्यपाल का नाम अभिभाषण के ऊपर गलत लिखे, ऐसे लोगों पर अगर सरकार कार्यवाही नहीं करेगी और किसी प्रकार से सदन में आकर कोई बात रख देगा, उसका क्या महत्व रह जाता है? वैसे तो बात अलग है। हमारे कल्याण सिंहजी सीकर में राजा थे, उनको नाम लिखना सिखाया था कल्याण सिंह। तो लिखने वाले ने बताया, महाराज कल्याण सिं छोटा और ह। तो दूसरा आदमी जो उसको हटाना चाहता था, उसने कहा, यह गलत बात है। महाराज, यह सी बड़ी होती है। और उसने कहा, महाराज छोटी होती है, बड़ी नहीं होती। तो यह मुकुन्द सिंह बैठा है, इसको पूछो। बोले मुकुन्द सिंह, मात्रा छोटी कि बड़ी? बोले, महाराज छोटी। तो उसने कहा, महाराज, आप तो राजा हो, मुकुन्द सिंह तो आपका नौकर है। बड़े आदमियों की बड़ी सी और छोटे आदमियों की छोटी सि । तो वह जिन्दगी भर सींह लिखते रहे- कल्याण सींह, वही पट्टा आता रहा उनका। तो वैसा ही सींह कर लिया आपने। वह हमारे यहां ही कहते हैं, महाराज। इसलिये मैं कहता हूं कि यह सबसे बड़ी बात है जो इसमें की और इस सदन की इतनी मजाक है। मैंने पहले ही बताया कि संवैधानिक काम करने के लिये कोई आदमी आये और उसमें छोटी-छोटी गलतियां नहीं देख सके तो अंग्रेजी तो मेरी और गहलोत साहब की एक-सी है, हम दोनों की अंग्रेजी एक-सी है, लेकिन हिन्दी में तो कम से कम ठीक रहें। वैसे अगर इसको ज्यादा खींचा गया न, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। देखिये, आप कहेंगे, क्यों बोल रहे हो, आप तो पढ़े-लिखे आदमी हैं? दिन, दिन छोटा होता है, बड़ा करते ही दीन गरीब हो जाता है। चिर, निरन्तर और चीर करते ही कपड़े का टुकड़ा हो जाता है। एक होता है पिट, मतलब मार खा और पीट मतलब दे। कितना फर्क है यह छोटी-बड़ी इ की मात्रा में? सारा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

काम बदल जाता है और एक है पिटना, पिट। तो यह फर्क है, इसलिये इस फर्क को सरकार को समझना चाहिये और उन लोगों पर ..(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): पाटिल और पाटील में क्या फर्क है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह भी मैं आ रहा हूं, इसलिये तो मैंने पहले यह व्याख्या की है। बताऊं क्या उसको? इस प्रकार इन्होंने इसमें बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती को माफ नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के अभिभाषण पर पहली गलती चलिये, साहब। अब शुरू में गलती की तो काम ठीक है, आखिर में भी गलती है। यह एक मजाक के रूप में किसी चीज को लेना अच्छी बात नहीं है। आखिर में एक श्लोक लिखा, जो बहुत वर्षों से हम लोग बोलते हैं और उसका अर्थ सब जानते हैं। उसका अर्थ भी गलत लिख दिया। श्लोक लिखकर ही छोड़ देते, उसका अर्थ नहीं लिखते। अन्त में लिखा- सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद दुःख भाग भवेत।' अब इसका अर्थ कर दिया अच्छे से अच्छे दिन देखें, दुःख के दिन न देखें। यह कहां से आ गया इसमें? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद दुःख भाग भवेत। इसका सीधा-सीधा अर्थ है सब सुखी रहें, नीरोग रहें और भद्र कहते हैं आयु को, यश को, प्रज्ञा को और बल को, उसको देखे। उसमें दुःख के दिन कहां से आ गये? और कोई दुःखी नहीं है। यह छोटी-सी बात है। तो, महाराज, इसका तो शुभारम्भ भी गलत है और समापन भी गलत है। और बीच में क्या है, वह मैं अब आता हूं। इसका तो समापन भी गलत। और कम से कम संस्कृत वाला तो मेरे से पूछ लेते, मैं ही मदद कर देता, और कोई नहीं कर पाता तो। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसको मजाक में नहीं लेना चाहिये। इस बात को मजाक में नहीं लिया जाना चाहिये। इसलिये इस बात को निश्चित रूप से मैं समझता हूं, मुख्य मंत्रीजी इस बात में करेंगे। केवल एक उदाहरण है हिन्दुस्तान में जिसमें केवल महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं लिखकर यह बताया कि मेरे नाम में बड़ा टी लिखो। सदोबा कनोजी पाटिल, पंडित जवाहर लालजी नेहरू के टाइम पर हमारे खाद्य मंत्री थे, पी एल-480 का समझौता किया था, उनके नाम से लेकर आज तक जितने पाटिल हुए हैं, टी छोटा है। इसलिये इस सब मामले में आप निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। मैं समझता हूं, सरकार की इतनी बड़ी गलती क्षम्य करने लायक नहीं है। और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आप चाहो तो मैं वैबसाइट और यह सारा सदन के पटल पर रख सकता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ी बात, आज के दिन वैसे तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुख्य मंत्रीजी का जादू काम कर गया। इस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत करने वाले केकड़ी से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने जिस लहजे में सरकार का गुणगान किया, वह धन्यवाद के पात्र हैं, और अन्त में जो उन्होंने वाक्य कहा, साहब, वह तो कहने लायक है। उन्होंने, इन सारे कामों के लिये कोटि-कोटि प्रणाम कर दिया। तो मैंने कहा, सावधान रहना। कि क्यों? क्योंकि ये जोधपुर वाले लोग हैं, इनसे सारे आशीर्वाद ले लेना, शतायु का आशीर्वाद मत ले लेना। क्योंकि ये गलतियां हो रही हैं न, तो जोधपुर में स को ह बोलते हैं। प्रणाम करने पर उन्होंने कह दिया कि हतायु होवो, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। शतायु का मतलब 100 वर्ष का और हतायु का मतलब तेरी उम्र खतम हो। यह बड़ी सावधानी से प्रणाम करने की जरूरत है। यह ऐसे प्रणाम करने वाला काम नहीं है यहां पर। यह बहुत समझदारी से करना है। आपके पीछे यहां पर, मुख्य मंत्रीजी, बड़ा करंट है। जो तीनों हमारे दिग्गज बैठे हैं लक्ष्मणगढ़ वाले, सिविल लाइन्स वाले और केकड़ी वाले, इन्होंने जो जमकर भाषण आपके पक्ष में दिया है, तारीफे-काबिल है। बहुत तारीफे-काबिल है, सारा नक्शा बदल दिया। पिछले साल जैसा नक्शा था, मंत्री तक को डिप्रैशन में ला दिया था, आज सब प्रसन्न हैं। मैं उनको बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया, वह भी गजब है। मैं नाराज नहीं, बहुत प्रसन्न हूं। इन्होंने हमें कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आपको तो कोटि-कोटि प्रणाम और हमारे लिये चुल्लू भर पानी। ठीक है, आप प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले हैं, हम टोकेंगे नहीं। शर्म करो, वह भी करते हैं पर उसमें फर्क है, शर्म शब्द में फर्क है। एक स्वजन बोलेंगे तो अपने जन हो जाएगा और श्वजन बोलते ही कुत्ता हो जाता है। तो इन शब्दों का फर्क समझकर आप काम करो तो हमको शर्म करा दी। हमको यह भी कहा, आपके मुख्य मंत्रीजी तो गोली मारते थे। जैसे मुख्य मंत्रीजी ने बर्दाश्त कर लिया, आपकी मुख्य मंत्रीजी बर्दाश्त नहीं करतीं। आपने और भी कई आरोप लगाये। मैंने आपका सारा भाषण पढ़ा है, इन्होंने एक बात और कही। मेरे से नाराजगी इस बात की हो गयी कि आपने इस अभिभाषण को निष्प्राण कैसे कह दिया। फिर मैंने आज इनको पूछा, आप डाक्टरेट किसमें हो? तो इन्होंने कहा, डाक्टरेट मैं हूं मैनेजमेंट में। मैं मान गया, मैं नत-मस्तक हो गया कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैनेजमेंट पूरा है। आज इन्होंने कहा, निष्प्राण आपने कैसे कहा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्यों कहा निष्प्राण। जिस समय द्रोपदी का चीर-हरण हो रहा था और जब दुर्योधन की गदा तोड़ने के लिये श्रीकृष्ण ने कहा कि इसकी जांघ तोड़ो। उस समय उनको कहा, यह काम क्यों करा रहे हो? तो श्रीकृष्ण ने इस शब्द का प्रयोग किया कि जिस समय द्रोपदी का चीर-हरण हो रहा था, आप सभी महारथी उस सभा में ऐसे बैठे थे जैसे निष्प्राण हों और निष्प्राण का लाक्षणिक अर्थ होता है मरे जैसा। जो विरोध नहीं करे, जो लड़ाई नहीं करे, जो याद नहीं दिलाए। इसलिये मैंने इस सम्भाषण के साथ आप सब लोगों के लिये इस शब्द का प्रयोग किया है कि सारे राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं और इसका लाक्षणिक प्रयोग है यह, इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मैंने इसका प्रयोग किया।

अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं लेकर आये। सत्ताइस हजार करोड़ की योजना लेकर आये। योजना पर बजट के टाइम पर हम पूरी चर्चा करेंगे पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं इतना बता दूं कि सभी राज्यों की योजनाएं पिछले साल से आकार में बढ़ी हैं, लेकिन जितना परसेंट चार बड़े राज्यों का बढ़ा है उतना हमारा नहीं बढ़ा है, नम्बर एक। दूसरा, राज्य में हम एक नम्बर पर हैं क्षेत्रफल में। पशु गणना में हम पांच नम्बर पर हैं। हम जनगणना में आठ नम्बर पर हैं और हम 29वें नम्बर पर हैं शिक्षा और साक्षरता में। अब ईंकै नीचै कठै जास्यां? इसके नीचे कोई राज्य ही नहीं है। तो यह इतनी बड़ी योजना और इतना बड़ा काम। इसके बाद दो साल की चर्चा कर रहे थे प्रताप सिंहजी साहब। उस समय विकास दर 6.8 परसेंट थी और आज विकास दर 2.2 परसेंट है। यह आंकड़ा मेरा नहीं है, यह आपका है जो आपकी सरकार ने दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है लेकिन आपने प्रति व्यक्ति आय कम कर दी, आपने विकास की दर कम कर दी और आपने एक नौकरी देने का काम नहीं किया। नौकरी के बारे में मैं बताऊंगा उसके पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि मेरी पूरा पढ़ने की आदत है। अभिभाषण में आपने जिस प्रकार की त्रुटियां की हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। आप उनको ठीक करिए। मैं उदाहरण के लिए आपको कहता हूं, औरतों के लिए ऐसे शब्द लिखना उचित नहीं है। आपने लिखा पैरा नम्बर 104 पर महिलाओं बाबत्, विधवाओं। मतलब सारी महिलाएं विधवा। क्या मतलब हुआ? यह कैसे लिख दिया, मेरी समझ में नहीं आया। फिर आपने लिखा कि मोटर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

साइकिल सवार विभिन्न इलाकों में गश्त करेंगे, लोगों से सम्पर्क कर शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। मतलब कहीं वाक्य नहीं जुड़ रहा। और फिर पैरा 24 में, मदरसों में इस सुविधा का विस्तार? किस सुविधा का विस्तार? बताया नहीं। पैरा 10, 18, 21, 23 और 24 चारों पैराओं में इस प्रकार के वाक्य लिखे गये हैं, न तो उनका तारतम्य है, न मेल है, न किसी अभिभाषण की बात करते हैं। इस प्रकार अभिभाषण लेकर इस सदन के सामने आये हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपने यहां तक कह दिया, सीकर में बजरंग लाल ताखर को एशियाड में स्वर्ण पदक मिला। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने उसको पुरस्कृत किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आपने लिखा है कि हमने योजनाबद्ध तरीके से सीकर में नौकायन की सुविधा का विस्तार किया जिससे बजरंग लाल ताखर को यह पदक मिल गया। बापजी, सीकर में नौकायन कठै से करा दियो थे? आप इतना ही कहते कि बजरंग लाल ताखर ने जीता और हमने उसको पुरस्कृत कर दिया। (व्यवधान) अब गोविन्द सिंह डोटासराजी के कर दिया हो तो बात दूसरी है। नौकायन राजस्थान में कहीं नहीं है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो उदाहरण आये, वे ठीक नहीं हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। माननीय मंत्री लोग उत्तेजित हो जाते हैं। हमने बहुत सुना। आज गोविन्द सिंहजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमको भ्रष्ट बता कर, हमको लुटेरा बताकर, हमको अनाड़ी बताकर। हमको आपस में लड़ने की, झगड़ने की, जितनी सारी बातें थीं। और घंटी बजी नहीं। हम सुनते रहे, हम बोले नहीं। रघुजी ने भी कहा, प्रताप सिंहजी ने भी कहा। सबने सारी बातें कहीं। हमने सुन लीं, लेकिन हम जरा-सी बात कहते हैं, तो मंत्री नाराज हो जाते हैं। कहते हैं, बच्चे हो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, यह आपका सब इंसपैक्टर का रैंक इंसपैक्टर में कब बदलेगा? अब की बार छब्बीस तारीख को होगा या नहीं, यह तो बताओ। फोकट की मजदूरी आपसे करवा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आ रहा हूं न उसी बात पर।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप इसकी चिन्ता मत करो। आपका प्रदेश अध्यक्ष कब बनेगा, यह बताओ पहले?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बात यह है कि डूंगर बळती दीखे, पगा बळती कोनी दीखे। ढाई साल से उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा है, तरस रहे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं, वह नहीं दिख रहा। कार्यकारी अध्यक्ष बनाये फिर रहे हो जोशी साहब को। वैसे ही टाइम नहीं है उनको। बहुत बड़े-बड़े काम करने लग गये वह। फिर भी आप कह रहे हो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, आप विद्वान हैं, आपने बहुत कहा निष्प्राण वाले मामले में। अगर हम निष्प्राण होंगे तो चल जाएगा, लेकिन सामने वाले निष्प्राण रहेंगे, तो माननीय तिवाड़ी साहब, बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रदेश के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रेरणा आ गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपको प्रदेश अध्यक्ष कोई बनाने वाला नहीं है, चिन्ता मत करो। कितनी भी चिलम भर लो चाहे। जब तक गहलोत साहब विराजे हैं न यहां पर, सपना पूरा नहीं होगा आपका।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गहलोत साहब माफ कर सकते हैं उनको, कोई दिक्कत नहीं है। गांधीवादी आदमी हैं, क्षमा करते हैं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि छोटी-छोटी बातों पर मंत्री नाराज हो जाते हैं। हमारे ऊपर इतने आक्रमण कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। जब तारीफ हो रही थी गजरे के फूलों की तो खामोश बैठे रहे। और जब जख्म-जिगर हमने दिखाया तो बुरा मान गये। क्या बात है? हमारा यह कर्त्तव्य है। मुख्य मंत्री महोदय, हम यहां विपक्ष में बैठे हैं, हम सरकार को सुरक्षित करने के लिए नहीं हैं। हम सरकार को ध्वस्त करने के लिए हैं। हम यहां पर बैठे हैं। हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि आप लोगों की दुश्मनी पाल रहे हैं। हम इसलिए बैठे हैं कि हमारा पवित्र कर्त्तव्य है, हमारी नजर में अगर कोई बात आयी है तो हम उस बात को निश्चित रूप से स्वयं की हानि उठाकर भी इस सदन में कहेंगे, चाहे आधा घंटा इसमें बाधित हो। इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं। इसमें तमतमाने की जरूरत नहीं। बात कही जाएगी। यहां पर बात रखी जाएगी।

मुख्य मंत्री महोदय, आपने तीन बातें बहुत बढ़िया ढंग से कही हैं। आपने कहा कि हमने गुर्जरों का काम पूरा कर दिया, उनका सारा समाधान कर दिया। जो पैरा लिखा, उसको पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने राज्य में कानून और व्यवस्था का पैरा लिखा कि राज्य में कानून और व्यवस्था सामान्य रही और गुर्जर समाज के द्वारा की गयी आरक्षण की मांग का शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुसार हमने समापन कर दिया। ठीक है। यह ठीक है कि उसमें शांति रही। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजस्थान की कानून और व्यवस्था गुर्जरों तक सीमित है? सब गुर्जर नक्सलवादी हैं? राजस्थान में हत्याएं हो रही हैं, सात परसेंट बढ़ गयी हैं, राजस्थान में लूट बढ़ रही है, राजस्थान में डकैती बढ़ रही है, राजस्थान में 398 परसेंट वास्तविक रिकार्ड है सबसे ज्यादा एस सी और एस टी पर अत्याचार का। राजस्थान में सबसे ज्यादा दो नम्बर पर है महिलाओं पर अत्याचार। ये सब बातें भूल गये? सामान्य हर्षित काण्ड हो जाए, हमारे यहां की लड़की को पुलिस थाने में जिस प्रकार से रौंद-रौंद कर बलात्कार करके मार दिया गया, उसको आपने सामान्य से ले लिया। वह बात कुछ है ही नहीं? आपने इसमें कहा कि हमने गुर्जरों के आन्दोलन को शान्त कर लिया और कानून और व्यवस्था को एक पैरे में निपटा दिया। क्या था गुर्जरों का आन्दोलन? गुर्जरों का आन्दोलन या आरक्षण या, विकास का। आरक्षण और विकास के मुद्दे पर आपने कहीं चर्चा नहीं की और आपने इस आन्दोलन को भड़काया। आन्दोलन को भड़काने का श्रेय जाता है तो आपको और आपकी सरकार को जाता है। आरोप है मेरा आप पर। आपने तीन बार ऐसे भाषण दिये कि बी जे पी ने वह कानून पास किया। वह कानून गलत था? मैं चैलेंज करता हूं, वह कानून ठीक था। वह कानून मैंने पेश किया था। आपके कांग्रेस के नेता श्री सी पी जोशीजी ने उसका समर्थन किया। सारे सदन ने उसका समर्थन किया। आप दोषी इसलिए हो कि बारह महीने तक स्वर्गीय महामहिम राज्यपाल महोदय श्री शीलेन्द्र कुमार सिंहजी को आप पकड़कर बैठ गये। दस्तख्वत मत करना चुनाव के पहले। बी जे पी को फायदा मिल जाएगा। उनको हस्ताक्षर नहीं करने दिये। आपका राज आ गया तब आन्दोलन की बात आयी। आपने कहा, अलग-अलग कर देते हैं। आपने अलग-अलग कर दिया। हमने विरोध नहीं किया। गुर्जरों और आर्थिक पिछड़ा वर्ग को अलग कर दो। कर देते। वह नहीं किया। फिर उस कानून को बारह महीने बाद यथावत पारित किया। फिर उसके साथ इस सदन ने एक प्रस्ताव पास किया कि उसको नाइन्थ शिड्यूल में डाल दिया जाए। आपने भारत सरकार से उसको नाइन्थ शिड्यूल में नहीं डलवाया। भारत सरकार ने तमिलनाडु के कानून को डाल दिया, भारत सरकार ने महाराष्ट्र के कानून को डाल दिया, भारत सरकार ने झारखण्ड के कानून को डाल दिया। भारत सरकार आपकी, आप भारत सरकार के, आपने कड़ी से कड़ी जोड़ी थी, आपने क्यों नहीं डलवाया? इसलिए मैं कहता हूं कि सारे आन्दोलन के लिए आप जिम्मेदार हो। आपने क्यों नहीं डलवाया? हमने आपको कहा था कि विधान सभा दुबारा बुला लो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, उप नेता, प्रतिपक्ष जो गुर्जर आन्दोलन को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, उसमें कोई सत्यता नहीं है। जानकारी के अभाव में या जानबूझकर, कोई कारण होगा, उसके कारण आप यह आरोप लगा रहे हैं। तमिलनाडु की बात दूसरी थी, वो 1991-92 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले में निपटाया, उसके बाद में फैसला हुआ पार्लियामेंट के अन्दर क्योंकि पहले से ही वहां पर 50 परसेंट क्रास था। महाराष्ट्र का और झारखण्ड का मैं समझता हूं कि कोई नाइन्थ शिड्यूल में नहीं डाला गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है अभी सालभर पहले कि नाइन्थ शिड्यूल, जो पहले धारणा बनी हुई थी कि उसमें डालने के बाद में उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट की फुल बैंच ने बैठ कर तय कर लिया कि हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, इसलिए उसका कोई मायना नहीं है। फिर भी, फिर भी, फिर भी हम लोगों ने, क्योंकि सदन ने यह प्रस्ताव पास किया इसलिए हमारा कर्तव्य था कि हम उसको वहां पर भेजते। हमने एक बार, दो बार, कई बार वहां पर एप्रोच की। भारत सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया और स्वीकार इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर चुकी थी कि इसको हम रिव्यू कर सकते हैं, नम्बर एक।

नम्बर दो, जो कानून आपने पास किया, जब विधान सभा पास कर देती है उसके बाद में किसी को कहने का हक नहीं कि यह कानून कानून नहीं है। इसलिए गवर्नर साहब को जाकर कोई कहे कि आप इस पर साइन नहीं करें, ऐसी राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, नम्बर दो।

नम्बर तीन, आपने जो क्राइम किया है, मैं आपके ऊपर आरोप लगाता हूं, अगर आपकी मंशा वास्तव में ईमानदारी की होती, गुर्जर आन्दोलन इतना भयंकर बढ़ चुका था, 70 लोग मारे गये थे, आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और उसके बाद में उनको खुश करने के लिए, उनको मनाने के लिए चाहे सी.पी. जोशीजी ने यहां कहा, तब भी कहा कि आगे जाकर यह पिट जाएगा न्यायालय में, तब भी आपने वो बिल पेश किया। बिल के साथ में आपने 14 परसेंट, यह मेरा फार्मूला था कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण मिले। मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी के वक्त में जाकर वहां उनको एप्रोच किया, मैंने उनको लिख कर दिया कि प्रस्ताव हमारा है कि पूरे देश के अन्दर संविधान में संशोधन कर इसको लागू करवाएं। आप बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व के धनी हैं, आपको मालूम है कि लोक सभा में संविधान में संशोधन के बाद में ही वो मंजूर हो सकता था। तब भी आपने 5

(श्री अशोक गहलोत)

परसेंट, 7 से 14 परसेंट जुड़वा कर उस बिल को पास करवाया जो आपको मालूम था कि बाद में काम्प्लीकेशन पैदा होंगे, हमेशा के लिए झगड़े बने रहेंगे। वो ही आज आपके सामने स्थिति बनी हुई है, जो मैं कहना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्पष्ट किया। सही बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने, मैं आपकी बात से सहमत हूं, यह कह दिया कि नाइन्थ शिड्यूल की पहले न्यायिक विवेचना नहीं होती थी हम उसकी न्यायिक विवेचना कर सकते हैं। लेकिन आपको यह मैं स्मरण कराऊं कि महाराष्ट्र में जो 54 परसेंट किया, उसको नाइन्थ शिड्यूल में डालने के कारण से स्टे नहीं मिला और अभी भी रुटीन में उसकी सुनवाई हो रही है। तो राजस्थान का भी अगर नाइन्थ शिड्यूल पर डल जाता तो उस पर स्टे नहीं मिलता। न्यायिक विवेचना उसकी जरूर होती। लेकिन आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, ये सारे कानून, किस कोर्ट ने किस को डाउन नहीं किया। 1952 में सबसे पहले कांस्टीट्यूशनल अमैंडमेण्ट हुआ कम्युनल रिजर्वेशन। कम्युनल अवार्ड उसको नाम दिया गया। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का जो हमने आरक्षण किया था, सबसे पहले 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन किया। उसके बाद में पहला संविधान संशोधन हुआ और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण हमने किया। इसके बाद में ओ.बी.सी. का आरक्षण हुआ, ओ.बी.सी. के आरक्षण पर स्टे किया, उसको फिर संविधान संशोधन कर के ठीक किया। इसके बाद में जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है, उसके कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। अटल बिहारी वाजपेयीजी जब प्रधानमंत्री थे, तब संशोधन करके प्रमोशन में रिजर्वेशन का भी संविधान में संशोधन किया। कोर्टें वो काम करती हैं जो कानून में लिखा हुआ है, हम लोग वो काम करते हैं जो समाज को एकरूपता से रख सके और समाज की सुरक्षा के लिए काम कर सके। इसलिए हमने जो कानून बनाया उसको ऐसे नहीं बनाया, मैंने भूमिका लिखी है अगर आपने पढ़ी हो तो। मैंने लिखा है कि हम कांस्टीट्यूशन की प्रिएम्बल के आधार पर ही कानून पेश कर रहे हैं और कांस्टीट्यूशन के प्रिएम्बल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, Preamble is the soul of the Constitution. यह आत्मा है भारतीय संविधान की। उसमें कहा है, जस्टिस सोशली, इकोनोमिकली, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सब को न्याय मिलना चाहिए। तो आर्थिक न्याय के लिए हमने उन 14 परसेंट को जोड़ा था जिससे आप भी सहमत थे। 14 परसेंट का तो आपका जो पत्र है, उससे 14

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

परसेंट ली है हमने। कोई 15 की मांग कर रहे थे, कोई 13, हम तो आपकी इतनी इज्जत करते हैं और आप हमारी बात को नकार रहे हो। आपने 14 परसेंट कहा। और उसके लिए भी शशि मोहन आयोग की रिपोर्ट ली और गुर्जरों के लिए हमने दूसरा आयोग बना रखा था चोपड़ा आयोग, उस आयोग की रिपोर्ट ली और उनके आयोग का हमने विवरण दिया उसमें। तो दोनों के करने के बाद में किया। हमारी पैरवी ठीक से नहीं होगी लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं अब कहना चाहता हूं कि गुर्जरों के साथ अब भी न्याय नहीं हुआ है, एक परसेंट आरक्षण उनको नहीं मिलेगा। ओ.बी.सी. का आरक्षण साथ हो और यह आरक्षण हो, नहीं मिलेगा। एक आरक्षण मिलेगा, दो फायदे नहीं ले सकता आदमी। इसलिए 21 परसेंट में से आप गुर्जरों को निकालो और एक परसेंट में डालो, यह कहां का न्याय है?

इसलिए मैं चाहता हूं कि गुर्जरों का पांच परसेंट का आरक्षण हो और मैं यह भी चाहता हूं कि स्वर्ण कास्टों में जो गरीब लोग हैं, उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया, 60 साल में उनके धंधे चले गये, हम ब्राह्मण हैं, हमारी जजमानी चली गयी। मुख्य मंत्रीजी, आप सोचिये, हमारे जजमान तो सारे ओ.बी.सी. में चले गये, आप हमारे जजमान, आप ओ.बी.सी. में, बेनीवालजी हमारे जजमान, यह ओ.बी.सी. में, जजमान तो सारे ओ.बी.सी. में, फिर हम धनवान कहां से हो गये? काम करा कर काम करते हैं हमारे लोग तो। तो हमारे सारे जजमान तो ओ.बी.सी. में और हम धनवान-ये गुर्जर, जाट, माली, सब का सब बापजी। तो यह कोई नियम है? तो यह जो ब्राह्मणों की स्थिति है वो भी खराब है, राजपूतों की स्थिति खराब। बणियों में सात परसेंट आदमी राजस्थान में स्नातक पास हैं, ये अपनी जनगणना के आंकड़े हैं, इसलिए कानून वो गलत नहीं था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं ...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अपनी गलती को छिपाने का प्रयास नहीं करें। षड्यंत्र करके, आपने, आपकी पार्टी ने 14 परसेंट 5 परसेंट के साथ में जोड़ दिया। अगर आपकी मंशा साफ होती तो 5 परसेंट अलग बिल पेश करते और 14 परसेंट का अलग पेश करते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमारी मंशा बिलकुल साफ है, अब आप 5 परसेंट का कानून ले आओ, हम यहीं समर्थन करते हैं, इसी सत्र में। ले आओ पांच परसेंट का, ले आओ, कर दें, पांच परसेंट में तो 50 परसेंट से ऊपर जाएगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अब तो सब-जुडिस है, आपको मालूम है। आप इसको जितना काम्प्लीकेटेड करोगे, या कर दिया आपने, वो पूरा राजस्थान भुगत रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब यह केस चल रहा है, देखते हैं उसका क्या निर्णय आता है उसके बाद में आपसे सलाह करेंगे, आपकी सलाह और हमारी सलाह मान करके हम फैसला करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, मैं किसी भी प्रकार से राजस्थान में कानून-व्यवस्था बिगड़े, इसके पक्ष में नहीं हूं। न मैं किसी को उत्तेजित करना चाहता हूं न किसी का आह्वान करना चाहता हूं मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि जो सब-जुडिस है वो तो वो कानून है जो अपन ने बनाया है। तो उसको आप वापस ले लो, सब-जुडिस खतम हो जाएगा। निरसन कर दो और पांच परसेंट पर आरक्षण कर दो। पांच परसेंट स्टे हो जाएगा और बाकी 14 परसेंट के लिए जो लड़ते हैं, वो लड़ते रहेंगे। उसकी दिक्कत नहीं है, हम उसके विरोध में नहीं ...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप फिर इस बात को गुमराह कर रहे हो। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली के अन्दर जब सीलिंग का असर शुरू हुआ, अवैध निर्माणों को हटाने का प्रश्न शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की सी.जे.आई. के सामने यह मामला पैदा हुआ, मैं दिल्ली का प्रभारी था, लोक सभा से प्रस्ताव पास हो गया, कानून बन गया, आर्डिनेन्स जारी हो गया, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि हम मानिटरिंग कर रहे हैं, हम जो कानून में अभी सुनवाई कर रहे हैं उसके बीच में आप लोग बदलाव चाहते हो, तो यह आपकी मंशा ठीक नहीं है इसलिए हम उसको मानेंगे नहीं। जब हाई कोर्ट के अन्दर केस पैंडिंग है, उसके बीच में हम कोई ऐसी कार्यवाही करें, लीगल सलाह करके ही हम कर सकते हैं। वर्ना यह होगा, वो कहेंगे कि हमारी सुनवाई चल रही थी, आपने उसमें इन्टरवीन किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ठीक है, आप इसकी लीगल वो कर लें। मैंने भी थोड़ी बहुत एल.एल.बी. पढ़ी है और मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा-लिखा हूं, मेरी समझ में निरसन करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप निरसन करें, गुर्जरों के लिए अलग से कर दें, लेकिन ये जो इकोनोमिकली बैकवर्ड लोग हैं, उनके लिए भी आज सारे देश में सारी पोलिटिकल पार्टियां-कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंहजी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी ...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): घनश्यामजी तिवाड़ी साहब, मैं यही

(श्री अशोक गहलोत)

कहना चाहता हूं आपको, जिनके नाम आप ले रहे हो बी.एस.पी. के या अन्य पार्टियों के, सबसे पहले इस मुल्क के अन्दर 14 परसेंट का प्रस्ताव हमने पास किया है, इसलिए आप हमें क्यों बता रहे हो? हमने प्रस्ताव पास किया है इसका, हम आज भी इसके पक्ष में हैं। आज भी जो आपकी भावना है, वो ही भावना हमारी है। हम चाहते हैं, 14 परसेंट आरक्षण आर्थिक रूप से जो हालात देश में बने हैं, उसमें उनको मिलना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं, यह मैं कहना चाहता हूं आपसे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): वह 14 परसेंट तो सामाजिक न्याय मंच के दबाव में आपने किया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपको इतना ही ध्यान कराना चाहूंगा कि कानून और व्यवस्था की चर्चा करते समय हमने राजस्थान में केवल एक विषय पर चर्चा करके छोड़ दी। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आज राजस्थान में कानून-व्यवस्था की स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है। यह मैं आंकड़ों के आधार पर, परसेंट पर नहीं लेता, कि कोई एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी, कोई नहीं हुई, वो नहीं लेता लेकिन आप अंदाजा लगाएं। आपने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी, मैं व्यक्तिगत रूप से पहले भी इसके पक्ष में नहीं था, हमारे गुलाबजी कटारिया ने कानून बनाया, बाद में मैंने इस सब का समर्थन किया, क्योंकि मुझे यह पता है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली हिन्दुस्तान में जहां-जहां है, वहां-वहां अण्डरवर्ल्ड पैदा हो गया। बता दें, क्या इलाज कर लिया बम्बई में, बैंगलूरू में है, बड़ी-बड़ी जगह जहां-जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली है? मैं इस प्रणाली की आलोचना नहीं कर रहा लेकिन अगर यह इतनी सक्षम होती तो अण्डरवर्ल्ड पर तो कण्ट्रोल कर लेती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रणाली आपने बनाई, उसको तो मजबूत करो आप। इसके लागू होते ही सबसे पहले जोधपुर में आपके शहर में ही शराब से डैथ हुई। मैं इस प्रणाली को दोष नहीं देता हूं, वह तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाएं, वह बात है, वह ओले पड़ गये, लेकिन इस प्रणाली को भी मजबूत करना पड़ेगा। अब आपने लागू कर दी, मैं चाहता हूं कि इस प्रणाली को मजबूत किया जाए। जो-जो भी इसमें कमियां हैं, पूरी की जाएं। लेकिन यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि पुलिस प्रणाली लागू कर दी, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हमने पुलिस प्रणाली लागू कर दी, कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। नहीं होगी। उसके बाद जयपुर शहर में रोज डकैतियों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का काम हो रहा है, इसके बाद जयपुर शहर में रोज हत्याओं का काम हो रहा है। खुल ही नहीं रहे, हर्षित हत्याकाण्ड जैसे काण्ड हो गये। नरमुण्ड जैसे काण्ड हो गये, खुल नहीं रहे हैं। आंकड़ों पर नहीं जाते हैं हम लोग इस बात में, आप बेबाक बात करते हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे लोगों में एक इमेज बनती है कि इस प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो वह स्थिति आज हो रही है। इसमें कानून व्यवस्था में आपने इसका जिक्र नहीं किया है।

दूसरा मैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी आपसे कहना चाहूंगा कि आपने तीन बड़े विभागों का इसमें जिक्र नहीं किया। एक, आबकारी का जिक्र नहीं किया जो आज की सबसे बड़ी प्राब्लम है, नरेगा का भी आपने इसमें जिक्र नहीं किया, वह भी बड़ी प्राब्लम में है, और गुर्जर आन्दोलन की मैं चर्चा कर चुका। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं जब आपसे बात करता हूं, शराब के मामले में तो मैं आपकी तारीफ करता हूं। आपने आते ही सबसे पहला काम किया, 8 बजे के बाद शराब आपने बंद किया, हमने आपका समर्थन किया। एट पी एम के बारे में कई बातें आपने कहीं, लेकिन आज स्थिति उलटी हो रही है। मैं आपको मित्र के नाते सलाह दे रहा हूं, आप हमारे नेता हो फिर भी मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आज लोग कह रहे हैं, सी एम आफ्टर एट पी एम। पहले वाला नारा उलटा हो गया। और उसका मतलब क्या है? जब 8 बजे जाकर वो घंटी बजाता है, 8 बजे बाद दारू सप्लाई करने वाला घर पर टन्न। कौन सी एम? घर की सप्लाई। 8 बजे आपने बंद की दुकान, पर होम डिलीवरी में तो नाम आपका जुड़ रहा है। आप गांधीवादी आदमी और मैं आपका समर्थक, और अगर यह बात हो अपनी, तो यह बिलकुल ठीक नहीं है। तो इसको बदलना चाहिए और इसका कारण...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, थोड़े बहुत चांस बचे हुए 26 तारीख वाले, वो ही क्यों खतम कर रहे हो आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह तो पहले ही खतम है, उसकी चिन्ता मत करो। आपने जिस दिन तारीफ कर दी और डोटासराजी ने प्रस्ताव कर दिया, उसके बाद कोई चांस है क्या मेरा?

तो मैं आपको कह रहा था, शराब वाला जो मामला है, यह हमारी भावना से जुड़ा हुआ मामला है। मैं गिनती नहीं करता कि इतने राज में हमारे मर गये। एक भी आदमी अपने राज में मरा, आपके में या हमारे में, उसका हमें दुःख है और उस पर आपने एक्शन लिया, यह भी ठीक बात है कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक्शन लिया, कुछ लोगों को सस्पैण्ड किया, लेकिन आज हालत बिलकुल खराब है। शराब की घर-घर डिलीवरी है और अवैध शराब का उद्योग बहुत तेजी से पनप रहा है राजस्थान में। उस पर आपको क्रैक डाउन करने की आवश्यकता है। यह सही बात है, आप सभी दलों के सदस्यों से पूछ सकते हो। इसमें मैं कोई आपका नहीं कह रहा हूं कि आप इसको करा रहे हो। आप देखिए, मैं आपको उदाहरण दूं, सीकर और झुन्झुनूं के आस-पास के जिलों में हरियाणा से चारों तरफ ट्रक और बीच में शराब रोज आ रही है, जो खुली आ रही है। शराब ही नहीं आ रही है, डीजल और पैट्रोल का भी माफिया बन गया है, वहां से आ रही है। और इसके कारण से वहां कानून-व्यवस्था भी बिगड़ी है, गोलियां चली हैं, लोग मरे हैं। वहां दो फैक्ट्रियां हैं- एक रींगस में है और एक अजीतगढ़ में है। उन दोनों फैक्ट्रियों पर आपने केस रजिस्टर कराया, लेकिन क्या कराया? उन दोनों फैक्ट्रियों ने सोलह टैंकर गलत रूप से बिना परमिट के भेज दिये, 160 करोड़ के, केस रजिस्टर कराया, करोड़ों का जुर्माना दिया। लेकिन जो मालिक हैं उनको पकड़ा नहीं है, कार्यवाही नहीं की उन पर। बिना आपकी इजाजत के फर्जी परमिट से इन्दौर का कोई फर्जी आदमी दूसरे प्रान्त के नाम से फर्जी परमिट बनाकर ले जाए, हमारे यहां से स्पिरिट चली जाए पांडिचेरी और पांडिचेरी के लोग हमको सूचित करें, फिर हम पकड़ें। इसमें आप गहराई तक जाइये।

यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जब मैं कहता हूं कि जोधपुर में लोग शराब से मरे हैं और सीकर में ट्रक चले गये, वहां से अवैध शराब का काम हो रहा है। उस समय इतना कहने का अधिकार तो मुझे है कि जोधपुर आपका गृह जिला है, आबकारी मंत्रीजी का गृह जिला है सीकर और आबकारी मंत्रीजी को आपने जोधपुर जिले का प्रभारी भी बना रखा है, तो यह तालमेल कैसे हो गया? (व्यवधान) तो यह जो काम है, इसमें चार्ज नहीं है मेरा किसी पर, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, या तो हम अक्षम हैं या हमारा संरक्षण है। करना चाहिए इस पर क्रैक डाउन, लोगों की जिन्दगी बिगाड़ रहा है। बच्चों को शराब जिस प्रकार से मिल रही है, यह राजनैतिक मामला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं शराबबंदी के मामले में, 8 बजे दुकान, आपने फिर दूसरा काम और कर दिया, वह मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं, ये बियर बार जो हैं, इतने खोल दिये ....

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 9 की 68 कर दीं जयपुर में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जयपुर में 9 की 68 हो गयीं। आम जो रास्ते हैं न बड़े-बड़े नेशनल हाई-वेज, उन पर बियर बार खुल गये हैं, दारू बेचते हैं। वे रात को 12 बजे तक खुले रहते हैं। शराब की दुकान नौ लाख रुपये और बियर बार चार लाख रुपये, इस समय जितने बियर बार आपके खुले हैं ....

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इन बियर बार पर शराब मिलती है, रात को 12 बजे तक कोई रोक-टोक नहीं है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कालीचरणजी, आपने रात में खरीदी क्या? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वह अलग बात है आपकी-मेरी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कालीचरणजी को पता नहीं है। कालीचरणजी को बैकलाग नहीं निकाल सकते क्या? बैकलाग है इनका। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो बियर बार हैं इनके कारण से कानून-व्यवस्था भी बिगड़ी है, इसके कारण से एक्सीडेंट भी बढ़े हैं।

आप जब सत्ता में आए थे, आपके चुनाव घोषणा पत्र में भी था कि हम दुर्घटनाएं रोकने के लिए विशेष प्रयत्न करेंगे। दुर्घटनाएं कोई मैं नहीं कहता कि सरकार करा देती है, लेकिन राजस्थान में जितनी दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, बहुत चिन्ता की बात है। आप अभी जाकर ही आए हैं, 19 महिलाएं एक साथ नागौर में परिक्रमा में जाते समय खतम हो गयीं। परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं। इसमें एक ड्राइवर जाता है, पेशाब करने के बहाने से एक पव्वा लगाता है, गाड़ी चलाता है, जाकर घुसा देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि शराब के मामले में आप दुबारा सोचें। अवैध शराब पर जब तक आप कार्यवाही नहीं करेंगे, अवैध शराब के जो माफिया बन गये हैं उनको जब तक आप नहीं रोकेंगे, तब तक एक्सीडेंट और कानून-व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, इसलिए आप शराब माफिया को रोकने का प्रयत्न करें। मेरा आपसे आग्रह है और इसमें नाराज होने की जरुरत नहीं है, क्यों नाराज होते हैं। आपका गृह जिला है जोधपुर, घर है वहां मरे हैं। मेरे यहां मरे जयपुर में, तो मेरा स्थान था यहां पर। मैं मंत्री था उस समय, गया मिलने के लिए। तकलीफ थी, लोग कहते थे कि आपके यहां मर गये। हम उसको स्वीकार करते हैं। और माननीय राजेन्द्र जी पारीक सीकर के हैं, उनके यहां से सोलह ट्रक गये हैं, टैंकर गये हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि या तो रोको नहीं तो संरक्षण है। और नहीं रोकते, असक्षम हो, तो छोड़ो। दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहूंगा, इस पर आप काम करें। शराब के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा आपको, आप आइना साफ करते रहे धूल तो चेहरे पर जमी थी। वह धूल जो चेहरे पर जमी थी, उसको भी आप खोजिए, जरूर मिल जाएगी आपको। मैं अकारण यह बात आपको नहीं कहता, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

दूसरी बात, मैं तो चर्चा नहीं करता लेकिन हमारे सदस्य जो सिविल लाइंस से आए हैं, उन्होंने चर्चा कर दी और आपने थोड़ी माननीय राज्यपाल महोदय के उसमें चर्चा कर दी। कोई बड़ाई की बात नहीं है कि टू-जी स्पैक्ट्रम में हमने राजा को पकड़ लिया, यह कोई बड़ाई की बात नहीं है कि हमने इसमें एफ आई आर दर्ज कर दी। यह मजबूरी है, कैग की रिपोर्ट के बाद यह काम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बाद यह काम हुआ। वह सब बातें सबको ध्यान हैं, कितना-कितना घोटाला हो रहा है। आलोचना करने से हमारा मन भी प्रसन्न नहीं है, देश की प्रतिष्ठा गिरती है। इंग्लैण्ड की संसद का कल-परसों मैंने पढ़ा था, वह जो भारत को सहायता देते हैं, उन्होंने कहा कि भारत को सहायता क्यों दे रहे हो, जितनी अपनी इकोनोमी है उतना बड़ा तो वहां घोटाला हो रहा है एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ का। यह देश की इमेज बन रही है हमारी कि हमारा भ्रष्टाचारियों का देश है।

(समय : 18.00 बजे)

इस देश में प्रजातंत्र में गठबंधन की मजबूरी अगर यहां तक ले जाती है कि देश भ्रष्टाचारियों का देश हो गया, इमेज बन जाती है, तो उसका असर राजस्थान तक भी आता है। सब जगह आता है कर्नाटक हो चाहे राजस्थान हो, चाहे कहीं भी हो। पकड़ो न। इसके लिये धन्यवाद दे देंगे कि राजा को गिरफ्तार करवा दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट ने करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में आपने तो लिस्ट बताने से ही मना कर दिया था कि काला धन जो लेकर गया, उसकी लिस्ट भी नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, माथा भन्ना रहा है हमारा। तो यह व्यवस्था अपने हाथ में नहीं है-आपके भी नहीं है, मेरे भी नहीं है, लेकिन इस सब बातों का असर पड़ता है। प्रताप सिंह साहब, यह बड़ाई की बात नहीं है कि चोरी करने वालों को हमने पकड़ लिया। बड़ाई नहीं, कमजोरी यह है कि प्रधानमंत्री के मंत्रालय में रहते हुए किसी आदमी ने यह काम किया और प्रधानमंत्री कह दे कि गठबंधन की मजबूरी है। यह चल नहीं सकता। चल नहीं सकता। ऐसी मजबूरी क्या काम की ?

इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि सारे देश में भ्रष्टाचार की और महंगाई

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की बात आयी है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, अभिभाषण में जिक्र नहीं है। आपने कहा, वैश्विक मंदी को हमारी सरकार ने कदम उठाकर रोक लिया है। कौन से कदम उठाये? उन कदमों को जरा आप बता दीजिये कि भारत सरकार ने वैश्विक मंदी को रोकने के लिये कदम उठाये। भारत का अन्दर का उपभोक्ताओं का जो बड़ा मार्केट है न, वह वैश्विक मंदी को रोकता है। अमेरिका ने जब परमाणु विस्फोट के बाद हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया था तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी थी, हमारी नहीं चरमरायी थी। जिस समय इंडोनेशिया, जापान, सबकी इकोनोमी डूब रही थी, उस समय भारत की इकोनोमी नहीं डूबी थी। उसका कारण है कि सौ करोड़ का यह जो बड़ा उपभोक्ता बाजार है, वह बाजार हमको बचाकर रखता है।

दूसरा बड़ा कारण है हमारी जनसंख्या। विश्व में सबसे युवा राष्ट्र भारत है। यूरोप तो बूढ़ों का देश है, अमेरिका बूढ़ों का देश है और चाइना भी एक बच्चे की पालिसी के कारण कमजोर पड़ गया। हमारा जो यह परिवार नियोजन नहीं किया, जिनको अपन गाली देते हैं, उनके कारण से इतने युवकों का राष्ट्र यह भारत बन गया। वह हमारी सबसे बड़ी मजबूती है जिसके कारण से हम वैश्विक मंदी को रोकने में सफल हुए। भारत सरकार की कोई करामात नहीं है इसमें। भारत सरकार की करामात तो महंगाई बढ़ाने में, कॉमनवैल्थ गेम्स कराने में, 2-जी स्पैक्ट्रम कराने में, आदर्श घोटाला कराने में, यह सबमें है। तो वह गलत बात है। इसका इससे लेन-देन नहीं है।

इसी प्रकार, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपको मैं दो-तीन बातों के लिये भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तो हमारे जो मंत्री हैं, उनके वक्तव्य आप देखिये, महंगाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे केन्द्रीय मंत्री हैं माननीय सी पी जोशीजी, उनका कहना है कि महंगाई है तो जनता सड़कों पर क्यों नहीं उतरती। बोलो, मिस्र की तरह से हम सड़क पर आ जाएं?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह किस सन्दर्भ में उन्होंने कहा, वह यहां स्पष्टीकरण देने की स्थिति में हैं क्या अभी? जो इस सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं, अगर आप उनका नाम लेकर कुछ भी यहां बोलेंगे, उन्हें तो मौका नहीं है अपनी ओर से स्पष्टीकरण देने का। इसलिये मेहरबानी करके परम्पराओं के हिसाब से बोलो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं है। वह भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री की चर्चा में...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इस हाउस में आकर अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं क्या, माननीय उप नेता महोदय?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं दे सकते। नहीं दे सकते।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): तो फिर आप माफ करिये न।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, ज्ञानीजी, आप बैठो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलो, इनकी छोड़ दो। आपको तकलीफ है, छोड़ देता हूं। लेकिन माननीय भंवर लालजी हमारे मित्र हैं, वह कह रहे हैं, कहां बढ़ रही है महंगाई? अब तो गरीब भी दिन में चार बार कपड़े बदलता है, 28 जून, 2010 को भामाशाह सम्मेलन में मैंने सुना है, टेलीविजन पर आ रहा था।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): और कारों में चलते हैं सब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अपने माननीय गृह मंत्रीजी हैं, आपने कलक्टर्स और एस पी की कान्फ्रेंस की, उसमें बोला, कि शहरों के थाने भू-माफियाओं की शरण स्थली और प्रापर्टी डीलर्स के दफ्तर बन रहे हैं-6 अक्टूबर, 2010 को। मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, पेंशन के लिये चक्कर कटाते हैं बाबू-16 सितम्बर, 2010 को। संसदीय सचिव गिर्राज सिंहजी मलिंगा हैं, उन्होंने कहा है, धौलपुर में एस.पी और डाक्टर्स से डकैत 51-51,000 रुपये वसूल कर रहे हैं। कार्यवाही से पहले डकैतों तक सूचना पहुंचा दी जाती है- 6 अक्टूबर, 2010 एस पी कान्फ्रेंस में। अब आपको और किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्या कानून-व्यवस्था और महंगाई के बारे में? ये तो आप लोगों के ही सर्टिफिकेट दिये हुए हैं। आपके दिये हुए सर्टिफिकेट अगर आप लोगों को बांट दिये जाएं तो काम पूरा हो जाएगा न हमारा तो ?

सभापति महोदय, फिर उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, आपको हमें याद दिलाना पड़ेगा कि आप कांग्रेस के महामंत्री नहीं हैं, आपका मुख्य मंत्रीजी का गुण है जब तक यहां हैं मुख्य मंत्री। हटे, यहां पर आकर बैठते हैं, जिस दिन विधान सभा का पहला अधिवेशन हो, सीधा दिल्ली, महामंत्री। तो इनकी तो दोनों ही पोस्ट रिजर्व हैं। तो आपको इस समय हनुमान जी की तरह मैं याद दिला रहा हूं कि आप अब राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, कांग्रेस के महामंत्री नहीं हैं और इसलिये आपने जो बात कही है वह आपको बात कहने का नहीं, आप तो कार्यवाही करने वाले हो। बात कहने वाले हम हैं, बात कहने वाले बाकी हैं। आपने क्या कहा है? कि डाक्टर्स मरे हुए व्यक्ति को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वेंटीलेटर पर रखते हैं। मैं भी जानता हूं कि बहुत प्राइवेट हास्पिटल्स में लूट हो रही है, लेकिन आपका कहने से काम नहीं चलेगा। आपको तो उस पर कार्यवाही भी करनी चाहिये थी। एक-दो हास्पिटल पर तो कार्यवाही कर देते, तब पता लगे कि आप बोलते ही नहीं हो आप एक्शन भी करते हो। प्रताप सिंह ने कहा, आपने तो चिकित्सा मंत्री की ओर इशारा कर दिया कि वेंटीलेटर पर रखते हैं। करो चिकित्सा मंत्री कार्यवाही। तो आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है? चिकित्सा मंत्री करो। आप हटो, महाराज। मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया वेंटीलेटर, तो आपने जांच की? पकड़ा किसी को? नवाब साहब, नवाबी से काम नहीं चलेगा, कार्यवाही करनी पड़ेगी। मुख्य मंत्रीजी ने कहा है। फिर आप यह कह रहे हो कि निजी अस्पतालों में लूट होती है। पुलिस और अपराधियों में गठजोड़ है। थानेदारों को पता है, चोरी कहां होती है। एक को तो संस्पैंड किया क्या? आपने यह भाषण दिया कि थानेदारों को तो पता है, उसमें सारी पुलिस पर लांछन लग गया- डी जी से लेकर नीचे तक। दो-चार को पकड़ कर तो हाजिर करते कि इन थानेदारों को पता था कि चोरी हुई है, फिर उन्होंने कार्यवाही नहीं की। एक पर भी कार्यवाही की क्या? या तो कहने का हक नहीं है आपको, और आपने कहा तो आपको एक्ट करके दिखाना चाहिये, तब उस व्यवस्था में सुधार होता। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको तो कार्यवाही करनी पड़ेगी। राज्य की सड़कों में गड्ढे हैं, बाबुओं के लिये बोला। ये सारी बातें जो आपने बोलीं, वे सब बातें इस प्रकार की हैं जिनमें आपको काम करना चाहिये था। उसके बजाय आपने बोल-बोल कर काम चलाया है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से तो। आपने ठीक किया होगा आपके हिसाब से, पर मेरे हिसाब से वह ठीक नहीं है। आपने बहुत बड़ाई की पंचायती राज को सशक्त करने की। बहुत ही मजबूत कर दिया। एक कार्टून छपा, आप कार्टून से बहुत नाराज हुए थे। हमारे भी कार्टून छपते हैं हम नाराज नहीं होते। आप बहुत नाराज होते हो। आप कार्टून से नाराज क्यों होते हैं ? कार्टून वाले किसी के भी छाप देते हैं। आपका कार्टून बनाना आसान है, हमारा कार्टून बनाना मुश्किल है। हमारा किसी का पेट निकालना पड़ेगा, कहीं गाल चढ़ाने पड़ेंगे। आपके दो यूं लम्बे पैर बनाये, दो हाथ, करीब दो बाल खड़े करते ही अशोक गहलोत बन जाता है। और हमारे तो यह मोटाई करो, वह करो, पेट लगाओ, यह करो। उसने छापा, मजबूत कर दिया पंचायती राज को। आपका ऐसा एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कार्टून बनाकर छापा उन्होंने। तो कहां मजबूत कर दिया? प्राथमिक शिक्षा को पंचायती राज को दे दिया, मजबूत हो गया क्या? यह मजाक है। प्राथमिक शिक्षा को पंचायती राज से निकाला किसने था? याद दिलाऊं आपको? आपने जब 25 की लिस्ट बनायी थी, आपने कहा था कि इनको अब देंगे अधिकार और जाते समय आपने पंचायती राज विभाग से प्राथमिक शिक्षा को निकालकर बीकानेर में एलीमेंटरी का डायरेक्टरेट कायम करके शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री को उसका प्रभारी बनाया था। यह आपने ही निकाला था और आपका आर्डर मैंने सदन के पटल पर रखा था। मैथ्यू साहब जो इस समय फाइनेंस सैक्रेटरी हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, उस समय वह शिक्षा सचिव थे। उनसे लेकर मैंने यह कागज रखा था। वह आपका आदेश है, उस आर्डर से अब तक चलते रहे। अब आकर आपने इसको बदल लिया, कि पंचायतों को। अब लड़ाई हो रही है कि कौन है मंत्री। यह बहुत-बहुत लड़ाई हो रही है, मंत्री कौन है? इसके मंत्री भरतजी हैं कि वह हैं? इसीलिये इस पर चार बातें कहीं। 'गांव तक रोशनी पहुंचेगी कितने साल में शिक्षा की', बहुत जरूरी है क्योंकि अब 29वें पायदान पर हैं। 'शिक्षा तो फंस गयी है भंवरजाल में', भंवरजी में। 'शीघ्रातिशीघ्र इस पर विचार करो'। बोर्ड पर लिख दिया शीघ्रातिशीघ्र इस पर विचार करो। 'शिक्षा का यूं न बंटाढार करो। गहलोत साहब एक पहल आप करो, शीघ्रातिशीघ्र भंवर-भरत मिलाप करो', यह जो लड़ रहे हैं न दोनों कि मैं मंत्री कि यह मंत्री, तो इनका तो मिलाप कराओ। शिक्षा का तो बंटाढार इसी में होगा। तो आपने जो पंचायती राज का काम किया, आपने एक ही काम किया उसमें, आपने यह कहा कि अब भर्तियां जो हैं, ये करेंगी। 50,000 भर्ती जब से आए हो, बोल रहे हो 50,000-50,000, ढाई साल निकल गये...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ढाई साल में कितनी कीं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : दो साल तो आपके आरजू में कट गये, दो साल कट जाएंगे इंतजार में, फिर लग जाओगे चुनाव प्रचार में, आम आदमी तो दु:खी रहेगा इस कांग्रेस सरकार में। मैं खुद लिखता हूं, मैं दूसरों की शेरो-शायरी नहीं सुनाता हूं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई तो मैंने लिख दिया। मारवाड़ी का काम है इसमें।

सभापति महोदय, एक भी आदमी आपने भर्ती नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं कि यह आपका असत्य है, आपने शिक्षा विभाग में भर्ती नहीं की। धन्यवाद दूंगा भंवरलालजी को, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अभी भर्ती नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

होगी क्योंकि एक परीक्षा और होगी। अब मास्टरों को कितनी परीक्षा देनी पड़ेंगी? पहले तो वह बी.ए. करे, बी.ए. के बाद वह बी.एड. के लिए एग्जाम दे, फिर बी.एड. में आ जाए पास होकर तो अब भारत सरकार ने उसके लिए एक परीक्षा और कर दी, जैसे नैट में और स्लेट में परीक्षा होती है वैसे ही मास्टरों के लिए परीक्षा होगी। बी.एड. करा ली, बीएसटी करा ली, अब वह जो कानून है अनिवार्य शिक्षा वाला, उसके अन्तर्गत एक आदेश और जारी कर दिया कि आप भर्ती नहीं कर सकेंगे। अब पंचायत भी नहीं कर सकती और आर.पी.एस.सी. भी नहीं कर सकती। सबसे पहले आपको वह परीक्षा कंडक्ट करनी पड़ेगी, नैट की और स्लेट की जैसे परीक्षा होती है, वह परीक्षा। उस परीक्षा में जो पास होगा फिर पंचायतें परीक्षा लेंगी। वह तो परीक्षा देते-देते ही ओवर एज हो जाएगा, कहां से भर्ती करोगे आप? इसका जवाब मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्री महोदय। यह 50 हजार की भर्ती आप नहीं कर पाओगे, इसके तीन कारण और हैं। एक तो यह कि बैकलाग अलग-अलग जगह का अलग-अलग है और 1998 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी स्टेट में दो मैरिट नहीं हो सकतीं। अगर आप एक साथ भी परीक्षा कराओगे और दो मैरिट आएंगी जयपुर की अलग, बाड़मेर की अलग और बीकानेर की अलग, तो नौकरी नहीं लग सकेगी। आपने यह आर.पी.एस.सी. से लिया, आर.पी.एस.सी. कोई नौकरियां लगाती थी? कितना भ्रमित किया आपने लोगों को। आर.पी.एस.सी. तो केवल चयन करने वाली बाडी थी, सलैक्शन करती थी। अब जिला परिषद् सलेक्शन करेगी। उस समय भी नौकरी पंचायत समिति लगाती थी, जिला परिषद् लगाती थी। आज भी नौकरी पंचायत समिति, जिला परिषद लगाएगी। लेकिन आपने यह जो काम किया, इस काम से एक भी आदमी की नौकरी नहीं लगेगी। इस नौकरी नहीं लगने के लिए कोई जिम्मेदार होगा तो कांग्रेस पार्टी होगी, आप होंगे। आपने जो झूठा ढोंग मचाया पंचायतों को मजबूत, पंचायतों को मजबूत, यह क्या पंचायतों को मजबूत किया? इस बात पर आप विचार करें, आपने यह जो काम किया है। अब पंचायत का मंत्री कौन है, आप यह तो तय कर दो। लोग आते थे और भंवरलालजी को तंग करते थे। भंवरजी कहते हैं कि मेरा मुश्किल से पिंड छूटा है, भरतजी के पास जाओ। भरतजी कहें कि मेरे पास अधिकार नहीं है। तो है कौन? इसका आप फैसला कराइये।

सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं, और तीन-चार नीतियां आपकी हैं, उन पर मैं अभी समय लेने के बजाय दो-तीन बात आपसे और निवेदन करूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह जनता अपने साथ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

होनी चाहिए या अफसरों के साथ होनी चाहिए। जनता नेताओं के साथ, अपने साथ होनी चाहिए। आपने इतने स्थानान्तरण किये इस बार कि जितने स्थानान्तरण कभी नहीं हुए। आपने 111 बार तो 33 जिलों में कलक्टर बदल दिये, एवरेज आता है 5 महीने का। 5 महीनों में वह उस जिले को समझ ही नहीं सकता है। 2 महीनों में भी आपने कलक्टर बदले, 2 दिन में भी आपने कलक्टर बदले। नागौर और चित्तौड़ में कलक्टर बदलने के बाद में जनता हड़ताल करे उसके लिए और उसको हम बदलें, तो हमको कुछ तो सोचना चाहिए कि कारण क्या है। नागौर का जो कारण लोग बता रहे हैं, मुझे पता नहीं कि कारण क्या है, जो लोगों ने मुझे बताया, मैं उसको ठीक करने के लिए तैयार हूं। कहते हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने जिसके घर रात को जाकर खाना खाया था या गये थे, वह व्यक्ति दूसरे दिन कच्ची शराब के मामले में पकड़ा गया। हां, मैं संशोधन करने के लिए तैयार हूं न। (व्यवधान)

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): यह सरासर आप +++ बोल रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं ...(व्यवधान) इस बात में अगर कोई सच्चाई हो तो सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): क्या इस तरह की बात करते हो, तिवाड़ी जी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वह नहीं था क्या? (व्यवधान) राजेश सांगवान कांग्रेस ...(व्यवधान)... जिलाध्यक्ष नहीं था क्या? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: विराजो, विराजो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): महेन्द्रजी, मैंने कहा न कि मैं संशोधन करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा न कि मुझे पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है ...(व्यवधान)

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): आपने कहा कैसे? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह कहकर कर रहा हूं न कि संशोधन करने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपको पता नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, मुझे तो यह मालूम नहीं कि किसके यहां खाना खाया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह पता नहीं है। अखबारों में छपा था पूरा इसका, इसलिए मैंने कहा है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैंने खाया ही नहीं है। खाना ही नहीं खाया तो आप कैसे कह सकते हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप तो खाते ही नहीं हो कहीं, मुझे पता है।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): नागौर में नहीं खाया।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): उस समय क्योंकि आपको जरा विश्राम मिल जाएगा तो आप ढंग से और बोल पाएंगे पांच-दस मिनट ज्यादा, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये कपोल-कल्पित बातें होती रहती हैं। कई बार मीडिया में बैठे हुए हमारे मित्र लोग भी गलत फीड बैक के आधार पर कोई न्यूज दे देते हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि नागौर कलक्टर की अच्छी परफार्मेन्स वहां पर थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अगर आपसे शेयर करूं तो कहना चाहूंगा कि जब ट्रांसफर-पोस्टिंग हो रही थीं तो मेरी इच्छा थी कि उनको मैं जोधपुर शिफ्ट करूं। लेकिन चूंकि वहां अच्छा काम कर रहे थे तो मैंने सोचा कि बिना मतलब लोग एतराज करेंगे, इतने अच्छे वह कलक्टर हैं। एन आर एच एम जो प्रोग्राम है-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, वह एक चुनौती के रूप में है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंहजी ने खुद डी.ओ. लैटर लिखा चीफ मिनिस्टर्स को कि यह ऐसी संस्था है या ऐसा महत्वपूर्ण काम है जिसमें आप अच्छे आदमी को लगाएं, परमानेंट लगाएं और लम्बे समय के लिए लगाएं। किसी की शिकायत के आधार पर, किसी ने न तो शिकायत पक्ष में की, न विपक्ष में की। उसकी ट्रांसफर इस प्रकार से हुई। अब यह बात आती है कि वहां पर आंदोलन किया गया, बंद रखने का प्रयास किया गया। जब वह चित्तौड़ में थे और वहां से हटे तब भी ऐसी घटना हुई। यह घटना डेमोक्रेसी में जैसा मैंने कहा कि कई बार गलतफहमी के आधार पर न्यूज बन जाती है और हैड लाइन में न्यूज आ जाती है। कालम में न्यूज आयी थी कि इनको हटाया गया, किसी के दबाव में आकर हटाया गया। जबकि किसी भी नेता ने चाहे कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, चाहे वहां का नागरिक भी क्यों न हो, किसी ने उसके लिए शिकायत नहीं की थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने इसीलिए कहा कि आप तो खाते नहीं हैं, यह मुझे पता है। कहीं भी जाते हैं तो खाते नहीं हैं और न पीते

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं आप। ये दोनों काम तो आपके नहीं हैं। इसके लिए तो आपको कोई स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अख़बार में छपा था, इसलिए मैंने कहा कि संशोधन के साथ आपको बता रहा हूं। लेकिन आपने 111 बार कलक्टर बदले। प्रधानमंत्रीजी ने भी कहा कि कलक्टर, एस.पी., डी.जी. और चीफ सैक्रेटरी, इनको लगातार बदलते रहने से कानून-व्यवस्था की स्थिति में गडबड़ होती है और उनका प्रभावी कंट्रोल नहीं होता है। अभी प्रधानमंत्रीजी ने चीफ सैक्रेटरियों के सम्मेलन में यह भाषण दिया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। बार-बार कलक्टर बदले, 111 बार बदले गये 2 साल में, मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, आप पता कर लो इनसे। सवाई माधोपुर में तो 3 दिन में ही आपने कलक्टर को हटा दिया था। चूरू में भास्कर सावंत को और अजिताभ शर्मा को दो-दो महीने में हटा दिया। यह जो स्थिति हुई है वह भी कोई ठीक नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, इसके बाद में आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। 5-6 अक्टूबर, 2010 को मंत्रीगण, प्रमुख शासन सचिव गण, जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षकों का विचार-मंथन हेतु आपने सम्मेलन आयोजित किया और दो दिन तक इसमें गहन चिंतन के बाद में आपने दो निर्णय लिये। उन निर्णयों को मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस मंथन में से जो मक्खन निकला, उसमें क्या निकला? कि कलक्टर, उपखंड अधिकारी दो बार दौरा करेंगे और गांव में रात्रि विश्राम करेंगे और चौपाल आयोजित करेंगे। यह दो दिन का जो गहन चिंतन और मनन आपका था, उसका निचोड़ है। मुख्य मंत्रीजी यह कौनसे प्रशासन के मॉडल की बात कर रहे हो? 1955 में रेवेन्यू एक्ट बने थे तब से लेकर यह बात कह रहे हैं, गांव में जाओ, रात को सोओ और वहां चौपाल लगाओ। अब कौनसे गांव में चौपाल लगा रहे हो? यह उस समय की बात है, उस समय एसएमएस नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, सड़क नहीं थी, आवागमन का साधन नहीं था, वायरलैस नहीं था, इंटरनेट नहीं था। अब तो जो गांव में काम करते हैं कर्मचारी, वे भी शहर में आते और जाते हैं। गांव के लोग भी शहर में आते और जाते हैं मिनटों में। इससे आप प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हो? ये प्रशासन की किताबें तो अब सचिवालय की और विधान सभा की लाइब्रेरी में रखने की हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? वह गांव में जाकर कहां रूकेगा? रूक जाएगा, अब तो गांव में रूकने की भी बहुत सुविधाएं हो गयी हैं। कोई मतलब नहीं है उस बात का। काहे की चौपाल लगाएगा? चौपाल लगाने वाली बात खतम हो गयी। जब टेलीविजन नहीं था,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रेडियो भी नहीं था, अख़बार भी नहीं पहुंचता था, जब वहां जाता था अफसर, बैठता था, बात करता था, समस्या का समाधान करता था। अब यह पुराना माडल है, यह किसी भी प्रकार का काम नहीं है। यह क्रूर प्रशासनिक मजाक है- चिंतन शिविर का आयोजन, कलक्टर कान्फ्रेंस। अब क्या कान्फ्रेंस उन कलक्टरों की? क्या जरूरत है कलक्टरों की कॉन्फ्रेंसों की? सोचिये आप, चाहे करिये आप जरूर। आज सोचिये, आमने-सामने बात होती है, मेरा बच्चा अमेरिका में है, वह रात को रोज कम्प्यूटर पर आ जाता है, मेरे से बात करता है फ्री में। आपके कमरे में 33 कलक्टरों का लगा लीजिए, चारों तरफ, बैठे-बैठे बटन दबाइए और बात कीजिए कलक्टरों से। काहे की कांफ्रेस है? अब तो समय बदल गया, बदलते समय के हिसाब से बदलिए, पुरानी लकीर छोड़िए, यह कांफ्रेंस-कांफ्रेंस का जमाना गया।

आपने कमेटी बना दी, मिनी कमेटियां बना दीं। आपने इतनी कमेटियां बनाई थीं मंत्रिमण्डल की, छोटे-छोटे कई उसमें मुख्य मंत्री बन गए थे, तो क्या हाल उनका हुआ, उन कमेटियां का? एक का तो आप बताइए। इन कमेटियों का इसमें वर्णन नहीं है कहीं भी, कि जो आपने कैबिनेट की कमेटियां बनाईं छोटी-छोटी, क्या काम करके दिखा दिया उन्होंने? (व्यवधान) छा गये, वह तो छाया हुआ ही है वह तो आप।

मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूं जिसमें मैं आपसे पूर्णतया असहमत हूं, हो सकता है कि मैं गलत हूं। वह पहली बात यह है कि आपने प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया और उसमें बहुत वाहवाही की। हम भी करते थे। 5,18,422 आपने नामांतरण खोल दिये, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन यह भी पता कर लेते कि इस पीरियड में आदमी कितने मरे और रजिस्ट्री कितनी हुईं। अगर यह पता साथ-साथ करते तब पता लगता हमको कि 52 दिन में 5 लाख से अधिक नामांतरण पैंडिंग थे तहसीलदार, एसडीएम और जिला कलक्टरों के यहां। 1 लाख 18 हजार विभाजन कर दिये और 1 लाख 55 हजार पास बुकें बना दीं और फिर जन्म-मृत्यु के प्रमाण-पत्र बना दिये, इस पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चिह्न यक्ष प्रश्न प्रशासन के सामने खड़ा होता है कि अभियान हम क्यों चलाते हैं। अभियान हम भी चलाते थे, भैरोंसिंहजी ने भी चलाये, शिवचरणजी माथुर साहब ने भी चलाये, वसुन्धराजी के टाइम पर भी चला, आपके टाइम पर भी चला, शिवचरणजी माथुर साहब के उस समय में तो आप गृह मंत्री भी बने थे, प्रशासन गांवों की ओर, प्रशासन शहरों की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ओर, प्रशासन अस्पतालों की ओर, और अंत में, प्रशासन श्मशानों की ओर, यहां तक चला था, श्मशानों के सुधार का भी कार्यक्रम चला था। तो ये कार्यक्रम चलते रहे हमारे लिए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह हमारी फेल्योर है या हमारा अचीवमेंट है? यह तो अचीवमेंट है कि आपने इतना काम कर दिया, लेकिन यह फेल्योर है, प्रशासन की टोटल फेल्योर है कि ये सारे काम इतने दिन तक क्यों नहीं हुए। अगर एक आदमी की जिम्मेदारी तय कर दें, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि उस तहसीलदार, उस कलक्टर, उस एस डी एम की जिम्मेदारी तय कीजिए दो-चार की, जिनके यहां इतने बल्क में मामले विचाराधीन पड़े थे। आपका प्रशासन गांवों के संग अभियान ठीक था। (व्यवधान) यह मैंने नहीं किया इसलिए मैं यहां बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि आप वहीं बैठे रहें।

इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह काम का है इसलिए इसका आपको रास्ता खोजना पड़ेगा। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आप कमेटी बनाइए बड़े अफसरों की जो के एक्सपर्ट हैं रेवेन्यू लाज के। हिन्दुस्तान की जनता को बहुत तकलीफ हो रही है, मैं मांग करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक कमेटी बनाइए जो कमेटी यह तय करे कि शहरों में रहने वाले आदमी को इतनी तकलीफ नहीं है और गांव में रहने वाले आदमी को इतनी तकलीफ है। आप जिस प्रकार से अरबन प्रोपर्टी का पट्टा देते हैं शहरों में, उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप किसानों को पट्टा दीजिए, कोई नामांतरण की जरूरत नहीं है, कोई अभियान की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार अरबन प्रोपर्टी के पट्टे हैं, उसी प्रकार से किसानों को भी जमीन के पट्टे मिलने चाहिए ताकि वे हमेशा के लिए अपनी जमीन के मालिक बन सकें और वह काम कर सकें। यह सोच आप करिए। कितनी बार आप अभियान चलाएंगे? शहरों में कोई आदमी जिसकी अरबन प्रोपर्टी है, मकान है, उसका बाप मर गया तो नामांतरण नहीं होता है। क्या रोज-रोज का नामांतरण करना है? बेचते हैं तो पट्टा साथ चला जाता है, इसलिए इस बात पर आप सोचिए।

दूसरा मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह जो जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र है, हमने उस समय भी कहा था और आपसे भी आग्रह करता हूं कि स्कूलों में यदि आप इस प्रकार की व्यवस्था कर दें, कि जिस समय बच्चा भर्ती हो, उसका जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, टीसी लेकर जाए, उस समय उसका प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षरों से मिल जाए, उसको जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए घूमना नहीं पड़ेगा और यह बार-बार हमको अभियान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं कि आपने अभियान चलाया और जो काम किया उसके लिए तो आपको धन्यवाद लेकिन यह प्रमाण-पत्र प्रशासनिक विफलता का नमूना है।

माननीय सभापति महोदय, हम पर आरोप लगाया गया कि हम बंटे हुए हैं, गुटों में बंटे हुए हैं। विपक्ष इतना बिखरा हुआ है। रघुजी ने कहा कि जितना पहले कभी नहीं था। लेकिन खाचरियावासजी ने कहा कि इतने दृढ़ हैं सत्ता पक्ष के कि आज तक नहीं थे। इसमें स्पष्टीकरण देने की क्यों जरूरत पड़ी कि आपके साथ हैं? आप तो साथ हो और पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हो, आप पर कौन डाउट करता है? पर जो पीठ पीछे ये हैं न आपके पीछे, बहुत करंट वाले हैं, तो आप ध्यान ही रखना, ये आपके साथ हैं। आपने कहा कि हम तो बहुत मजबूत हैं। आप तो मजबूत हो, हम कमजोर हैं। हमारी फूट बता रहे हो लेकिन मैं बता रहा हूं, आपके भी फूट है। मंत्रियों के वक्तव्य आये, आपस में, मुख्य मंत्री चले गये, एक मंत्री के गए एक के नहीं गये। कई बातें हैं जिनका मैं यहां पर वर्णन नहीं करना चाहता, यह चलता रहता है। लेकिन एक मंत्रीजी को अकारण ही, अमीन खांजी यहां हैं क्या? उनको हटा दिया। उनके साथ मेरी सहानुभूति है। पर मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस की परम्परा है, चिंता मत करो, जिसको हटाते हैं उसको पुरस्कार भी देते हैं। हमारे यहां पर माननीय जगन्नाथजी पहाड़िया मुख्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने महादेवी वर्मा के लिए कहा था कि इनका छायावाद मेरी समझ में नहीं आता। महादेवीजी नाराज हो गईं और उनको हटा दिया इन्दिराजी ने, फिर राज्यपाल बना दिया। तो अमीन खां हट गये एक बार सही बात कहने पर। राष्ट्रपति महोदया के लिए उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी लेकिन कांग्रेस की कल्चर उन्होंने बताई थी। पर हम पर आरोप लगा दिया, अभी गडकरीजी की शादी की बात कर रहे थे कि गडकरीजी की शादी में हमने गुर्जर आंदोलन की रूपरेखा बना ली। हम बोले नहीं। अब हम पर कोई बात कह दे, फिर आप चिढ़ जाएंगे, अब मैं यह कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, उस पार्टी को तो यह बात कहने का अधिकार ही नहीं है। इन्टरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे हमारे खाचरियावास साहब अभी कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी है। एक बार सीताराम केसरी बन गये थे, पट्टा-पट्टा उखाड़ कर बाहर फेंक दिया था कि यही परिवार रहेगा, इनका ही राज रहेगा और आप इनकी ही वाहवाही करेंगे, यह लिखा हुआ है इसमें। इसलिए बीजेपी वह पार्टी नहीं है, हमारे में भी मतभेद होते हैं, प्रजातांत्रिक पार्टी है, मतभेद हैं। हम नीचे से लेकर ऊपर तक चुनाव करते हैं, यह हमारी पार्टी है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के परिवार के ऊपर आपको आरोप लगाने का हक नहीं है। क्योंकि आपकी इतनी दुर्गति है इस देश के अन्दर, पूरा देश जानता है। दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की आज दुर्गति हो रही है। यह खाली टू जी-स्पैक्ट्रम को लेकर एक आपने आंदोलन खड़ा करने की हिम्मत कर ली और एकता का प्रदर्शन कर रहे हो, बाकी आपकी स्थिति है वह पूरा मुल्क जानता है, पूरा मीडिया जानता है और आप खुद जानते हो। कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने इस मुल्क को आजाद भी करवाया। नेहरू खानदान ने जो त्याग किया, जो बलिदान किया, इलाहाबाद का आनन्द भवन उसका गवाह है, मोतीलाल नेहरू के वक्त से ही, इस बात का। आजादी के 60 साल के बाद भी पूरे मुल्क के अन्दर आज उस परिवार की क्रेडिबिलिटी वह हो, जो उस परिवार का मुखिया है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, देश का हर समाज, हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग अगर उनके प्रति मन में यह आस्था रखें कि यह हमारे साथ न्याय करेगा, इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी मेनटेन करने का काम इस परिवार ने किया है, इसकी तो आप दाद देंगे? इसलिए आपको अधिकार नहीं है कि आप इस परिवार की बात करें। डेमोक्रेसी में जो वोट पड़ते हैं, पब्लिक के अन्दर जो गुप्त मतदान होता है, वह पार्टी को देखकर, पार्टी की नीतियों, उसकी विचारधारा, उसके सिद्धांतों को देखकर होता है। सोनिया गांधी या राजीव गांधी या इन्दिरा गांधी, नेहरू ने इस पार्टी को एकजुट रखा है, इस मुल्क के अन्दर एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देश के 6 लाख गांवों में इसकी उपस्थिति है जो आपकी पार्टी की नहीं है, आजादी के 60 सालों के बाद में भी नहीं है। धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपका स्पष्टीकरण तो वाजिब है, आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हो और आप उसके बहुत अच्छे कार्यकर्ता हो, लेकिन मैंने तो इसलिए बोला है कि मुझे थोड़ा दु:ख है, जब गडकरीजी...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माफी क्यों मांगी आपके आडवाणी साहब ने? माफी क्यों मांगी सोनिया गांधी से?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किसने मांगी?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह उनका बड़प्पन है, उनका यह बड़प्पन है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): उनको माफी मांगनी पड़े।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कोई गलत तथ्य कह दिया हो तो ठीक कर लिया।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपके बेटे के ऊपर और आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे, आपके किसी मैम्बर के पति या पत्नी के ऊपर आरोप लगा दे, उसके बाद माफी मांग ले, वह बड़प्पन हो गया? आपको यह सोचना चाहिए था कि सोनिया गांधी ऐसी नेता हैं जो प्रधान मंत्री नहीं बनी हों, इतना बड़ा त्याग किया हो, उसकी मॉरल अथोरिटी देश में ही नहीं दुनिया के अन्दर है, उसके ऊपर आप कह रहे हो कि स्विस बैंकों में पैसे जमा हो गये। यह तो कम से कम आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने जो बात कही, वह बहुत ठीक है। आजादी की लड़ाई लाल-बाल-पाल ने भी लड़ी, आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी ने भी लड़ी, आजादी की लड़ाई क्रांतिकारियों ने भी लड़ी, जो फांसी के फंदे पर झूल गये और आजादी की लड़ाई में पंडित जवाहर लाल जी नेहरू का और सरदार पटेल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसको कौन मानता नहीं, किसका योगदान नहीं है? लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी फितरत है, आपकी पार्टी की फितरत है कि आप एक ही परिवार के लोगों को पार्टी का अध्यक्ष स्वीकार करते हैं और हमारी पार्टी की फितरत है कि कोई वेंकैया नायडू आंध्र से आकर बनता है ......(व्यवधान) और कोई गड़करी जी महाराष्ट्र से आकर बन जाएं ......(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 125 साल का, माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस का इतिहास देखें पहले, 125 साल का इतिहास है, कितने अध्यक्ष बने। उस परिवार से कितने बने, आपको पूरी जानकारी नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे पूरी जानकारी है और पिछले सत्र में मैंने...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कांग्रेस के अध्यक्षों के नाम बता दो आप, कितने रहे? सिर्फ एकाध नाम बोलकर आप बात करते हैं ......(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उस पार्टी के ये सदस्य नहीं हैं, आप बता दो ......(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे जानकारी है......(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इनको मालूम नहीं तो इनको बोलने का हक

(डा. रघु शर्मा)

भी नहीं है ......(व्यवधान) हम जानते हैं, कांग्रेस का इतिहास क्या है (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे जानकारी है और इसलिए पिछले सत्र में मैं एक पुस्तक लेकर आया था।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप पुस्तक लाओ तो फिर इधर ही आ जाओ न, काहे को तकलीफ करते हो आप? (व्यवधान) कांग्रेस की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दो, आप तो अपनी चिंता करो ......(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं मेरी चिंता कर रहा हूं, उस दिन भी यहां नहीं आये थे जब हमको 19 महीने तक इमरजेंसी में जेल में रखा गया था, यह छोड़ो। वह करेक्टर हमारा नहीं है, आप इस बात को समझ लीजिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं वह बात कर रहा हूं जो आपके सदस्यों ने कही। आपने कहा था, जब जख्म-ए-जिगर हमने दिखाया तो बुरा मान गये। सारी पार्टी की आलोचना कर ली, हम सुनते गये, थोड़ा-सा सुनने का सामर्थ्य भी रखो, सामर्थ्य नहीं है तो बंद कर देता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, इस बात की बात लांछन लगाना कि गडकरीजी की शादी में हुआ है, कोई नहीं हुआ गडकरीजी की शादी में। उसका मैंने आपको फोन करके भी खंडन किया कि किसी भी प्रकार से गडकरीजी को इसका पता ही नहीं है। मैंने फोन करके बात करके आपको बताया कि गडकरीजी की शादी में कुछ नहीं हुआ, यह बिलकुल गलत बात है। इसलिए इस प्रकार की बात हमको बिना जानकारी के नहीं कहनी चाहिए, मैं यह आपको कहना चाहता हूं।

और इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जयपुर में ये जो अभियान चल रहे हैं तोड़फोड के, वह तोड़ी है आपने, आप उस दिन मिले थे तो मैंने कहा था कि मैं अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हूं लेकिन अतिक्रमण में भेदभाव बिलकुल गलत है। और मैं जो बात बोलता हूं, वह फैक्ट के आधार पर बोलता हूं। इसलिए आप दुबारा अतिक्रमण तोड़ें, अतिक्रमण को ठीक करें, जो बेघर हुए हैं, उनका आवास करें लेकिन धार्मिक, साम्प्रदायिक और जातिगत आधार पर अतिक्रमण में भेदभाव नहीं करें। जयपुर में एक बात जा रही है, जो उचित नहीं है।

जहां तक दूसरी बात है, अब कहा कि हम तो बहुत काम करते हैं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने अजमेर की जमीन का सौदा कैंसिल कर दिया। अजमेर में जो यूआईटी ने काम किया था, आपने कैंसिल कर दिया, आपने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बढ़िया किया। लेकिन जयपुर में भी अजमेर रोड पर जेडीसी की राय को दरकिनार करके एक जमीन का मामला है, वह आप नजर में कर लें, उससे राज्य सरकार के कोष का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अजमेर में आपने ढाई सौ करोड़ की जमीन 5 करोड़ में दी थी, वह ठीक कर दिया। ये जो माल्स हैं हमारे, उनके लिए दुकानों की तोड़फोड़ ठीक नहीं है। 4 परसेंट आदमी सरकारी सर्विस में हैं, 96 परसेंट लोग सैल्फ एम्प्लायमेंट सैक्टर में हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि शापिंग माल्स के लिए इस प्रकार की बात नहीं की जानी चाहिए। नीचे दुकान और ऊपर मकान, यह जयपुर का करेक्टर है, इस करेक्टर को चलने दीजिए। 1,33,100 पद खाली हैं सरकारी विभागों में शिक्षा विभाग के अलावा, उनकी भर्ती करने की आप प्रक्रिया प्रारंभ करिये। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण के 2900 करोड़ रुपये में सिर्फ 800 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, 2011 के अंत में यह योजना समाप्त हो जाएगी और इसके हमारे पैसे चले जाएंगे। मानस आरोग्य सदन जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, मैं आपको बहुत साफ बात कहना चाहता हूं, यह हमने बनाया इस क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए और घोषणा की थी कि एसएमएस की तर्ज पर हम इसको सरकार के हास्पिटल के रूप में लेंगे। आपने आते ही घोषणा की थी अभिभाषण में कि इसको हार्ट हास्पिटल के रूप में लेंगे, उसको भी पूरा नहीं किया गया। अब उसको प्राइवेट पार्टी को देने की बात की जा रही है, मैं आपको बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में निवेदन करता हूं कि अगर किसी भी प्राइवेट पार्टी को दिया गया तो जितनी ताकत से हमारे से विरोध हो सकेगा, उतनी ताकत से विरोध करेंगे और ताकत का विरोध नहीं मानेंगे तो मैं अनशन करके भी उसका विरोध करूंगा लेकिन डेढ़ सौ करोड़ की सम्पति को किसी प्राइवेट आदमी को मैं नहीं देने दूंगा, आप इस बात को ध्यान में करिये। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आप चाहेंगे तो उस षड्यंत्र को मैं आपको बता दूंगा और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको रोकने का काम करें।

आपने कई बातें कही थीं लेकिन वे आपने पूरी नहीं कीं। 90बी का बहुत हल्ला किया, कि बदल देंगे। अभी तक नहीं बदली। जयपुर का मास्टर प्लान लागू हो जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। वह काम नहीं हुआ, जिसका शोर मचाया, जिसके कारण से राज में आये, उसको तो ठीक कर देते आप। आपने कहा, पैट्रोल, डीजल पर वैट की दरें तर्कसंगत कर देंगे। आपको तो मजा आ गया, भारत सरकार रोज बढ़ा रही है और आपका खजाना बढ़ रहा है, आप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

क्यों कम करो? तो आपने कम करने पर सोचा ही नहीं। यह आपके घोषणा पत्र में है, आप उसको देखिए और उसको कम करिए।

कई मामले यहां पर हमारे माननीय सदस्यों ने उठाये, मैं उन पर नहीं जाना चाहता, बहुत टाइम हो गया है। राव राजेन्द्र सिंह जी ने उद्योगों के विकास की कहानी सुनाई। आपने कहा, एकल खिड़की, बहुत बड़ा काम हो गया, विज्ञापन निकल गया इतना बड़ा। उन्होंने कहा कि एकल खिड़की में एक निवेश आने के बाद एकल खिड़की बंद हो गई, एक ही निवेश आया। काहे की एकल खिड़की की है, उसका किसी को पता नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि सारे मामले जो हैं, इन पर आप ठीक से गौर करें। आपने तीन अभियान चलाये, तीनों अभियानों की आप एक बार सोशल आडिट करा दें और आप स्वयं देख लें। हरित राजस्थान आपने चलाया, आवश्यकता है आज राजस्थान को हरित करने की, लेकिन हरित राजस्थान का अभियान हमारा पूर्णतः विफल हो गया, उसको आप देखें। और शुद्ध के लिए युद्ध तो केवल कमाई के लिए युद्ध बन गया है। अधिकारियों की कितनी हड़ताल हो गई, कितनी हड़ताल हो गई? राजस्थान में जितने कस्बे हैं, जितनी हड़ताल इस राजस्थान के आने के बाद हुई, उतनी पहले कभी नहीं हुई। आंदोलन कोई गोली-लाठी चलाने का ही नहीं है, 67,434 निरीक्षण किये, 22181 नमूने लिये, 406 लाइसेंस जब्त किये, 121 लाइसेंस निरस्त किये और 288 एफआईआर दर्ज कीं और नतीजा दो वर्षों का शून्य रहा तो यह शुद्ध के लिए युद्ध है। इसकी मेरे पास नहीं है तो आप बता देना ......(व्यवधान) वह आप बता देना।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपके पास जो काम की चीजें हैं, वे नहीं हैं, बाकी सब हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, तो है ही, वह आपका काम है, यह मेरा काम है। मैं मेरा काम करूंगा, आप अपना काम करें। आपका काम मैं क्यों करूं? (व्यवधान) आपका काम मैं क्यों करूं? इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये 67,434 जो आपने निरीक्षण किये, इनमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, यह भी देखने की बात है। वैसे शुद्ध के लिए युद्ध जरूरी है।

एक मेडिकल कालेज का अंतिम प्रश्न उठाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक कम्पनी को आपने बीज का मामला दिया, हमारे माननीय सदस्यों-प्रभु दयाल जी सैनी ने भी और सब ने उठाया है। यह बहुत खतरनाक मामला है मोनसेंटो कम्पनी का, इस कम्पनी को देकर विदर्भ के किसानों की तरह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजस्थान के किसानों को आत्महत्या के लिए बाध्य नहीं करें। खतरनाक इतिहास है इस कम्पनी का, इसको आप कर लीजिए। यह मल्टी नेशनल कम्पनी किसानों को तबाह कर देगी, सारे संसाधन हमारे, दरें तय करने का अधिकार उसका। यूरोप और अमेरिका में किसानों को गम्भीर नुकसान पहुंचाया है इस कम्पनी ने। हमारे यहां बहुत अच्छे-अच्छे बीज होते थे, जकराना का बाजरे का बीज था, सारे बीज हमारे बहुत अच्छे अच्छे होते थे, आज हमारे उन सारे बीजों को नष्ट कर रहे हैं। ये कौन-सा बीज पैदा करके सारी बातों को समाप्त करना चाहते हैं, किसानों में विरोध है इसका। यह बीटी बैंगन की तरह है इसलिए आप इस सारे बीज के बारे में, मोनसेंटो कम्पनी के बारे में विचार करें। और विचार करके इसको ठीक करें।

और एक बात मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि मेडिकल कालेजेज में जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वे आज हड़ताल पर हैं। छठे वेतन आयोग का उनको लाभ मिलना चाहिए था, अन्य राज्यों में मिल गया, यहां राजस्थान में क्यों नहीं मिल रहा है? ये बड़े-बड़े डाक्टर हैं, इनको प्राइवेट हास्पिटल लेने के लिए तैयार बैठे हैं, ये वीआरएस लेना चाहते हैं और आप केवल छठे वेतन आयोग का जो इनके कैरियर एडवांस का प्रमोशन था, वह प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। यह बहुत गलत काम कर रहे हैं। मैं आपको कहूंगा कि कुछ कामों के लिए हमको छूट भी देनी पड़ेगी, कुछ कामों के लिए छूट देनी पड़ेगी। आज इंजीनियरिंग कालेज में, मेडिकल कालेज में पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलते। इसलिए एज का रिलैक्सेशन भी करना पड़ेगा और उनका तनख्वाह का भी रिलैक्सेशन करना पड़ेगा। हमारे जो 5-6 मेडिकल कालेज हैं, ये इतनी बड़ी मानवता की सेवा कर रहे हैं और इसमें डाक्टरों का योगदान बहुत बड़ा है। वो इस्तीफा दे रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। वीआरएस लेना चाहते हैं, कोर्टों में जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप हस्तक्षेप करेंगे और हस्तक्षेप करके इस काम को पूरा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय राज्यपाल महोदय आये उनका धन्यवाद प्रस्ताव, मैंने सरकार के दो साल के कामों के बारे में संक्षेप में अपनी बात कही है। माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ साहब ने कुछ इशारे किये थे जहां-जहां उनको सुगंध आ रही थी। यहां-यहां उनको कुछ सुगंध आ रही है वो सुगंध के इशारे उन्होंने किये थे। राव राजेन्द्र सिंह जी ने भी कुछ बातें कहीं, नर्मदा के बारे में अभी हमारे नरपत सिंह जी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बात कह रहे थे। मैट्रो के बारे में और बीआरटीएस के बारे में भी आप सारा विचार कर लें। मैट्रो बने, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन मैट्रो में जिस प्रकार से सड़कें संकड़ी होंगी, वह सारी आप कर लें। एक ही कम्पनी कोई काम करे, यह जरूरी नहीं है, इसका भी सारा आप कर लें। बीआरटीएस में हमने किया, आपने रोका, फिर आपने वापस चालू कर दिया। इसमें दोष किस बात का दे रहे हो? आपने रोका, निरीक्षण किया....

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने जो प्लान किया वह छोटी-छोटी, कम चौड़ी सड़कों पर किया और हमने जो किया वह कम से कम 45 मीटर जिसकी चौड़ाई थी वहां पर किया। आपके वक्त में जितना बिगाड़ हुआ उसको सुधारने का काम हमने किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): खैर, आपने उसको देखा, उसको परखा, उसको समझा और फिर आपने किया, वह ठीक है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में दो साल ऐसे हैं जिसमें सरकार ने स्कूलें खोलने के बजाय बन्द कीं, जिसमें सरकार ने भर्ती का काम बन्द किया, जिसमें सरकार ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को चौपट किया, जिसमें सरकार का मंत्रिमण्डल पूरा आपस में विभक्त है और सदन में जवाब देने के लायक भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह धन्यवाद प्रस्ताव पर जो मैंने कहा था कि यह भाषण निष्प्राण है, वह निष्प्राण है और आपको निष्प्राण शब्द नहीं लगे तो निकर्मा है, अकर्मण्यता का है, अराजकता से भरा हुआ है। इसी के साथ मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय आये उनका धन्यवाद, लेकिन अभिभाषण में जो कुछ लिखा है उसका विरोध करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।

श्री सभापति: सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य रघुजी शर्मा ने प्रस्ताव के समर्थन की शुरूआत की और घनश्याम जी तिवाड़ी, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने अभी अपनी बात रखी, उन तमाम सदस्यों को, 80 के आस-पास मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा विचार प्रकट किये गये, 84-85 माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया जिसमें करीब सात महिला सदस्य भी

(श्री अशोक गहलोत)

शामिल हैं, उन सब को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। सदन की गरिमा के अनुसार, और जैसा आपने कहा कि एक अपना अलग स्तर होता है, उसको बनाये रखने का प्रयास करते हुए अपनी बात रखी और जो सुझाव दिये गये, उनका मैं स्वागत करता हूं। सुझाव चाहे आलोचना के रूप में हों चाहे वो कोई टिप्पणी के रूप में कहें, सरकार उसको उसी गम्भीरता से लेती है, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो भी प्रोसीडिंग लिखी जाती है, उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। इस बार विशेष रूप से विश्लेषण करवाएंगे जो पाइंट सामने आये हैं उनके ऊपर कैसे कार्यवाही हो और गुड गवर्नेंस जिसकी बार-बार हम बात करते हैं कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देंगे। सभापति महोदय, यह मैंने पहले भी कहा कि खाली मेरे कहने से नहीं होता है बल्कि यह तो तमाम हमारे विधायक, सांसद, मंत्रिमण्डल के सदस्यगण, तमाम आम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जो शासन में भागीदार हैं, पब्लिक सर्वेंट के रूप में हम लोग माने जाते हैं और पब्लिक के ट्रस्टी के रूप में हम लोग काम करना चाहते हैं, उन सब की भावना हो तब जाकर गुड गवर्नेंस हो सकती है। पर हमारा प्रयास जारी है। आप अभी बहुत तारीफ कर रहे थे कि 21वीं सदी में जो कुछ माहौल बना है, और आप बहुत ही प्रगतिशील विचारों के व्यक्तित्व लगे, उसमें कहा कि वो जमाना गया कलक्टर कांफ्रेंस का, या जो बातें आपने कहीं कि वीडियो कांफ्रेंसिंग हो जाती है, अच्छा आपका सुझाव है। पर कलक्टर, एसपी कांफ्रेंस का एक अलग इम्पैक्ट रहता है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी कलक्टर, एसपी कांफ्रेंस में एक भी कलक्टर कोई न तो वहां पर बीमार हुआ, न घायल हुआ, न उसको एसएसएस भेजना पड़ा। आराम से हम लोगों ने उनकी बातें सुनीं। खुलकर अपनी बातें कहीं, मैंने भी कहीं, गृह मंत्रीजी ने भी कहीं और सब ने कहीं। जिसकी आलोचना आप कर रहे हैं, वह एप्रोच का फर्क है। हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत नहीं हों, परन्तु मेरा मानना है कि कोई अगर कीचड़ है, गन्दगी है, घर के अन्दर है या घर के पड़ौस में है या मोहल्ले में है, उसको ढकने के बजाय अगर हम उसके ऊपर चर्चा करें कि यह गंदगी कैसे साफ हो सकती है, तब तो वह साफ होगी। हम सत्ता में हैं इसलिए ढकते जाएं और आपकी नजर भी नहीं पड़े जो नजर आपकी पड़नी चाहिए। क्योंकि आपके विपक्ष के नेता बने नहीं, आप लोग उसके इंतजार में टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, तो जो आलोचना आपको करनी चाहिए सरकार की, वह काम भी हमें करना पड़ रहा है जिससे कम से कम सही बात सामने आ सके कि वास्तव में पुलिस के अन्दर, हास्पिटल के अन्दर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह आपने पांच साल में नहीं किया इसलिए आप उसका अपना बैकलाग निकाल रहे हो, पूरा कर रहे हो। पांच साल आप इधर बैठे थे तो आपने नहीं किया, वह काम अब कर रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपकी दृष्टि में कर रहे हैं। मेरी दृष्टि के अन्दर वास्तव में मैं कहूं तो ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि प्राइवेट हास्पिटल के अन्दर गरीब आदमी जाता है, उसका पूरा इलाज होता नहीं है और होता है तो बिल इतना ज्यादा बनता है कि वह दे ही नहीं सकता है। कई बार उनकी शिकायत रहती है, ऐसे किस्से आये हैं कि जहां परिवारजन ने आरोप लगाया है और 32-32 लाख रुपये में पेमेंट हुआ है बाद में, कि यह दो दिन पहले डैथ हो गई थी उसके बावजूद क्यों रखा गया, हमें बताया क्यों नहीं गया। तो मैंने अपनी जो भावना थी, वह प्रदेशवासियों के सामने रखी। उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी के लोगों ने आकर कहा कि हमने तो प्रदर्शन भी किये हैं सड़कों पर, सब कुछ किया, पर हमारी घरवाली और घरवाले खुश हो रहे हैं कि यह जो मुख्य मंत्री का कमेंट है, वास्तव में यह स्थिति है, इसको ठीक करना चाहिए। जो-जो बातें मैंने अगर कही हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसके पीछे कोई दुर्भावना किसी के प्रति नहीं है, न कोई पूर्वाग्रह है। हम चाहते हैं कि सिस्टम में बदलाव हो, सिस्टम में सुधार हो, गुड गवर्नेंस हो। इसीलिए हमने ई-गवर्नेंस को भी तवज्जो दी है। आपकी भी भावना मैंने देखी है, मुझे अच्छा लगा, वीडियो कांफ्रेंसिंग की आप बात कर रहे हैं। पिछले बजट में हमने तीन प्रतिशत का प्रोविजन किया था हर डिपार्टमेंट का कि वो ई -गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़े। इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में ई-गवर्नेंस का फायदा गांव के गरीब तक पहुंचे। उसी रूप में हमने राजस्थान भर के अन्दर 9164 जगहों पर राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र बनाने का निश्चय किया है। हालांकि इसमें कुछ रुकावट भी आई है। जो सोशियल आडिट को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हुई, उस कारण से जो प्रोसीजर बदला गया, उसके कारण दिक्कत आई। पर मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही वो केन्द्र बनेंगे और उनका लाभ गांव तक पहुंचेगा।

सबसे पहले तो मैं शुरूआत करूंगा, आपने भी कहा कि 27500 करोड़ रुपये का एनुअल प्लान बजट एप्रूवल हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। यह जो स्वीकृति मिली है, यह राजस्थान के लिए गौरव की बात इस रूप में है कि आप जब सत्ता में थे तब 71732 करोड़ रुपये की योजना आपने मंजूर करवाई थी और उसका आपने बहुत ही प्रचार भी किया

(श्री अशोक गहलोत)

था। करना भी चाहिए। पहले 71732 करोड़ की योजना तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने एप्रूव करवाई, उसका भी प्रचार हुआ कि बहुत बड़ा प्लान आजादी के बाद सबसे बड़ा बना। यह हमने पढ़ा भी था, सुना भी था। फिर जो योजना एनुअल आई थी, उसकी भी तारीफ हो रही थी कि हम 14 हजार पर आ गये जो हाई टाइम है, फिर 18 हजार पर आ गये वह भी हाई टाइम था। हमारे वक्त में हम 24 हजार पर आ गये वह भी हाई टाइम था। अब 27500 पर आ गये वह भी हाई टाइम है। परन्तु खुशी इस बात की है कि दो साल तो आपके और तीसरा साल हमारा और यह अंतिम वर्ष है, अंतिम वर्ष की 27500 की गिनती तो अब होगी, 4 साल के प्लान में ही हम लोगों ने 71732 के अगेंस्ट में करीब-करीब, क्योंकि यह तो आपको मालूम है कि उसकी आलोचना भी हुई है कि हमारा प्लान साइज कम हो जाएगा, क्योंकि कोल ब्लाक नहीं मिलने से 52 प्रतिशत पैसा रखा गया था पावर के अन्दर, टेण्डर हो गये हैं सुपर क्रिटिकल प्लांट, छबड़ा के लिए और सूरतगढ़ के लिए और कोल ब्लाक नहीं मिलने से काम अटका पड़ा है। वह खाली राजस्थान की बात नहीं है, सभापति महोदय, यह पूरे के अन्दर, हर राज्य के अन्दर जो नो-गो एरिया डिक्लेयर किया गया है पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा, उसके कारण हर राज्य की शिकायत है। उसके लिए प्रधान मंत्रीजी से भी, विद्युत मंत्रीजी से भी, कोल मंत्रीजी से भी और कल फाइनेंस कमीशन के अन्दर भी बात हुई थी। हमने बताया है खुलकर कि इसके कारण हमारी प्लान साइज का 52 प्रतिशत हमने रखा है पावर के अन्दर, उसमें हमें मजबूरन कमी करनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी हमारी प्राब्लम को समझते हुए उन्होंने यह 27,500 करोड़ की प्लान साइज एप्रूव की है। अब अगर मान लीजिये, हमारे 2,000 करोड़ कम भी होते हैं, 3,500 करोड़ कम होने की संभावना थी, उसको हमने प्रयास किया है कि किसी तरह से सोशल सैक्टर के अन्दर ज्यादा पैसा खर्च हो जाए और किसी ढंग से सोशल सिक्योरिटी के, कम्युनिटी के काम ज्यादा हों और प्लान साइज ज्यादा कम नहीं हो, यह हमारा प्रयास रहा, क्योंकि यह हम जानते हैं कि जब बजट आएगा तो आप लोग इस बात को उठाओगे और आपको उठाना भी चाहिए, यह आपका फर्ज भी बनता है। हम अपना आर्गुमेंट उस वक्त भी रखेंगे, आज भी रख रहे हैं, पर इस बात की खुशी है कि करीब 68,741 करोड़ तक हम पहुंच जाएंगे फिर भी, अंदाजा यह हमारा है। इसके मायने ये हुए हैं कि पूरी योजना जब पांच साल के लिए बनी थी 71,000 करोड़ की, उसके अगेंस्ट में हम लोग एक लाख करोड़ के आस-पास पहुंच जाएंगे जब पांच साल

(श्री अशोक गहलोत)

पूरे होंगे तब। इस बात की मुझे खुशी है और मैं समझता हूं कि अभी भी हमने प्रायोरिटी यही रखी है। जो वार्षिक योजना कल हमने मंजूर करवाई, उसमें पावर को प्रायोरिटी में रखा और दूसरी हमारी प्रायोरिटी सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज हैं 30 प्रतिशत। पिछली बार 52 प्रतिशत की बजाय 44 प्रतिशत पर लाये हम लोग पावर सैक्टर को और हमारा प्रयास रहेगा, जल्दी इस योजना को लागू करवाने के लिए जो बजट आएगा, उसके बाद में, पिछले बजट के वक्त में भी आपने जो इशारे किये थे, जो सुझाव दिये थे, हमने उनको पालने का प्रयास किया और मैं समझता हूं, उसी का परिणाम है कि पावर सैक्टर में जो सैट-बैक लगा है, उसको छोड़कर हमारा प्लान साइज पूरा होगा और उसका फायदा राजस्थान को मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ में आपने बात की है कि किस प्रकार से ग्रोथ रेट कम हो गई। ग्रोथ रेट पिछली बार कृषि में भी कम हुई है क्योंकि 2009-10 का जो सूखा पड़ा था, वह सूखा मेरे खयाल से 1987-88 के, हमारे रोहिताश्व कुमार जी बैठे हुए हैं, जो हमारी पार्टी में थे, तो मालूम है कि उस वक्त के तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी, मैं समझता हूं, दुनिया के पहले प्रधान मंत्री होंगे जिन्होंने तीन दिन तक राजस्थान के जिलों में बाई कार, बाई रोड दौरे किये हों, वह भयंकर अकाल था। 2002-03 का भी भयंकर अकाल था जब हमने घर-घर में गेहूं पहुंचाया था। दिल्ली में एन.डी.ए. गवर्नमेंट थी, हमने उनसे रिक्वैस्ट की और गेहूं भी पहुंचा समय पर पेमेंट भी हुआ, समय पर पानी का प्रबंधन भी हुआ और उसकी तारीफ पूरी दुनिया में और पूरे देश के अन्दर हुई थी। इस बार भी जिस प्रकार के हालात बने थे, एन.एस.ए. की चेयरपर्सन माननीया सोनिया गांधी जी ने नरेगा योजना लागू करवाई यू.पी.ए. गवर्नमेंट से, अगर नरेगा योजना नहीं होती तो मैं समझता हूं कि यह अकाल भी, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, उससे ज्यादा भयावह स्थिति बन सकती थी राजस्थान के अन्दर। प्रधान मंत्री को कहना पड़ा, बिजली बचाओ, पानी बचाओ और आपको तो मालूम है, मेरा नारा ही यही है कि बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नौकरी एक की मत लगाओ।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हमारे आने के बाद में करीब 20,000 नौकरियां लग चुकी हैं। आपको बहुत भारी गलतफहमी है। और करीब 69,000 के निर्देश जारी हो चुके हैं, छूट दे दी गई है। और भविष्य के लिए

(श्री अशोक गहलोत)

हर डिपार्टमेंट को ये आदेश दे दिये गये हैं कि उनके ऊपर कोई फाइनेंस में जाने की जरूरत नहीं रहेगी, डिपार्टमेंट खुद ही जैसे-जैसे पद रिक्त हों, वे स्वयं भर सकेंगे, यह छूट दे दी गई है। पंचायती राज खुद भर्ती करेगा भविष्य में, वह छूट दे दी गई है। जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो, तब तक रिटायर्ड लोगों को लगाने की छूट दे दी गई है क्योंकि जो पांच विभाग दिये गये हैं पंचायती राज को, जिसको लेकर मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप उसकी भी आलोचना करेंगे कि पंचायती राज को पांच अधिकार क्यों दे दिये गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने उसकी आलोचना नहीं की। मैंने आलोचना की कि आर.पी.एस.सी. से आपने जो वापस ले लिया और वह जो शिक्षक की भर्ती है, वह किसी भी कीमत पर उस माध्यम से नहीं होगी। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट है। पहले भी आप पांच साल थे, तब नहीं हुई थी और अब भी शिक्षा विभाग की भर्ती नहीं होगी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैं आपसे सलाह कर लूंगा अलग से, आप मुझे बताएंगे तो, कोई प्रक्रिया में गलती हो गई है, मेरे खयाल से कोई गलती हुई नहीं है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम बताएंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ...फिर भी अगर आप बताएंगे, आपके सुझाव का स्वागत है। हम चाहेंगे कि भर्ती किसी रूप में पूरी हो। बल्कि आने वाले समय में और ज्यादा टीचर्स की भर्ती, और ज्यादा भर्ती जो सैकण्ड ग्रेड की है, प्रिंसिपल की है, वह भी हम करने जा रहे हैं, यह भी मैं आपको कहना चाहूंगा। इसलिए यह आप गलतफहमी मत रखो कि भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। पंचायती राज विभाग को अधिकार देने का यह एक ऐतिहासिक फैसला है। हमने जून, 2003 के अन्दर ये दे दिये थे, सरकार बदल गई दुर्भाग्य से और दुर्भाग्य से आप लोग आ गये इधर। आपने आने के बाद में जिस रूप में फैसले को बदला, फैसले को बदलकर आपने, हमारे कटारिया साहब कहां चले गये, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाने का नाटक किया। वह नाटक दो-तीन साल तक चला क्योंकि उन्होंने कहा, तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि कांग्रेस ने जो पावर दिये, वे कम पावर दिये गये, हम अधिक पावर देना चाहते हैं। कटारिया कमेटी बनाई गई, तीन साल निकाल दिये। रिपोर्ट भी आ गई, रिपोर्ट को दबाकर बैठे रहे और सरकार चली गई। वापस हम आये हैं तो जो हमारा वादा था, उसको निभाते हुए हमने पांच अधिकार देने का निर्णय किया।

(श्री अशोक गहलोत)

जब इतना बड़ा फैसला हुआ है तो उसमें आप समझ सकते हैं कि शुरू-शुरू के अन्दर अड़चनें आती हैं। अड़चनें दूर करेंगे, आपका भी सहयोग लेंगे। यह ट्रांसफर आफ पावर होना बड़ी बात है पंचायतों को। अभी तो हमने पाँच दिये हैं, हम चाहेंगे, और आप सबका सहयोग मिले, और भी पावर कैसे मिले, जो संविधान संशोधन की मूल भावना है, राजीव गांधी जी की भावना थी, उसके अनुरूप 29 विषयों की बात की गई है, वह कैसे पूरी हो, यह हमारा ध्येय रहेगा, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। हम चाहेंगे कि जो पाँच विभाग गये हैं, स्मूथली वहां काम करें। अभी प्राइमरी लेवल पर जो दिक्कतें आती हैं, उनको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु पिछले अकाल के वक्त में हमें भी तकलीफ इस बात की है कि कृषि में भी विकास दर बहुत कम रही, कृषि में हमें सैट-बैक लगा। पूरा ऐसा अकाल, ऐसा सूखा बहुत कम पड़ा जब बीज भी बो दिया हो और बरसात पूरी चौपट हो गई हो। इसके बाद हमने इन्पुट सब्सिडी आजादी के बाद पहली बार दी 650 करोड़ रुपये की, 1,400 करोड़ रुपये इंश्योरेंस से दिलवाये गये, वह भी आल टाइम हाई है मेरे ख्याल से। पहली बार देश के अन्दर राजस्थान में किसानों को 1,400 करोड़ रुपये दिलाये गये, आबियाना माफ किया गया और शार्ट टर्म लोन को मीडियम टर्म में कन्वर्ट किया गया। ये तमाम फैसले हमने उस वक्त में किये थे। पीने के पानी का इतना बड़ा संकट था, हम भी चिंतित थे, 20,000 गांवों को पीने के पानी का संकट को देखते हुए पानी का ट्रांसपोर्ट किया गया, पानी के टैंकर लगाये गये। 12-13 लाख बीज के किट किसानों को दिये गये प्रायोरिटी पर कनेक्शन देकर, चारा उगाने के लिए हमारी योजना कामयाब रही। नरेगा के अन्दर आराम रहा कि वहां हाहाकार नहीं मचा, उनको काम मिल गया। इसलिए मैंने कहा कि इतनी विश्व स्तर की बड़ी योजना जो लागू हुई है, उसका लाभ आपको देखने को मिला पिछली बार, कोई तरह की शिकायत नहीं रही, वह काम अलग चलता रहा। 100 दिन पूरे कर लिये, वहां हमने अकाल के काम खोल दिये, चारे का प्रबन्ध हो गया, हरे चारे का प्रबन्ध हो गया। पानी का ट्रांसपोर्ट करने के साथ-साथ 150 करोड़ रुपये हमने पंचायतों को दिये, कि जो लोकल हैं, वे भी हमें सहयोग कर सकें। ये देवीसिंह जी भाटी साहब बैठे हैं, इन्होंने सेवण घास लगाने का जो अभियान छेड़ा था, उसको मैं देखकर आया था। चारों ओर से मैंने देखा, उस अकाल, सूखे की स्थिति की मार की जैसी चिंता हम सबको थी, उससे हमने उसका मुकाबला किया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये दिक्कतें तो समय-समय पर आती जाएंगी।

(श्री अशोक गहलोत)

अब आर.टी.ई. आ गया जिसका जिक्र आपने किया। मैं समझता हूं, यह अपने आप में जब देश का कानून बन गया है right to education और फिर आप इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि अब भर्तियां नहीं होंगी क्योंकि नया टैस्ट करना पड़ेगा। इसमें नई बात क्या हुई? इसकी हमें जानकारी है, पूरे मुल्क में लागू हुआ है। पूरे मुल्क में right to education का एक्ट बन गया पार्लियामेंट का तो उसको सबको मानना ही पड़ेगा, वह टैस्ट देना ही पड़ेगा। उसके आधार पर भर्ती हो सकती है। उसमें हम चाहेंगे कि आप हमें सलाह दें कि इसमें क्या हो सकता है जिससे हम लोग प्रक्रिया को पूरी कर सकें। हमने आपस में चर्चा की है, हम चाहेंगे कि उसके कारण भर्तियों में देरी नहीं हो, इस प्रकार का टाइम टेबल बने, यह मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं।

(समय : 19.00 बजे)

इसके साथ तालीम-मायनोरिटी को लेकर हमेशा एक टिप्पणी रहती है कि मायनोरिटी में एजुकेशन बहुत कम है। उनके लिए भी प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप की जो शुरूआत हुई है, भारत सरकार ने की है विशेष रूप से, बहुत ही मैं समझता हूं कि एक शुभ संकेत है। उसके कारण से तालीम की परसेंटेज बढ़ेगी उनके अन्दर। आज 73 हजार बच्चों को प्री एण्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलनी प्रारम्भ हुई है राजस्थान के अन्दर। हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन को लेकर यह चुनौती हमारे सामने है, राजस्थान एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ रहा है हमेशा। आप तो शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो हमारा प्रयास है, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से 12 लाख बच्चों का चिह्निकरण किया है। यहां ड्राप आउट रेट बहुत ज्यादा है राजस्थान में, उसकी जानकारी आप लोगों को है, वह भी हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हम चाहेंगे, कुछ काम ऐसे हैं जो तमाम पक्षों के लोग मिलकर करें जिससे कि राजस्थान के जिस उज्ज्वल भविष्य की बात हम सब करते हैं, राजस्थान को हम लोग सब कहते हैं कि विकसित राज्य बने, समृद्धिशाली राज्य बने। दावे भी करते हैं हम लोग कई बार कि हमने विकसित राज्य बना दिया है, जबकि वे बहुत खोखले दावे होते हैं। जो हालात बने हैं उन पर हमें देखना पड़ेगा कि वास्तव में हम लोग कहां स्टैण्ड करते हैं और किस रूप में हमें उनको दूर करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि जो देशभर के राज्य हैं, तुलना में हमारा राज्य कई मामलों में अच्छी स्थिति में है। हम चाहे अच्छी सड़कें बना रहे हों यहां पर, अच्छी सड़कें बनी हैं। कोई जमाना था, तब कहते थे कि गुजरात से आते हुए आदमी की नींद खुल जाए, समझ लो राजस्थान आ गया। यह उदाहरण

(श्री अशोक गहलोत)

मैंने पहले भी दिया है, वह स्थिति अब नहीं रही। हमारे वक्त में भी हमने सड़कों का काम किया, पीएमजीएसवाई में नम्बर वन रहा। आपकी सरकार आई तब आपने उसको मेंटेन रखा। हमने आरयूडीपी योजना के माध्यम से हर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीन-तीन करोड़ रुपए उस जमाने के अन्दर दिये थे। मिसिंग लिंक बनाये थे, हाइवेज बने थे, नेशनल हाइवेज बने थे, आज राजस्थान में सड़क बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट में जो सिंगल विंडो की बात आपने की है, अभी तो लागू हुआ है, उसके पहले ही आपने सिंगल विंडो को बंद कर दिया। राव राजेन्द्रसिंह जी ने कह दिया, अभी एक प्रस्ताव आया है जबकि इसका कोई लिंक ही नहीं है उससे। जो दो साल में इन्वैस्टमेंट हुआ है, वह तो आंकड़े गवाह होंगे आपके सामने कि सेंट गोबेन ग्लास आ गया, होण्डा की कंपनी यहां पर आ गई...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): वह तो पहले आ गई थी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): प्रस्ताव पहले के होंगे, आये तो हमारे वक्त में हैं न।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आपके वक्त में चालू हुआ है, एमओयू हमारे वक्त में हुआ है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): होण्डा सीएल का तो काम पहले ही चालू हो गया था।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अच्छी बात है, मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि वे वापस तो नहीं गये हैं न।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): होण्डा मोटरसाइकिल का अभी चालू हुआ है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): लाफार्ज की सीमेंट जो वर्ल्ड की मानी हुई कंपनी है वह यहां आई है। और भी सीमेंट कंपनियां, जो एरिया खुले हैं, रोहिताश जी को भी मालूम है ये सब बातें। रोहिताश जी को मालूम है कि सारी सीमेंट की फैक्ट्रियां आ रही हैं राजस्थान में, विश्व स्तर के लोग सीमेंट के कारखाने राजस्थान में लगाना चाहते हैं। इन्वैस्टमेंट बड़े रूप में आएगा। राजस्थान रिसर्जेंट में क्या हुआ, वह तो आप जानें, पर इतना मैं कह सकता हूं कि जो एमओयू आपके वक्त में किए हैं, मान लीजिए उस वक्त में, किसी भी व्यक्ति को यह शिकायत नहीं रहेगी कि सरकार बदल गई इसलिए हमारा काम नहीं हुआ, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

मेवात क्षेत्र के अन्दर स्थिति क्या है, वह भी आपको मालूम है, वह भी मायनोरिटी की बात है। मैं इसलिए यह बात कहना चाहूंगा आपको कि शिकायतें जो हैं, हम चाहते हैं कि मेवात बोर्ड का पुनर्गठन हो, साथ में इस प्रकार की योजना बने जिससे कि वह पूरा एरिया आपका भरतपुर का, अलवर का, इल्लीगल माइनिंग होना वहां पर एक बड़ा इश्यु है, उसको चाहते हैं हम समाप्त करें। किस प्रकार से वहां पर शिक्षा के अन्दर जो स्पेशल स्कीम बनी थी, उसको हम लोग पूरा करे। यह तमाम स्थिति जो है, वह हमने हाथ में ली है। मायनोरिटी के लिए मुझे कहते हुए दुःख है कि दस वर्षों में खाली 11 करोड़ खर्च हुए हैं उनको लोन देने के अन्दर, 2005 लोगों को। अब हमने तय किया है, जो मायनोरिटीज फाइनेंस कारपोरेशन है उसकी गारंटी राज्य सरकार 15 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने जा रही है और हिस्सा राशि 7 करोड़ 80 लाख के बजाय 12 करोड़ करेगी जिससे उन लोगों को लोन मिल सके।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रंगनाथ मिश्रा कमीशन के आधार पर जो आपको रुपए मिले थे मायनोरिटी के, उसमें से 800 करोड़ रुपए बिना खर्च हुए वापस चले गये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): राष्ट्रीय कौशल मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की जो योजना भारत सरकार की है, हम चाहेंगे कि उसका फायदा राजस्थान को मिले। इस प्रकार से एक शुरूआत करने का प्रयास किया गया है। जो बात मैंने अभी आपको कही राजस्थान पैरामीटर की, कितनी विकास की बात करने के बावजूद भी हम लोग पीछे हैं। उस पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें सभी पक्षों का सहयोग मिले। शिशु मृत्यु दर है (आई.एम.आर.) जिसको लेकर, आप तो मंत्री रहे हुए हैं, किस प्रकार से आज राजस्थान पूरी तरह से बदनाम है। हालांकि 63 से 59 हुआ है आंकड़ा उसका, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय औसत 50 का है और हमारे यहां आज भी 59 का औसत है। प्रधान मंत्री निवास स्थान पर एक मीटिंग हुई थी, आल पार्टीज की मीटिंग हुई थी, कोई गवर्नमेंट लेवल पर नहीं थी इसलिए तमाम बड़ी पार्टियों के लोग चाहे कांग्रेस के हों, चाहे वह बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, बीएसपी के, सब लोग वहां आये थे। उस मीटिंग के अन्दर भी, जो छह राज्य हैं उनमें राजस्थान भी आता है, उसके अन्दर जो आई.एम.आर. है इसमें हम पिछड़े हुए हैं, मातृ मृत्यु दर 388 है राजस्थान में और 254 का एवरेज है राष्ट्रीय स्तर पर, वह चिंता का विषय बना हुआ है। संस्थागत प्रसव जो है वह तीन साल पहले 2007-08 में 45 प्रतिशत था, अब 70 प्रतिशत तक हम

(श्री अशोक गहलोत)

पहुंच गये हैं, इसमें कुछ अच्छी प्रगति हुई है। यह ऐसा विषय है उसमें हम चाहेंगे कि विपक्ष, पक्ष और सब पक्षों का सहयोग सरकार को मिले।

इसी प्रकार आज ड्राप आउट रेट बहुत ज्यादा है राजस्थान के अन्दर, 12 लाख बच्चे जो हैं, स्कूल बाहर हैं। वह चिंताजनक स्थिति है। शिक्षा की गुणवत्ता में भी आवश्यक सुधार हो। सर्व शिक्षा अभियान स्कीम आने के बाद में मैं समझता हूं कि साधनों की कोई कमी नहीं है। किस प्रकार से हम मैनेज करें जिससे कि ड्राप आउट रेट कम हो, अवेयरनैस ज्यादा बढ़े। शिक्षा का क्या महत्व है, वह हम लोग आरटीई के कानून बनने के बाद में घर-घर तक पहुंचा सके। इसमें पार्टी लाइन से हटकर सबको काम करना है तब जाकर मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर शिक्षा को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि 98 और 2001 के अन्दर हमने उस वक्त देखा था कि एक बड़ा जम्प मिला था, उस वक्त के प्रधान मंत्री वाजपेयी जी ने हम लोगों को एवार्ड भी दिया था 2001 के अन्दर। उसके बाद में और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, इसकी मैं अपील करना चाहूंगा कि इसमें सभी पक्षों का सहयोग मिले।

पानी को लेकर बहुत चिंता का विषय बन हुआ है। पानी अपने आप में एक चुनौती है हमारे लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। मैंने कल प्लानिंग कमीशन में भी यह बात कही है कि इसके लिए राजस्थान को एक अलग तरह की तवज्जोह मिले, क्योंकि आज 249 ब्लाकों में से करीब 200 ब्लाक डार्क जोन बन गये हैं। जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है और पूरे 36 हजार गांव, ढाणियां जो है वहां पीने का पानी पीने लायक नहीं रहा है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही चिंता का विषय है। इसको कैसे हम लोग नियंत्रण करें, यह आपके और हमारे सबके सोचने की बात है। क्योंकि जब तक हम उस पर रोक नहीं लगाएंगे, तब तक यह सम्भव नहीं है। रोक लगाने के लिए जब तक हम अवेयरनैस नहीं करेंगे पब्लिक के अन्दर, तब तक रोक लगती नहीं है। पार्टी बदल जाती है, सरकार बदल जाती है परन्तु रोक लगती नहीं है। आज 11 राज्यों में भू-जल नियंत्रण कानून बना हुआ है पर हमारे यहां पर नहीं है, यह कितना गम्भीर विषय है। मैं आप सब से और पूरे सदन से भी रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि इस काम को किस रूप में हम कर सकें जिससे कि भू-जल स्तर ऊपर आए और इसके कारण से जो स्थिति बनी है उसको हम लोग कैसे रोक सकें, मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

(श्री अशोक गहलोत)

पूरे देश के जो हालात हैं गांव ढाणियों के, उनमें 74 प्रतिशत राजस्थान के गांव, ढाणियां हैं जहां पर यह तकलीफ ज्यादा है पीने के पानी को लेकर।

बिजली में भी प्रयास जारी हैं, हम लोगों ने आते ही सुपर क्रिटिकल प्लांट की शुरूआत की थी। जैसा मैंने कहा, कोल ब्लाक्स नहीं मिलने से वो रुक गयी, उसमें डिले हुआ है। आपके वक्त में दो साल का डिले आपने भी किया, पर आपके वक्त में डिले क्यों हुआ, वो कारण आज तक राजस्थान की जनता को मालूम नहीं पड़ पाया है। हमने आते ही एक महीने के अन्दर-अन्दर ही तीन सुपर क्रिटिकल प्लांट छबड़ा में, सूरतगढ़ में पब्लिक सैक्टर में और बांसवाड़ा में प्राइवेट सेक्टर में मंजूर किये थे। भारत सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ने रोक लगायी, उस कारण से हमें डिले करना पड़ा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हो। बिजली के मामले में सिवाय बयानबाजी के दूसरा कोई काम नहीं हुआ है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): बयानबाजी की तो आपकी नेता भी कह चुकीं बात। उन्होंने यही बात कही थी जो आप कह रहे हो। आपको नंबर बढ़ाना बहुत जरूरी भी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुख्य मंत्रीजी, मैं यह कह रहा हूं कि जो ये सुपर क्रिटिकल प्लांट्स लगा रहे हैं, इसमें एक बात तो हम सोचें कि कोयला हमको अगर उपलब्ध नहीं होगा और विदेशों से मंगाना पड़ेगा तो ये सारे प्लांट्स जो हमारे कोयले पर आधारित हैं, अचानक एक साथ हमारे पास जो स्थिति आएगी, उस पर विचार करना चाहिए कि इसको केवल कोयले पर ही करना है कि और कुछ करना है। आप इस पर ध्यान करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर और कोल के जो हालात हैं देश के अन्दर, वो तो पूरा भारत सरकार निर्णय करेगी आने वाले वक्त में। सौभाग्य से हमारे यहां पर जो सौर ऊर्जा है...

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं, आपने सिरोही में कालका जी बांध के लिए घोषणा की थी ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। आपका अंकित नहीं होगा। प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): जो तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी तो आप भी सरकार में रहे हुए हो, अधिकारी आपके भी वहां बैठे हुए होंगे, आज भी बैठे हुए होंगे, ऐसी बात नहीं है, बयानबाजी का इसमें क्या तुक हो सकता है, जो सच्चाई है वो तो आंकड़ों से मालूम पड़ती है कि कितनी पावर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कोल लिंकेज आपको मिला नहीं, मिलने वाला भी नहीं है। न कोई एरिये में आपकी माइन आ गयी, कोल ब्लाक आ गया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप बीच में इंटरवीन क्यों कर रहे हैं?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): बैठिये, बैठिये। आपको तो जानकारी ही नहीं है, इसका मतलब मुझे आज मालूम पड़ा। मैंने देखा कि आप चीफ व्हिप हो और सब सब्जैक्ट की जानकारी रखते हो। आपको मालूम नहीं कि नो कोल एरिया में हमने क्या किया। आपको जानकर दुःख होगा कि आपके वक्त में जो कोल ब्लाक मिला था अडानी को, उस पर भी रोक लग गयी है, वो भी नो कोल एरिया में आ गया है। किसकी बात करते हो आप? हमारे वक्त की बात कर रहे हो, हम तो मांग रहे हैं, कोल ब्लाक अब मांग रहे हैं। आपने मांग लिया, मांगने के पहले टेण्डर भी हो गये, माइनिंग के टेण्डर आपने दे भी दिये, अलाटमेंट भी हो गया। उसको रोक दिया गया है। तो हमारे लिये बड़ी चिन्ता का विषय बना हुआ है ये। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, पर पवन ऊर्जा में आज...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सर, एक निवेदन है ज्ञानवर्द्धन की बात है, मुख्य मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप विराजो। यह परम्परा ठीक नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): नेता महोदय बोल रहे हैं, आप बीच में इंटरवीन नहीं करें। कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं, ज्ञानवर्द्धन के लिए मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हां, बोलिये, क्या कह रहे हो आप?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मैं, सर, यह कहना चाहता हूं कि ये कोल लिंकेज...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपका विषय नहीं है, आप विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ...(व्यवधान) नहीं बढ़ाएंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं। मैं कहना चाहता हूं जो यह कोल लिंकेज की बात है और जब इलेवंथ प्लान बना था उस वक्त 35 दशमलव समथिंग टोटल बजट का जो हिस्सा था, वो बिजली के लिए आपने निर्धारित किया था। हमने कहा था, जब योजना बनी, कि at the end of the 11th Plan हम 12 हजार मेगावाट जनरेट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, अब इसके दोषी हम तो नहीं हैं न। भारत सरकार हमारी है। हमारे टाइम में यह प्रोब्लम थी कि भारत सरकार हमारी नहीं थी, हमारे वहां लाइजन नहीं थे और यह मामला ड्राप हो गया। आप तो भारत सरकार के खाली राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं हो, जैसा कि घनश्याम जी कह रहे हैं, आप तो परमानेंट वहां के पार्टी के महामंत्री भी हो और सोनिया जी के बहुत नजदीक भी हो और सब तरह से आप तो वहां नंबर वन हो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह 12 हजार मेगावाट की बात इलेवंथ प्लान की नहीं है, 12 हजार मेगावाट की बात जो आप ला रहे हो, यह बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत की बात है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): At the end of the 11th Plan, यह है आपके इकोनोमिक रिव्यू में, I have read this.

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): नये प्लांट की मैं बात कर रहा हूं। खैर, ये बाद की बात है, डिस्कशन का मैटर अभी तो नहीं हो सकता, पर पवन ऊर्जा का...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह जैकेट कैसे उतारी है आपने?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): पहले तो मैंने इसलिए पहन रखी थी कि नजर नहीं लगे। अब मालूम पड़ा कि नजर लग नहीं रही है तो फिर उतार दिया उसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अब आपको राज की गर्मी आ गयी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पवन ऊर्जा के मामले में हम लोग काफी आगे बढ़े हैं। शुरूआत हमने की, आपने आते ही पालिसी बदल दी। थोड़ा सैट-बैक लगा, पर आपने वापस सुधार कर लिया। आज करीब 12सौ मेगावाट आपकी पवन ऊर्जा है, 80 मेगावाट बायोमास है। पर जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं देश में ऊर्जा को लेकर, सोलर एनर्जी को लेकर सबसे अधिक जो अलाटमेंट हुआ है जवाहर लाल नेहरू मिशन के माध्यम से, वो राजस्थान को हुआ है और सौभाग्य से पांच मेगावाट का देश का पहला सोलर प्लांट राजस्थान में खींवसर में लग चुका है। खींवसर के माननीय सदस्य शायद यहां मौजूद नहीं होंगे, उसके अलावा ढाई मेगावाट का भी कम्पलीट हो गया बीकानेर के अन्दर। मैं समझता हूं कि अगर यह टैक्निक-सोलर थर्मल और सोलर फोटो वोल्टिक, कामयाब हो गयी तो आने वाले वक्त में राजस्थान को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा पूरे देश में। ये कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर तमाम पक्षों के लोगों का हमें सहयोग चाहिए चाहे सीपीएम के लोग हों, चाहे इंडिपेंडेंट हों, चाहे बीजेपी के लोग हों।

सड़क दुर्घटना आज हमारे सामने चुनौती है अपने आप में। अभी भोपालगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि 25 लोग मारे गये, वहां पर जाकर बैठ कर आये हैं। आज जो आंकड़े हैं उनके अनुसार प्रति वर्ष करीब नौ हजार लोग मारे जा रहे हैं। जिस दिन मैं भोपालगढ़ गया था उस दिन सीकर के अन्दर आठ लोग मारे गये थे। तो मैंने कहा वहां पर कि अगर आज 25 लोग यहां पर नहीं मरते तो हैड लाइन आठ लोगों की बनती कि आठ लोग मारे गये, वो भी अपने आप में बड़ा फीगर होता है। तो ये हमारे लिये चिन्ता का विषय बना हुआ है। हम लोगों ने सीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी, उसकी रिकमंडेशन आयी है, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर किस प्रकार से कार्यवाही हो जिससे कि एक्सीडेंट्स कम हों। गाड़ियां इतनी एडवांस आ गयी हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है और रोड्स अच्छी बन गयी हैं, तो ये तमाम फैक्टर काम कर रहे हैं। और संख्या इतनी हो गयी है कि आज हर बंगले में जितने बैडरूम हैं उतनी गाड़ियां हैं। बैडरूम के नंबर से लोग गाड़ियां खरीदने लग गये हैं, इसलिए ट्रैफिक जाम रहते हैं। दिल्ली और जयपुर तक यह स्थिति बन गयी है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी हम पूरे हाउस के लोग सब चिन्तन-मनन करें और कैसे अंकुश लग सके, यह बात देखें।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा शहरों के लिए कि जो सफाई और सीवरेज की समस्या है, वो चुनौती है। पूरे प्रदेश के अन्दर भी है और बाहर भी

(श्री अशोक गहलोत)

है। उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा कि कोई रास्ता ऐसा निकले, सब मिलकर निकालें हम लोग, जिससे कि सफाई और सीवरेज के कालेप्स होने से जो बीमारियां फैलती हैं, उन पर तो कम से कम रोक लगे। आज चाहे बोर्ड किसी पार्टी का बन जाओ, बोर्ड बनने के बाद जो हालात होते हैं, वहां पर काम होता नहीं है सफाई का, डंपिंग स्टेशन छुपे रहते हैं। तो ये पांच-सात मैंने समझा, मैं आपसे शेयर करूं कि किस प्रकार से हम इसको लागू कर सकते हैं।

एक और पाइंट है, अभी जवाहर लाल नेहरू (जेएलएनयूआरएम) की जो योजना है जयपुर, अजमेर और पुष्कर की, आपने भी आलोचना की कि वो तो काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भारत सरकार ने ग्रांट रोक दी। भारत सरकार की पहली शर्त यह है कि चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो चाहे कोई भी हो, जब तक आप वहां पर प्रापर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे, रिफार्म नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो जो काम अधूरे पड़े हैं, आपको यह तो मालूम ही है कि हाउस टैक्स किसी जमाने में लगा था वो फिर कामयाब हो नहीं पाया, उसको विदड्रा करना पडा। यह भी डिबेट का विषय है कि हमारे हाउस के माननीय सदस्यों के क्या विचार हों, किस प्रकार से हम इसका फैसला करें जिससे कि शहरों का विकास भी एक प्रकार से तेज गति से हो सके। शहरों में सड़कों की बात है, ट्रैफिक बढ़ गया तो फ्लाईओवर की बात है, अण्डर पास की बात है। ब्राडगेज आ गयी इसलिए गांव के अन्दर भी जगह-जगह अण्डर पास और ओवरब्रिज की मांग होती है। तो यह मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसी प्रकार से जो जमीनें एक्वायर हो रही हैं इंडस्ट्री को लेकर या और किसी प्रोजेक्ट को लेकर, बंजर भूमि एक्वायर हो। जो कृषि योग्य भूमि है उसके लिये हम पोलिसी बनाना चाहते हैं जिससे कि कम से कम किसान की भूमि बच जाए। उससे अल्टीमेटली राजस्थान जैसे प्रदेश को जहां कृषि पर ज्यादा निर्भरता है, पहले से ही राजस्थान में 66 परसेंट रेगिस्तानी इलाका है, इस राज्य में जो उपजाऊ भूमि है दो फसली, तीन फसली एरिया वाली वह पहले से ही कम है। मैं पूरे हाउस से अपील करना चाहूंगा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जब बजट सैशन चलेगा और डिमांड पर भी बहस होगी, उस वक्त इस पर विचार आने चाहिये, जिससे हम लोग ऐसी नीति बनाएं कि अगर मजबूरी में एक्वायर करनी भी पड़े तो किसान को उस जमीन का पूरा दाम मिले, वह बर्बाद नहीं हो। हरियाणा ने और कई राज्यों ने फैसले किये हैं, हम चाहते हैं, उस दिशा में हम भी कुछ करके दिखाएं।

(श्री अशोक गहलोत)

प्रशासन गांवों के संग की आपने जो आलोचना की है, नेता प्रतिपक्ष महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि यह ऐसा अभियान रहा, कहने को तो आप कुछ भी कह दीजिए, आपको हक है क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहां बैठे हुए हैं, पर यह अभियान मैं समझता हूं कि चाहे बीजेपी थी चाहे कांग्रेस हो, अमराराम जी से मेरी बात तो नहीं हुई थी क्योंकि वह तो खुद ही वीआईपी आदमी हैं, परन्तु यह एक ऐसा अभियान था जिसकी सब पक्षों ने तारीफ की। हो सकता है कि हमने कहने के लिये कह दिया हो लेकिन तमाम एमएलए वहां खुद गये हैं, जिस एमएलए की रुचि थी। मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी के कई एमएलए ऐसे होंगे जिन्होंने एक कैम्प नहीं छोड़ा होगा, उनका इल्वाल्वमेंट रहा। जो आंकड़े आपने बताये हैं, मैं समझता हूं कि इस आलोचना की दरकार नहीं है क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में थी तब भी अभियान चले थे, हमारे वक्त में हमने भी चलाये थे। अभियान के माध्यम से भी कई बार काम अच्छे हो जाते हैं और इस बार का अभियान तो बेमिसाल रहा है। 18 विभाग के लोगों ने जो काम करके दिखाया, उसमें नामांतरण के भी, बंटवारे के भी, शुद्धिकरण के भी, मूल निवास प्रमाण-पत्र 16 लाख बन गये, जाति प्रमाण पत्र 12 लाख बन गये, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र 14 लाख बन गये पर सबसे बड़ा काम हुआ नि:शक्तजन का चिह्नीकरण, करीब 6 लाख के आस-पास का चिह्नीकरण हुआ उन लोगों का। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, हम चाहते हैं कि राजस्थान में नि:शक्तजन के लिये अलग से निदेशालय बने। उनकी जो अलग तरह की समस्याएं हैं, निदेशालय बनेगा तो वह उन समस्याओं को करीब से देखेगा, उनके लिये योजना बना पाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस अभियान में यह काम भी अपने आप में बहुत बड़ा काम हुआ है। निःशुल्क आवासीय भूखंड आबंटन भी करीब 1 लाख के आस-पास हुए हैं। तो यह प्रोग्राम जो था वह बहुत कामयाब रहा और मैं इसके लिये तमाम उन साथियों को जिन्होंने इसमें भाग लिया और जिन्होंने इसको एप्रीशियेट किया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

पुलिस एक्शन के बारे में भी आपने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, बिजली की बात भी आपने कही। बिजली के बारे में मैं आपको कह सकता हूं, बिजली के मामले में आपकी आलोचना अपनी जगह हो सकती है, कुछ भी हो, पर आज आप देखिए, दिल्ली राजधानी है वहां बिजली कटौती हो रही है। पंजाब में कटौती, हरियाणा

(श्री अशोक गहलोत)

में कटौती, गुजरात में कटौती, महाराष्ट्र में कटौती। राजस्थान में यह कोई कम बात नहीं है कि हम लोगों ने कोई बिजली कटौती नहीं बना रखी है। पांच साल तक किसानों की दरे नहीं बढ़ाएंगे, यह हमने कहा है। यह कोई कम बात है क्या? गुड गवर्नेंस के रूप में आम आदमी को चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे किसान की खेती हो, कोई बिजली कटौती हमने राजस्थान में नहीं रखी है। सूखा पड़ गया तो 1 लाख 76 हजार तो खरीफ में बिजली हमने खरीदी और क्योंकि किसान खरीफ में बर्बाद हो चुका था इसलिए रबी की फसल में 3200 करोड़ की बिजली खरीदी। उस वक्त भी हमने कमी नहीं आने दी। आज भी मैं कह सकता हूं, कटौती नहीं चल रही है। कम्पनियों पर भार बढ रहा है, कोई दो राय नहीं, हम लोगों ने रैगुलेटरी कमीशन में एप्रोच भी किया है कि प्राइस कैसे बढ़ाएं, कितनी बढ़ाएं, वह रिफार्म के बाद में सुनवाई करके फैसला करेगा, परंतु आज हमारे सामने दिक्कतें हैं, इसलिए मैं चाहूंगा, पक्ष विपक्ष मिलकर बात करें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।

पुलिस एक्शन के बारे में आपने जो बात कही, अभी हमने जो एक्शन प्लान बनाया है, वैसे तो कई घटनाएं ऐसी हो गईं, डकैती भी हो गई, डकैती पकडी भी जाती है, सौभाग्य से राजस्थान में डकैती, अपहरण की घटनाएं तत्काल पकड़ी भी गई हैं। दुर्भाग्यवश, आपने जो रेप की बात कही, उससे घटिया काम कोई हो नहीं सकता कि पुलिस कांस्टेबल का रेप ही पुलिस थाने में हो जाए, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या होगी। इसी प्रकार से एक बच्ची जयपुर में जो आत्महत्या करने के लिये चली गई तो सरकार ने फैसला करने में कोई देर नहीं लगाई। एसएचओ को अरैस्ट किया गया, हैड कांस्टेबल को अरैस्ट किया गया, सरकार ने तत्काल कार्यवाही की। इतने बड़े प्रदेश में कहीं-कहीं घटनाएं हुई हैं, पर सरकार की तरफ से साफ निर्देश है कि एसपी हो चाहे वह एडिशनल एसपी हो, सीओ हो, चाहे एसएचओ हो, मैंने यह बात कही, एसएचओ को यह जानकारी रहती है कि उस क्षेत्र में कौन क्रिमिनल लोग रहते हैं, कहां रहते हैं, किस प्रकार का क्राइम करते हैं, तो मैंने गलत तो नहीं कहा। अगर एसएचओ को मालूम नहीं तो वह एसएचओ किस काम का? क्यों बैठे हैं वहां? अगर मैं लोगों को यह मैसेज दूं कि एक्शन प्लान सरकार बना रही है और उसमें आपको काम करना है, जितने क्रिमिनल हैं उनको बाइंड करना है, उनको अरैस्ट करना है, 60 हजार एब्सकोंडर राजस्थान में सालों से हैं, किसे कहते हैं, जो भगोड़े घोषित किये हुए हैं, वे लोग 60 हजार की संख्या में होंगे, अगर मैं पब्लिक को एजुकेट करूं तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई कहे

(श्री अशोक गहलोत)

कि, साहब, आप तो सरकार में हो, आप कार्यवाही क्यों नहीं करते हो, कार्यवाही हम कर रहे हैं। पर साथ-साथ में जो सच्चाई है वह सामने ला रहे हैं, उसमें मेरे खयाल से हर्ज नहीं होना चाहिये। और मैंने वही काम किया, जानबूझकर मैंने कहा कि एसएचओ की जिम्मेदारी होगी अगर उसके क्षेत्र में अपराधी रहते हैं, वह भगोड़ा है तो उसे अरैस्ट करें। मैं समझता हूं कि गिरफ्तारियां भी हुई हैं, 5494 स्थाई वारंटों का निस्तारण हुआ, औसत निस्तारण 60 परसेंट था। इसी तरह इस अवधि में 185 उदघोषित अपराधियों व 315 भगोड़ों की गिरफ्तारी हुई है। पिछले 7 वर्षों में औसत निस्तारण 73 परसेंट और 34 परसेंट था। इस अवधि में 7 हजार से अधिक अपराधी जो अवैध शराब, अवैध हथियार, मादक पदार्थ, चौथ वसूली, पर्यटन के लपके, अवैध खनन, जुआ-सट्टा आदि से जुडे हुए थे या भू-माफिया संबंधी अपराधी थे उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई। एक शुरूआत हुई है, उसको मैं समझता हूं कि आपको एप्रीशियेट करना चाहिये। अगर सरकार इसकी शुरूआत करती है तो जरूरी नहीं कि हर बात की हम आलोचना करें। शुरूआत हुई है उसमें हमने यह नहीं कहा कि हम अभियान चलाएंगे। हमने यह कहा कि यह एक्शन प्लान है। पुलिस में यह एक्शन प्लान परमानेंट रहना चाहिये जिससे कि बार-बार यह कहने की नौबत ही नहीं आए। 30 साल से अधिक अवधि से फरार तीन उद्घोषित अपराधी...व्यवधान

श्री सभापति: आप विराजो। माननीय सदस्य विराजो। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): 10 से 20 साल से अधिक अवधि से फरार 14 अपराधी भी शामिल हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इसमें 18 व्यक्ति ऐसे थे जिनके खिलाफ जारी स्थाई वारंट 30 साल से ज्यादा अवधि से लम्बित थे, उनको भी अरैस्ट किया गया।

खेमा राम मेघवाल का जिक्र बहुत आया हाउस में और यह कहा गया कि मुख्य मंत्रीजी उसके घर क्यों गये। मैं उनके घर नहीं गया, उनके ससुराल गया हूं। उनका ससुराल हमारे क्षेत्र में है। अगर कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से प्राब्लम में हो, 7 लडकियां उसके हैं, एक लड़का है, पत्नी के दोनों कान वह मुंह से चबा कर काट गया। सात महीने वह जेल में बंद रहा, गांव में जमानत

(श्री अशोक गहलोत)

देने वाला कोई नहीं था, फिर जमानत किसी ने दी। तो अभी तक वह केस ट्रायल में है। अगर ऐसे व्यक्ति को कोई ग़लतफ़हमी है कोई तांत्रिक की, उसके कारण से उसका पूरा परिवार छोड़ कर चला गया जोधपुर, वह नागौर के मकराना का रहने वाला है, मान लीजिए, अगर मैं जोधपुर गया भोपालगढ़ के बाद में और उसके घर चला गया तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उसको अगर आप इस रूप में लेते हैं कि, साहब, वह मुख्यमंत्री की अथोरिटी का है इसलिए वह चले गये जिसने वहां दुर्व्यवहार किया। मान लीजिए अगर किसी ने हाथ उठा दिया, मुख्य मंत्री पर उठा सकते हैं, आप पर उठा सकते हैं, नेताओं के साथ तो कई बार और भी दुर्व्यवहार हो जाते हैं। हम डेमोक्रेसी के अन्दर हैं, पब्लिक का अपना अधिकार है। पर आलोचना करना, मैं समझता हूं, उचित नहीं था।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आलोचना किसी ने नहीं की, साहब।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपने तो यहां तक कहा कि उसकी चमड़ी उधेड़ दी होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, किसी ने नहीं की।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मजाक आपस में चल रही थी। नैचुरली जो मुख्य मंत्री पर हाथ उठाएगा तो पुलिस खड़ी थोड़े ही रहेगी। एक-दो तो लगाये ही होंगे। (व्यवधान) यह आपस में मजाक चल रही थी, सर। आपके खिलाफ कोई बात नहीं थी। आपने अच्छा काम किया, मानवीय काम था वह। मजाक करना बहुत से हमारे लोगों का काम है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बैठो-बैठो, एक मिनट। इसमें इतना-सा ही हुआ था, किसी ने कह दिया था कि मुख्य मंत्रीजी से मिलने खींवारामजी आये थे। अब दुःखी वह थे और वह दुःखी अपनी पत्नी से थे। तो जिससे दुःखी थे उससे मिलने के लिये गये। जिसको दुःख है उसके पास नहीं गये। यह कहा था।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): नहीं, यह नहीं कहा। खींवाराम खुद जो है, आपने कहा कि हमने मजाक में कहा, मैं मेरे चैम्बर में बैठकर आप सबके प्रवचन सुन रहा था। आपके मुंह से यह बात निकली इसलिये मैंने रिपीट कर दी। पर हमने खुद उसका ध्यान रखा। क्योंकि वह मानसिक रूप से उस वक्त भी लग गये थे, मैं खुद उसके पास गया। पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, पर मैंने छुड़ाकर जब उससे बात की तो उसमें कोई गुनाह नहीं किया।

(श्री अशोक गहलोत)

पर जो मैसेज आ रहा है पब्लिक के अन्दर, कई-कई तरह की बातें यहां पर होने लग गई जो कि उसकी जरूरत नहीं थी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आफ द रिकार्ड है, साहब, आफ द रिकार्ड है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): चलो, आफ द रिकार्ड समझो, कोई बात नहीं। आपके योजना आयोग में अभी राजस्थान गवर्नमेंट की जो आप आलोचना कर रहे थे, मैं समझता हूं, पंचायती राज को दिये पांच विभाग की...पर इन्होंने उसकी प्रशंसा की है। एक और, राव राजेन्द्रसिंहजी अभी नहीं हैं हाउस के अन्दर मेरे खयाल से, पर मैं कहना चाहूंगा कि पिछली बार जो हमने घोषणा की थी, एस.सी., एस.टी. का जो प्रोविजन है उसको नोशनल नहीं रखते हुए बाकायदा हम लोग बजट का पार्ट बनाएंगे। तो हमने कल प्लानिंग कमीशन से भी बात कर विश्वास दिलाया है कि हम अगले बजट के अन्दर एस.सी., एस.टी. का कांस्टीट्यूशन की भावना के अनुसार ही प्रोविजन करेंगे जिससे कि वह पैसा उस मद में खर्च हो जिसके लिये रखा गया है। यह हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। उसको भी एप्रिशिएट किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, एक सैकिण्ड, एक सैकिण्ड। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। लेकिन चाहे सरकार हमारी रही हो, चाहे आपकी रही हो, जो 17.6 प्रतिशत के हिसाब से इनका एलोकेशन होना चाहिए, पहले तो वह होता नहीं है। फिर जितना होता है उसका भी 20 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं होता है। आप अपने पिछले साल का रिकार्ड उठा लो, 1472 करोड़ रुपया मात्र आपने खर्च किया। बजट में प्रावधान 17 हजार करोड़ का होना चाहिए उसकी जगह 10 हजार करोड़ रखा, उसके अगेंस्ट में भी सारे बजट में जो खर्च हुआ एस.सी. और एस.टी. पर, 1472 करोड़ का हुआ। 800 करोड़ से अधिक पैसा उनका किसी न किसी दूसरी मद में जाकर हमने खर्च कर दिया। यह प्रक्रिया ठीक नहीं है, इसको सुधारना चाहिए। तभी वे हमारे बार-बार आने की स्थिति में आएंगे जब पैसा उनको लगेगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): पर मैं समझता हूं, अब जो हमने तय किया है नया सिस्टम लागू करने का, उसके बाद में यह शिकायत नहीं रहेगी। यह किया इसलिये जा रहा है कि जो दर्शाया गया है खर्च, जो प्रोविजन किया गया है, वह पूरा खर्च हो सके। मैं समझता हूं इसके बाद में चेंज कर भी

(श्री अशोक गहलोत)

नहीं पाएंगे, डिपार्टमेंट कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। वह सिस्टम हम लागू कर रहे हैं, यह मैं आपको कहना चाह रहा था।

बाकी जो बातें कुछ रखी हैं हमारे साथियों ने, उसके पहले मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो दो रुपये किलो अनाज, गेहूं देना हमने प्रारम्भ किया उसकी कुछ लोगों ने आलोचना की कि आपने 25 किलो ही कर दिया। 36 लाख परिवारों में स्टेट बी.पी.एल. को भी हमने शामिल किया है, जितने पेंशनर लोग हैं, विधवाएं हैं, नि:शक्तजन हैं, उनको एड किया उसके अन्दर और यह योजना बहुत ही कामयाब रही। उपभोक्ता सप्ताह 15 से 21 तक लागू किया, अब हम आगे करना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू है, वह बढ़ाना बहुत आवश्यक है। उसी के अभाव के अन्दर आई.एम.आर. और एम.एम.आर., शिशु मृत्यु दर और मातृ मुत्यु दर का कारण हो सकता है। आने वाले वक्त में, अभी पहले पी.डी.एस. सिस्टम से करेंगे, उसके बाद आम पब्लिक के लिये भी कम्पलसरी करना चाहते हैं फोर्टिफाइड आटा, जो कि कई राज्यों के अन्दर कर रखा है। उसी तरह से हम चाहते हैं जिससे कि उसको कम से कम न्यूट्रिशन वैल्यू वाला आटा मिल सके, यह हमारा प्रयास रहेगा।

दूसरा जो जुमला 'खजाना खाली है', वह अभी तक आप लोगों के जैसे गणेशजी को दूध पिलाने वाली बात है न, उसी ढंग की बात घुसी हुई है, क्योंकि आप लोग माइलेज के अन्दर जब चाहे गणेशजी को दूध पिला दो और पूरे देश भर के अन्दर एक साथ पीने लग जाते हैं वह। उसी ढंग से है। पिछली बार जब हम सरकार में थे तब हमने जो मैनेजमेंट किया, टाइम पर पेमेण्ट किया सैलेरी का। हर राज्य सरकार जा रही थी ओवरड्राफ्ट के अन्दर, राजस्थान भी उसमें शामिल था। हमने उसको मैनेजमेंट किया, शानदार वित्तीय प्रबन्धन किया इस कारण से तनख्वाह एक तारीख को चुकती गई। हमने मैनेजमेंट किया अकाल-सूखे का। हमने रोड्स में आर.यू.पी. की योजना लागू की उस वक्त में। पानी में, बिजली में, सड़कों में प्रयास किया कि मेन्टेन करें हम लोग, विकास रुके नहीं वित्तीय संकट के बावजूद भी। कई राज्य सरकारें ऐसी थीं जो अपनी सरकारी बिल्डिंगों को मोर्टगेज करके या बेच करके तनख्वाह चुका रही थीं। बिहार जैसे प्रदेश में तो 4-4, 6-6, 8-8 महीने तनख्वाहें नहीं चुकती थीं। मैनेजमेंट किया, पर आपने जुमला, चुनाव के पहले अच्छा कैम्पेन किया कि सरकार तो हर वक्त भीख मांगती है दिल्ली जाकर। उस बात का जवाब तो पिछली बार मैं दे चुका हूं, राठौड़ साहब को कहना

(श्री अशोक गहलोत)

चाहता हूं। चीफ व्हिप महोदय को कह चुका हूं, उसको मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगा, नहीं तो फिर आपको तकलीफ होगी। आपको जवाब देना पड़ेगा और कहीं जाकर। पर मैं यह कहना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): साहब, आप मेरी बहुत चिन्ता करते हो। यह मेरे को मालूम पड़ गया है कि इनसे तो बहुत प्रेम करते हो और मेरी चिन्ता करते हो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): चिन्ता आपकी करना जरुरी है। चिन्ता आपकी करना जरुरी है और वह आप जानते हो। मैं क्यों कर रहा हूं, वह भी आप जानते हो, वह आप ही जानते हो, और कोई नहीं जानता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह ये भी जानते हैं कि आपकी चिन्ता के कारण ही सुरक्षित हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): पर मैं यह कहना चाहूंगा कि जो उस वक्त हम नौकरियां नहीं दे पाये थे, हम बदनाम हुए। कर्मचारियों की स्ट्राइक हुई। पर जो वादे किये थे वे आपने नहीं निभाये। आने के बाद में उनको कुछ थोड़ा-बहुत दे दिया। बोनस दे दिया, साढ़े चार साल निकाल दिये। जाते-जाते आपने लीव एन्कैशमेंट दिया कर्मचारियों को। पर आपने ऐसा माहौल बना दिया कि आप तो कर्मचारियों के हितैषी हैं और हम हैं कर्मचारी विरोधी। और अगर अशोक गहलोत वापस आ गया सत्ता में, तो एक बार तो नौकरी कराना सिखाया है, अगली बार घर भेज देगा। यह जुमला आप लोगों ने खूब कसा। और खजाना खाली है, इस बार भी अभी तक दो साल हो गये, वही जुमला चला आ रहा है। (व्यवधान) तो मैंने कहा, अभी भरा हुआ ही नहीं है, हम खर्च कहां करें, यह मुसीबत है। उड़ाना एक बात है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उनके लिये दे दो आप।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): नहीं, नहीं, आप बैठिये। उड़ाना और ऐश करना, वह अलग बात है। आप सुबह-शाम खर्च कर दो भले ही हजार, दस हजार, बीस हजार। लोग खर्च करते हैं न एक-एक कमरे की नाइट, रात्रि-विश्राम में, फाइव स्टार होटलों के अन्दर बीस हजार से लगाकर दो लाख, ढाई लाख, तीन लाख तक के कमरे होते हैं होटलों के अन्दर, खर्च करते ही हैं लोग-बाग। परन्तु अगर इन्वैस्ट करना है आपको, परिसम्पत्तियां बनानी हैं तो आपको प्लानिंग करके ही खर्च करना पड़ता है। तो हम आपसे यह सलाह

(श्री अशोक गहलोत)

चाहेंगे कि आप हमें प्लानिंग करने की भी सलाह दें। हमें इस बात की खुशी होगी। पर यह कहना बंद करो कि खजाना खाली है। अभी आपको मालूम है, राजस्थान पहला राज्य है देश के अन्दर मेरे खयाल से जिसने बांसवाड़ा-डूंगरपुर की रेल लाइन कैसे बने, 1200 करोड़ रुपये हमने दिये हैं वहां पर। हमने रेल मंत्री ममता बनर्जीजी से परसों ही बात की है। हमारे चीफ सैक्रेटरी वहां पर गये, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड से बात की। हम चाहते हैं कि रतलाम-डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन बिछ जाए जिससे कि हम लोग जुड़ जाएं अहमदाबाद से भी और उस इलाके का विकास तेज गति से हो सके जहां सुपर क्रिटिकल वाला प्लाण्ट ला रहे हैं हम लोग। गैस बेस्ड डी.एम.आई.सी. प्लाण्ट लाना चाहते हैं वहां एक हजार मेगावाट का। एटोमिक पावर प्लाण्ट लगने की सम्भावना वहां पर है। पूरे आदिवासी बैल्ट में विकास तेज गति से होगा और क्योंकि मध्य प्रदेश और गुजरात का बार्डर लगता है, इन्वैस्टमेंट आने की सम्भावना बढ़ जाएगी। तो सरकार अपने खजाने से वहां पर यह काम कराना चाहती है जिससे कि वहां पर यह रेल लाइन बिछ जाए। और कंट्रीब्यूशन आधा, 50 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट देगी, एक हजार दो सौ करोड़ रुपये और जमीन जो एक्वायर करेगी उसमें करीब 150 करोड़ खर्च होगा, वह भी हमने मंजूर किया कि हम देंगे। पर आप वह रेल लाइन लाएं यहां पर, यह हमारा प्रयास है, यह मैं आपको कहना चाहता हूं, नम्बर-एक। नम्बर-2, मैट्रो के बारे में कहा गया। मैट्रो जो है, उसके बारे में कई बातें कही गईं। मैं समझता हूं कि मैट्रो होना बहुत आवश्यक है। पहला फेज जो बन रहा है वह 1200 करोड़ का बन रहा है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट 600 करोड़ रुपया लगाने जा रही है। 1250 करोड़ की स्कीम है। सैकिण्ड फेज 8500 का होगा, वह पी.पी.पी. मोड पर होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर हम लगा रहे हैं, स्वयं जन सहभागिता से। मैं समझता हूं कि हैदराबाद, मुम्बई में इसी प्रकार की योजना चल रही है। आज हम अगले 25 साल की बात सोचकर चलें क्योंकि इसमें भारत सरकार की री.जी.एफ. का फण्ड होता है, उसका हमें पैसा मिलेगा। हम चाहते हैं कि समय रहते हुए अगर यह काम पूरा हो जाता है तब जाकर हम खाली, जो हमारे माननीय सदस्य राजेन्द्र सिंहजी अभी नहीं हैं, वे कह रहे थे कि साहब, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, 10 हजार लोग यात्रा करेंगे। बैठे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। मैंने देखा नहीं। पर मैं कहना चाहूंगा कि अभी आबादी 36 लाख हो चुकी है जयपुर की, 2025 तक करीब 75 लाख होने का अनुमान है और पूरे भारत में तेजी से बढ़ने वाला जयपुर दूसरा शहर है जो पांच परसेंट

(श्री अशोक गहलोत)

औसतन वार्षिक दर से बढ़ रहा है। पापुलेशन बढ़ रही है यहां पर। वाहनों की संख्या भी 12 से 13 परसेंट तक बढ़ रही है जिसके कारण यातायात व्यवस्था की समस्या उत्पन्न अभी से होने लग गई है। उसको देखते हुए ही यह लागू किया गया है। इसमें फ्लोटिंग पापुलेशन है, जो रोज गांव से लोग आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, ट्यूरिस्ट यहां पर आते हैं, उन सबको सुविधा मिलेगी। और बनते-बनते आप खुद देखेंगे कि आज ये ट्रैफिक जो जाम रहते हैं, अगर सुविधा मिलेगी तो फिर क्यों नहीं मैट्रो में बैठेंगे लोग? बताइए? कालीचरणजी सर्राफ साहब, आप तो बोलिए कम से कम, आपके तो क्षेत्र में है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, मैट्रो तो बननी चाहिए पर उसके लिए जो 12 हजार करोड़ रुपए, आपका खजाना भरा हुआ है तो फिर ये जमीनें क्यों बेच रहे हो? ये 12 हजार करोड़ उसी में से दे दो तो काम हो जाए। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह आपके समझ में नहीं आएगी।

अच्छा, मैट्रो आने से एक तो प्रदूषण कम होगा, एनर्जी कम खर्च होगी और मैंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन का आराम होगा, तो इन तमाम बातों को सोचकर यह फैसला किया गया। और वर्ल्ड क्लास सिटी की बात हम कर रहे हैं तो वर्ल्ड क्लास सिटी कोई दो, चार, पांच साल में नहीं बनती है। ये तमाम काम होंगे तब जाकर एक सिटी डवलप होगी। राजस्थान की सिटी डवलप होनी ही चाहिए।

आपने कह दिया कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम से क्या मतलब। वहां तो अण्डरवर्ल्ड डान पैदा होते हैं, यह आपने कहा था। कहां अण्डरवर्ल्ड डान पैदा हो गये? पंजाब में कहां हो गये? यू.पी. में कहां अण्डरवर्ल्ड डान बने बैठे हैं? केरल में लागू है। खाली आप बम्बई ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बनाया है तो मजबूत करिए। कोई पुलिस कमिश्नर बनाने से समस्याओं का समाधान हो जाए, यह नहीं है। पुलिस कमिश्नर बना दिया, ठीक है। अब इसको मजबूत करने के लिए मैंने आपको कहा है। पुलिस कमिश्नर बनाया तो बम्बई में बहुत बड़ा अण्डरवर्ल्ड है, और भी बहुत बड़ा है। तो केवल पुलिस कमिश्नर से समस्या का समाधान नहीं होगा, इसको मजबूत करने पर होगा, यह मैंने कहा है। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह मैं आपसे सहमत हूं। इस बात

(श्री अशोक गहलोत)

से मैं आपसे सहमत हूं कि यह मजबूत होना चाहिए और हम मजबूत इसको करेंगे, सुदृढ़ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह मैं आपसे निवेदन कर रहा था।

दूसरा जो तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राज्य में बिजली कम्पनी महंगा कोयला क्रय कर रही है। हम तो आपकी नीति पर ही चल रहे हैं। नीति में परिवर्तन नहीं किया है और उसके अकोर्डिंग कोयला खरीदा जा रहा है। उसमें एन.टी.पी.सी., गुजरात, हिमाचल-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश की कम्पनियों की खरीद से लगभग 800 रुपये कम है। तो पता नहीं आप कहां से आकड़े लाये, किस से लाये। वह आप हमें अलग से बताएंगे तो हम उसकी भी जांच करवा लेंगे। एक तो बात यह थी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं बताऊंगा आपको।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपने कहा कि विद्युत उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। वह मैंने आपको बता ही दिया कि जो इसमें निर्माणाधीन इकाइयां थीं, उसमें काम तेजी से चल रहा है। आपके वक्त की इकाइयां थीं, 4097 मेगावाट उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। रिन्युएबल एनर्जी के मैंने आपको सब फिगर दे दिये, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा वापस इसको। बाड़मेर में राजवेस्ट का 270 मेगावाट का चालू हो चुका है। नेवेली लिग्नाइट का बीकानेर में चालू हो गया प्लांट। तो पता नहीं कहां से आपने यह जुमला कस दिया?

मेवाड़ टैक्सटाइल के बारे में पिछली बार हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मामला उठाया था। उसके अन्दर राजस्थान हाई-कोर्ट, जोधपुर में हम लोग कामयाब नहीं हो पाये, वहां गए थे, दिल्ली हाई-कोर्ट में कामयाब नहीं हो पाये और सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. फाइल की गई थी, वहां पर भी हम कामयाब नहीं हो पाये। अब जो है यह प्रकरण ऋण वसूली अधिकरण जो बना हुआ है अलग से ही, उस वक्त भी अलग से ही बना हुआ था, पर फिर भी क्योंकि आपको आशंका थी, हमने इसको उचित समझा कि इसका निराकरण होना चाहिए। आपने कहा न कि अभी सुगंध आ रही है, यह राजेन्द्र सिंह राठौड़ साहब बोल रहे थे। आपने कहा कि सुगंध आ रही है। यह आपने नहीं कहा कि दुर्गंध आ रही है। सुगंध आ रही है तो सुगंध किस तरह की होती है, वह थोड़ा हम समझना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अच्छी खुशबू हो, जो सबको मन भाए और अच्छे माहौल में काम हो, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे। हमारी सरकार के अन्दर जब हमने कहा है कि संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह, तो हमने सोचकर कहा

(श्री अशोक गहलोत)

है और लिखकर कहा है। इतने बड़े मुल्क में इतने बड़े प्रदेश में, कौन क्या कर रहा है ...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए। विराजिए।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आरोप अगर आप लगाते हैं। आरोप अगर लगाते हैं, माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब, तो आप सोच समझ कर लगाएं। खाली अपने नेता को खुश करने के लिए नहीं लगाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्षमा चाहूंगा, मैंने आरोप लगाया था कि मेवाड़ मिल रिजर्व प्राइस से कम प्राइस में आक्शन कर दी गई और एक ही दिन में आक्शन कर दी गई और उसके अन्दर भ्रष्टाचार हुआ है और वहां के मजदूरों को एक पैसा नहीं मिला, तो मैं आज भी स्टैंड कर रहा हूं। मैं किसी को राज़ी करने के लिए नहीं, मैं बोलता हूं तो मेरी कोशिश, अपनी जानकारी से बोलता हूं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ऐसा नहीं है। मैं आपको यह कह रहा हूं कि सरकार की उसमें कहां गलती है, वह बताइये। आप तो खाली...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप पता कर लीजिए कौन था?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां, ठीक है। मैं कब बुराई करता हूं? (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): जो घनश्याम तिवाड़ीजी उस दिन बोल चुके थे, आज तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपने यह बात उठाई है, आप कृपा करके मालूम कर लीजिए कि जो आक्शन करने वाली एजेंसी थी, उस पर सरकार का अंकुश था क्या? कलक्टर ने उसको मैसेज किया रोकने के लिए कि आप आक्शन आगे नहीं करें, तब भी वह नहीं रुका। इसके मायने क्या हुआ है? आप जांच कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, यह कहा है कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा। विराजिए आप।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): जोधपुर के अन्दर रीको ने पांच कम्पनियों को जमीन आबंटित करने का, तरीका आपने कहा कि गलत तरीके से हुई है। यह मैंने जानकारी प्राप्त की। जो आपकी सरकार ने नीति बनाई थी जयपुर के लिए और भिवाड़ी के लिए, उसी नीति को रीको ने, सरकार को कोई जानकारी इसकी नहीं, रीको ने खुद इसको पूरे राजस्थान में लागू किया। उसके अन्तर्गत जोधपुर की इन चार कम्पनियों को, पांच कम्पनियों को यह जमीन मिली है। पालिसी वही है हूबहू 100 परसेंट, जो आपकी थी। हालांकि उसके बाद में उसको और इम्प्रूव किया गया है। मेरे पास भी शिकायत आई थी। मैंने भी भेजा रीको के अन्दर। प्रिंसिपल सैक्रेटरी, इण्डस्ट्रीज को मैंने कहा है कि आप खुद देखो इसको, बाकी लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उसके बाद में उसकी रेट बढ़ा दी। उसकी जो रेट होती है वह उसकी बढ़ा दी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जांच करा लो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इंवेस्टमेंट जो है 20 करोड से 30 करोड़ कर दिया। वहां के बचे हुए लोगों को शिकायत भी है तो मैं इसकी जांच करवा रहा हूं और जांच करवाकर मालूम करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है।

निजी कम्पनियों पर फर्जी स्पिरिट बनाकर, अन्य राज्यों का आपने कहा है, उसके लिए सरकार ने बहुत ही कठोर कदम उठाये और करीब 8 करोड़ रुपए की पैनल्टी वसूल की गई है और कार्यवाही की जा रही है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें 16 टैंकर गये हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह दो टैंकर की कार्यवाही है, 16 टैंकर गये हैं। 8 परमिट बने हैं। यह मामूली मामला नहीं है, इस पर आप गइराई से अध्ययन करें। सिर्फ चार मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): सिर्फ चार मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य, आप मुझे बताइये कि क्या हुआ तो मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं कार्यवाही करूंगा। इन मामलों में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सदन को, कि करप्शन के मामले में या जो

(श्री अशोक गहलोत)

आप कह रहे हैं कि कोई मजदूर के साथ अन्याय हो गया, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, इस सदन के ऊपर, पूरे सदन को कि कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे, यह मैं आपको कह सकता हूं। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो आरोप आप लगाएं, आपके पास तथ्य हैं, प्रूफ हैं, आप आकर मुझे बता सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं अगर आप नहीं मिलना चाहें मुझ से, क्योंकि हो सकता है कि आपको चिंता सता रही हो कोई दूसरी, तो आप लिखकर भी भेज सकते हैं मुझे और चैम्बर में आकर मिल सकते हो, यहां तो कोई मनाही नहीं है। तो यह आप ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपसे मिलने में क्या गुरेज़ है, साहब? आपसे मिलने में क्या गुरेज है मुझे?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दिल से कोई शिकायत किसी के पास करप्शन की आए, आप निश्चित रहें, कोई कम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपके ऊपर खूब आरोप लगाये हैं। जब आरोप हमने लगाये हैं, इसलिये हमने माथुर कमीशन इंक्वायरी एक्ट के अन्तर्गत नहीं बनाया था, अच्छी परम्परा शुरू करने के लिये जिससे कि आने वाले वक्त में हो सकता है, हमारी गवर्नमेंट में हम लोग भी या आने वाली गवर्नमेंट भी कोई गलती कर बैठे, आपके वक्त में जो गलतियां हुई थीं, जिसके लिये हम खुलकर बोले और अब तो वह सिद्ध भी हो चुका है। वे लोग, आज कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई अमरीका बैठा हुआ है, उन्हें भारत सरकार ढूंढ रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुख्य मंत्रीजी, आप जिम्मेवारी से बोल रहे हैं? बिना आधार पर आपने आरोप लगाये। आपने माथुर कमीशन बनाया, माथुर कमीशन को उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय ने शट-डाउन कर दिया और इसके बाद आप कह रह हो। अगर आपको ऐसा ही कमीशन बनाना है, सदन की कार्यवाही ले लें। हमने जो आरोप लगाये हैं, उनका कमीशन और बना लो। अपने पर ही बैठा लो कमीशन।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): फिर आपको गलतफहमी है, अभी वह एस.एल.पी. वहां पर पैंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में अभी इसका फैसला नहीं हुआ है, आपको गलतफहमी है। वह फैसला क्या करते हैं... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुख्य मंत्रीजी, इसमें तो आप झेंप ही मिटा रहे हैं। इस मामले में तो आप केवल झेंप ही मिटा रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हम में अगर जेल भिजवाने वाली भावना होती, हम लोग राजनीति में आपकी तरह अनुभव नहीं रखते होंगे, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, पर मैं आपको कह दूं..(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): यह टीस दूसरी है, टीस दूसरी है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हम गलती करने वाले नहीं थे पंजाब के मुख्य मंत्री और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री की तरह। हम जानते हैं इन बातों को, और हमारा ध्येय। हमने उस वक्त भी कहा था, अगर ईमानदारी से आप दिमाग में लाएं तो, हमने कहा, हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, हम बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। हम खाली प्रोसेस के अन्दर भी, जाने-जनजाने में भी, बाहर के लोग आकर दलाली करके कम्प्यूटर में फीडिंग कर रहे थे। अब अजयपाल सिंह को नहीं छोड़ा आप लोगों ने, जो हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन था। आज सुबह मैं सोच रहा था कि जो अपहरण होता है किसी न किसी का फिजिकली, तो फिरौती मांगी जाती है, उस बेचारे का मेन्टली अपहरण कर लिया और फिरौती मांगी गयी, उसने जाकर बोम्बे में चुकाई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इतना प्रमाण, आप जैसे व्यक्ति को यह बात नहीं करनी चाहिये। चाहे अजयपाल का मामला हो, चाहे गडकरी जी की शादी का मामला हो, आप राज्य के मुख्य मंत्री हैं, आप पहले व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति हैं, आप क्या आरोप लगा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य। आप विराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मुख्य मंत्रीजी जो बातें कह रहे हैं, उन बातों को प्रमाणित करें। पहले भी कई बार कह चुके हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी उसको प्रमाणित करें। आप मुख्य मंत्री के रूप में बोल रहे हैं। राज्य का मुख्य मंत्री बोलता है तो एक हैसियत से बोलता है। संवैधानिक पद पर है।

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ओम का नाम तो इतना अच्छा नाम होता है, ओम का नाम तो ऐसा होता है। देखिये, इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो मैं बहस के लिये तैयार हूं, क्योंकि मेरे से अजयपाल सिंह जी खुद भी मिले थे, उस जमाने के अन्दर भी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप बहस कर लें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप जब चाहें अजयपाल सिंह को बुला लीजिये, मैं बैठने के लिये तैयार हूं कि क्या-क्या उन्होंने नहीं कहा। और उनकी आंखों में जो आंसू आ रहे थे, मैंने इतने बड़ी उम्र के व्यक्ति को इस प्रकार रोते कभी नहीं देखा होगा, जो उस वक्त रो रहे थे। क्या-क्या नहीं कहा? और मेरे सामने नहीं, जो उनसे मिलने गया, उस वक्त में सहानुभूति प्रकट करने के लिये गया, उन सबके सामने उनकी आंखों में आंसू आये हैं। ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): और तो और, जो उनका फार्म हाउस है, मैंने सुना है, जैसे ही आपकी पार्टी सत्ता से हटी तो अजयपाल सिंह जी के घर की सारी औरतें उस फार्म-हाउस में जाकर बैठ गयीं कि दूसरा आकर वहां पर कब्जा नहीं कर ले। (व्यवधान) आप तो और खड़े होकर बोल सकते हैं, मैं आपको इजाजत दूंगा। मैं बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका बोलना आवश्यक है। पर जो मैंने उस वक्त में कहा था, अगर आप हमें कहते हैं, आलोचना करते हैं, आप में से राव राजेन्द्र सिंहजी बोले थे, या कोई बोले थे, मुझे अच्छा लगा। आलोचना करने से सत्ता पक्ष के लोगों के दिमाग में भी आता है कि इस बात की आलोचना हो रही है। चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्य मंत्री हो, वह अपने आप के अन्दर सुधार करता है। हमने जब आरोप लगाना शुरू किया रामबाग होटल का, आपने उस वक्त में ध्यान क्यों नहीं दिया? आप लोग तो खास बने बैठे थे उस वक्त में, बात वहीं दब जाती, खतम हो जाती। क्यों उनको बम्बई शिफ्ट किया गया, क्यों वह कम्प्यूटर से सौदे कर रहे हैं यहां पर? क्यों वह लंदन भागते फिर रहे हैं? रैड कार्नर वारंट निकला हुआ है उनके प्रति। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप सरकार में बैठे हो, आपकी दिल्ली और जयपुर में सरकार है, लगाओ न हथकड़ियां।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वह पैसा आई.पी.एल. का है। राजस्थान से विदेशों में गया हुआ है। कहां से आया? डी.आर.आई. उनके पीछे पड़ी हुई है। भारत सरकार ने रैड कार्नर वारंट जारी कर रखा है। यह नौबत आती नहीं। अगर आप लोग मिलकर सही सलाह देते तो यह नौबत क्यों

(श्री अशोक गहलोत)

आती? आज पूरा राजस्थान जानता है, उस वक्त में क्या हुआ था? इसलिये आप कृपा करके मेरे पर आरोप लगाओ, आप महणोत पर लगाओ, आप कोठारी पर लगाओ, आप गहलोत पर लगाओ, आप राठौड़ पर लगाओ, आप धारीवाल पर लगाओ, आप शर्मा पर लगाओ, किसी पर लगाओ, हमें कोई चिन्ता नहीं है। हम आपको पूरी बातों का जवाब देंगे। अगर आपके ध्यान में कोई बात आए, हम तो चाहेंगे, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अगर आप आलोचना करोगे तो हमारे दिल के अन्दर आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा, यह मैं आपसे वादा करता हूं। अगर आप कहेंगे यहां बेइमानी हो रही है, तो हमारे दिल में सम्मान बढ़ेगा। कम से कम कोई हमारी आंखें खोल रहा है। जहां गलती हो रही है, हम उसको ठीक करेंगे, रोक देंगे उसको।

अभी मुर्गीखाने की बात की गयी, जो जमीन की बात की आपके सामने। अजमेर के दो किस्से आये थे, हमने तीनों किस्सों के अन्दर सिविल सूट करने के आदेश दे दिये। वहां पर सिविल सूट हो भी गया, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। और तीनों केस के अन्दर गुनाहगार कौन है, जो हमारे सामने आप लोग बैठे हुए हैं, हम लोग नहीं हैं। आपके वक्त में इन लोगों को जमीनें दी गयीं। अजमेर की जमीन आपके वक्त में दी गयी। मैं उप नेता, प्रतिपक्ष से कहना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक दिन में फाइल चली, एक दिन में आपने तीन-तीन आदेश किये, एक दिन में पहले आपने आदेश किये, फिर निरस्त किये। यह आप मत करो। हमारे भी जबान है, हम भी बोल सकते हैं क्या-क्या किया। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अब आप बैठिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): परम्परा आप भी मत डालिये, थोड़ी देर बैठकर सुनिये अब आप।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): उन नेता महोदय से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप कहेंगे तो अजमेर के जो किस्से हैं, आपकी पार्टी के लोगों ने ही कैसे फैसले किये, 20 साल से कैसे फैसले होते गये, आपकी सरकार स्टेट में कुछ कह रही है, जिनमें कुछ फैसले होते गये, वह हम आपको सब प्रोवाइड कराएंगे। आप उसको देखिये तो आपको मालूम पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट में जो गलती हुई है, आपके फैसले को लागू करने की जो गलती अभी की गयी है, इसलिये इमिजियेटली उसको निरस्त किया गया। क्योंकि आपने बड़ी

(श्री अशोक गहलोत)

चालाकी से, पिछली बार आपने मुर्गीखाने की जमीन उनको अलाट कर दी थी, हाउस में हल्ला हुआ, उस दिन मैं तो था नहीं। पक्ष-प्रतिपक्ष बोला होगा, आपकी पार्टी के लोगों ने भी कहा होगा। आपने उनको निरस्त कर दिया उस वक्त में जेडीए के अन्दर, ठीक है। यह जानते हुए भी कि जेडीए एक बार देने के बाद निरस्त नहीं कर सकता। अजमेर में भी ऐसा ही हुआ। जब आप एक बार किसी को लीज पर दे दो, तो सिविल सूट ही करना पड़ता है। अब हमने आदेश दिये हैं कि अब इस जमीन का भी सिविल सूट होगा, उन जमीनों का भी सिविल सूट होगा, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

रोहिताशजी का जवाब आ चुका, एक ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आपने हमारे गृह मंत्रीजी पर पता नहीं क्या जादू कर रखा है कि कोटा में कहते हैं, ओम शांति। ओम शांति से ही काम चलता है वहां पर। (व्यवधान) आप आये हुए हो कि यह आये हुए हैं। पर आपने कहा, बी पी एल परिवार को जमीन बेचकर इलाज करवाना पड़ रहा है। मेरे खयाल से ऐसा आरोप आपको नहीं लगाना चाहिये था।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एक मिनट बता दूं। आप बी पी एल के बारे में चिन्तित हैं इसलिये मैं कह रहा हूं। कोई भी एस.एम.एस. हास्पिटल में चला जाए, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी नौ महीने पहले नहीं हो सकती। कोटा में कार्डियक सर्जरी नहीं है, आपने जोधपुर में खोली है। नौ-नौ महीने तक अगर बी पी एल वाले की ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होगी, तो? मैंने दुरू मियां जी से कहा, 90 परसेंट ब्लाकेज बता दें, आप अगर नौ महीने बाद बाई-पास करा लें तो मैं आपको बधाई दूंगा इस बात की।

(समय : 20.00 बजे)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपकी कोई शिकायत वाजिब हो सकती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इतना बड़ा काम है, क्योंकि आज करीब 36 लाख परिवारों को, इसमें तो हमारे कल प्लानिंग कमीशन ने भी इसको एप्रिशियेट किया और इस योजना के लिये उन्होंने कहा है कि आप हमारे पास यह योजना भिजवा दीजिये। हम देखते हैं, इसको कैसे लागू करवाएं, पूरे मुल्क के लिये लागू हो सकती है क्या। बाकी राज्यों में, भारत सरकार ने जो इंश्योरेंस कम्पनी बनायी है, लेबर मिनिस्ट्री में, उसमें तीस हजार रुपये मिलते हैं प्रत्येक परिवार को एक साल के अन्दर। हमारे यहां जो योजना है उसमें बी पी एल परिवार का पूरा खर्चा, परिवार के हर सदस्य का। इनडोर का पहले था,

(श्री अशोक गहलोत)

हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद में हमने आउटडोर भी कर दिया। पी एच सी और सी एच सीज में भी कर दिया है तथा मेडिकल कालेज और डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स में है ही है। हो सकता है कि कोई व्यक्तिगत शिकायत कोई अलग से हो। उसको हम साल्व कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, पर योजना बहुत शानदार है। अगर यहां इलाज नहीं होता है तो चण्डीगढ़ पी जी आई में और एम्स, दिल्ली तक भेजने के लिए भी हमने उसमें प्रोविजन कर रखा है। हम चाहेंगे इस योजना का लाभ, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, जिस क्षेत्र का गरीब आदमी है, आप उसको भेजेंगे। उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि किसने रिकमण्ड किया है, न अभी हम यह देख रहे हैं। मुख्य मंत्री रिलीफ फण्ड में से भी चालीस परसेंट या साठ हजार रुपये, whichever is less. हमने आमदनी को चौबीस हजार से बढ़ाकर चालीस हजार किया। उसके अन्दर भी हम बेनिफिट दे रहे हैं। पाली से आने वाले पारख साहब यहां बैठे हैं या नहीं, और सांसद वगैरह कई लोग जो रिकमण्ड करते हैं, उनको लाभ मिलता है। आपने इस योजना के बारे में कहा, मैं समझता हूं, वह उचित नहीं था।

इसके अलावा आप लोगों ने जो सुझाव दिये हैं, मैंने पहले भी कहा आपको कि सरकार उनका पूरा विश्लेषण करेगी। मैं आपको एक नया सुझाव देना चाहूंगा कि सदन के अन्दर सिस्टम से यदि कोई मामला उठाएं, पार्लियामेंट के अन्दर धारा 377 के अन्तर्गत जो मैटर्स उठते हैं तो उसका जबाव मंत्री में महीना डेढ़ महीना लगता होगा, जबाव मिल जाता है। इस सदन के अन्दर भी कोई सिस्टम अगर बना दें तो संसदीय कार्य मंत्री, चीफ व्हिप साहब और आप सब बैठकर बात कर लें, कुछ सिस्टम ऐसा बन सकता हो जिससे कि और ज्यादा जानकारी हासिल हो सके। आर टी आई भी आ गया। हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, इन्टर सैशन में भी लगाते हैं। अगर सिस्टम हम इस रूप में बनाते हैं, मैम्बर वही मामला उठाएगा जो बर्निंग प्रोब्ल्म हो। एडजोर्नमेंट मोशन वही दे सकेगा जो तत्काल कोई घटना हो, सरकार का ध्यान आकर्षित करना हो। अगर आप चाहेंगे तो कोई सिस्टम ऐसा बन सकता है जिससे कि बाकायदा लिखित में उसका जबाव आपको मिल जाए, नम्बर एक। नम्बर दो, अगर आप पहले नोटिस देंगे तो हम पहले क्वैरी करवा सकते हैं जिससे कि उसका जबाव मिल जाए। मंत्री खुद जबाव दे देवें। यदि ऐसा कोई सीरियस मैटर है तो जबाव उसी दिन साथ की साथ आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि उसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा पड़ेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

ओलावृष्टि को लेकर माननीय सदस्य अमराराम जी ने जिस रूप में आज हाउस में धरना दिया, मेरी जानकारी में आया, आपको धरना देने की आवश्यकता नहीं थी। आपने कहा कि मंत्रीजी का वक्तव्य लेंगे। मंत्रीजी की पूरी तैयारी थी। पर चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह आदेश कर रखा था कि उसको नौ मार्च के बाद में रखेंगे, इस कारण से उनका जबाव यहां हो नहीं पाया। आपको यहां पर यह कष्ट उठाना पड़ा धरना देने का। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसमें तैयारी कर ली है, विभाग को निर्देश दे दिए हैं। सर्वे हो रहा है, पचास परसेंट से ज्यादा जहां भी खराबा होगा वहां पर हम लोग, ओलावृष्टि के पैकेज को तुरन्त लागू करने के लिए कह चुके हैं। फिर भी कोई कमी नहीं आएगी।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, जिसका नुकसान हुआ है उसको भी तो मिलना चाहिए। किसी को कम हुआ होगा। मान लो, किसी को 49.50 परसेंट हो गया। तो नुकसान तो उसका हो गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सर्वे हो रहा है। सर्वे के बाद में, सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही दे सकते हैं। आप जानते हो इस बात को।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, हमारा तो इतना ही कहना है कि मान लो, किसी का 45 परसेंट हो गया तो उसको भी देना चाहिए। आज तक उसको नहीं देते रहे हैं क्योंकि मौसम आधारित बीमा आपने जो लागू किया है उसमें ओलावृष्टि शामिल नहीं है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इस पाइन्ट को मैं दिखवा दूंगा। जितना सम्भव होगा उतना हम मदद करने की कोशिश करेंगे, इतना मैं कह सकता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं सदन के नेता का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, अभी इन्होंने फरमाया कि पर्ची और स्थगन का जबाव मंत्री देंगे। यह तो कह दिया, अच्छी व्यवस्था शुरू हो जाएगी लेकिन अगर कोई मंत्री गलत जबाव दे उसका क्या होगा, इसके बारे में भी स्पष्ट करो। मान लो, बार-बार गलत जबाव दें तो उसका क्या होगा?

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, उप नेता महोदय तिवाड़ी साहब ने.....

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हो गया साहब, 8 पी एम हो गये, अब छोड़ो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हो गया? You are right. बिलकुल ठीक है, 8 PM no CM.

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): 8 पी एम, गहलोत साहब सी एम।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): चलो। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उस दिन साढ़े सात घंटा बैठा रहा। हमारे तिवाड़ी साहब कह रहे थे खड़े होकर उस दिन कि सी एम ओ का कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है, कोई मंत्री नोट नहीं कर रहा है। यह कभी सम्भव नहीं है। आप तो बहुत अनुभवी हैं। हमारे डिप्टी सैक्रेटरी बैठे हुए थे। हम खुद आपको सुन रहे थे। सभी मैम्बर्स के विचार मैं सुन रहा था। साढ़े सात घंटे तब मैं बैठा रहा। सारे स्टाफ के चले जाने के बाद मैं यहां से गया हूं। सेकिण्ड डे फिर मैं बैठा रहा पांच बजे तक। मेरी जानकारी में सारी बातें आ रही थीं। हम लोग नोट करते हैं, उन पर कार्यवाही हम करेंगे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): रूरल एरियाज के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा और कह देते, गांव वाले सब दुःखी हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अभी तो डिमाण्ड्स भी आएंगी। उस वक्त भी हम लोग चर्चा करेंगे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ठीक है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): काफी वक्त हो गया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अन्त में एक बात रिपीट करते हुए बात को समाप्त करुंगा कि आगे भी आपको लगे कि कोई शिकायत आ रही है, किसी भी रूप में, तो आप मेरे ध्यान में लाएं और जो बातें आपने उठायी हैं, मैं उन सबका जबाव अभी नहीं दे पाऊंगा। वक्त नहीं है। अगर आप चाहेंगे.....

श्री विजय बंसल (भरतपुर): थाने के बगल में एक बिल्डिंग सरकारी जमीन पर बन रही है, मैं आपके पास पहुंचकर शिकायत नहीं, प्रमाण दूं तो आप कार्यवाही करेंगे?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप भी उसमें शामिल हैं। यदि आप चाहेंगे, कोई भी शिकायत, मान लीजिए, मैं किसी की बात का हाउस में जबाव नहीं दे पाया हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आरोप होगा तो उसकी जांच करवा लेंगे और जो हमें अच्छे सुझाव दिये हैं, उनका भी हम लोग ध्यान

(श्री अशोक गहलोत)

रखेंगे गुड गवर्नेंस के लिए। आप सबको और जिन्होंने भाग लिया उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मेरी बात को सुना ढंग से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि डा. रघु शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2011 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.08 बजे बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण

45. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत तीन वर्षों में राज्य सरकार ने किन-किन अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों/संस्थाओं आदि के साथ विकास कार्यों के लिये ऋण लेने के लिये आवेदन किया तथा कितनों ने उक्त आवेदन पर सहमति देते हुये राज्य को ऋण देना स्वीकार किया है?

(2) विगत तीन वर्षों में राज्य को कितना ऋण किस-किस काम के लिये किन-किन स्रोतों से प्राप्त हुआ है?

(3) राज्य सरकार को वर्ष 2009, 2010 व 2011 की वार्षिक योजना के तहत केन्द्र सरकार से कितनी-कितनी धनराशि किस-किस मद में उपलब्ध करवाई गई? वर्ष व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों/संस्थाओं से 8 परियोजनाओं हेतु ऋण लेने के लिये आवेदन किया जिसका संस्थावार विवरण परिशिष्ट-'1' पर उपलब्ध है।

उक्त 8 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाओं यथा मिटिगेटींग पावर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (एमपावर) के लिये इन्टरनेशनल फण्ड फार एग्रीकल्चर डवलपमेन्ट द्वारा एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के लिये विश्व बैंक द्वारा ऋण देने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई।

(2) विगत तीन वर्षों में राज्य को प्राप्त शुद्ध ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष - कुल प्राप्त राशि

2007-08 - रु. 3217.53 करोड़

2008-09 - रु. 5045.22 करोड़ 2009-10 - रु. 5851.34 करोड़

उक्त तीन वर्षों में प्राप्त शुद्ध ऋण का विवरण परिशिष्ट-'2' पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से वर्ष 2008-09, 2009-10

(आयोजना मंत्री)

एवं 2010-11 की वार्षिक योजना के तहत कुल उपलब्ध करवाई गई राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	- कुल प्राप्त राशि
2008-09	- रु. 2489.53 करोड़
2009-10	- रु. 1934.36 करोड़
2010-11	- रु. 2407.26 करोड़
(माह दिसम्बर, 2010 तक)	

उक्त वर्षों में केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को मदवार प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट-'3' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अन्तर्राष्ट्रीय संस्था जिसे ऋण हेतु आवेदन किया	परियोजना की अनुमानित लागत
1.	मिटिगेटींग पावर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (एम्पावर)	इन्टरनेशनल फण्ड फार एग्रीकल्चर डवलपमेन्ट	415.00
2.	राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना	विश्व बैंक	870.00
3.	250-499 जनसंख्या वाले सामान्य ग्रामों एवं 250 से कम आबादी वाले जनजातिय गांवों को सड़कों से जोड़ने की परियोजना	विश्व बैंक	2000.00
4.	बहु-राज्य कृषि विपणन में प्रतिस्पर्धा हेतु परियोजना	विश्व बैंक	950.00
5.	चम्बल-भीलवाड़ा जलापूर्ति परियोजना	विश्व बैंक	*1020.00
6.	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-द्वितीय चरण	जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.)	1152.00
7.	नागौर लिफ्ट जलापूर्ति परियोजना द्वितीय चरण	जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.)	2218.00
8.	जोधपुर शहर के लिए शहरी जलापूर्ति योजना का पुनर्गठन	एजेन्सी फ्रेन्चाइज डी डवलपमेन्ट (ए.एफ.डी.)	549.00

* विश्व बैंक से वार्तानुसार कलस्टर वितरण सिस्टम एवं सीवरेज कम्पोनेन्ट को शामिल करते हुए रु. 3025 करोड़ लागत की समन्वित जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजना प्रेषित की जा रही है।

परिशिष्ट-2

राज्य सरकार को प्राप्त शुद्ध ऋणों का विवरण

(राशि रुपये करोड़ों में)

संस्था का नाम	उद्देश्य	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
I. आन्तरिक ऋण				
1. बाजार कर्जे (रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त ऋण)	राज्य की योजनाओं हेतु	3232.80	5195.35	6111.40
2. भारतीय जीवन बीमा निगम	लघु एवं मध्यम आवासों हेतु ऋण	-185.18	-185.12	-185.00
3. भारतीय साधारण बीमा निगम	ग्रामीण आवास हेतु	-4.78	-4.70	-4.67
4. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक				
(अ) ग्रामीण आधारभूत विकास निधि	सिंचाई, सड़कें, पुल, सी.ए.डी. तथा पुनर्वास योजनाओं हेतु	443.31	583.03	663.88
(ब) दीर्घ कालीन प्रवर्तन निधि	सहकारी संस्थाओं को अंश पूजी हेतु	-1.52	-3.65	-2.77

1	2	3	4	5
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	राज्य कर्मचारियों को आवास निर्माण हेतु उधार	36.23	22.54	32.22
6. आवासन तथा नगरीय विकास निगम (HDFC)	विकासीय योजनाओं हेतु	-30.87	-25.20	-24.80
7. अन्य संस्थाओं से ऋण (बिजली कम्पनियों हेतु प्राप्त पावर बाण्डस)	विकासीय योजनाओं हेतु	-36.88	-36.88	-37.20
8. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपास अग्रिम (Ways & Means Advance)	राज्य की प्रतिदिन की प्राप्तियों और भुगतान के अन्तर को पाटने के लिए पूरे वर्ष में लिया गया अल्पावधि ऋण।	-59.21	0.00	0.00
9. अल्प बचत ऋण (National Small Savings Fund)	वर्ष के दौरान राज्य में अल्प बचत योजनाओं में निवेशित शुद्ध राशि के बदले मिलने वाला बहुउद्देश्यी य ऋण।	-222.68	-434.04	-559.44
योग-I आन्तरिक ऋण :-		**3171.22**	**5111.33**	**5993.62**
II-केन्द्र सरकार के ऋण				
1. आयोजना योजनाएं (बाह्य सहायता से प्राप्त ऋण)	राज्य की विकासीय योजनाओं हेतु	358.27	261.99	186.20
2. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (C.S.S.)	के.प्र.यो. की क्रियान्विति हेतु	3.10	-13.07	-13.47

1	2	3	4	5
3. एकीकृत ऋण (Consolidated Loan)	बहुउद्देशीय ऋण	-308.70	-308.70	-308.70
4. गैर आयोजना ऋण (Non Plan)		-6.33	-6.31	-6.29
5. केन्द्रीय आयोजना योजनाएं (C.S.P.S)		-0.03	-0.02	-0.02
योग-II केन्द्र सरकार से ऋण		**46.31**	**-66.11**	**-142.28**
कुल योग– I एवं II		**3217.53**	**5045.22**	**5851.34**

नोट-तालिका में दर्शाई गई ऋणात्मक राशियों से तात्पर्य है कि वर्ष में प्राप्तियों से अधिक भुगतान हुआ है।

परिशिष्ट-3

राज्य सरकार को वर्ष 2008-09 से 2010-11 (माह दिसम्बर, 2010 तक) में वार्षिक योजना के तहत केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि का विवरण

(राशि रुपये लाखों में)

क्र. सं.	योजना का नाम	2008-09	2009-10	2010-11 upto 31.12.10
1	2	3	4	5
क.	बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्राप्त राशि			
1.	यूनिक पहचान पत्र जारी करने हेतु प्रोत्साहन			1349.00
2.	फ्लोराइड एवं लवणीय क्षेत्र हेतु अनुदान		1812.50	
3.	शिक्षा		-	28700.00
4.	वन	500.00	500.00	1104.00
5.	विरासत संरक्षण	1250.00	1250.00	
6.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	6850.00	3495.00	
	योग	**8600.00**	**7057.50**	**31153.00**
ख.	**आयोजना योजनाएं (Plan Schemes)**			
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	39285.62	46274.25	42104.97
2.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	8916.23	9296.00	7046.87
3.	बाह्य सहायता विकास	45058.88	26134.02	8557.99
4.	बाह्य सहायता विकास-बैक टू बैक स्कीम	1449.86	8734.14	24525.16
5.	त्वरित सिंचाई लाभ योजना	22492.31	18738.55	
6.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	14316.14	15259.00	11498.00
7.	राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना	47466.52	7635.87	1328.50

1	2	3	4	5
8.	ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान	1326.00	370.20	
9.	केन्द्रीय सड़क निधि	18060.00	15891.00	14108.00
10.	जनजाति क्षेत्र उप योजना	5236.00	3400.00	7272.41
11.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान	3107.04	1500.00	6600.00
12.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	18350.20	14142.00	24808.00
13.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	11688.00	18612.00	57247.00
14.	छबड़ा ताप बिजली घर हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3000.00		
15.	ACA for Regeneration Forest		391.00	
16.	केवलादेव उद्यान को जल वितरण (गोवर्धन ड्रेन)	600.00		4476.00
	योग आयोजना	**240352.00**	**186378.03**	**209572.90**
	महायोग	**248952.80**	**193435.53**	**240725.90**

प्रतापगढ़ जिले में संचालित वन सुरक्षा समितियों के सदस्यों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे

46. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में जिला प्रतापगढ़ में कितनी वन सुरक्षा समितियां कार्यरत हैं ? तहसीलवार नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वन सुरक्षा समिति के गठन के क्या नियम/उप नियम हैं? वर्तमान में कार्यरत वन सुरक्षा समितियों के कुल कितने सदस्य हैं तथा प्रत्येक सदस्य के खाते में कितनी-कितनी राशि व्यक्तिगत रूप से जमा है एवं सुरक्षा समिति की राशि कितनी है और इस राशि के उपयोग के लिये क्या नियम हैं? वन मण्डल पीपलखूंट में आने वाली वन सुरक्षा समिति साडणी ग्राम पंचायत वीरपुर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वन सुरक्षा समिति साडणी के सदस्यों को अपनी घरेलू, इमारती एवं जलाउ लकड़ी के क्या अधिकार हैं? क्या यह सही है कि माह नवम्बर/दिसम्बर 2010 में वन सुरक्षा समिति साडणी एवं वन सुरक्षा समिति दतियार ग्राम पंचायत पण्डावा में समिति सदस्यों पर घर मालिक की अनुपस्थिति में घरों की तलाशी ली गई? यदि हां, तो किस-किस घर से कितने वर्षों पुरानी उपयोग में ली गई इमारती व जलाउ लकड़ी बरामद की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त वन सुरक्षा समितियों के किस-किस सदस्य के विरूद्ध किस-किस अपराध में किस-किस थाने में कब-कब मुकदमे दर्ज किये गये और उक्त दर्ज मुकदमों में किस-किस के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किये गये ?

उत्तर

(1) जिला प्रतापगढ़ में वर्तमान में 197 वन सुरक्षा समितियों एवं 17 पारिस्थितिकीय विकास समितियां कार्यरत हैं । तहसीलवार सूची परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' पर संलग्न है।

(2) वन सुरक्षा समिति गठन के नियम/उप नियम परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

वन सुरक्षा समिति के व्यक्तिगत खातों में समिति की आय जमा नहीं कराई जाती है । वन सुरक्षा समिति की जमा राशि का उपयोग परिशिष्ट 'ग' पर वर्णित आदेश/नियम/उप नियम के अनुसार किया जाता है ।

(राज्य मंत्री, वन)

वर्तमान में जिला प्रतापगढ़ में कुल 197 वन सुरक्षा समितियां एवं 17 पारिस्थितिकीय विकास समितियां कार्यरत हैं जिनमें क्रमशः कुल 26,624 एवं 1897 सदस्य हैं । समितियों के खातों में क्रमशः राशि रुपये 67.66 लाख एवं रुपये 9.06 लाख जमा हैं ।

वर्तमान में कार्यरत वन सुरक्षा समिति के सदस्यों की संख्या एवं वन सुरक्षा समिति के खाते में जमा कुल राशि का विवरण परिशिष्ट 'घ' पर संलग्न है ।

तहसील पीपलखूंट के ग्राम साडनी पंचायत वीरपुर का विस्तृत विवरण परिशिष्ठ 'च' पर संलग्न है ।

(3) वन सुरक्षा समिति साडनी के सदस्यों को वन खण्ड जानागढ़ के राजपत्र में प्रकाशित हकहकूक अनुसार वन उपज प्राप्त करने का अधिकार है ।

माह नवम्बर, दिसम्बर 2010 में साडनी व दतियार ग्राम पंचायत पण्डावा में घर मालिक की अनुपस्थिति में किसी भी घर की तलाशी नहीं ली गई है।

पुलिस थाना सुहागपुरा पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस विभाग एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा मय स्टाफ के संयुक्त कार्यवाही की गई । पुलिस थाना द्वारा समिति सदस्यों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण तथा जब्त लकडी का विवरण परिशिष्ट 'छ' पर संलग्न है ।

(4) उक्त वन सुरक्षा समितियों के सदस्यों के विरुद्ध पुलिस थाने में दर्ज मुकदमों का विवरण परिशिष्ट 'छ' पर संलग्न है ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर-सरिस्का टहला-दौसा मार्ग पर संचालित निगम बस सेवा

47. **श्री हेमसिंह भड़ाना** (थानागाजी): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अलवर से सरिस्का टहला होते हुए दौसा तक जाने वाली बसों का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से तथा कितनी बसें वर्तमान में संचालित हैं ?

(2) उक्त रूट पर संचालित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की संख्या घटाई जाने के क्या कारण रहे एवं कितनी बसें कब से कम की गई ? क्या सरकार उक्त मार्ग पर पुनः बसें बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । अलवर-सरिस्का-टहला होते हुए दौसा तक संचालित होने वाली बस सेवाओं की संख्या दर्शाते हुए विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है । ये बस सेवाऐं राष्ट्रीयकृत योजना वर्ष 1973 में प्रकाशित अधिसूचना के समय से ही संचालित हो रही हैं ।

(2) इस मार्ग पर संचालित निगम बसों की संख्या में वर्तमान में कोई कमी नहीं की गई है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना एवं वन विभाग के निर्देशों के क्रम में निगम द्वारा उक्त मार्ग पर संचालित वाहनों को टहला-सरिस्का (वन क्षेत्र) मार्ग के भाग पर दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से बन्द कर अन्य वैकल्पिक मार्ग होकर वाहन संचालन किया जाना प्रस्तावित है ।

परिशिष्ट-1

अलवर-सरिस्का-टहला होते हुए दौसा तक संचालित बसों का विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	समय	सेवाऐं	माह जनवरी-2011	
				आय प्रति कि.मी. (रुपयों में)	यात्रीभार (प्रतिशत में)
1.	दौसा-देहली	0700	2	2176	82
2.	देहली-दौसा	0815		2143	81
3.	दौसा-अलवर	0815		1660	68
4.	अलवर-दौसा	1255		1785	73
5.	दौसा-अलवर	1500	4	1314	54
6.	अलवर-दौसा	0745		1707	70
7.	अलवर-सैंथल	1600	2	1535	68
8.	सैंथल-अलवर	0630		1062	47
	योग		**8**		

कोटा एवं बूंदी जिले में चम्बल से पेयजल आपूर्ति

48. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सांगोद (कोटा) कस्बे में पेयजल हेतु कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिला कोटा की सांगोद, बपावर, दीगोद, कनवास, कैथून, सुल्तानपुर तथा जिला बूंदी के बूंदी शहर, तालेडा, नैनवां, हिण्डौली, केशोरायपाटन कापरेन, लाखेरी, इन्द्रगढ में चम्बल से पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिला कोटा व बूंदी के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों में भी चम्बल नदी के पानी से पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में ? प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । सांगोद कस्बे की पेयजल व्यवस्था के दीर्घकालिक समाधान हेतु काली सिंध नदी पर कोटड़ी देह पर इन्टेकवेल प्रस्तावित करते हुए शहरी जल योजना विचाराधीन है । योजना का वांछित विवरण सारांश परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है ।

(2) इस पुनर्गठित शहरी जल योजना, सांगोद की तकनीकी सहमति दिनांक 9 फरवरी, 2011 को जारी हुई है । योजना के प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु वर्तमान में विचाराधीन है ।

(3) आवश्यकतानुसार यथासमय विचार किया जावेगा ।

(4) जी हां । फिलहाल भीलवाड़ा जिले को पेयजल आपूर्ति की योजना तैयार की गई है। आवश्यकतानुसार यथासमय राज्य जल नीति की प्राथमिकताओं अनुसार अन्य जिलों को जोड़ने संबंधी निर्णय लिया जावेगा ।

परिशिष्ट "अ"

REORGANISATION OF UWSS SANGOD
GENERAL ABSTRACT OF COST

<table>
<tr><th>S. No.</th><th colspan="4">Particulars</th><th>Estimated cost (Rs. in Lacs)</th></tr>
<tr><th>1</th><th colspan="4">2</th><th>3</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="4">Provision for construction of intake well and approach with procurement and installation of 50 HP VT pumping sets (2 nos)</td><td>191.89</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td colspan="4">Provision for P, L & J of raw water rising main</td><td rowspan="3">64.40</td></tr>
<tr><td>Material</td><td>class</td><td>Dia (mm)</td><td>Length</td></tr>
<tr><td>DI</td><td>K-7</td><td>350</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="4">Provision for construction of 275 KLH water treatment plant</td><td>176.73</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="4">Provision for CWPH near WTP with pump sets</td><td>46.34</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td colspan="4">Provision for P, L & J of transmission pipe line</td><td rowspan="3">419.72</td></tr>
<tr><td>Material</td><td>class</td><td>Dia (mm)</td><td>Length</td></tr>
<tr><td>DI</td><td>K-7</td><td>300</td><td>10200.00</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="4">Construction of clear water pump house at Sangod with procurement and installation of 40 HP centrifugal pumping sets</td><td>33.55</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="4">Provision for P, L & J of distribution pipe lines for UWSS Sangod</td><td>228.67</td></tr>
<tr><td rowspan="8">8.</td><td colspan="4">Provision for construction of storage</td><td rowspan="8">278.12</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Cap.</td><td>staging</td><td>Qty</td></tr>
<tr><td>CWR at WTP</td><td>700.00</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CWR at Sangod</td><td>500.00</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>OHSR at Sangod</td><td>1200.00</td><td>18 m</td><td>1</td></tr>
<tr><td>OHSR at Sangod</td><td>300.00</td><td>18 m</td><td>1</td></tr>
<tr><td>OHSR at Laxmipura</td><td>130.00</td><td>18 m</td><td>1</td></tr>
<tr><td>GLR at Kotri</td><td>60 KL</td><td>-</td><td>2</td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="4">Provision for P, L & J of village distribution pipe lines with construction of PSP's CWT and installation of water meter</td><td>21.30</td></tr>
</table>

1	2	3
10.	Provision for construction of boundary wall, bleaching powder strore and repair of exisiting buildings etc complete job	78.44
11.	Provision for bulk water meters, road cutting and inter connection of existing to proposed pipe lines	80.00
12.	Provision for T & P	14.50
13.	Provision for artificial recharging of ground water	23.00
14.	Provision for power connection	99.83
15.	Provision for Operation and Maintenance (5 year)	99.61
	Basic cost	**1856.11**
	Contingency charges @ 5%	**92.81**
	Total Rs.	**1948.92**
	Add 11% prorata charges	**214.38**
	Total Rs.	**2163.30**

Sd./-	Sd./-	Sd./-
Executive Engineer PHED Div Ramganjmandi	**Superintending Engineer PHED circle Kota**	**Additional Chief Engineer PHED Region Kota**

जयपुर में संचालित मदिरा विक्रय केन्द्रों से प्राप्त राजस्व

49. श्री सुखराम (बसेड़ी): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर में शराब की कहां-कहां पर कितनी दुकानें तथा बीयर बार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में राज्य सरकार को शराब पर कर लगाने से कितनी राजस्व प्राप्ति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की 206 तथा देशी मदिरा की 427 दुकानें हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

इसी प्रकार जयपुर जिले में 75 रेस्टोरेन्ट बार स्वीकृत हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) विगत पांच वर्षों में राज्य सरकार को शराब पर लागू आबकारी शुल्क एवं फीस से निम्नानुसार आय प्राप्त हुई है -

(आबकारी मंत्री)

क्र.सं.	वर्ष	आबकारी फीस
1.	2005-06	1400.78 करोड़ रु.
2.	2006-07	1477.00 करोड़ रु.
3.	2007-08	1692.88 करोड़ रु.
4.	2008-09	1941.50 करोड़ रु.
5.	2009-10	2150.75 करोड़ रु.

दिनांक 01.04.2009 से भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर मूल्य परिवर्धित कर लगाये जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2009-10 में 387.40 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ढोढसर-दादिया खाटूश्यामजी सड़क निर्माण

50. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नेशनल हाईवे 11 पर ढोढसर से दादिया होकर खाटूश्यामजी तक सडक निर्माण की स्वीकृति हो गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क निर्माण के लिये अखबारों में एन.आई.टी. भी लगाई गई थी ? यदि हां, तो किस तिथि को व किस योजना मद में ?

(3) क्या यह सही है कि एन.आई.टी. प्रकाशित होने के उपरान्त भी अब तक उक्त सड़क का कार्य चालू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण कार्य को शीघ्र शुरु करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। निविदायें दिनांक 20-10-2009 को राज्य सड़क निधि मद में आमंत्रित की गई थीं।

(3) जी हां। ढोढसर दादिया होकर खाटूश्याम जी सड़क पर कार्य की स्वीकृति राज्य सड़क निधि में विचाराधीन होने के कारण स्वीकृति की

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

सम्भावना में निविदा आमंत्रित कर ली गई थी, परन्तु सीमित संसाधनों के कारण स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी। अतः कार्य नहीं कराया जा सका।

(4) जी हां। उक्त सड़क का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

रिवोकेबल पावर आफ अटार्नी के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर में कमी

51. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में Irrevocable पावर आफ अटार्नी के समान ही रिवोकेबल पावर आफ अटार्नी को भी अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना प्रस्तावित किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पंजीयन अधिनियम के तहत रिवोकेबल पावर आफ अटार्नी की नियत प्रक्रिया में संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो कब व क्या संशोधन किये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा बजट 2010-11 में रिवोकेबल पावर आफ अटार्नी के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी 2 प्रतिशत से घटाकर 0.2 प्रतिशत कर दी गई है ? क्या उक्त घोषणा को लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा उक्त बाबत परिपत्र अब तक जारी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों व इसके लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार जानबूझकर परिपत्र जारी नहीं कर सरकार की घोषणा की अवहेलना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। बजट वर्ष 2010-11 के बजट भाषण के पैरा संख्या 279 में Irrevocable Power of Attorney के समान ही रिवोकेबल पावर आफ अटार्नी के दस्तावेज का भी अनिवार्य पंजीयन किया जाना प्रस्तावित किया था।

(2) रिवोकेबल पावर आफ अटार्नी के दस्तावेज का पंजीयन अनिवार्य किये जाने हेतु पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(g) में संशोधन की प्रक्रिया में प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप विधि विभाग से विधिक्षा पश्चात भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय की स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है।

(वित्त मंत्री)

(3) जी नहीं। वर्ष 2010-11 के बजट भाषण के पैरा संख्या 279 में रिवोकेबल पावर आफ अटार्नी के दस्तावेज का पंजीयन अनिवार्य करने हेतु पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(g) में वर्तमान शब्द Irrevocable विलोपित करने के उपरान्त इस श्रेणी के दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क की दर को 2 प्रतिशत से घटाकर 0.2 प्रतिशत किया जावेगा।

(4) जी हां। पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(g) में प्रस्तावित संशोधन अभी लागू नहीं हुआ है। पंजीयन अधिनियम, 1908 एक केन्द्रीय अधिनियम है। इसके प्रावधानों में कोई भी संशोधन महामहिम राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में पंजीयन अधिनियम, 1908 में प्रस्तावित संशोधन पर भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय की अनुमति हेतु पत्र भिजवाया गया है। इस संशोधन के लागू न होने के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

पाली में औद्योगिक इकाइयों का आधुनिकीकरण/नवीन इकाइयों की स्थापना

52. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में पाली औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित जल को उपचारित करने हेतु पर्याप्त संख्या में उपचार संयंत्र लगे हुये हैं ? क्या पर्याप्त उपचार संयंत्र होने के कारण विभाग द्वारा औद्योगिक इकाइयों को स्थापना सम्मति भी जारी की जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि पाली की औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित जल को उपचारित करने के बाद भी उपचार संयंत्रों की क्षमता अधिशेष है? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने करीब साढे तीन वर्ष पूर्व उपचार संयंत्रों की कम क्षमता के कारण पाली में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं पूर्व स्थापित औद्योगिक इकाइयों के विस्तार व आधुनिकीकरण पर प्रतिबन्ध लगाया था?

(4) क्या जिला कलक्टर, पाली एवं आयुक्त उद्योग विभाग ने प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण विभाग को उद्यम ज्ञापन जारी करने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आग्रह किया था?

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(5) क्या सरकार पाली में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि में उद्यम ज्ञापन जारी करने पर लगे प्रतिबंध हटाने, पूर्व स्थापित औद्योगिक इकाइयों के उनकी पूर्व निर्धारित निस्तारित पानी की सीमा तक आधुनिकीकरण की अनुमति एवं विस्तार की अनुमति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पाली के पुराने औद्योगिक क्षेत्र (फेज प्रथम व द्वितीय तथा महावीर औद्योगिक नगर), मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र एवं पुनायता रोड औद्योगिक क्षेत्र में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन सम्मति प्राप्तशुदा इकाइयों को सम्मतिशुदा क्षमता के अनुसार उच्छिष्ट के उपचार हेतु पर्याप्त क्षमता के संयंत्र लगे हुये हैं ।

संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की क्षमता को देखते हुये राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों को स्थापना की सम्मति जारी की जा रही है ।

(2) जी हां। पाली में वर्तमान में 4 संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र, जो आपस में जुडे हुये हैं, स्थापित हैं। जिनकी कुल क्षमता 34.68 एम.एल.डी. है एवं पाली जल प्रदूषण नियंत्रण, परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन द्वारा 29.828 एम.एल.डी. की क्षमता तक उच्छिष्ट उपचार की अनुमति प्रदत्त है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां। उद्योग विभाग द्वारा इस बाबत आदेश/दिशा-निर्देश प्रचलित किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी बस संचालन से राजस्व हानि

53. **श्री रामस्वरूप कसाना** (कोटपूतली): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी बसों द्वारा यात्रियों को लाने ले जाने तथा सामान ढोकर ले जाने के कारण सरकार को करोड़ों रुपयों का मासिक नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो अब तक इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य में अवैध बस संचालन के कारण गत पांच वर्षों में कितनी-

(श्री रामस्वरूप कसाना)

कितनी राशि चालान/जुर्माने के रूप में वसूल की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में निजी बसों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से यात्रियों को लाने-ले जाने तथा सामान ढोकर ले जाने पर प्रतिबन्ध है।

नियमों का उल्लंघन कर अवैध संचालित निजी बसों के विरुद्ध विभाग द्वारा समय-समय पर विशेष चैकिंग अभियान एवं नियमित चैकिंग की जाती है।

नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के तहत् कार्यवाही की जाती है।

(2) प्रदेश में अवैध बस संचालन के कारण गत पांच वर्षों में चालान/जुर्मानों के रूप में वसूल की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-'ए' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-ए

अवैध बस/मिनी बस संचालन के विरुद्ध अभियान

(राशि लाखों में)

		बस		मिनी बस		योग	
क्र. सं.	वर्ष	चालान	प्राप्त राशि	चालान	प्राप्त राशि	चालान	प्राप्त राशि
1.	2006-07	15778	410.12	1477	19.86	17255	429.98
2.	2007-08	3009	171.66	991	45.4	4000	217.06
3.	2008-09	1905	74.68	644	12.02	2549	86.7
4.	2009-10	1979	141.02	1175	23.29	3054	164.31
5.	2010-11 (upto Rec.)	10834	200.11	424	17.5	11258	217.61

बीसलपुर बांध में चम्बल नदी से जलापूर्ति

54. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में कुल कितनी जनसंख्या है एवं मानदण्ड के अनुसार प्रतिदिन कितने पेयजल की आवश्यकता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जयपुर शहर की कुल कितनी जनसंख्या को रोजाना कितना पेयजल वर्तमान में किन-किन स्त्रोतों से उपलब्ध करवाया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में जयपुर शहर में बीसलपुर परियोजना से भी पेयजल की आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो कितने लाख लीटर पानी प्रतिदिन इस परियोजना से उपलब्ध हो रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्तमान जल आपूर्ति पर्याप्त नहीं है व भू-जल स्तर निरन्तर गिरने एवं बीसलपुर बांध भराव क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण शहर को पेयजल आपूर्ति की मात्रा निरन्तर कम होती जा रही है?

(5) क्या सरकार जयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति समस्या के स्थायी समाधान हेतु बीसलपुर बांध को चम्बल नदी से जोडने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 31.12 लाख में से पेयजल पाइप लाइनों से जुड़ी शहर की लगभग 27.98 लाख की आबादी की वर्तमान पेयजल आवश्यकता 4197 लाख लीटर प्रतिदिन है ।

(2) उपरोक्तानुसार पेयजल पाइप लाइनों से जुड़ी जनसंख्या को वर्तमान में बीसलपुर बांध से औसतन 500 लाख लीटर एवं नलकूपों से 3000 लाख लीटर, इस प्रकार कुल 3500 लाख लीटर पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है । इसके अतिरिक्त शहर में 1983 हैण्डपम्प व 176 सिंगल फेस नलकूप भी क्रियाशील हैं तथा आवश्यकतानुसार 1000 टैंकर ट्रिपों के माध्यम से भी प्रतिदिन 40 लाख लीटर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार ।

(4) जी नहीं । विगत वर्षो से लगातार कम वर्षा होने के कारण तदनुसार भू-जल पुनर्भरण की धीमी गति के फलस्वरूप भू-जल स्तर अवश्य घटा है परन्तु जयपुर शहर में वर्तमान में बीसलपुर बांध (मानसून, 2010 में पानी की आवक होने से) एवं अन्य, वर्णित जल स्रोतों से प्रतिदिन की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है ।

(5) बीसलपुर बांध में पानी की कम आवक की अवस्था में, इस पर आधारित पेयजल योजनाओं की पेयजल व्यवस्था बनाये रखने हेतु चम्बल नदी से पानी उपलब्ध करवाने की तकनीकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया है । इस रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

बुनकर सहकारी समितियों के उत्थान हेतु योजना

55. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर, चूरू एवं झुंझुनूं में कितनी बुनकर समितियां हैं ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बुनकरों को रोजगार के साधन बिलकुल न्यून हैं ? क्या सरकार इनके लिए कोई पृथक योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार बुनकरों द्वारा बुनकर समितियों पर लिये गये अचुकता ऋण माफ करने का विचार रखती है या ऋण चुकाने के लिए ऐसी कोई योजना रखती है जिससे इन्हें रोजगार के अवसर पुनः प्राप्त हों?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(4) क्या सरकार द्वारा बुनकरों को कोई सहायता दी गई है यदि हां, तो कहां-कहां तथा किन-किन समितियों को कब-कब दी गई है ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर, चूरू एवं झुंझुनूं जिले में क्रमश: 27, 32 एवं 23 कुल 82 बुनकर सहकारी समितियां है। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) बुनकरों के रोजगार सृजन हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की एकीकृत हाथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस) जिसमें कलस्टर विकास, ग्रुप एप्रोच, विपणन सहायता एवं प्रचार व प्रसार व सुदृढ़ीकरण हेतु; वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

बुनकरों के कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना एवं महात्मा गांधी बीमा योजना राज्य में क्रियान्वित की जा रही है।

इसी प्रकार बुनकरों के उत्पादों में विविधता लाने एवं उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा बुनकर पुरस्कार योजना एवं उत्पाद विविधिकरण योजना संचालित की जा रही है।

(3) राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ.18(2)उघोग /2/2010 दिनांक 23जून 2010 द्वारा एकमुश्त समझौता योजना लागू की गयी है, जिसके तहत ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम/दस्तकार/समितियों जिनमें 15000 रु. तक ऋण बकाया है तथा जो ऋण के मूल व ब्याज चुकाने में असमर्थ है को मूल व दण्डनीय ब्याज पर योजना अन्तर्गत शत प्रतिशत छूट का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।

(4) राज्य में बुनकर हाथकरघा सहकारी समितियों को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता का विवरण निम्नानुसार है :-

1. सीकर जिले की 27 हाथकरघा सहकारी समितियों को 17.84 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-2 पर अवलोकनीय है।
2. चूरू जिले की 12 हाथकरधा सहकारी समितियों को 113.13 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-3 पर अवलोकनीय है।

(सहकारिता मंत्री)

3. झुंझुनूं जिले की 15 हाथकरघा सहकारी समितियों को 4.90 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-4 पर अवलोकनीय है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

धोद की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

56. श्री पेमाराम (धोद): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में कौन-कौन सी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं?

(2) सरकार द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कब तक करवा दिया जावेगा ?

(3) राज्य में सड़कों के नवीनीकरण के क्या मानदण्ड हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) उक्त 38 सड़कों में से 8 सड़कें नवीनीकरण हेतु स्वीकृत हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है तथा शेष सड़कों पर नवीनीकरण सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगा।

(3) राज्य में सड़कों के नवीनीकरण के मानदण्ड भारतीय सड़क कांग्रेस की विशिष्टी संख्या 82-1982 एवं राजस्थान सरकार की सड़क विकास नीति 1994 में निहित है। प्रतिलिपि क्रमशः परिशिष्ट-3 व 4 पर प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कर्मचारी संघ एवं राज्य सरकार के मध्य हुए समझौते की क्रियान्विति

40. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन भत्तों में संशोधन बाबत राज्य सरकार एवं कर्मचारी संघों के मध्य वर्ष 1998 में कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समझौतानुसार मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार छठे वेतन आयोग में रही वेतन विसंगतियों का निराकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) समान बिन्दु पर अतारांकित प्रश्न संख्या 804/वित्त/अता. (तृतीय सत्र) जो श्री बाबू सिंह राठौड़ (109) सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछा गया था, का उत्तर दिनांक 20.08.2009 को निम्नानुसार भिजवाया जा चुका है:- "जी नही। राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार के समकक्ष पदों के वेतनमान के अनुरूप निर्धारित है। राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतनमान, केन्द्र सरकार के समकक्ष पदों के लिए निर्धारित वेतनमान से उच्च वेतनमान निर्धारित करने का कोई औचित्य/ आधार नहीं है।"

(2) श्रीमती कृष्णा भटनागर सेवानिवृत्त आईएएस की अध्यक्षता में गठित वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है, जो वित्त विभाग की विभागीय समिति के परीक्षणाधीन है।

पेंशनरों की चिकित्सा राशि में वृद्धि हेतु तहसीलों को अधिकार

41. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा पेंशनरों को चिकित्सा व्यय राशि की सीमा बढ़ाने के लिए किन-किन कार्यालयों को अधिकृत किया गया है ?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(2) क्या जिला मुख्यालय से बाहर रहने वाले पेंशनर/कर्मचारियों की सुविधा के लिए तहसील मुख्यालय पर भी चिकित्सा व्यय राशि की सीमा बढाने की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार तहसील मुख्यालय पर यह सुविधा देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) पेंशनरों को नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु जिला कलक्टर्स रुपये 25000/- तक की सीमा बढाने हेतु अधिकृत है। रुपये 25000/- से अधिक राशि की आवश्यकता पर न्यासी बोर्ड की कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में सदस्य सचिव, न्यासी बोर्ड अधिकृत है।

(2) जी नहीं।

राज्य में पैट्रोलियम पदार्थों पर वैट दर

42. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य में पैट्रोलियम उत्पादों पर अन्य राज्यों की तुलना में वैट की दर अधिक है ? क्या सरकार इस पर पुनर्विचार कर वैट की दर कम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश एवं गुजरात में डीजल पर कर दर राज्य की कर दर 18 प्रतिशत से अधिक है तथा पड़ौसी राज्य मध्य प्रदेश में पैट्रोल की कर दर राज्य की दर 28 प्रतिशत से अधिक है, परन्तु कुछ राज्यों में कर दर राज्य की कर दर से कम है।

राज्य एवं अन्य पड़ौसी राज्यों में पैट्रोल एवं डीजल की कर दर निम्न प्रकार है:-

(वित्त मंत्री)

राज्य	डीजल पर कर की दर	पैट्रोल पर कर की दर
दिल्ली	12.5%	20%
हरियाणा	8.80%	20%
पंजाब	8.80%	27.50%
उत्तर प्रदेश	17.23%	26.55%
मध्य प्रदेश	23%	28.75%
गुजरात	21%	23%
राजस्थान	18%	28%

राज्य में प्राप्त वैट राजस्व में लगभग एक तिहाई हिस्सा पैट्रोलियम पदार्थों पर देय कर से प्राप्त हो रहा है। कर दरों मे कमी करने से राज्य के राजस्व हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा फिर भी समस्त पहलुओं का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर राज्य सरकार द्वारा यथा समय निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न संख्या-43

(स्थगित)

प्रश्न संख्या-44

(स्थगित)

नागौर जिले के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति

45. श्री अजय सिंह (डेगाना): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सेवा में नियुक्ति देने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत दो वर्षों में जिला नागौर से संबंधित मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के कितने आवेदन पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से कितनों को नियुक्ति दे दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष रहे मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है ।

(2) गत दो वर्षों में जिला नागौर में विभिन्न विभागों में मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के कुल 151 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 92 को नियुक्ति प्रदान की गई है तथा 07 प्रकरण निरस्त किये गये हैं, शेष 52 प्रकरण विचाराधीन है । सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है ।

(3) जी हां । नियुक्ति प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर परीक्षण कर कार्यवाही की जाती है। उक्त प्रक्रिया के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियुक्ति दी जा सकेगी ।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डेगाना में स्वीकृत मदिरा केन्द्र

46. श्री अजय सिंह (डेगाना): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में अंग्रेजी व देशी शराब एवं डोडा-पोस्त की कितनी दुकानें हैं ? उक्त दुकानें किन-किन के द्वारा कहां-कहां पर संचालित की जा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जोधपुर-पाली जैसी दुखान्त घटनाओं की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा जिला नागौर के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में देशी मदिरा के 19 समूहों में 22 दुकानें एवं डोडा पोस्त की एक दुकान संचालित की जा रही है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की पृथक दुकान संचालित नहीं है। संचालित दुकानों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) नागौर जिले में अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3 पर संलग्न है ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले की पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर व्यय राशि

47. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री छोटू सिंह भाटी)

(1) जिला जैसलमेर में एस.एम. जी नहर 245 आर.डी. से 10 ग्रामों व 24 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई स्कीम पर अब तक कितनी राशि स्वीकृत हुई व उक्त में से कितनी राशि कौन-कौन से मद में व्यय हुई और कितनी व्यय करना शेष है ? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त स्कीम से कितने गांव/ढाणियों में पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से चालू कर दी गई है एवं कौन-कौन-से गांवों में सप्लाई की जाना शेष है और शेष रहे गांवों को कब तक लाभान्वित किया जावेगा ? उक्त स्कीम पर व्यय राशि से कितने गांव लाभान्वित होने थे और कितने हो पाये ? योजना राशि, खर्च राशि व शेष राशि में तुलनात्मक दृष्टि से कितने प्रतिशत व्यय हुआ व कितने प्रतिशत गांव लाभान्वित हुये ? क्या उक्त योजना का कार्य नवम्बर 2009 तक पूर्ण किया जाना था ? क्या दिसम्बर 2010 तक कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो करोड़ों रुपये व्यय करने के बावजूद अब तक लोगों को पेयजल उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है ? क्या सरकार अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नवनिर्मित डाबला जैसलमेर पाइप लाइन पेटे अब तक कितनी राशि स्वीकृत हुई व उसमें से कितनी व्यय हुई और कितनी शेष है ? खर्च बजट का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कंटींजेंसी प्लान वर्ष 2008--09, 2009-10 व 2010-11 के तहत किन-किन स्थानों में कब-कब कितने-कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? उक्त स्वीकृत कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त प्लान के तहत किये गये समस्त कार्यों की निविदा प्रक्रिया क्या-क्या व कैसे अपनाई जाती है ? उक्त समस्त कार्यों में कार्यकारी एजेन्सी कौनसी संस्था रही है एवं उक्त प्लान पेटे किये गये कार्यों में से अब तक कितने पूर्ण हो चुके हैं व कितने शेष हैं और पूर्ण किये गये कार्यों की सुचारू अथवा असुचारू व्यवस्था क्या है ?

(4) उक्त ज़िले में कितने पाइप लाइनों से सुचारु रूप से पानी नहीं पहुंच रहा है ? गत 5 वर्षों में निर्मित पाइप लाइनों की टेस्टिंग कब-कब की गई व टेस्टिंग पेटे कितना व्यय हुआ ? प्रत्येक कार्यवार टेस्टिंग की सूचना व टेस्टिंग में किस स्कीम में कितना डीज़ल व्यय हुआ ? स्कीमवार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री छोटू सिंह भाटी)

(5) गत 5 वर्षों में विभाग द्वारा सरकारी वाहन पर मेंटिनेन्स व डीज़ल खपत पर किस-किस वाहन में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई ? वाहन वार व्यय की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(6) एक सबडिवीज़न में प्रति वर्ष पावर व डीज़ल पर कितना-कितना व्यय होता है ? गत 5 वर्षों में उक्त कार्य के पेटे प्रति सब डीवीजन वार कितनी राशि व्यय हुई ?

(7) गत 5 वर्षों में सी.डब्ल्यू.आर. व एस.आर. की सफाई कब-कब व कितनी बार व किस एजेन्सी द्वारा की गई और उक्त कार्य पेटे कितनी राशि व्यय हुई ?

(8) क्या जैसलमेर मुख्यालय में विभाग के पास क्वालिटी टीम गठित है ? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त टीम में कौन-कौन से सदस्य हैं ? गत 3 वर्षों में उक्त टीम के द्वारा किये गये निरीक्षण कार्यों की तिथि वार सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(9) उक्त ज़िले के नहरी क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर फिल्टर प्लांट लगे हुये हैं और उक्त सभी प्लांटों की वर्तमान स्थिति क्या है ? उक्त में से कितने प्लांट चालू/बंद है ? वर्तमान में फिल्टर प्लांट के आसपास के कितने गांवों में प्लांट के माध्यम से पेयजल सप्लाई होती है व कितने गांवों के नजदीक प्लांट होते हुये भी नहर से सीधा रॉ वाटर सप्लाई किया जाता है ? क्या सरकार खराब प्लांटों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? भविष्य में सभी गांवों में फिल्टर युक्त पानी पहुंचाने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जायेंगे ? क्या उक्त हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सागरमल गोपा शाखा की 245 आर.डी. से 10 ग्राम एवं 24 ढाणियों में पेयजल आपूर्ति की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 463.31 लाख की माह सितम्बर, 2003 में एवं तकनीकी स्वीकृति माह जनवरी, 2005 में जारी की गई । योजना पर अब तक रुपये 565.45 लाख ए.आर.पी. (डी.डी.पी.) मद में व्यय हो चुके हैं । इस योजना से 3 ग्राम एवं 5 ढाणियों को जोड़ा जाकर इनमें पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है ।

शेष रहे 7 ग्राम व 19 ढाणियों में से 1 ग्राम व 5 ढाणियों को 40 आर.डी.-बान्धा योजना से तथा 6 ग्राम व 4 ढाणियों को नलकूपों से पेयजल

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उपलब्ध कराया जा रहा है । शेष रही 10 ढाणियों में टैंकरों के माध्यम से परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । ग्राम/ढाणीवार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है । उक्त योजना पर 122 प्रतिशत व्यय किया जाकर 30 प्रतिशत ग्राम एवं 20 प्रतिशत ढाणियों को लाभान्वित किया गया है।

यद्यपि योजना के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं लेकिन रामगढ़ से सोनू के मध्य 250 मिलीमीटर व्यास की ए.सी. पाइप लाइन के एलाइनमेन्ट के साथ-साथ राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल तथा राजस्थान स्टेट माइन्स डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन द्वारा सोनू लाइम स्टोन खदानों में अनवरत विस्फोट द्वारा खनन गतिविधियों के कारण यह लाइन स्थिर नहीं हो पाई है । इस समस्या के समाधान हेतु लगभग 5.0 किलोमीटर लम्बाई में ए.सी. पाइपों के स्थान पर जल संसाधन विभाग के पास उपलब्ध पुराने एम.एस. पाइप नि:शुल्क प्राप्त कर योजना के संशोधित प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं । खनन गतिविधियां विभाग के नियन्त्रण से बाहर होने के कारण कोई विभागीय अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है ।

(2) संवर्धन शहरी जल योजना, गजरूप सागर-जैसलमेर के अन्तर्गत वर्णित कार्य हेतु पैकेज संख्या 4 की माह नवम्बर, 2007 में जारी तकनीकी स्वीकृति में स्रोत ग्राम डाबला से जैसलमेर तक की डी. आई. राइजिंग पाइप लाइन (13 किलोमीटर) के कार्य हेतु राशि रुपये 262.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध माह जनवरी, 2011 तक 206.29 लाख रुपये की राशि स्टेट प्लान (शहरी) मद में व्यय की गई । प्रावधान अनुरूप पाइप लाइन का कार्य पूर्ण कर जैसलमेर शहर को माह अगस्त, 2008 से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है । स्वीकृति अन्तर्गत पुरानी पाइप लाइन को निकालने का कार्य प्रगति पर है जिस पर शेष राशि रुपये 55.71 लाख व्यय होनी संभावित है ।

(3) जिला जैसलमेर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 व 2009-10 में कंटिंजेंसी प्लान के अन्तर्गत स्थानवार स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं सुचारू रूप से संचालन एवं संधारण में हैं । वर्ष 2010-11 में कंटिंजेंसी प्लान में जिले हेतु कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है अपितु वर्ष 2009-10 की कंटिंजेंसी को सितम्बर, 2010 तक बढ़ाकर उक्त स्वीकृति के शेष कार्यों को वर्ष 2010-11 में पूर्ण कराया गया । उक्त वर्षों में स्वीकृत कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां तथा पेयजल संबंधी कराये गये कार्यों के संदर्भ में वांछित विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है ।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

स्वीकृत कार्यों के निष्पादन हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्य कराये गये हैं । हैण्डपम्प एवं नलकूपों के निर्माण का कार्य सरकारी रिग मशीनों/निजी संवेदकों से तथा जल परिवहन का कार्य भी सरकारी टैंकरों/निजी टैंकरों से कराया गया है । उक्त समस्त कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से ही कराये गये हैं।

(4) जिला जैसलमेर के 104 ग्राम/ढाणियों में विभिन्न कारणों यथा जल उत्पादन में कमी, कम विद्युत उपलब्धता, ग्रामीणों द्वारा पाइप लाइनों को क्षतिग्रस्त कर देने इत्यादि से वर्तमान में अंतिम छोर के ग्राम/ढाणियों में पाइप लाइनों के माध्यम से सुचारू रूप से पानी नहीं पहुंच रहा है । विगत 5 वर्षों में जल योजनाओं पर पाइप पाइन बिछाने एवं जोड़ने हेतु दिये गये कार्य आदेशों के अन्तर्गत स्वीकृत दरों में ही टेस्टिंग का कार्य सम्मिलित होने के कारण टेस्टिंग पेटे पृथक से भुगतान नहीं किया गया है । पाइप लाइनों के टेस्टिंग कार्य में डीजल संबंधी कोई व्यय नहीं किया गया ।

(5) वांछित विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है ।

(6) वांछित विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है ।

(7) वांछित विवरण परिशिष्ट-'य' पर संलग्न है ।

(8) विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) पेयजल गुणवत्ता के संबंध में:- पेयजल की गुणवत्ता के जांच के लिए विभाग में अन्य जिलों की तरह जिला जैसलमेर मुख्यालय पर प्रयोगशाला विद्यमान है जो रासायनिज्ञ (केमिस्ट) विंग के अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कार्यरत है । उक्त विंग द्वारा गत 3 वर्षों में किये गये पेयजल नमूनों की जांच का वर्षवार विवरण संलग्न है ।

(ब) निर्माण कार्यों के संबंध में:- सभी स्तर के अभियन्ताओं को उल्लिखित नार्म्स, गुणवत्ता नियन्त्रण के अन्य प्रावधान तथा कार्य के मापों की जांच सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य नियमित रूप से सम्पादित किये जा रहे हैं ।

(9) जिला जैसलमेर में नहरों पर आधारित 66 ग्रामीण जल योजनाओं में कुल 66 स्थानों पर स्थापित फिल्टर प्लांटों में से 60 फिल्टर प्लांट चालू तथा 6 फिल्टर प्लान्ट आंशिक मरम्मत के कारण वर्तमान में बंद हैं । इन 66 फिल्टर प्लान्टों से 121 ग्राम/ढाणी जुड़े हुए हैं जिनमें से वर्तमान में 6 प्लान्ट बंद होने के कारण 98 ग्राम/ढाणियों में फिल्टर प्लान्टों के माध्यम से पेयजल

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

आपूर्ति की जा रही है । शेष 23 ग्राम/ढाणियों में से 3 ग्रामों में नलकूपों के माध्यम से तथा 20 ग्राम/ढाणियों में नहरी पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । वर्तमान में बंद पड़े फिल्टरों की आवश्यक मरम्मत कर आगामी तीन माह में चालू करना प्रस्तावित है । चालू एवं बंद पड़े फिल्टरों के संबंध में विवरण परिशिष्ट-'र' पर संलग्न है ।

भविष्य में जिले के ग्रामों में फिल्टर युक्त पानी पहुंचाने के लिये पेयजल व्यवस्था के दीर्घकालीन उपायों के अन्तर्गत जिला जैसलमेर हेतु स्वीकृत 2 वृहद् पेयजल परियोजनाओं क्रमशः बाड़मेर लिफ्ट कैनाल एवं पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना में 161 एवं 177, कुल 338 ग्राम सम्मिलित हैं । इन परियोजनाओं की मुख्य ट्रांसमिशन लाइनों एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर हैं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार ग्रामों को जोड़ने का कार्य आगामी वित्तीय वर्षों में हाथ में लिया जायेगा ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चौरासी के पेयजल समस्याग्रस्त ग्राम

48. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौरासी के पेयजल समस्या से ग्रसित विकासनगर, पाडली, झोथरी, करावाड़ा, धम्बोला, झलाप, कुआं, नोलियांवाड़ा, कोचरी, डूंगरसारण, नई बस्ती बडगामा, बडगामा आदि ग्रामों में टयूबवैल (बोर) खुदवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । विधान सभा क्षेत्र के वर्णित ग्रामों में से ग्राम झोथरी व धम्बोला पाइप्ड जल योजना से तथा विकास नगर व कुआं परम्परागत जल स्रोत (टी.एस.एस.) योजना से लाभान्वित हैं । इन ग्रामों में नलकूपों/खुले कुओं से वर्तमान पेयजल आपूर्ति सुचारू एवं संतोषप्रद है ।

शेष ग्रामों की आबादी वर्तमान में बिखरी होने के कारण ये ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं तथा इन ग्रामों में पर्याप्त मात्रा में स्थापित क्रियाशील हैण्डपम्पों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । इन ग्रामों में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है ।

परिशिष्ट- 'अ'

जिला डूंगरपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरासी के प्रश्न में वर्णित ग्रामों में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण

क्र. सं.	पं. स.	गांव का नाम	विभागीय योजना का प्रकार	जनसंख्या वर्ष 2001	वर्तमान जनसंख्या	योजना का मुख्य पेयजल स्रोत	क्रियाशील हैण्डपम्प	विशेष विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	बिच्छीवाडा	विकासनगर	टी.एस.एस. (परम्परागत स्रोत)	3244	3893	दो खुले कुएं	37	यह योजना ग्राम पंचायत द्वारा संचालित है एवं वर्तमान जल सेवा स्तर 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।
2.	बिच्छीवाडा	करावाड़ा	हैण्डपम्प	1885	2262	हैण्डपम्प	23	ग्राम समिति द्वारा भी एक नलकूप से गांव में पाइप लाइन द्वारा उनके स्तर से पेयजल वितरण किया जा रहा है।
3.	डूंगरपुर	पाडली गुर्जेश्वर	हैण्डपम्प	808	970	हैण्डपम्प	10	पर्याप्त संख्या में हैण्डपम्प क्रियाशील हैं।
4.	डूंगरपुर	झोथरी	पाइप्ड	3615	4338	एक नलकूप	85	विभाग द्वारा संचालित इस योजना से वर्तमान जल सेवा स्तर 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	सीमलवाड़ा	धम्बोला	पाईप्ड	5222	6266	3 नलकूप व 2 दो खुले कुएं	73	
6.	सीमलवाडा	झलाप	हैण्डपम्प	1670	2004	हैण्डपम्प	30	बिखरी आबादी है तथा पर्याप्त हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं।
7.	सीमलवाडा	कुआं	टी.एस.एस. (परम्परागत स्रोत)	2349	2819	2 नलकूप व एक खुला कुआ	28	यह योजना ग्राम पंचायत द्वारा संचालित है एवं वर्तमान जल सेवा स्तर 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।
8.	सीमलवाडा	नोलीयावाडा	हैण्डपम्प	805	966	हैण्डपम्प	18	बिखरी आबादी है तथा पर्याप्त हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं।
9.	सीमलवाडा	कोचरी	हैण्डपम्प	1913	2296	हैण्डपम्प	45	बिखरी आबादी है तथा पर्याप्त हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं।
10.	सीमलवाडा	डूंगरसारण	हैण्डपम्प	3656	4387	हैण्डपम्प	66	बिखरी आबादी है तथा पर्याप्त हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं।
11.	सीमलवाडा	नई बस्ती	हैण्डपम्प	1542	1850	हैण्डपम्प	39	बिखरी आबादी है तथा पर्याप्त हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं।
12.	सीमलवाडा	बडगामा	हैण्डपम्प	2242	2690	हैण्डपम्प	56	बिखरी आबादी है तथा पर्याप्त हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं।

फुलेरा में प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना

49. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कस्बा फुलेरा, सांभर एवं किशनगढ़-रेनवाल में वर्तमान में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कस्बों में वर्तमान में दो-दो दिन से पानी की सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार जयपुर शहर की तरह उक्त कस्बों में भी 24 घंटे में जलापूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से गांव फ्लोराइडग्रस्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वच्छ एवं प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति किये जाने हेतु क्या कोई योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी और उनको कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कस्बा फुलेरा, सांभर एवं किशनगढ़-रेनवाल में पेयजल आपूर्ति हेतु निर्धारित 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति के मानदण्ड के विरुद्ध वर्तमान में क्रमशः 45, 50 एवं 42 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 48 घंटे के अन्तराल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

(2) जी हां । विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में भू-जल उपलब्धता की कमी एवं मानक अनुरूप गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण, फुलेरा एवं सांभर कस्बे को भू-जल स्रोतों तथा बीसलपुर बांध में जल उपलब्धतानुसार तथा किशनगढ़-रेनवाल कस्बे को भू-जल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

(3) बीसलपुर बांध में पर्याप्त जल उपलब्धता होने पर ही सांभर एवं

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

फुलेरा कस्बे में प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना सम्भव होगा। किशनगढ़-रेनवाल कस्बे की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु भू-जल सर्वेक्षण करवाकर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(4) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है ।

(5) जी हां । वांछित विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राष्ट्रीय राजमार्गों/मेगा हाइवे निर्माण के दौरान काटे गए वृक्षों से प्राप्त राशि

50. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों तथा मेगा हाइवे के निर्माण के दौरान गत 5 वर्षों में कितने-कितने पेड़ किस-किस प्रजाति के काटे गए ? उक्त पेड़ों से कितनी-कितनी लकड़ी किस-किस किस्म की प्राप्त हुई ? मार्गवार, वर्षवार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पेड़ों की कटाई से प्राप्त लकड़ी का निस्तारण किया जा चुका है ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार से कितनी-कितनी लकड़ी का तथा इससे सरकार को कितनी आय हुई ? मार्गवार, वर्षवार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में इन पेड़ों की लकडी उपलब्ध है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितनी-कितनी किस-किस किस्म की ? मार्गवार, वर्षवार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इन पेडों के मुआवजे एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा एन एच ए आई द्वारा कोई राशि जमा कराई गई ? यदि हां, तो किस कार्यालय में कब तथा कितनी ? उक्त राशि का अब तक क्या उपयोग किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों तथा मेगा हाइवे के निर्माण के दौरान गत 5 वर्षों में राजमार्गों के किनारे स्थित भूमि पर खड़े

(वन राज्य मंत्री)

पेड़ों यथा-बड़, पीपल, शीशम, सफेदा, बबूल, चुरेल, नीम आदि के लगभग 1,27,324 पेड़ों की कटाई का कार्य निर्माण कार्य कराने वाली संस्था/विभाग द्वारा करवाया गया। उक्त पेड़ों से प्राप्त लकड़ी का मार्गवार, वर्षवार, जिलेवार एवं किस्मवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां । संबंधित एजेन्सी द्वारा कटाये गये पेड़ों से प्राप्त लकड़ी का निस्तारण विभागीय कार्य मण्डलों द्वारा खुली नीलामी के माध्यम से करवाया गया। प्राप्त लकड़ी का निस्तारण एवं प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं ।

(4) जी हां । काटे गये पेड़ों के मुआवजे एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण आदि हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि द्वारा जमा कराई गई राशि का विवरण एवं इसके उपयोग का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर संभाग की सड़कों का सुदृढ़ीकरण

51. श्री सुखराम (बसेड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो जिला धौलपुर, भरतपुर, करौली की कौन-कौन सी सड़कों को कितने लाइन की सड़क बनाने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या सरकार छौकरवाड़ा से बयाना, बयाना से हिण्डौन, बयाना-भरतपुर मार्ग की सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार एवं मानदण्डों के अनुसार सड़कों के चौड़ाइकरण/लेनिंग करने का विचार रखती है। जिला धौलपुर, भरतपुर एवं करौली की जिन सड़कों का चौड़ाइकरण विचाराधीन है, का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। छौंकरवाड़ा से बयाना 35 कि.मी. लम्बी सड़क में से 19 कि.मी. (छौंकरवाड़ा से वैर) की चौड़ाई 5.50 मीटर है। इसके चौड़ाइकरण का

(राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण)

कार्य राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा। शेष 16 कि.मी. (वैर से बयाना तक) की सड़क का 3 मीटर से 7 मीटर में चौड़ाइकरण का कार्य राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत प्रगति पर है। बयाना से हिण्डौन एवं बयाना से भरतपुर मार्गों को दो लेन करने का कार्य पी.पी.पी. योजना में प्रस्तावित है एवं पूर्ण होने की अवधि, कार्य आबंटन के उपरान्त अवगत कराना सम्भव होगा।

परिशिष्ट-1

जिला धौलपुर, भरतपुर एवं करौली की सड़कें जिनका चौड़ाइकरण विचाराधीन है, का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	वर्गीकरण	लम्बाई (कि.मी.)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
	जिला धौलपुर			
1.	भरतपुर-सैंपऊ-धौलपुर सड़क कि.मी. 2/0 से 30/0	राज्यमार्ग संख्या-23	28.00	बी.ओ.टी. योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क विकास व निर्माण निगम द्वारा चौड़ाइकरण एवं सुदृढ़ीकरण प्रक्रियाधीन है।
2.	धौलपुर-राजाखेड़ा-यू.पी. सीमा तक कि.मी. 24/0 से 44/200	राज्यमार्ग संख्या-2 'ए'	20.20	अन्तरराज्यीय योजना के अन्तर्गत चौड़ाइकरण प्रस्तावित है।
	जिला भरतपुर			
1.	रामगढ़, फतेहपुर, सीकरी अपटू स्टेट बोर्डर वाया नदबई, वैर, बयाना रूदावल, बोकोली मोड-यू.पी. बार्डर सड़क	राज्यमार्ग संख्या-15	19.00	1 9 कि.मी. कार्य अन्तरराज्यीय योजना के अन्तर्गत रुदावल से यू.पी. बोर्डर तक प्रस्तावित है।

1	2	3	4	5
2.	भरतपुर-डीग-अलवर सड़क कि.मी. 0/0 से 75/300	राज्य मार्ग-14	75.30	बी.ओ.टी. योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क विकास व निर्माण निगम द्वारा चौड़ाइकरण एवं सुदृढ़ीकरण प्रक्रियाधीन है।
3.	भरतपुर-सैपऊ-धौलपुर सड़क जिला भरतपुर सीमा तक	राज्य मार्ग-23	35.00	बी.ओ.टी. योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क विकास व निर्माण निगम द्वारा चौड़ाइकरण एवं सुदृढ़ीकरण प्रक्रियाधीन है।
4.	मथुरा यू.पी. बोर्डर से भरतपुर-बयाना-हिण्डौन सड़क	राज्य मार्ग-01	76.00	पी.पी.पी. योजना के अन्तर्गत चौड़ाइकरण व सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।
	जिला करौली			
1.	मण्डरायल-करौली-हिण्डौन महुआ सड़क	राज्य मार्ग-22	65.30	बी.ओ.टी. योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य चौड़ाइकरण/पेव्ड शेल्डर का कार्य सड़क विकास व निर्माण निगम द्वारा प्रक्रियाधीन है।
2.	भरतपुर बयाना हिण्डौन सड़क	राज्य मार्ग-01	33.00	पी.पी.पी. योजना के अन्तर्गत चौड़ाइकरण (पेव्ड शोल्डर व सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।

निवाई की सम्पर्क सड़कें

52. श्री कमल बैरवा (निवाई): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील पीपलू के ग्राम राणोली से बिसालु जिला-जयपुर के बीच 4 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के निर्माण से पीपलू से जयपुर का सीधा रास्ता जुड सकता है ? क्या सरकार इस 4 किमी. मिसिंग लिंक रोड के निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील स्तर पर पीपलू में कार्यालय सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग स्थापित नहीं है ? क्या सरकार यहां उक्त कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है ? तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि निवाई तहसील के ग्राम रम्भा से तहसील पीपलू के ग्राम जयकिशनपुरा की दूरी 6-7 किलोमीटर पर सड़क निर्मित नहीं है, जिससे पीपलू के आमजन को निवाई आने के लिए वाया सोहेला होकर निवाई जाना पड़ता है और निवाई व आसपास के लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है साथ ही डिग्गी श्री कल्याणजी की पैदल यात्रा में भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है ? क्या सरकार इस मार्ग पर सड़क निर्माण तथा मासी नदी पर रपट का निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) विधान सभा क्षेत्र निवाई पीपलू में ग्राम अलीमपुरा से बोरखण्डी 7 किमी, ग्राम बगडी से पीपलू 6-7 किमी पर भी सड़कें नहीं होने से आमजन को परेशानी उठानी पड़ रही है? क्या सरकार इन मार्गों पर पक्की सड़क निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि विगत वर्षा ऋतु के दौरान अतिवृष्टि के कारण तहसील पीपलू के कई ग्रामों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थीं, जिनका सर्वे भी करवाया गया था? यदि हां, तो उनमें से अब तक कितनी सड़कों की मरम्मत कर दी गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) तहसील निवाई के ग्राम नला से तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर के ग्राम शिवाड़ के बीच लगभग 15 किलोमीटर के मार्ग पर सड़क नहीं होने से निवाई तहसील के लोगों को सवाई माधोपुर जाने हेतु 50 किमी. अतिरिक्त दूरी तय कर वाया टोंक जाना पड़ता है? क्या सरकार इस मार्ग पर सड़क निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील पीपलू के ग्राम राणोली से ग्राम बिसालु जिला-जयपुर के बीच 6 किमी. लम्बाई में सड़क निर्माण होने से पीपलू से जयपुर का सीधा रास्ता जुड़ सकता है।

जी हां। परन्तु इस सड़क का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) जी नहीं। तहसील पीपलू में कार्यालय सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग स्थापित है।

(3) जी हां। निवाई तहसील का ग्राम रम्भा एवं तहसील पीपलू का ग्राम जयकिशनपुरा डामर सड़क से जुडे हुए हैं परन्तु दोनों के मध्य 6 किमी. तक सीधा कच्चा रास्ता है। दोनों ही गांव डामर की सड़क से जुडे हुए हैं। इस रास्ते पर सड़क एवं मासी नदी पर रपट निर्माण के लिए राशि रु. 242.00 लाख की आवश्यकता होगी। इसका निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(4) जी नहीं। ग्राम अलीमपुरा, बोरखण्डी, बगडी व पीपलू पूर्व में ही डामर सड़क से जुडे हुए हैं। अलीमपुरा से बोरखण्डी एवं बगड़ी से पीपलू सीधे सड़क मार्ग से नहीं जुडे हुए हैं।

जी हां। परन्तु उक्त गांवों को आपस में सीधा जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(5) जी हां। विगत वर्षा ऋतु के दौरान अतिवृष्टि के कारण तहसील पीपलू में 257.45 कि.मी. लम्बाई की सड़कों में से 147.40 कि.मी. लम्बाई की सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई थीं। क्षतिग्रस्त सड़कों में से 89.20 कि.मी. लम्बाई की सड़कों की मरम्मत कर दी गई है, 14.90 कि.मी. के कार्य आर.आई.डी.एफ. में स्वीकृत है, 32.80 कि.मी. लम्बाई में मरम्मत कार्य प्रगति पर है तथा शेष 10.50 कि.मी. लम्बाई में मरम्मत कार्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(6) जी हां। तहसील निबाई के ग्राम नला से तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर के ग्राम सिवाड़ के मध्य वाया सिरस 14.50 किमी. कच्चा रास्ता है। इस रास्ते पर सड़क निर्माण हेतु अनुमानित लागत रु. 485 लाख है। इसका निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-1

पीपलू तहसील में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	मरम्मत योग्य लम्बाई (किमी.)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	बोली निवाई सोहेला डिग्गी रोड एम.डी.आर.-1	31.00		बाढ़ राहत मद में मरम्मत करवाया गया
2.	टोडा झिराना रोड कि.मी. 0/0 से 10/0	10.00		बाढ़ राहत मद में मरम्मत करवाया गया
3.	नाथडी पीपलू राणोली कठमाना जयसिंहपुरा रोड		21.20	आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत नवीनीकरण कार्य प्रगतिरत 2 कि.मी. आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत निविदा प्रक्रियाधीन- 5.90 कि.मी. मरम्मत कार्य प्रगतिरत 13.30 कि.मी.
4.	डारडातुर्की से बगडी रजवास रोड	11.00	5.00	आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत नवीनीकरण कार्य निविदा प्रक्रियाधीन-5.00 कि.मी.
5.	सम्पर्क सड़क काशीपुरा	2.00	2.00	आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत नवीनीकरण कार्य प्रगतिरत 2.00 कि.मी.
6.	सम्पर्क सड़क पीपलू से काशीपुरा	4.00	4.00	मरम्मत कार्य अप्रैल, 2011 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

1	2	3	4	5
7.	कुरेड़ा से ढुढियां रोड़	3.70	3.70	मरम्मत कार्य अप्रैल, 2011 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
8.	गहलोद से कुरेड़ा रोड	5.60	0.60	मरम्मत कार्य अप्रैल, 2011 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
9.	टोंक गहलोद जवाली नानेर कलमण्डा रोड ओ.डी.आर.-11	25.00	19.50	मरम्मत कार्य अप्रैल, 2011 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
10.	सोहेला डिग्गी सड़क से चौगाई	9.50		
11.	सम्पर्क सड़क हाडीखुर्द	0.40		
12.	झिराना पासरोटिया सड़क से जंवाली	13.00		
13.	पीपलू सड़क से लोहरवाड़ा	2.20	2.20	मरम्मत कार्य अप्रैल, 2011 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

शेरगढ़ तहसील की सड़कों की मरम्मत

53. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2011 तक तहसील शेरगढ़ में कौन-कौनसी सड़कों के पेचवर्क/मरम्मत पर राशि व्यय की गई ? सड़कवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(2) तहसील शेरगढ़ में कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण-सुदृढ़ीकरण अथवा मरम्मत करने हेतु कौन-कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण, मरम्मत अथवा सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2011 तक तहसील शेरगढ़ की 38 सड़कों पर पेचवर्क/मरम्मत कार्य पर रु. 431.53 लाख व्यय किया गया। सड़कवार सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) तहसील शेरगढ़ में 9 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त 9 सड़कों में से 5 सड़कों पर नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। 3 सड़कें संवेदक की गारण्टी अवधि में हैं, जिन पर संवेदक के हर्जे-खर्चे पर विभाग द्वारा मरम्मत कार्य कराया जाना प्रक्रियाधीन है। शेष 1 सड़क पर पैच मरम्मत कार्य प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। उक्त 9 सड़कों में से 5 सड़कों पर नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत है। गारण्टी अवधि की 3 सड़कों पर मरम्मत कार्य अनुबन्धानुसार किया जाना प्रक्रियाधीन है। शेष 1 सड़क राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर मरम्मत कार्य प्रगतिरत है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चूरू जिले में प्रस्तावित नहर निर्माण कार्य

54. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चूरू के कितने गांवों को सिंचाई हेतु पानी दिया जाना प्रस्तावित था और उनमें से कितने गांवों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया गया ?

(2) इंदिरा गांधी नहर परियोजना दशम खण्ड तारानगर के अन्तर्गत कुल कितने किमी की नहरें बनाई जानी प्रस्तावित थीं तथा 31 जनवरी, 2011

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तक कुल कितनी नहरें बनाई गईं व शेष नहरों के नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या उक्त जिले के लिए आबंटित 16.17 लाख हैक्टेयर सी सी ए के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 10455 हैक्टेयर सी सी ए आबंटित किया गया था ? यदि हां, तो आगामी वित्तीय वर्ष 2011-12 में इस अतिरिक्त सी सी ए के लिए क्या कार्य प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले के 150 गांवों को सिंचाई हेतु पानी दिया जाना प्रस्तावित था। उनमें से 42 गांवों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया गया है।

(2) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना दशम खण्ड तारानगर के अन्तर्गत कुल 414.37 कि.मी. नहरें बनायी जानी थीं। 31 जनवरी, 2011 तक कुल 155.20 कि.मी. नहरें बनायी गईं, शेष नहरें सीमित किये गये सी.सी.ए. 16.17 लाख हैक्टेयर की सीमा से अतिरिक्त होने के कारण नहीं बनाई गई हैं।

(3) जी हां। परियोजना के लिये सीमित किये गये 16.17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा साहवा लिफ्ट के अन्तर्गत चूरू-जिले में 10455 हैक्टेयर क्षेत्र को बढ़ाने की स्वीकृति दी गई थी। वर्तमान में आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त सी.सी.ए. के लिए कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है।

पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं का पदस्थापन

55. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभागीय आदेश क्रमांक प.15(34) ज.स./09 दिनांक 18-05-2010 द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं को पदोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो कितनों को तथा उन्हें कहां-कहां पदस्थापित किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदौन्नत अभियन्ताओं को पदोन्नति के पश्चात् नवीन पदों पर पदस्थापन आदेश जारी किए जाने में देरी की गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय आदेश क्रमांक प.15(34) ज.स./09 दिनांक 18.05.2010 द्वारा 12 कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियन्ताओं के पद

(जल संसाधन मंत्री)

पर पदाोन्नत किया गया है। पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं को संलग्न (प्रपत्र -'अ') आदेशानुसार पदस्थापित किया गया है।

(2) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में समेकित बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत प्राप्त राशि

56. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में समेकित बाल सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए राज्य स्तर व जिला स्तर पर समितियों का गठन अपेक्षित था? यदि हां, तो कितने जिलों में इन समितियों का गठन किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजना के तहत इन समितियों का गठन कब तक किया जाना प्रस्तावित था ?

(3) क्या यह सही है कि इस योजना के तहत राज्य स्तर पर भी एक समिति गठित की जानी थी ? यदि हां, तो उक्त समिति का गठन कब तक किया जाना प्रस्तावित था ?

(4) समेकित बाल सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2009-10 व 2010-11 में केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई तथा कितनी व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण सोसायटी एवं राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण सोसायटी के गठन का प्रावधान किया गया है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण सोसायटी का पंजीयन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत कराया गया है। वर्तमान में किसी भी जिले में जिला बाल संरक्षण यूनिट का गठन नहीं हुआ है, इनका गठन प्रक्रियाधीन है।

(2) उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य निष्पादित अनुबंध पत्र (एमओयू) के बिन्दु संख्या 3.7.1 के अनुसार राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण सोसायटी का गठन अनुबंध निष्पादन की तिथि से 3 माह की समयावधि में एवं बिन्दु संख्या 3.7.2 के अनुसार जिला

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

स्तर पर जिला बाल संरक्षण सोसायटी का गठन अनुबंध निष्पादन की तिथि से 6 माह की समयावधि में किया जाना प्रस्तावित था।

(3) जी हां। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य निष्पादित अनुबंध पत्र (एमओयू) के बिन्दु संख्या 3.7.1 के अनुसार राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को गठन अनुबंध निष्पादन की तिथि से 3 माह की समयावधि में किया जाना प्रस्तावित था। उक्त सोसायटी का पंजीयन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत कराया जा चुका है, गठन प्रक्रियाधीन है।

(4) समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत वर्ष 2009-10 में प्राप्त राशि एवं व्यय राशि निम्नानुसार है:-

प्राप्त राशि	व्यय राशि
22507035	15690250

वर्ष 2010-11 में केन्द्र सरकार से अंशदान राशि प्रतिक्षित है।

प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक मण्डल का गठन

57. श्री कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक मंडल का गठन किया गया है? यदि हां, तो बोर्ड के कार्यकारिणी की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बोर्ड के माध्यम से किन-किन गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है? विगत दो वर्षों में इस बोर्ड द्वारा क्या-क्या कार्य किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बाड़मेर जिले में वृद्धावस्था आश्रम खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में दिनांक 5 जून, 2002 को "राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड" का गठन किया गया है। बोर्ड के कार्यकारिणी की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के गठन के आदेश की प्रति

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों के मनोनयन आदेश परिशिष्ट "स-1" एवं "स-2" पर संलग्न है।

(2) बोर्ड का कार्य वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के विषय में सरकार को परामर्श देना तथा राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन तथा उसके सम्बन्ध में विशेष रूप से बनाये गये कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अवगत कराना है।

(3) बाड़मेर जिले में राज्य सरकार की वृद्धाश्रम योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वृद्धाश्रम खोलने पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा। जिला बाड़मेर में वृद्धाश्रम संचालित करने हेतु भारत सरकार की योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्था नेहरू नवयुवक मण्डल ग्राम पोस्ट काश्मीर, तहसील शिव जिला बाड़मेर का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। राज्य सरकार भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वय सेवी संस्था के माध्यम से वृद्धाश्रम संचालित कर सकेगी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सहकारी बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को ऋण हेतु मानदण्ड

58. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो कितना व निर्धारित लक्ष्य में से कितना ऋण वितरित किया गया ?

(2) राज्य में स्वयं सहायता समूह के तहत किस-किस जिले में कितना-कितना ऋण वितरित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सहकारी बैंकों द्वारा राज्य में स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण करने का कोई मानदण्ड निर्धारित है? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु राज्य सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को रूपये 100.00 करोड का ऋण वितरण करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसकी शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के क्रम में राज्य की सहकारी बैंक द्वारा समस्त केन्द्रीय

(सहकारिता मंत्री)

सहकारी बैंकों को 150.00 करोड़ रुपये के लक्ष्य दिये गये हैं। निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्व 31.01.2011 तक 59.74 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये जा चुके हैं ।

(2) स्वयं सहायता समूह के तहत वितरित ऋण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य में स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण करने हेतु निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट-2 पर संलग्न है ।

परिशिष्ट-1

The Rajasthan State Cooperative Bank Ltd., Jaipur
Statement showing the position of SHGs advances against targets by DCCBs during 2010-11
(1 April, 10 to 31 Jan., 11)

(Rs. In Lacs)

S. No.	Name of DCCB	Financial Target		
		Targets for the year 2010-11	Achivement against Targets Upto 31 Jan., 11	% Achieve-ment
1	2	3	4	5
	Ajmer Zone			
1.	Ajmer	1000.00	176.00	17.60
2.	Bhilwara	481.00	400.22	83.21
3.	Nagaur	712.00	255.76	35.92
4.	Tonk	88.00	8.05	9.15
	Total	**2281.00**	**840.03**	**36.83**
	Bharatpur Zone			
1.	Alwar	638.00	669.29	104.90
2.	Bharatpur	900.00	1.45	0.16
3.	S. Madhopur	788.00	105.27	13.36
	Total	**2326.00**	**776.01**	**33.36**

1	2	3	4	5
	Bikaner Zone			
1.	Bikaner	531.00	160.61	30.25
2.	Churu	463.00	148.95	32.17
3.	Hanumangarh	475.00	253.15	53.29
4.	S. Ganganagar	700.00	299.35	42.76
	Total	**2169.00**	**862.06**	**39.74**
	Jaipur Zone			
1.	Dausa	262.00	117.01	44.66
2.	Jaipur	625.00	448.50	71.76
3.	Jhunjhunu	487.00	193.74	39.78
4.	Sikar	506.00	308.10	60.89
	Total	**1880.00**	**1067.35**	**56.77**
	Jodhpur Zone			
1.	Barmer	868.00	354.07	40.79
2.	Jaisalmer	200.00	29.18	14.59
3.	Jalore	475.00	88.61	18.65
4.	Jodhpur	600.00	105.00	17.50
5.	Pali	675.00	198.59	29.42
6.	Sirohi	250.00	44.44	17.78
	Total	**3068.00**	**819.89**	**26.72**
	Kota Zone			
1.	Baran	463.00	231.91	50.09
2.	Bundi	425.00	101.70	23.93
3.	Jhalawar	506.00	243.18	48.06

1	2	3	4	5
4.	Kota	400.00	121.23	30.31
	Total	1794.00	698.02	38.91
	Udipur Zone			
1.	Banswara	231.00	119.49	51.73
2.	Chittorgarh	544.00	389.36	71.57
3.	Dungarpur	188.00	55.29	29.41
4.	Udaipur	519.00	346.76	66.81
	Total	**1482.00**	**910.90**	**61.46**
	G. Total	**15000.00**	**5974.26**	**39.83**

परिशिष्ट-2

दी राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि., जयपुर

स्वयं सहायता समूह को ऋण देने के लिए नाबार्ड/शीर्ष बैंक स्तर से जारी परिपत्रों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड निम्न प्रकार हैं—

1. एक समूह कम से कम 10 तथा अधिकतम 20 सदस्यों का होना चाहिए। आमतौर पर समूह पुरुष अथवा महिलाओं के होते हैं। मिश्रित समूह भी बनाये जा सकते हैं।
2. स्वयं सहायता समूह छोटे-छोटे किसान, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर, छोटे दुकानदार एवं समान सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के महिला/पुरुष बना सकते हैं।
3. स्वयं सहायता समूह द्वारा गठन के उपरान्त स्थानीय सहकारी बैंक/ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक में बचत खाता खोलना आवश्यक है।
4. स्वयं सहायता समूह द्वारा चार माह तक बचत करके आपसी लेन-देन समूह के सदस्यों के मध्य करने के पश्चात् वे किसी भी बैंक से ऋण लेने के लिए पात्र हो जाते हैं।
5. स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरण किये जाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 4-6 माह से पूर्व उनका बचत खाता बैंक में खुला हुआ हो। समूह की गठन की तारीख से यदि समूह निरन्तर रूप से जमायें प्राप्त कर आंतरिक ऋण वितरण का कार्य कर रहे हैं तो गुणवत्ता के आधार पर समूह को ऋण वितरित किया जा सकता है।

बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले के अभावग्रस्त घोषित ग्राम

59. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2010-11 में राज्य के किस-किस जिले में अतिवृष्टि/अनावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा ? क्या सरकार द्वारा इस संबंध में गिरदावरी कराई गई है? यदि हां, तो किस जिले की कितनी तहसीलों में कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में वर्ष 2010-11 में खरीफ की फसल के खराबे से कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-11 में अनावृष्टि से राज्य के बांसवाड़ा जिले की तहसील बांसवाड़ा के 339, तहसील बागीडोरा के 308, तहसील घाटोल के 145, व तहसील गढ़ी के 210 गांवों को एवं डूंगरपुर जिले की तहसील सागवाड़ा के 247 गांवों में 50 प्रतिशत अथवा अधिक फसल खराबा पाये जाने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया है। अतिवृष्टि आपदा राहत निधि मानदण्डो के अनुसार अधिसूचित प्राकृतिक आपदा नहीं है।

(2) वर्ष 2010-11 में खरीफ की फसल के खराबे से जिला बांसवाड़ा के 1002 व डूंगरपुर के 247 कुल 1249 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया, जिनकी सूची (परिशिष्ट-1) संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जमवारामगढ़ में निगम बस सेवा

60. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर से जमवारामगढ़, आंधी, भानपुरकलां, थली, डांगरवाडा आदि कस्बों के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बस सेवाएं प्रतिदिन संचालित होती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में उक्त बसों का संचालन प्रतिदिन नहीं होने के कारण यात्रियों को प्राइवेट बसों में यात्रा करनी पड़ती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा निगम की बसों को नियमित रूप से संचालित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल मीणा)

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जयपुर से जमवारामगढ़ के लिए लो फ्लोर बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर से जमवारामगढ, आंधी, भानपुरकलां, डांगरवाडा आदि के लिये दैनिक 164 सेवाऐं संचालित की जा रही हैं जिनका विवरण परिशिष्ट- ''1'' पर संलग्न है ।

जमवारामगढ़ पंचायत समिति के थली गांव के लिये पृथक से निगम की कोई बस संचालित नहीं है ।

(2) निगम द्वारा प्रश्न के भाग संख्या ''1'' पर अंकित स्थानों के लिये निर्धारित बसों का नियमित संचालन किया जा रहा है ।

(3) J.N.N.U.R.M. के तहत बसों की उपलब्धता के उपरान्त जमवारामगढ़ हेतु लो फ्लोर बसों का संचालन पर नगरीय विकास विभाग से विचार विमर्श कर समुचित कार्यवाही की जा सकेगी ।

परिशिष्ट-1

जमवारामगढ़, आंधी, भानपुरकलां, डांगरवाड़ा आदि कस्बों के लिये निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	संचालित परिचक्र
1	2	3
1.	बडी चौपड़ से खवा वाया जमवारामगढ़	8
2.	बड़ी चौपड़ से धौलाई वाया जमवारामगढ	8
3.	बड़ी चौपड़ से जमवारामगढ़, इन्द्रगढ़ वाया रायपुरा	12
4.	बड़ी चौपड़ से बाहू वाया जमवारामगढ	8
5.	बड़ी चौपड़ से थानागाजी वाया जमवारामगढ़	4
6.	बड़ी चौपड़ से बहलोद वाया जमवारामगढ़	6
7.	बड़ी चौपड़ से मेंहगी वाया जमवारामगढ़	6
8.	बड़ी चौपड़ से रायसर वाया जमवारामगढ़	6

1	2	3
9.	बड़ी चौपड़ से टहला, तलाब वाया आंधी	4
10.	बड़ी चौपड़ से जमवारामगढ़, डांगरवाडा वाया सायपुरा	10
11.	बड़ी चौपड़ से मानपुर वाया सायपुरा	10
12.	बड़ी चौपड़ से घाटा वाया ढण्ड, मानपुरा	8
13.	बड़ी चौपड़ से टोडामीणा वाया ढण्ड, मानपुरा	8
14.	बड़ी चौपड़ से बिलोद वाया ढण्ड, मानपुरा	8
15.	बड़ी चौपड़ से टोडामीणा-पाली वाया ढण्ड, मानपुरा	10
16.	बड़ी चौपड़ से निमी वाया ढण्ड, मानपुरा	8
17.	बड़ी चौपड़ से पापड वाया लाली	10
18.	बड़ी चौपड़ से नायला-राहोरी-पापड वाया लांगडियावास	12
19.	बड़ी चौपड़ से वादियावाला वाया सायपुरा-लाली	12
20.	बड़ी चौपड़ से नकची घाटी वाया कानोता-नायला	6
	योग	**164**

चौमूं के निगम बस सेवा रहित ग्राम

61. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्रामीण क्षेत्र में रोडवेज बसों को चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में रोडवेज बसों को चलाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या घोषणा की क्रियान्विति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर की सभी ग्राम पंचायतों में रोडवेज की बसें संचालित हैं ? यदि हां, तो किराया सूची, समय सारणी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

(4) पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के किन राजस्व ग्रामों में रोडवेज सेवा उपलब्ध नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बसों का संचालन परिशिष्ट "1" के अनुसार किया जा रहा है तथा शेष स्थानों के लिये प्रयासरत है ।

(2) राज्य की ग्राम पंचायतों को रोडवेज बसों के साथ-साथ निजी बस सेवाओं से यथासम्भव जोड़े जाने की घोषणा के अनुसार निगम द्वारा 128 नई ग्राम पंचायतों एवं निजी बस सेवाओं द्वारा 359 ग्राम पंचायतों सहित कुल 487 ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ा जा चुका है । शेष ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ की 42 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 34 ग्राम पंचायत मुख्यालय रोडवेज सेवाओं से जुड़े हुये हैं। किराया सूची, समय सारणी परिशिष्ट "2 से 12" पर संलग्न है ।

(4) पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के निगम बस सेवा से वंचित राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट "13" के अनुसार संलग्न है ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में निजी वाहनों से पथकर की वसूली

62. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में निजी वाहनों के पंजीयन के समय वाहनों की अधिकतम आयु सीमा मानकर पथकर (रोड टैक्स) एक बार ताउम्र वसूले जाने की प्रक्रिया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा वाहनों की कितनी उम्र मानी हुई है ? वाहनवार विवरण सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कर (रोड टैक्स) वाहनों के सड़क पर चलाये जाने की एवज में अग्रिम रूप से वसूल किये जाने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो किस कारण से रोड टैक्स वसूले जाने की व्यवस्था है ?

(3) एक बारीय पथकर वसूले जाने के पश्चात भी निजी वाहनों (चौपहिया) से टोल टैक्स किन नियमों के तहत वसूला जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पथकर के अतिरिक्त पंजीयन शुल्क भी

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

वाहनों को पंजीकृत करते समय वसूला जाता है? यदि हां, तो किस दर से? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह भी सही है कि प्रति लीटर पैट्रोल एवं डीजल पर टैक्स वसूला जा रहा है? यदि हां, तो किस दर पर?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत् निजी वाहनों से एक बारीय कर वसूला जाता है। नियमों में वाहनों की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

(2) राज्य में उपयोग किये जाने या उपयोग हेतु रखे गये वाहनों से कर वसूल किया जाता है। राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 के नियम 4 के अन्तर्गत वाहनों का कर अग्रिम रूप से वसूल किये जाने का प्रावधान है। सम्बन्धित नियम की छाया प्रति (परिशिष्ट '1' पर) संलग्न है।

(3) निजी वाहनों से टोल टैक्स की वसूली परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाती है।

(4) जी हां। वाहनों से पंजीयन शुल्क केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के तहत् निर्धारित दर से वसूल किया जाता है। सम्बन्धित नियम की छाया प्रति (परिशिष्ट '2' पर) संलग्न है।

(5) परिवहन विभाग से सम्बन्धित नहीं है। सम्बन्धित विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वन क्षेत्र में निर्मित हवाई पट्टियां

63. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में गत पांच वर्षों में अकाल राहत या नरेगा के तहत कितनी हवाई पट्टियां बनाई गईं? उक्त हवाई पट्टियां बनाते समय कितनी हवाई पट्टियों को हवा की दिशा का ध्यान रखकर नहीं बनाई गईं, कितनी हवाई पट्टियां वन क्षेत्र में बनीं?

(2) क्या यह सही है कि हवाई पट्टियां बनाने हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये ? यदि हां, तो क्या उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र हवाई पट्टियां बनाने से पूर्व प्राप्त किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्रति सहित हवाई पट्टी का कार्य चालू करने की तिथि सहित विवरण मय मस्टररोल की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत एवं नरेगा के तहत कोई हवाई पट्टी नहीं बनवाई गई।

(2) बिंदु संख्या 1 के उत्तर अनुसार ।

प्रतापगढ़ जिले में ग्रामोद्योग के कार्य हेतु कार्यकारी एजेन्सी

64. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नव गठित प्रतापगढ़ जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यों को किस एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है ? ग्रामोद्योग बोर्ड का जिला कार्यालय प्रतापगढ़ मुख्यालय पर अब तक किन कारणों से संचालित नहीं किया जा रहा है ?

(2) वर्ष 2008-09 व 2009-10 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की उद्योगों की अनुसूची में से प्रतापगढ़ जिले के किस-किस ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक सहायता दी गई? वर्षवार व तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नवगठित प्रतापगढ़ जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यों को जिलाधिकारी (खादी) जिला उद्योग केन्द्र चित्तौड़गढ़ तथा पंचायत समिति, प्रतापगढ़ जिले में पदस्थापित एवं सम्बन्धित ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी के माध्यम से सम्पन्न कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जिला उद्योग केन्द्र, प्रतापगढ़ के लिए आदेश दिनांक 05.01.2011 से पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर खादी बोर्ड के आदेश क्रमांक 4449 दिनांक 28.01.2011 के अनुसार जिला प्रतापगढ़ में जिला कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(2) वर्ष 2008-09 में प्रतापगढ़ जिले का कोई व्यक्ति लाभान्वित नहीं है।

वर्ष 2009-10 में निम्नानुसार व्यक्ति लाभान्वित हैं-

तहसील धरियावद

1. श्रीमती त्रिसंध्या राव पत्नि श्री रविन्द्र सिंह निवासी धरियावद, सीमेन्ट पाइप निर्माण

तहसील छोटी सादड़ी

2. श्री मांगीलाल पुत्र रामचन्द्र जणवा निवासी गोठडा, मसाला इकाई

अनुदानित संस्कृत शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों का शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त अन्य राजकीय विभागों में समायोजन

65. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में राजस्थान शैक्षणिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 लागू कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा के ग्रामीण सेवाओं में न जाकर गैर सरकारी विद्यालयों/ अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत रहने वाले शिक्षकों व अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों के विरुद्ध दी जा रही अनुदान राशि दी जावेगी?

(3) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा के गैर सरकारी अनुदानित विद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त नियम 2010 के तहत ग्रामीण सेवा में जाने पर उनकी नई सेवा नियुक्ति की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनकी पुरानी सेवाओं को सेवा अवधि में मानकर राज्य सेवा में समायोजित करने का विचार रखती है ?

(4) वर्तमान में उक्त अनुदानित विद्यालयों/महाविद्यालयों एवं राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं ? अनुदानित संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों एवं राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का तुलनात्मक संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य में कुल कितने गैर सरकारी अनुदानित विभिन्न स्तर के संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय हैं ? राज्य सरकार द्वारा इन्हें प्रति वर्ष कितनी राशि अनुदान में दी जाती है ?

(6) राज्य में कुल कितने संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में हैं और उनमें किन-किन विषयों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार उक्त विद्यालयों/महाविद्यालयों में विषय अध्यापकों के पद रिक्त न होने पर उक्त नियमों के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मियों को उसी वेतनमान में राज्य सरकार के अन्य विभागों में दूसरे पदों पर भी लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस पद पर ? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 दिनांक 01 फरवरी, 2011 से लागू कर दिए गए हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 में नियमों में अनुदान देने अथवा नहीं देने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी हां।

(4) वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग के अनुदान प्राप्त कर रहे 41 विद्यालयों/महाविद्यालयों में 6573 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा 1504 राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में 1,59,562 छात्र अध्ययनरत हैं।

(5) संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन वर्तमान में विभिन्न स्तर के 46 अनुदानित संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय हैं। वर्ष 2009-10 में 4.25 करोड रू. का अनुदान दिया गया हैं।

(6) संस्कृत शिक्षा विभाग में ग्रामीण क्षेत्र में 3 आचार्य, 12 शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, 88 वरिष्ठ उपाध्याय एवं 112 प्रवेशिका विद्यालय संचालित हैं जिनमें विषयानुसार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद	विषय	रिक्त पदों की संख्या
व्याख्याता, महाविद्यालय	संस्कृत वांगमय	04
	साहित्य	02
	हिन्दी	05
	अंग्रेजी	02
	राजनीति विज्ञान	07
वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड प्रथम	राजनीति विज्ञान	02
	यजुर्वेद	01
	विज्ञान	03
	सामान्य व्याकरण	09
	व्याकरण	03

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

पद	विषय	रिक्त पदों की संख्या
	साहित्य	04
अध्यापक ग्रेड-II	हिन्दी	17
	गणित	62
	विज्ञान	51
	सामाजिक विज्ञान	30
	संस्कृत	66
	अंग्रेजी	18

(7) जी नहीं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सिवाना में कृषक सहायता के लम्बित प्रकरण

66. श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसानों को कृषि कार्य करते समय मृत्यु या घायल होने पर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो किस-किस योजना में कितनी राशि दी जाती है ? योजना के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना के भी विभिन्न योजनाओं में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2010 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए और किस-किस व्यक्ति को सहायता प्रदान की गई तथा कितनों को दी जानी शेष है और कितने प्रकरण किस कारण से निरस्त किये गये ? कृषि उपज मण्डी समितिवार नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत सहायता राशि दी जाती है। नियमों की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति, बालोतरा एवं बाड़मेर मण्डी समिति का क्षेत्र आता है। इन मण्डी समितियों में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2010 तक 34 आवेदन पत्र सहायता राशि हेतु प्राप्त हुए। योजना में कवर नहीं होने के कारण 4 आवेदन पत्र निरस्त हुए तथा 4 आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण कार्यवाही प्रक्रियाधीन तथा शेष 26 आवेदनों में कुल 12,20,000/- रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई। व्यक्तिवार दी गई सहायता राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-39 का विवरण)

अनुपूरक सूचना

1. सर्वप्रथम ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़ के दानदाता श्री ओमप्रकाश, श्री अमरनाथ चांवला, श्री रामचरण साहू प्रतिनिधि ग्रामीण संस्थान, लक्ष्मणगढ़ द्वारा 63486 वर्गफुट भूमि में बस स्टैण्ड विकसित एवं निर्मित कर नि:शुल्क रूप से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को दान में देने का अनुबन्ध निगम से किया। निगम द्वारा इस सम्बन्ध में स्टाम्प ड्यूटी में छूट की स्वीकृति भी वित्त विभाग से अप्रैल 2005 में प्राप्त कर ली। ग्राम पंचायत द्वारा इस भूमि का नि:शुल्क पट्टा निगम के पक्ष में जारी करने का प्रस्ताव दिनांक 28.01.2006 को पारित किया गया।

2. लेकिन इन दानदाताओं एवं अन्य दानदाताओं द्वारा दान-पत्रों के माध्यम से बस स्टैण्ड हेतु निगम के बजाय लगभग 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत, लक्ष्मणगढ़ को दान कर दी गई। ग्राम पंचायत, लक्ष्मणगढ़ के पत्र संख्या SPLT दिनांक 04.05.2005 द्वारा इस भूमि में से 1 बीघा भूमि पर रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण करवाकर कुछ शर्तों के अध्याधीन निगम को बस संचालन हेतु सुपुर्द करना था।

3. कस्बा लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में इस बस स्टैण्ड निर्माण हेतु विधायक कोष (विधायक श्री जगत सिंह की अनुशंसा पर) से वर्ष 2006-07 में राशि 5.00 लाख रुपये स्वीकृत हुए, इस राशि से ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़ द्वारा स्टैण्ड की जमीन के तीन तरफ (सड़क की तरफ की साइड को छोड़कर) 2.5 फुट ऊंची चारदीवारी निर्माण एवं मिट्टी भराई का कार्य 15.08.2008 तक पूर्ण करवाया गया।

4. बस स्टेण्ड भवन निर्माण हेतु विधायक कोष से वर्ष 2006-07 में राशि 5.00 लाख रुपये की अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृति जारी और जारी हुई, लेकिन बस स्टैण्ड निर्माण का एस्टीमेट अधिक होने के कारण वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई एवं आगे भवन निर्माण का कार्य नहीं करवाया गया। शेष निर्माण एवं सुविधाओं का कार्य करवाया जाकर शर्तों के अध्याधीन उपर्युक्त बस स्टेण्ड निगम को बस संचालन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाया जाना है।

5. बस स्टैण्ड से निगम की बसें संचालित होने के लिए बस स्टैण्ड पर यात्रियों

के लिए सामान्य जन सुविधाएं एवं कार्यालय भवन एवं शैड आदि अपेक्षित है। उक्त सुविधायें वर्तमान में इस बस स्टैण्ड पर उपलब्ध नहीं होने से बस स्टैण्ड के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाता है जिसके कारण निगम की बसों का संचालन यहां से नहीं हो पा रहा है।

6. विकास अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के अनुसार वर्तमान में प्रस्तावित भूमि पर बस स्टैण्ड भवन निर्माण हेतु निगम द्वारा अनुमोदित माडल के अनुसार अनुमानित 25-30 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।

7. वर्तमान में इस स्थान पर घास एवं झाड़ियां खड़ी हैं तथा सड़क एवं बस स्टैण्ड की जमीन के बीच नाली है, जिसका पटाव एवं जमीन की सफाई करवाई जाकर बसें खड़ी की जा सकती हैं, जिसके लिए ग्राम पंचायत को वित्तीय संसाधनों का प्रावधान करना होगा।

8. निजी बसों के लिए कोई नियत स्थान नहीं है। निजी बसों से किसी व्यक्ति की निजी जमीन से संचालित होती हैं। रोडवेज बसों को खड़ा करने हेतु पुलिस द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बावड़ी-मालाखेड़ा रोड पर एवं पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, कठूमर रोड़ पर वैकल्पिक ठहराव बनाया गया है एवं निगम के वाहन गोल चक्र बस स्टाप/भगतसिंह सर्किल पर ठहराव करते हैं।

9. कस्बा लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि का स्वामित्व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पास नहीं है एवं न ही स्वामित्व निगम को हस्तान्तरित हुआ है। निगम द्वारा स्वयं के संसाधनों से स्वयं के स्वामित्व वाले बस स्टैण्डों पर ही निर्माण की कार्यवाही की जाती है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण निगम की ग्राम पंचायत स्तर पर बस स्टैण्ड बनाने एवं उनके रख-रखाव की योजना नहीं है। सामान्यत: पंचायत स्तर पर बस स्टैण्ड जन-सहयोग या स्थानीय निकाय द्वारा ही निर्मित किये जाते हैं। निगम द्वारा इस सम्बन्ध में कोई व्यय भार वहन नहीं किया जाता है।

परिशिष्ट-2

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख)

पाली में नयी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में आ रही कठिनाइयां

महोदय जी,

मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की बात तो करती है परन्तु उद्यमियों की समस्याओं को गम्भीरता से नहीं लेती है ना ही उनका निराकरण करती है पाली औद्योगिक नगरी है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से गैर औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ी इकाइयों को बंद कर उन्हें पुनायता स्थित नये औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड पूर्ववती भाजपा सरकार द्वारा आबंटित किये गये थे रीको पाली को केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जुलाई 2009 में पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई उसके बाद रीको द्वारा मात्र एक माह में निर्माण प्रारम्भ करने एवं छह माह में उत्पादन शुरू करने का समय दिया गया। जिन इकाइयों ने इस अवधि में निर्माण एवं उत्पादन शुरू नहीं किया उन्हें इकाइयों को रीको पाली द्वारा क्यों नहीं आपका आबंटन निरस्त कर दिया जाये इस आशय का नोटिस जारी किया गया जब कि रीको द्वारा पूर्व में अन्य औद्योगिक क्षेत्र में जो भूखण्ड आबंटित किये थे उसमें निर्माण की अवधि दो वर्ष एवं उत्पादन शुरू करने की अवधि चार वर्ष दी गई थी। हाल ही में दी गई अवधि व्यवहारिक नहीं है कृपया इस अवधि को बढ़ावा जावे।

साथ ही उद्योग विभाग द्वारा मण्डिया रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में उद्यम ज्ञापन भाग प्रथम व द्वितीय जारी नहीं किया जा रहा है जिससे उद्यमियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले कई कार्यों से वंचित रहना पड़ रहा है वर्तमान में पाली में प्रदूषित जल को उपचारित करने हेतु पर्याप्त मात्रा में उपचार संयंत्र लगे हुए हैं जिला कलक्टर पाली ने भी उद्यम ज्ञापन जारी करने हेतु आयुक्त उद्योग एवं प्रमुख शासन सचिव पर्यावरण को अर्धशासकीय पत्र लिखे फिर भी अब तक उद्यम ज्ञापन जारी करने पर रोक नहीं हटाई गई है। नारंगी श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को भी उद्यम ज्ञापन जारी नहीं किये जा रहे हैं जबकि उनका प्रदूषित जल निस्तारण शून्य है। कृपया उद्यम ज्ञापन जारी करने पर लगी रोक को हटाने का श्रम करे।

इसके अतिरिक्त दी राजस्थान माइको स्माल एंड मिडियम एन्टरप्राइजेज डवलपमेंट स्कीम 2008 के तहत सरकार द्वारा ई.टी.पी. स्थापित करने पर 50 प्रतिशत राशि अनुदान देने की घोषणा की गई थी। जिस इकाई द्वारा ई.टी.पी. लगाया गया घोषणा के बावजूद दो वर्ष बाद भी उन्हें अनुदान राशि नहीं दी गई जिससे अन्य कई औद्योगिक इकाइया जो ई.टी.पी. लगाने को इच्छुक थीं उन्होंने अपना इरादा बदल दिया कृपया घोषित अनुदान राशि शीघ्र दिलवावें ताकि और भी ई.टी.पी. लग सके।

हाल ही में लगे उद्योग मेले के दौरान जिला कलक्टर द्वारा नये निवेशकताओं को आमंत्रित कर उनके सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें हजारों करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आये थे जिनके लिये नया गांव के पास घोषित नये औद्योगिक क्षेत्र को शीघ्र विकसित कर भूखण्डों का उचित मूल्य निर्धारित कर शीघ्र ही भूखण्ड आबंटन की प्रक्रिया चालू की जाये ताकि उद्योग लगाने के इच्छुक व्यक्ति अपना उद्योग लगा सकें।

ज्ञानचन्द पारख

(पाली)

सीकर में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं मेरे जिले सीकर में गत मंगलवार दिनांक 15 फरवरी, 2011 को शाम को अचानक हुई भारी ओलावृष्टि से जिले के किसानों के खेतों में खड़ी फसल के हुए नुकसान के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मंगलवार को शाम छह बजे जिले के अनेक इलाकों में भारी ओलावृष्टि होने से किसानों के खेतों एवं सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई। कई इलाकों में जौ, सरसों व प्याज की फसल नीचे गिर गई जिससे किसान अचानक पीड़ा से ग्रसित हो गया है, उसकी महीनों की मेहनत पर पल भर में ही पानी फिर गया है। उसके जीविकोपार्जन का एकमात्र रास्ता उससे छिन गया है। इन बड़े-बड़े बर्फ के ओलों से खडी फसल को ही सबसे अधिक नुकसान हुआ है। जिले के गोकुलपुरा, मंडावरा, नला के बालाजी, कटराथल, बेरी, मूंडवाडा, पिपराली, दूजोद एवं लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के अनेक ग्रामों में बीस मिनट से अधिक हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है,

इसी तरह लापुआ, नीमेड़ा, सेवा की ढाणी, बावड़ी, गुहाला, चला आदि ग्रामों में भी ओले पड़े हैं।

ओलावृष्टि की हालत यह थी कि घरों की छतें व सड़कें ओलों से सट गई थीं। जिले के किसानों की आत्मा रो रही है, एक तो राम रूठा हुआ है, दूसरे राज की ओर से भी कोई मुआवजा दिये जाने की अभी तक स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है जिससे सीकर जिले के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतएव प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की बरबाद हुई फसल का तुरन्त आकलन करवा कर जिले के सभी पीड़ित किसानों को तुरन्त मुआवजा राशि प्रदान कराई जाकर राहत प्रदान करें एवं जीने का आसरा दें।

धन्यवाद।

गोविन्द सिंह डोटासरा

(लक्ष्मणगढ़)

निजी महाविद्यालयों की मनमानी

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विभिन्न निजी महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों का शोषण किया जा रहा है एवं प्रायोगिक परीक्षाओं में मनमर्जी से उपस्थिति अंकित की जा रही है।

इस सम्बन्ध में उल्लेख है कि जयपुर जिले के किशनगढ़-रेनवाल स्थित राजस्थान सह-शिक्षा महाविद्यालय द्वारा बहुत से विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाओं में अनुपस्थिति दर्ज कर दी गई जबकि सभी विद्यार्थियों ने उपस्थित रहकर प्रायोगिक परीक्षा में भाग लिया था। महाविद्यालय की उपस्थिति पंजिका में उक्त विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज है लेकिन विश्वविद्यालय को जो प्रायोगिक परीक्षा की अंक सूची भेजी गई है उसमें उनको अनुपस्थित दर्शाया गया है जिससे विश्वविद्यालय द्वारा रिजल्ट में अनुपस्थित माना गया हे जिससे ये विद्यार्थी आगामी परीक्षा से वंचित हो रहे हैं।

ये विद्यार्थी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में लगातार चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है बल्कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इन विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। अब मार्च माह में विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षा आने वाली है लेकिन ये विद्यार्थी अभी भी अधरझूल में हैं।

अतः मेरा इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त राजस्थान सह-शिक्षा महाविद्यालय, किशनगढ़-रेनवाल जिला जयपुर की इस सम्बन्ध में जांच कराकर इस सम्बन्ध में हुई कमी-खामी को दुरुस्त करावें ताकि विद्यार्थियों के साथ न्याय हो सके और उनका एक वर्ष व्यर्थ नहीं जाये जबकि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। आशा है, आप इसे गम्भीरता से लेंगे एवं उक्त महाविद्यालय के खिलाफ कार्यवाही करते हुए पीड़ित विद्यार्थियों के साथ न्याय करेंगे।

पेमाराम

(धोद)

धौलपुर के शेरगढ़ किले का जीर्णोद्धार

महोदय,

धौलपुर जिले में पर्यटन के अनेक स्थल क्रमशः शेरगढ़ किला, (जो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित किया गया था।) मचकुण्ड तीर्थ, वन विहार, तालाबेशाही, देवहंसगढ़ का किला, पुरानी छावनी के महल रामसागर, दमोह फाल, जार जरीना मस्जिद, केसर बाग आदि मौजूद हैं। दु:ख की बात है कि आज पर्यटन विभाग की वाजिब देखरेख के अभाव में बरबाद हो रहे हैं ये बेशकीमती पर्यटन स्थल दौबारा कभी नहीं बनाये जा सकते। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पर्यटन विभाग इनकी देखरेख तुरन्त करावे। तथा अपने पर्यटन मानचित्र पर इन स्थलों को अविलम्ब लायें, ताकि यहां देशी-विदेशी पर्यटक घूमने आयें। ऐसा करने से एक ओर धौलपुर के स्थानीय लोगों को पर्यटन व्यवसाय का लाभ मिलेगा दूसरी ओर इन पर्यटन स्थलों का रखरखाव भी सम्भव हो सकेंगा। साथ ही धौलपुर से लगी चम्बल नदी में नौकायन द्वारा पर्यटकों को नदी में घड़ीयाल, मगरमच्छ, रिवर डोलफिन एवं अन्य जीवों को देखनें का अनन्द मिलेगा।

रविन्द्र सिंह बोहरा

(राजाखेड़ा)

जोधपुर के भोपालगढ़ में ग्राम लवारी में सड़क हादसा

महोदय,

दिनांक 14.02.11 को 4.00 बजे जोधपुर जिले के भोपालगढ़ तहसील स्थित ग्राम लवारी के करीब 25 ग्रामवासी नागौर जिले के बुटाटी ग्राम स्थित धाम पर सवामणी प्रसादी कर वापस अपने ग्राम लौट रहे थे तब अचानक एक

ट्रक के ड्राइवर द्वारा ट्रक अनियंत्रित होने व लापरवाही से चलाते हुये पिकअप को टक्कर मारकर 25 श्रद्धालुओं को काल कवलित कर दिया तथा करीब 7 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया जिससे पूरे भोपालगढ़ क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त हो गई। समस्त मृतक किसान व गरीब परिवार के थे जिसमें 19 महिलाऐं व बच्चे भी व पुरुष भी साथ थे। एकदम 25 अर्थियां देख कर लोगों पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पूरे गांव व आसपास के क्षेत्र में घरों में चूल्हे तक नहीं जले तथा यह खबर सुनकर सदन के नेता मा. मुख्य मंत्रीजी भी वहां सांत्वना देने पहुंचे थे वहां मौके पर मैने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया कि प्रत्येक मृतक आश्रितों को 5.00 लाख रुपये का मुआवजा दिया जावे ताकि मृतकों के परिवार जन को आजीविका हेतु आर्थिक सहायता पहुंच सके। परन्तु जिला प्रशासन द्वारा मात्र 20-20 हजार रुपये प्रत्येक मृतक परिवार को देने की घोषणा की गई। जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है जबकि गत वर्ष उसी जिले के बालेसर में हुई माली जाति के परिवार के सदस्यों को मौतों पर प्रत्येक मृतक परिवार के सदस्यों को 5.00 लाख रुपये दिये गये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की गई थी। ऐसा एक तरफा बरताव क्यों किया जा रहा है।

इसके अलावा जोधपुर जिले में जहरीली शराब के सेवन से मौतें हुई थीं। उनको भी 5-5 लाख रुपये दिये गये थे।

अत: मैं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं भोपालगढ़ तहसील के ग्राम लवारी 25 मृतकों को 5-5 लाख रुपये की सदन में घोषणा की जावे।

कमसा मेघवाल

(भोपालगढ़)

खण्डेला में पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित एक अत्यन्त ही गम्भीर एवं लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार एवं जल संसाधन मंजीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि मेरे खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्राम फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या से ग्रसित हैं। विभागीय अधिकारियों को कहने के बावजूद क्षेत्र की जनता को इस गम्भीर एवं बीमारियों की जनक समस्या से आज तक निजात नहीं मिल पाई

है। मेरे क्षेत्र के ग्राम चक रोयल, अगलोई कंवरपुरा, चौकडी, खन्यावाली, स्वामीडूंगरी, नीमेडा, चक, खटून्दरा, सोला, गोरिया, बामणवास, बहादुरपुरा, सुरपुरा, शिवपुरा, बस्सी, विजयपुरा, आभावास, तपीपल्या, गढभोपजी एवं अन्य अनेक ग्राम व ढाणियां, फ्लोराइडयुक्त पानी की गम्भीर समस्या से सालों से जूझ रही है। वहां के पानी में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई है। फ्लोराइडयुक्त पानी के कारण से वहां के निवासियों में अनेक तरह के रोग फैल रहे है कूबड की बीमारी, दांत खराब होने की बीमारियां हर घर में पैर पसारे हुए हैं।

ग्राम पंचायतों के ग्रामों व ढाणियों में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है वहां पर गैर सरकारी संस्था एनजीओ द्वारा इस समस्या के निराकरण हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परन्तु हकीकत में मैं वहां का जन प्रतिनिधि होने के नाते दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम किसी एनजीओ द्वारा वहां पर नहीं चलाया जा रहा है और वैसे भी यह एक लोक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी प्रजा के दु:ख-दर्द व तकलीफ को समझे व उसका निराकरण करे।

इसी के साथ मैं यह भी सरकार से निवेदन करता हूं कि खण्डेला में चालीस वर्ष पुराना उच्च जलाशय निर्मित है जो एकदम से क्षतिग्रस्त हो गयी है। कभी भी गिर सकती है। अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि खण्डेला विधान सभा क्षेत्र की फ्लोराइड की समस्या व दूसरे उच्च जलाशय का तुरन्त निर्माण करवाया जाये।

बंशीधर खण्डेला

(खण्डेला)

करौली डी आर डी ए में गबन

महोदय,

उपरोक्त विषय में उल्लेख है कि DRDA करौली ने दिनांक 26.3.2010 को जारी मेरे पत्र में फर्जीवाड़ा करके छाया प्रति के आधार पर 10 लाख रुपये का गबन किया है। गबन करने के तरीके में 2 मदों को छायाप्रति के आधार पर (1) 5 लाख रुपयें की राशि स्कूल से छुटटन बैरवा के घर तक, एससी बस्ती, लुहारखेडा सीसी रोड का निर्माण कार्य, कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत उरदैन एवं (2) श्री रामस्वरूप के घर से भैरोजी के स्थान तक बाढ रामसिंहपुरा सीसी रोड, कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत उरदैन को स्वीकृत कर दिया। अप्रैल 2010 में मुझे दी गई सूचना के आधार पर वर्ष 2009-10 की कुल मिलाकर 62 मद की प्रशासनित स्वीकृति दी गई है। इसका विस्तृत विवरण

लेकर, मैंने DRDA के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कार्य का विस्तृत रूप से समीक्षा कर, पूर्ण करवाने का अनुरोध किया था। इसके बाद भी प्रत्येक बार जब भी मुझे सूचना दी गई, उसमें उक्त 10 लाख रुपये का कभी भी उल्लेख नहीं किया गया। इस प्रकार से मुझे लगातार अंधेरे में रख कर सरपंच, ग्राम पंचायत उरदैन, संबंधित बाबू श्री हेमन्त शर्मा, संबंधित योजना अधिकारी एवं तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि ने मिलीभगत कर गबन किया है।

दिनांक 14 फरवरी, 2011 को जानकारी मिलने पर मैंने संबंधित फाइलों को अवलोकन किया तथा इसके साथ-साथ में स्थानीय स्तर पर सूचना के आधार पर पता चला कि 1 लाख 20 हजार रुपये की रिश्वत लेकर बाबू श्री हेमन्त शर्मा एवं अधिकारियों आदि ने मिलकर यह फर्जीवाडा कर गबन किया है।

इसके साथ-साथ में यह भी पता चला है कि तत्कालीन जिला कलक्टर श्री नीरज के. पवन ने जब मंजूरी दी तो उनको भी इस फर्जीवाड़े का पता था। इसका प्रमाण यह है कि हर बार जिला कलक्टर अन्य मंजूरियों को काफी देर से स्वीकृति देते रहे हैं तथा किसी न किसी प्रकार प्रश्न खड़ा कर नई मंजूरियों में विलम्ब किया है। कूप निर्माण के लिए की गई अभिशंषा दि. 9.3.2010 की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद वित्तीय स्वीकृति अटका दी गई तथा 30.6.2010 को जारी की गई।

इसी प्रकार क्रम सं. 57 पर प्रशासनिक स्वीकृति 23.3.2010 को जारी की गई एवं वित्तीय स्वीकृति 30.6.10 को जारी की गई। अन्य स्वीकृतियों में भी लगातार विलम्ब किया गया।

अतः निवेदन है कि सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायें।

रमेश चन्द मीणा
(टोडाभीम)

पाली में चक्रवाती तूफान से हुआ नुकसान

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राजस्थान में इस वर्ष बेमौसमी बारिश चक्रवती तूफान आने से राजस्थान का आम जन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसमें में पाली जिले व मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में विशेष तौर से सोजत रोड, बगडी, हरीयामाली व आसपास के मगर क्षेत्र में बेमौसमी बारिश व चक्रवती तूफान की चपेट में आ जाने से कई व्यापारियों के व्यवसाय चौपट हो

गये। कम से कम 40-50 सब्जीयों व फलों के हाथ थेले तूफान की चपेट में आये एवं उन गरीबों के व्यवसाय चौपट हो गये है। कई मकान ध्वस्त हो गये व भेड़ बकरियां व कई पशुधन नष्ट हो गये।

हरीयामाली गांव में उक्त तूफान की चपेट में आने से खेत में काम करती हुई एक महिला की मौत हो गयी। उस महिला को मात्र 20 हजार मुआवदा दिया गया जबकि प्राकृतिक आपदा के अनुसार उसे 1.00 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए था।

अतिवृष्टि का प्रकोप इतना भयनाक था कि रोड लाइटों के 80 विद्युत पोल नीचे गिर गये तूफान कि चपेट में आये आस-पास के इलाकें में पांच दिन से विद्युत व्यवस्था सुचारू हो पायी। इस बेमौसमी बारीक व तूफान से काश्तकारों की खरीफ की फसलें (मूंग, तिल, जो, बाजार) के साथ-साथ जो चारा था वो भी बारिश से भीग कर नष्ट हो गया। इसके साथ ही मेहन्दी की फसल नष्ट हो गयी। इस संवेदनशील सरकार की सारी मशीनरी एस.डी.ओ. तसहीलदार डिप्टी एस.पी., पटवारी, ग्राम सेवक सब मौका देख कर गये। उसमें भी राजनीतिकरण किया गया और चपेट में आये कई परिवारों की सर्वे रिपोर्ट नहीं बनायी गयी। दुर्भाग्य कि जो रिपोर्ट मौके पर बनाई गई थी वो भी मात्र कागजों तक सिमट गई।

माननीय अध्यक्ष महोदयजी के माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि जो प्राकृतिक आपदा 2010 को आयी थी। उक्त मौके रिपोर्ट की कार्यवाही क्यों नहीं हुई। उक्त मौके की रिपोर्ट मंगवाकर आपदा की चपेट में आने वाले लोगों को तुरन्त प्रभाव से मुआवजा दिया जाए और काश्तकारों का 80 प्रतिशत खरीफ की फसलों व जो चारा जल कर नष्ट हुआ है उन काश्तकारों को बिना राजनीति करते हुये उक्त गिरदावरी रिपोर्ट बनवा कर उनकी फसलों व चारे का अधिक से अधिक मुआवजा दिया जावे।

श्रीमती संजना आगरी

(सोजत)

निवाई की तहसील पीपलू के गांवों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान

महोदय,

मैं सदन के माध्यम से माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री जी से अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 15 फरवरी, 2011 को राज्य के कई हिस्सों में वर्षा व ओलावृष्टि हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील पीपलू की 11 पंचायतों

के 29 गांवों यथा-नया गांव उर्फ रहीमपुरा, जवाली, नानेर, हनोतिया, इब्राहिमपुरा, अहमदगंज, करीमनगर, मालीपुरा, पासरोटिया, कुरेडा, कुरेडी देवरी, मारखेडा, किशनपुरा, गलोद, ककराजकला, ककराज खुर्द, प्यावडी, फजलपुरा, मूण्डिया, अलीनगर, सन्देडा, डोडवाडी, अतालिकपुरा, आजमपुरा, मोहनाबाद, इस्लामपुरा गाता, विलायतपुरा तथा इस्लामपुरा (गलोद) में ओलावृष्टि से 20 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक फसलें बरबाद हो चुकी हैं।

अत: मैं सदन के माध्यम से मांग रखना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र निवाई, पीपलू की तहसील पीपल के उक्त ग्रामों में दिनांक 15.2.2011 को हुई ओलावृष्टि के नुकसान का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दिलवायें जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिल सके।

धन्यवाद

कमल बैरवा

(निवाई)

बाली की पंचायत समिति देसूरी के कस्बे धाणेराव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रेषित कर मा. चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली की पंचायत समिति देसूरी के सबसे बड़े दूसरे नम्बर के कस्बे घाणेराव में अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ी जातियों एवं बीपीएल वर्ग का बाहुल्य है। घाणेराव कस्बे की आबादी दस हजार से भी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त यहां आस-पास के गांवों से बड़ी संख्या में गरीब तबके के रोगियों का ड्रेन होता है। उपरोक्त वर्ग की घनी आबादी क्षेत्र को सरकारी इलाज उपचार के लिए यहां मात्र एक उपस्वास्थ्य केन्द्र ही खोला हुआ है जो किसी भी पहलू से सोचने विचारने में अपर्याप्त है अत: यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जावे। घाणेराव कस्बे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये यहां के स्थानीय दानदाता पर्याप्त भवन निर्माण कराने के लिए तैयार हैं। यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु मात्र सरकारी स्वीकृति व स्टाफ लगाने की आवश्यकता है।

सादर।

पुष्पेन्द्र सिंह

(बाली)

सिकराय में नये प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

महोदय,

मैं सदन के माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आकर्षित करना चाहती हूं कि आगामी बजट में सिकराय विधान सभा क्षेत्र में नये पी एच सी/सी एच सी खोले जावें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग द्वारा मालूम की गई जानकारी के तहत सरकार सिर्फ डेसर्ट और ट्राइबल इलाके में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ राजस्थान के सभी क्षेत्रों के लिये होना चाहिए। खासतौर पर सिकराय विधान सभा क्षेत्र जो कि अनु. जाति/अनु. जन जाति व पिछड़ी जाति बाहुल्य इलाका है। इस क्षेत्र के ग्रामीणों को हमारी सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए। मै आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी व स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बहरावण्डा के आसपास लगभग 30 कि.मी. तक कोई पी एच सी या सी एच सी नहीं है। अतः मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इसी बजट में बहरावण्डा उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। जिससे हम ग्रामीण जनता को अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ दिलवा सकें व सरकार की संवेदनशीलता का परिचय दे पायें।

सिकराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पी एच सी गीजगढ़ व भाण्डारेज को पी एच सी से सी एच सी में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

प्रा. स्वा. केन्द्र गीजगढ़ में 1 महिला चिकित्सक का नया पद स्वीकृत करें। ग्रामीण महिलाओं को महिला डाक्टर के अभाव में डिलेवरी व अन्य समस्याओं के लिए आर एम पी प्रैक्टिशनर्स या झोला छाप डाक्टरों के पास जाना पड़ता है। कम जानकारी वाले प्रैक्टिशनर्स के झांसे में आने से सालाना हजारों महिलाओं को प्रसव के दौरान अकाल मौत का ग्रास बनना पड़ता है। जबकि हमारी सरकार की मंशा है कि जच्चा व बच्चा सुरक्षित रहे।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित कर अनुरोध है कि इसी वित्तीय बजट में दौसा जिले और उसमें भी मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय में भी प्राथमिक स्वा. केन्द्र आदि

खोलने का प्रावधान लाया जाये। जिससे हम कल्याणकारी सरकार के माध्यम से राजस्थान की जनता को अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ दिलवा सकें।

धन्यवाद।

श्रीमती ममता भूपेश

(सिकराय)

मारवाड़ जंक्शन के चिकित्सालयों में बी पी एल हेतु समुचित चिकित्सा सुविधा का अभाव

महोदय,

उपरोक्त क्रम में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की प्रजा सरकार के शोषण से त्राहि-त्राहि हो रही है परन्तु सरकार और सरकार के प्रशासन में गरीब जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची से आये दिन बीपीएल परिवारों के साथ हो रहे अत्याचार की शिकायतें आ रही हैं परन्तु प्रशासन और अन्धी सरकार उनकी शिकायतों को दरकिनार करते हुए मनमाने तरीके से कांग्रेस सरकार के होने का बल बताकर अन्याय कर रहे हैं। क्या सरकार कांग्रेस की होने से गरीब अपना हक लेने के लिए सरकार के तलवे चाटेगा क्या? सरका ने बीपीएल प्रसूताओं हेतु 5 लीटर घी की घोषणा तो कर रखी है। पर क्या कभी पता किया कि उस 5 लीटर घी में से कितना घी उस गरीब माता को दिया जा रहा है जो हमारे देश के भविष्य को जन्म दे रही है। सुनाओ जा रहा है कि उस घी का 50 प्रतिशत भाग तो उस अस्पताल प्रशासन ही खा जाता है। अगर कोई माता बिना रिश्वत दिये अपने हक की मांग करती है कि उसके कार्ड की तारीख ऐसे आगे निकाल दी जाती हैं जैसे कोई न्यायालय में अपनी पेशी मांग रहा हो। उक्त मामले का एक उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूं। प्रार्थी महिला जिसका नाम गुड्डी देवी पत्नि सुरेश नायक निवासी मारवाड़ जंक्शन (जिला पाली) की शिकायत है कि प्रसव के दौरान बीपीएल परिवार कार्ड होने के साथ भी उन्हें अस्पताल प्रशासन से नि:शुल्क दवाइयां नहीं दी गई। तथा प्रसव के 300 रुपये भी लिए गये। साथ ही प्रसव के पश्चात सरकार की तरफ से 5 लीटर सरस घी देने का जो प्रावधान है वो भी नहीं दिया गया। तथा बादा में काफी मन्नतें करने के बाद एक माह पश्चात पुरानी तारीख में जारी किया गया कूपन दे दिया गया जिसका क्रमांक

3566 है। जो पाली डेयरी में दिखाया गया तो उसे मियाद बाहर बताकर घी देने से मना कर दिया गया। जिसका कूपन एवं शपथ पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूं।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषी डाक्टरों को निलम्बित किया जावे। तथा पीड़िता को न्याय दिलाते हुए पूरी सहायता दिलायी जावे।

केसाराम चौधरी
(मारवाड़ जंक्शन)